देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

Impact Factor
8.642

ISSN : 2395-7115
June 2026
Vol.-23, Issue-6

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

Publisher :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
#202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 23 ISSUE-6, Part-3 (जून 2026) ISSN : 2395-7115

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),
एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल-एल.बी. (ऑनर्स),
डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)
डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल

कार्यकारी सम्पादक :

प्रो. शकुन्तला चौहान

शामली, उत्तर प्रदेश।

प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ISSN 2395-7115

सम्पादकीय सम्पर्क :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : nksihag202@gmail.com

मो. 09466532152

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

Disclaimer :

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

बोहल शोध मंजूषा परिवार*

मानद संरक्षक

डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा 'शंकी'
पूर्व शिक्षा अधिकारी,
साहित्यकार,
चरखी दादरी (हरियाणा)

डॉ. विश्वबंधु शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ वि.वि.
रोहतक (हरियाणा)

डॉ. विनोद तनेजा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गुरूनानक वि.वि. अमृतसर
पंजाब।

सम्पादक मण्डल

सह सम्पादिका :
डॉ. रेखा सोनी
उप प्राचार्या, शिक्षा विभाग
टाटिया वि.वि. श्रीगंगानगर।

सह सम्पादिका :
डॉ. सुशीला आर्या
हिन्दी विभाग, चौ. बंसीलाल
विश्वविद्यालय, भिवानी।

प्रबंध सम्पादक :
समुन्द्र सिंह
भिवानी, हरियाणा।

विधि विशेषज्ञ

डॉ. रामफल दलाल, एडवोकेट
जिला न्यायालय
भिवानी, हरियाणा।

अजीत सिहाग, एडवोकेट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट,
चंडीगढ़।

चरणवीर सिंह, एडवोकेट
जिला न्यायालय
पटियाला, पंजाब।

विषय विशेषज्ञ/परामर्शदात्री/शोधपत्र निरीक्षण समिति

डॉ. कुमारी लक्ष्मी जोशी
हिन्दी विभाग, त्रिभुवन वि.वि.
काठमाण्डू, नेपाल।

डिल्लीराम शर्मा संग्रौला
विभागीय प्रमुख, संस्कृत, पत्रकारिता, हिंदी
पद्मकन्या बहुमुखी कैंपस, काठमांडू, नेपाल।

डॉ. संजय एल. मादार
विभागाध्यक्ष, पी.जी. केन्द्र
द.भा.हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद।

डॉ. गीता दहिया, प्राचार्या,
नैशनल टीटी कॉलेज फॉर गर्ल्स
अलवर, राजस्थान

डॉ. इस्पाक अली
पूर्व प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री
शिक्षा महाविद्यालय, बेंगलूरू

डॉ. मो. रियाज़ खान
बीएमएस वूमैन कॉलेज आटोनोमेस
बेगलूरू

डॉ. वनिता कुमारी
च. दादरी (हरियाणा)

श्री सहदेव समर्पित
सम्पादक, शान्तिधर्मी, जीन्द

डॉ. अंजली उपाध्याय
उत्तर प्रदेश

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कालेज
धारवाड़, कर्नाटक

प्रो. अमनप्रीत कौर
गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज
फॉर वूमैन, दसूहा, पंजाब

डॉ. वर्षा रानी
संस्कृत विभाग, डॉ. भीमराम
अम्बेडकर, वि.वि., आगरा

प्रो. कमलेश चौधरी
राजकीय रणबीर महाविद्यालय
संगरूर, पंजाब

डॉ. परमजीत कौर
बरेली कॉलेज बरेली,
उत्तर प्रदेश।

डॉ. बी. संतोषी कुमारी
पी.जी.विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी
प्रचार सभा, मद्रास।

डॉ. करमजीत कौर
प्राचार्या, दशमेश गर्ल्स कॉलेज
चक आला, मुकेरिया, पंजाब।

डॉ. मनमीत कौर
राधा गोविन्द वि.वि.,
रामगढ़, झारखण्ड।

डॉ. शबाना हबीब
गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमैन
त्रिवन्तपुरम, केरल।

डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत विभाग
हरियाणा सरकार।

प्रो. नरेन्द्र सोनी
सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
हरियाणा सरकार।

पठान चिन्ना जानी
सहायक प्राध्यापक
सी.एच.एस.डी. सेंट थेरेसा
महिला महाविद्यालय (ए)
एलुरु, आंध्र प्रदेश

डॉ. के.के. मल्हौत्रा
पूर्व विभागाध्यक्ष
गवर्नमेंट कॉलेज, गुरदासपुर

डॉ. किरण गिल
दीनदयाल टी.टी. महाविद्यालय
बारी, जिला सीकर, राज.

डॉ. राजकुमारी शर्मा
श्रीराम कॉलेज,
नई दिल्ली।

श्री राकेश ग्रेवाल
सन जॉस,
कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.

श्री राकेश शंकर भारती
साहित्यकार व अनुवादक,
यूक्रेन।

डॉ. रीना उन्नीयाल तिवारी
शिक्षा संकाय, डी.ए.वी. पीजी
कालेज, देहरादून

डॉ. शिवकरण निमल
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
एसपीसी राजकीय महा. भीम, राजस्थान।

डॉ. नीलम आर्या
संस्कृत विभाग
उत्तर प्रदेश।

डॉ. रोहतास
एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस.
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

डॉ. वैशाली सिंह
सहायक प्राध्यापक
शिक्षा विभाग, एस.एम.टी. अनार देवी
टी.टी. कॉलेज, बखराना
(कोटपुतली) राजस्थान।

डॉ. अंकिता चतुर्वेदी, प्रवक्ता
भीमसेन डिग्री कॉलेज
(आगरा यूनिवर्सिटी)

डॉ. सविता घुड़केवार
पीजी विभाग, दक्षिण भारत
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. श्रीविद्या एन.टी.
श्री शंकराचार्य संस्कृत वि.वि.
केरल।

डॉ. पंडित बन्ने
भारत महाविद्यालय,
सोलापुर (महाराष्ट्र)

डॉ. उमा सैनी
आई.ए.एस.ई. विश्वविद्यालय
सरदारशहर, राजस्थान

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां
डीन फिजिकल एजुकेशन
टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर,

डॉ. राधाकृष्णन गणेशन
भारत कला भवन
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

डॉ. रवि सुण्डयाल
हॉयर एजुकेशन डिपार्टमेंट
जम्मू कश्मीर।

प्रो. सत्यबीर कालोहिया
पूर्व प्राचार्य,
कैलिफोर्निया।

डॉ. रेखा रानी
गवर्नमेंट रणबीर कॉलेज
संगरूर, पंजाब

शिओंग छन श्यू
चीन

*सम्पूर्ण बोहल शोध मञ्जूषा परिवार/सम्पादक मण्डल अवैतनिक है।

अनुक्रमाणिका - जून 2026

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. नरेश सिहाग	09-09
2.	संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन	डॉ० मौ० मुजफ्फर अंसारी	10-17
3.	जगन्नाथ संस्कृति : मन्दिर वास्तु एवं धार्मिक परम्पराओं में भारतीय कला का स्वरूप	कुमारी रीमा	18-29
4.	भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में मंदिरों की बहुआयामी उपयोगिता : विश्लेषणात्मक अध्ययन	जितेंद्र गवरिया	30-34
5.	अलवर नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं उद्योगों का हरित लेखांकन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	**Vishram**	**35-39**
6.	**INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL VARIABLES ON PLAYING PERFORMANCE AMONG DIFFERENT CATEGORIES OF CRICKET PLAYERS**	**Ekta Pramod Singh, Dr. Arun Mathur**	**40-47**
7.	**Analyzing Transportation Challenges Through Mathematical Modeling and Phenomena**	**Rinkle Middha, Dr. Hemlata**	**48-53**
8.	**Effect of Classroom Seating Arrangement on Students' Learning Outcomes : An Experimental Study of U-Shaped and Row-Wise Seating**	**Dr. Vaseem Khan, Pranjal Garg, Ankita Kumari Poonia, Dr. Nisha Agrawal**	**54-68**
9.	महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति सीकर जिले की स्नातक स्तर की छात्राओं में जागरूकता का अध्ययन	रामचन्द्र, डॉ. अमिता	69-74
10.	**Ideological Debates and Policy Orientations in the Pre-Second World War Period**	**Samaresh Chattaraj, Dr. Swati Kumar**	**75-79**
11.	इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बचपन : व्यवहार, शिक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव	संदीप सैनी, प्रो. ध्रुव कुमार त्रिपाठी	80-93
12.	**India-USSR Relations – Political and Strategic Cooperation**	**Sk Latifuddin, Dr. Swati Kumar**	**94-99**

13.	रत्नकुमार सांभरिया की कहानियों में झाँकता वृद्धों का उज्ज्वल पक्ष	रतन लाल जाट, डॉ. सी. एल. महावर	100-105
14.	समकालीन हिन्दी लघुकथाओं में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना	डॉ. तरूण कुमार साहू	106-109
15.	संपूर्ण मानव निर्माण : शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य	डॉ. निशांत शेखर	110-112
16.	Religious Tourism and the Shakti Peeth Circuit in Himachal Pradesh : Mapping the Potential for Sustainable Pilgrimage Tourism	Kuldeep Patyal	113-120
17.	अनाथालयों के अन्तेवासी बच्चों के विभिन्न वर्गो की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन का अध्ययन	अम्बरीश वाजपेयी, डॉ. राजेश पालीवाल	121-127
18.	The Spectacle of Suffering : Politics of Pain and Media Representation of Disability in Raghuvir Sahay's "The Handicapped Caught in a Camera"	Dr. Gunjan Kumari	128-134
19.	प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन : एक अध्ययन	ओमकार वर्मा, डॉ. आर. एन. सिंह	135-142
20.	A Comparative Analysis of Global and Regional Human Trafficking Paradigms : Enforcement Gaps, Perpetrator Demographics and Victim Exploitation Vectors	Dr. Gajendra Singh	143-156
21.	माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में योग विषय के प्रति अभिरूचि का अध्ययन Student of interest to wards yoga subject among higher secondary level students	डॉ. नुपूर अग्रवाल	157-164
22.	Mental Health and School Education	Dr. Giriraj Bhojak	165-172
23.	झुंझुनू जिले के नगरीय केंद्रों का जनसंख्या प्रक्षेपण	डॉ. ममता यादव	173-177
24.	आधुनिक हिंदी कविता और भारतीय जीवन मूल्य	डॉ. प्रणव शर्मा	178-182
25.	संजना कौल द्वारा लिखित उपन्यास 'पाषाण युग' में अस्तित्व हेतु संघर्ष करती हुई नारी का यथार्थ चित्रण	डॉ. दीपिका शर्मा	183-185

26.	भारत के पश्चिमी तटीय सुरक्षा के संदर्भ में सुरक्षा चुनौतियाँ : एक अध्ययन	दीपिका शर्मा, प्रो. (डॉ.) शकील अहमद	186–190
27.	भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा समाज : राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी का अध्ययन	डॉ० मौ० मुजफ्फर अंसारी	191–202
28.	कौटिल्य के आर्थिक सुशासन के सिद्धान्त और 21वीं सदी की विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ : भारत के परिप्रेक्ष्य में	संतोष कुमार गौतम	203–207
29.	सुमित्रानंदन पंत के ग्रामीण चित्रण काव्य में मार्क्सवादी चेतना	राजकुमार, प्रो. रेखा वर्मा	208–213
30.	संत परम्परा और भोजपुरी के अल्प परिचित संत कवि (संत धर्मदास, संत धरनीदास)	शिवांगी द्विवेदी	214–218
31.	सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण : स्मृति ग्रन्थों के परिप्रेक्ष्य में	श्री आशीष आर्य	219–223
32.	वैदिक साहित्य में रुद्र देवता : साहित्यिक पुनरावलोकन	डॉ० चन्द्रशेखर, डॉ. विजय कुमार पाण्डेय	224–237
33.	**SETTLEMENT HIERARCHY IN THE UPPER GHAGGAR BASIN DURING THE EARLY HARAPPAN PHASES : ASSESSING ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS vs. CULTURAL PLANNING**	**DEVRUT**	**238-246**

संपादकीय...

शोध, समाज और भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय

प्रिय पाठकों, शोधार्थियों, शिक्षकों एवं विद्वान साथियों,

बोहल शोध मंजूषा के जून 2026 अंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह पत्रिका अपने आरंभ से ही ज्ञान, अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति समर्पित रही है। बदलते समय के साथ शोध की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है, जहाँ ज्ञान का विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। ऐसे समय में शोध का उद्देश्य केवल नई जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि उपलब्ध ज्ञान का सम्यक् विश्लेषण कर समाजोपयोगी निष्कर्ष प्रस्तुत करना भी है।

नई शिक्षा नीति ने बहुविषयक अध्ययन और अनुसंधान को विशेष महत्व दिया है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विषयों के बीच संवाद और सहयोग की नई संभावनाएँ विकसित हुई हैं। आज साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों में अंतर्विषयी शोध को प्रोत्साहन मिल रहा है। यह सकारात्मक परिवर्तन ज्ञान के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बोहल शोध मंजूषा का उद्देश्य शोधार्थियों और विद्वानों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहाँ वे अपने मौलिक विचारों और शोध निष्कर्षों को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुँचा सकें। पत्रिका सदैव गुणवत्तापूर्ण, मौलिक तथा समाजोपयोगी शोध कार्यों के प्रकाशन के लिए प्रतिबद्ध रही है। हमारा विश्वास है कि शोध केवल शैक्षणिक उपलब्धि का साधन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास का प्रभावी माध्यम भी है।

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल संसाधनों और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव ने शोध की प्रक्रिया को सरल बनाया है। तथापि इसके साथ ही शोध नैतिकता, मौलिकता और प्रामाणिकता की चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। शोधार्थियों का यह दायित्व है कि वे अपने अनुसंधान में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और प्रमाणिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। किसी भी शोध की विश्वसनीयता उसके निष्कर्षों से अधिक उसकी कार्यप्रणाली और नैतिक आधार पर निर्भर करती है।

प्रस्तुत अंक में विविध विषयों पर आधारित शोध आलेख सम्मिलित किए गए हैं। साहित्य, भाषा, संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक सरोकारों और समकालीन विमर्शों से संबंधित शोध पत्र इस अंक को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करते हैं। हमें विश्वास है कि यह अंक पाठकों को नवीन दृष्टि, चिंतन की नई दिशा और शोध के प्रति सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करेगा।

अंत में, मैं सभी लेखकों, समीक्षकों, संपादकीय मंडल के सदस्यों तथा पाठकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से यह अंक प्रकाशित हो सका है। आपके सुझाव और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। आशा है कि बोहल शोध मंजूषा भविष्य में भी शोध, ज्ञान और अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहेगी। आइए, हम सब मिलकर शोध को केवल डिग्री प्राप्ति का साधन न मानकर ज्ञान–सृजन, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाएँ। यही शोध की वास्तविक सार्थकता है और यही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी।

–संपादक

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 10-17

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन

डॉ० मौ० मुजफ्फर अंसारी
राजनीति विज्ञान,
घिस्सुपुरा–हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

शोध सार– (Abstract) :

भारतीय संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब है। इसकी शक्ति इस तथ्य में निहित है कि यह स्थिर रहते हुए भी परिवर्तनशील बना रहता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लोकतांत्रिक भारत की उस जीवंतता को प्रकट करती है, जिसके माध्यम से समय, समाज और राजनीति की बदलती धड़कनों को विधिक ढाँचे में स्थान मिलता है। यह शोध–पत्र संशोधन की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए कुछ प्रमुख संशोधनों के प्रभाव को उजागर करता है और यह रेखांकित करता है कि संविधान संशोधन मात्र कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र को सतत प्रासंगिक और उत्तरदायी बनाए रखने की जीवन–रेखा है। इस शोध–पत्र में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है तथा उन संशोधनों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा प्रदान की। साथ ही, यह विवेचना की गई है कि संशोधन केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि वह जीवन–रेखा है जो संविधान को युगानुकूल, प्रासंगिक और सशक्त बनाए रखती है।

मुख्य शब्द (Keywords) : संविधान, संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368, मूल संरचना सिद्धांत, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक स्थायित्व।

प्रस्तावना (Introduction) :

भारतीय संविधान आधुनिक लोकतांत्रिक इतिहास की एक अनूठी उपलब्धि है। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह केवल शासन की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं का सजीव प्रतिबिंब है। संविधान निर्माताओं ने इसे न तो इतना कठोर बनाया कि समयानुसार परिवर्तन असंभव हो जाए और न ही इतना लचीला कि इसकी स्थिरता ही नष्ट हो जाए। यही कारण है कि भारतीय संविधान को एक साथ कठोर और लचीला कहा जाता है। संविधान की यह विशेषता संशोधन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। समय के साथ समाज में नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, मूल्य बदलते हैं और शासन की आवश्यकताएँ भी परिवर्तित होती हैं। यदि संविधान इन परिवर्तनों के साथ स्वयं को समायोजित न कर पाए तो उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। इसीलिए संशोधन संविधान की आत्मा को जीवंत बनाए रखने का माध्यम है। भारत में संविधान

संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निर्धारित की गई है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और विधिक स्थायित्व के बीच संतुलन का प्रतीक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र ने अपनी परिपक्वता सिद्ध की है और समय–समय पर किए गए संशोधनों ने राष्ट्र की दिशा और दशा को गहराई से प्रभावित किया है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study) :

इस शोध–पत्र का उद्देश्य भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विश्लेषण करना, प्रमुख संशोधनों के प्रभाव को समझना तथा संसद और न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करना है। विशेष ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित है कि मूल संरचना सिद्धांत ने संशोधन की सीमाएँ तय करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की। समग्र रूप से, अध्ययन का लक्ष्य यह दिखाना है कि संशोधन प्रक्रिया केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जीवन्तता और संविधान की प्रासंगिकता बनाए रखने का माध्यम है।

शोध पद्धति (Research Methodology) :

इस शोध–पत्र में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिनमें संविधान की धाराएँ, प्रामाणिक पुस्तकें, शोध लेख, न्यायिक निर्णय और विश्वसनीय ऑनलाइन सामग्री शामिल हैं। संकलित सामग्री का गुणात्मक विश्लेषण किया गया है, ताकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रमुख संशोधनों के प्रभाव और न्यायपालिका की भूमिका को समग्र दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा सके।

संवैधानिक विकास का संक्षिप्त इतिहास :

1. **रेगुलेटिंग एक्ट, 1773** ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का पहला हस्तक्षेप।
   बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया (पहलेरू वारेन हेस्टिंग्स)।
   सुप्रीम कोर्ट (1774, कलकत्ता) की स्थापना।
2. **1781 का संशोधन अधिनियम,** रेगुलेटिंग एक्ट, ऑफ 1773 की खामियां ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से मुक्त कर दिया।[1]
3. **पिट्स इंडिया एक्ट, 1784** कंपनी और ब्रिटिश सरकार में दोहरी नियंत्रण व्यवस्था।
   बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना (कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा)।
4. **चार्टर एक्ट्स**

   (क) चार्टर एक्ट, 1813
   - कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (सिवाय चाय व चीन व्यापार)।
   - भारतीयों को शिक्षा के लिए पहली बार निधि (1 लाख वार्षिक)।

   (ख) चार्टर एक्ट, 1833
   - बंगाल का गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया (पहले : लॉर्ड विलियम बेंटिंक)।
   - कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त।

---

1. एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्यव्यवस्था, छठवां संशोधित संस्करण (एम सी ग्राव हिल, 2009)

- भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति का सिद्धांत स्वीकार।

(ग) चार्टर एक्ट, 1853

- विधान परिषद् (Legislative Council) का पृथक्करण, सदस्यों की संख्या बढ़ी।
- प्रतियोगी परीक्षा से ICS में भर्ती का प्रावधान।

5. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 :

- गवर्नर जनरल की परिषद में गैर–सरकारी भारतीय सदस्य लिए जाने की व्यवस्था।
- विधायी शक्तियाँ बंबई व मद्रास को वापस।

6. भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 :

- परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था।
- सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति।

7. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मोरले–मिंटो सुधार) :

- पहली बार भारतवासियों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में प्रवेश।
- अलग निर्वाचक मंडल (Separate Electorate) मुस्लिमों के लिए।

8. भारत शासन अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार) :

- प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन– हस्तांतरित और आरक्षित विषय।
- केंद्र व प्रांतों में विधायिकाओं का विस्तार।
- जनमत सर्वेक्षण हेतु साइमन कमीशन (1927) की पृष्ठभूमि।

9. भारत शासन अधिनियम, 1935 :

- सबसे बड़ा और विस्तृत अधिनियम।
- प्रांतों में संपूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता।
- केंद्र में संघीय व्यवस्था (पर लागू न हो सकी)।
- संघीय न्यायालय (1937) की स्थापना।
- गवर्नर जनरल को आपातकालीन शक्तियाँ।

10. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 :

- भारत और पाकिस्तान – दो प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बने।
- भारत में संविधान सभा की स्थापना।
- गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटेन के प्रतिनिधि मात्र।[2]

11. 26 जनवरी 1950 को लागू।

- संविधान सभा द्वारा निर्मित।
- भारत बना – संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य।

इस प्रकार 1773 से 1950 तक का संवैधानिक विकास धीरे–धीरे ब्रिटिश नियंत्रण ↓ प्रशासनिक सुधार

---

2. सुभास कश्यप, हमारा संविधान : भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रष्ट इंडिया (2009)

↓ राजनीतिक अधिकारों का विस्तार ↓ स्वतंत्रता ↓ संविधान निर्माण की यात्रा है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Procedure of Amendment)

हमारे संविधान निर्माताओं ने संशोधन प्रकिया की जो परिकल्पना की थी वह पंडित नेहरू के इस इस संप्रेषण से स्पष्ट की जा सकती है कि संविधान इतना कठोर नही होना चाहिए कि वह रार्ष्टीय विकास और सामर्थ्य की बदलती हुयी प्रिस्थितियों में अनुकूल न किया जा सके। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निर्धारित है। इसका उद्देश्य संविधान को समयानुसार प्रासंगिक बनाए रखना और लोकतांत्रिक स्थायित्व बनाए रखना है। इस प्रक्रिया को मुख्यतः पाँच चरणों में समझा जा सकता है :

1. विधेयक का परिचय (Introduction of the Bill)

संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे किसी भी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

2. मतदान और पारित होना (Voting and Passage)

विधेयक को दोनों सदनों में पारित करना आवश्यक है। संशोधन के प्रकार के अनुसार बहुमत अलग होता है :

- **सरल बहुमत :** केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत।
- **विशेष बहुमत :** प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का दो–तिहाई बहुमत और उपस्थित सदस्यों का दो–तिहाई बहुमत।

3. राष्ट्रपति की स्वीकृति (Presidential Assent)

दोनों सदनों में पारित होने के बाद, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे स्वीकृत करने के बाद ही विधेयक संविधान का हिस्सा बनता है।

4. राज्यों की स्वीकृति (Ratification by States)

कुछ विशेष संशोधनों के लिए, जैसे कि अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241, सातवें अनुसूची की सूची, और संसद के संरचनात्मक प्रावधान, राज्यों की विधानसभाओं से आधिकारिक स्वीकृति आवश्यक होती है। इसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से प्राप्त करना अनिवार्य है।

5. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)

संविधान संशोधन के बाद, यदि कोई व्यक्ति या संस्था इसे चुनौती देती है, तो न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि संशोधन संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) के अनुरूप है या नहीं। यदि संशोधन मूल संरचना के खिलाफ पाया जाता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।[3]

प्रमुख संवैधानिक संशोधन (Major Amendments) :

भारतीय संविधान में अब तक कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, जिन्होंने देश के सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक ढाँचे को गहराई से प्रभावित किया है। इनमें से कुछ प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं :

---

3. दुर्गा दास बसु, भारत का संविधान– एक परिचय संस्करण कर्ताअवतार सिंह एंव शकील अहमद खां (वाधवा एंड कम्पनी 2003)

1. प्रथम संशोधन (1951) भारत के संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की धारा 19(2) में नए प्रतिबंध जोड़े गए जैसे 'लोक व्यवस्था' और 'राज्य की सुरक्षा'। साथ ही, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार संबंधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु नवम अनुसूची का निर्माण किया गया। यह संशोधन सामाजिक–आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से संबंधित धाराओं में बदलाव लेकर आया। इसका उद्देश्य समाज में बढ़ते असमानताओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं को संविधान के अनुरूप करना था।[4]

2. 42वाँ संशोधन (1976) इसे "छोटा संविधान" भी कहा जाता है। इस संशोधन ने मूल संरचना में बदलाव करने का प्रयास किया और केंद्र सरकार के अधिकारों को बढ़ाया। 42वाँ संशोधन भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे विवादित संशोधन है। इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए। अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया। इस संशोधन ने कार्यपालिका और संसद की शक्ति को बढ़ाया तथा मूल संरचना पर प्रश्न उठे।[5]

3. 44वाँ संशोधन (1978) इस संशोधन ने आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया को कठिन बनाया और यह प्रावधान किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही आपातकाल लागू कर सकता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और आपातकालीन के तीसरे आधार 'आंतरिक गडबडी' को हटा कर सशस्त्र विद्रोह नाम दिया लेकिन अब राष्ट्रपति सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसको लागु नही कर सकता है।[6]

4. 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992) 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 73वें संशोधन ने पंचायतों को लोकतांत्रिक ढाँचे में स्थायी स्थान दिया, जबकि 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं को मजबूत किया। इन संशोधनों ने लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय स्तर तक फैलाकर सहभागिता आधारित शासन की नींव रखी। यह लोकतंत्र के तले जनभागीदारी को सशक्त बनाने वाला कदम था।[7]

5. 86वाँ संशोधन (2002) इसने शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया और विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की।[8]

6. 101वाँ संशोधन (2016) यह जीएसटी (GST) के लिए किया गया था, जिसने अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत

---

4. डी. डी. बसु, भारतीय संविधान की टिप्पणी (Commentary on the Constitution of India), लेक्सिसनेक्सिस, 2019.
5. एम. पी. जैन, भारतीय संवैधानिक विधि (Indian Constitutional Law), लेक्सिसनेक्सिस, 2018.
6. एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था छठवां संशोधित संस्करण (एम सी ग्राव हिल 2009)
7. आर. सी. भारद्वाज, Constitution Amendment in India (नई दिल्ली : दीप एंड डीप पब्लिकेशन्स, 1995), पृ. 311।
8. डी. डी. बसु, भारतीय संविधान का परिचय (नई दिल्ली : लेक्सिसनेक्सिस, 2020), पृ. 483।

कर देश में कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया।[9]

7. 103वाँ संशोधन, (2019) इस संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया।[10]

8. 104वाँ संशोधन, (2019) इस संशोधन द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। इसके साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो–इंडियन समुदाय के लिए विशेष आरक्षण (नामांकन) को समाप्त कर दिया गया।[11]

9. 105वाँ संशोधन, 2021 इस संशोधन द्वारा राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) की सूची तैयार कर सकें और उनकी पहचान कर सकें। यह संशोधन 102वें संशोधन में आई सीमाओं को दूर करने के लिए किया गया।[12]

न्यायपालिका की भूमिका (Role of Judiciary in Constitutional Amendments)

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका ने भी संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान का मूल स्वरूप और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन न हो।

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)

संशोधन के बाद, यदि किसी व्यक्ति या संस्था को लगता है कि यह संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है, तो मामला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के निर्णय ने स्पष्ट किया कि संसद को संविधान का स्वरूप बदलने का असीमित अधिकार नहीं है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि संशोधन केवल कानूनी औपचारिकता न बने, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की आत्मा के अनुरूप हो।

न्यायपालिका का महत्व :

इस भूमिका के माध्यम से न्यायपालिका संसद और राज्य सरकारों के शक्तियों के संतुलन को बनाए रखती है। यह लोकतंत्र की स्थायित्व और संविधान के युगानुकूल होने का गारंटर है। संशोधन प्रक्रिया में न्यायपालिका की यह सक्रिय भागीदारी संविधान को केवल कागज का दस्तावेज नहीं बल्कि जीवन्त और उत्तरदायी बनाती है।

---

9. आर. सी. भारद्वाज, Constitution Amendment in India (नई दिल्ली : दीप एंड डीप पब्लिकेशन्स, 1995), परिशिष्ट।
10. गौतम भाटिया, The Indian Constitution: A Conversation with Power (नई दिल्ली : हार्पर कॉलिन्स, 2019), पृ. 212।
11. भारत का संविधान (104वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019। नई दिल्ली : भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय।
12. भारत का संविधान (105वाँ संशोधन) अधिनियम, 2021। नई दिल्ली : भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय।

10. **आलोचना और चुनौतियाँ (Criticism and Challenges)**

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लोकतंत्र की जीवंतता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसके साथ कुछ आलोचनाएँ और चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं।

- **केंद्रीयकृत शक्तियाँ (Centralization of Powers) :** कुछ संशोधनों, जैसे कि 42वाँ संशोधन, ने केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्ति प्रदान की। इससे संघीय संतुलन पर प्रभाव पड़ा और राज्यों की स्वायत्तता सीमित हुई। आलोचकों का तर्क है कि इससे लोकतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ा और संविधान के मूल उद्देश्यों में विघटन का खतरा उत्पन्न हुआ।
- **न्यायपालिका के साथ टकराव (Conflict with Judiciary) :** संविधान संशोधन और न्यायिक समीक्षा के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है। संसद ने कुछ संशोधनों के माध्यम से न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया, जबकि न्यायपालिका ने मूल संरचना सिद्धांत के तहत इसे चुनौती दी। इस टकराव ने संवैधानिक स्थायित्व और विधिक संतुलन पर सवाल उठाए हैं।
- **राजनीतिक दुरूपयोग (Political Misuse) :** कई बार संविधान संशोधन का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। इसमें सरकारें अपने समय सीमा और हितों के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव करती रही हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर असर डाल सकता है।
- **सामाजिक और आर्थिक प्रभाव (Socio&Economic Implications) :** कुछ संशोधन सामाजिक और आर्थिक ढाँचे को प्रभावित करते हैं, जैसे भूमि सुधार या शिक्षा संबंधी अधिकार। यदि इन्हें उचित ढंग से लागू न किया जाए तो सामाजिक असमानता और प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ सकती हैं।

निष्कर्ष (Conclusion) :

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल एक विधिक प्रावधान नहीं, बल्कि लोकतंत्र की निरंतरता और उसकी जीवन्तता का प्रतीक है। यह प्रक्रिया संविधान को जड़ होने से बचाती है और उसे एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित करती है, जो समय, समाज और परिस्थितियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।

संशोधनों के माध्यम से संविधान सामाजिक–आर्थिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल आदर्शों को और सशक्त करता है। यही कारण है कि मौलिक अधिकारों का विस्तार, आपातकालीन प्रावधानों की समीक्षा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, शिक्षा का अधिकार तथा आर्थिक–सामाजिक नीतियों का पुनर्संरचन– ये सब संशोधन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही संभव हो सके।

निस्संदेह, संशोधन प्रक्रिया चुनौतियों से मुक्त नहीं है। इसमें केंद्रीय सत्ता का वर्चस्व, न्यायपालिका–संसद के बीच शक्ति–संतुलन की जटिलता, राजनीतिक बहुमत का दुरुपयोग और क्षेत्रीय असंतोष जैसी बाधाएँ सामने आती रही हैं। फिर भी, यह सत्य है कि बिना संशोधन की गुंजाइश के संविधान स्थिर होकर अप्रासंगिक हो जाता।

अतः कहा जा सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की लचीलापन (Flexibility) और स्थायित्व (Stability) दोनों की गारंटी है। यह संविधान को न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इसे प्रासंगिक बनाए रखती है। वास्तव में, यही प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को जीवंत रखती है और राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा प्रगतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करती

है।

संदर्भ :

1. लक्ष्मीकांत, एम. भारत की राज्यव्यवस्था छठवां संशोधित संस्करण (एम सी ग्राव हिल 2009)
2. कश्यप, सुभास. हमारा संविधान : भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रष्ट, इंडिया (2009)
3. बसु, दुर्गा दास. भारत का संविधान– एक परिचय, संस्करण कर्ता, अवतार सिंह एंव शकील अहमद खां (वाधवा एंड कम्पनी, 2003)
4. बसु, डी. डी. भारतीय संविधान की टिप्पणी (Commentary on the Constitution of India), लेक्सिसनेक्सिस, 2019.
5. जैन, एम. पी. भारतीय संवैधानिक विधि (Indian Constitutional Law), लेक्सिसनेक्सिस, 2018.
6. लक्ष्मीकांत, एम. भारत की राज्यव्यवस्था छठवां संशोधित संस्करण (एम सी ग्राव हिल 2009)
7. भारद्वाज, आर. सी. Constitution Amendment in India (नई दिल्ली : दीप एंड डीप पब्लिकेशन्स, 1995), पृ. 311।
8. बसु, डी. डी. भारतीय संविधान का परिचय (नई दिल्ली : लेक्सिसनेक्सिस, 2020), पृ. 483।
9. भारद्वाज, आर. सी. Constitution Amendment in India (नई दिल्ली : दीप एंड डीप पब्लिकेशन्स, 1995), परिशिष्ट।
10. भाटिया, गौतम The Indian Constitution : A Conversation with Power (नई दिल्ली : हार्पर कॉलिन्स, 2019), पृ. 212।
11. भारत का संविधान (104वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019। नई दिल्ली : भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय।
12. भारत का संविधान (105वाँ संशोधन) अधिनियम, 2021। नई दिल्ली : भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha
June 2026

ISSN : 2395-7115
Page No. : 18-29

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

जगन्नाथ संस्कृति : मन्दिर वास्तु एवं धार्मिक परम्पराओं में भारतीय कला का स्वरूप

कुमारी रीमा

शोध छात्रा, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)–273009, भारत।

सारांश-

उड़ीसा (प्राचीन कलिंग) के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारतीय स्थापत्य, शिल्पकला और धार्मिक परम्पराओं का एक अद्‌वितीय केंद्र है, जिसका वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शासक अनन्तवर्मन चोडगंगदेव द्‌वारा प्रारंभ किए गए निर्माण से विकसित हुआ। लगभग एक हजार वर्ष पुराना यह मंदिर कलिंग शैली की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, जिसकी स्थापत्य ऊँचाई, पंचरथ योजना, मेघनाद प्राचीर तथा चार प्रतीकात्मक द्‌वार भारतीय वास्तु-कला की परिपक्वता को दर्शाते हैं। मंदिर के चार प्रमुख भाग-विमान, जगमोहन, नाटमंडप और भोगमंडप एक सुव्यवस्थित धार्मिक स्थापत्य योजना का परिचायक हैं। गर्भगृह की रत्नवेदी पर प्रतिष्ठित जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के काष्ठ-विग्रह शैव, शाक्त और वैष्णव तत्वों के समन्वय का प्रतीक हैं, जिनमें दारु-पूजा और लोक आस्था का प्रभाव भी स्पष्ट है। मंदिर की पूजा-पद्धति, 'गोपाल अर्चना विधि', मंत्रोपासना और दैनिक पंच-कालिक पूजा परंपरा इसे जीवंत धार्मिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करती है। वास्तुशिल्प शास्त्र, स्थापत्यवेद तथा विभिन्न शिल्पग्रंथों की परंपरा इस मंदिर की निर्माण-पद्धति और कलात्मक स्वरूप में परिलक्षित होती है। नीम काष्ठ से निर्मित विग्रह तथा पवित्र वृक्षों की मान्यता वास्तु और पर्यावरणीय चेतना के समन्वय को दर्शाती है। इस प्रकार, जगन्नाथ मंदिर केवल एक आस्था-स्थल नहीं, बल्कि भारतीय कला, स्थापत्य, धर्म और सांस्कृतिक समन्वय की सशक्त अभिव्यक्ति है, जिसने ऐतिहासिक विकास-क्रम में भारतीय सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।

मुख्य शब्द - जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ मंदिर, मन्दिर वास्तु, कलिंग शैली, भारतीय कला, धार्मिक परम्पराएँ, प्रतिमा-विधान, नवकलेवर, रथयात्रा, लोक एवं शास्त्रीय समन्वय, अनुष्ठानिक कला, सांस्कृतिक विरासत।

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य जगन्नाथ संस्कृति के संदर्भ में मन्दिर वास्तु एवं धार्मिक परम्पराओं में निहित भारतीय कला के स्वरूप का समग्र एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। विशेष रूप से जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य योजना, प्रतिमा-विधान, अनुष्ठानिक परंपराओं तथा लोक-शास्त्रीय समन्वय के माध्यम से भारतीय कला की अभिव्यक्ति को समझना इस अध्ययन का मूल लक्ष्य है। इस शोध की मूल परिकल्पना यह है कि जगन्नाथ संस्कृति भारतीय कला की समन्वयात्मक एवं बहुआयामी अभिव्यक्ति है, जिसमें मन्दिर वास्तु, प्रतिमा-विधान, अनुष्ठानिक परम्पराएँ तथा लोक एवं शास्त्रीय तत्व एकीकृत रूप में विद्यमान हैं, और उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से जगन्नाथ परम्परा के विकास-क्रम का विश्लेषण किया जाएगा, विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा स्थापत्य, मूर्तिकला एवं धार्मिक अनुष्ठानों में निहित कलात्मक तत्त्वों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा, तथा तुलनात्मक पद्धति के आधार पर कलिंग शैली की अन्य भारतीय मन्दिर शैलियों से तुलना कर इसके विशिष्ट स्वरूप को स्पष्ट किया जाएगा। शोध के लिए प्राथमिक स्रोतों में मन्दिर अभिलेख, शिलालेख, परम्परागत ग्रंथ एवं प्रत्यक्ष अवलोकन सम्मिलित होंगे, जबकि द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत इतिहास, कला एवं संस्कृति विषयक शोधग्रंथ, शोध-पत्र तथा प्रामाणिक प्रकाशन का उपयोग किया जाएगा, जिससे अध्ययन को प्रमाणिक एवं संतुलित आधार प्राप्त हो सके।

प्रस्तावना -

भारतीय संस्कृति की दीर्घकालीन परंपरा में धर्म, दर्शन और कला का जो समन्वित स्वरूप विकसित हुआ है, उसका एक सशक्त एवं जीवंत उदाहरण जगन्नाथ संस्कृति में दृष्टिगत होता है। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के इर्द-गिर्द विकसित यह परंपरा केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि मन्दिर वास्तु, मूर्तिकला, अनुष्ठानिक व्यवस्था, लोक-आस्था तथा शास्त्रीय कला के अद्वितीय समागम का प्रतिनिधित्व करती है। इसके ऐतिहासिक विकास में आदिवासी प्रकृति-पूजा, वैष्णव भक्ति आंदोलन तथा मध्यकालीन गंग वंशीय राजाश्रय का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके परिणामस्वरूप यह संस्कृति शैव, शाक्त, वैष्णव और बौद्ध तत्वों के समन्वय से समृद्ध हुई। कलिंग शैली की स्थापत्य परंपरा,

काष्ठ-प्रतिमा विधान, रथयात्रा जैसे भव्य उत्सव तथा सेवायत-आधारित अनुष्ठानिक व्यवस्था भारतीय कला के बहुआयामी स्वरूप को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ संस्कृति का अध्ययन मन्दिर वास्तु एवं धार्मिक परम्पराओं में निहित भारतीय कला के स्वरूप को समझने के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत औचित्यपूर्ण एवं प्रासंगिक सिद्ध होता है।

जगन्नाथ मंदिर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य -

उड़ीसा (प्राचीन कलिंग) के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारतीय स्थापत्य, शिल्प एवं धार्मिक परम्पराओं का एक अनुपम केंद्र है। मदला पंजी में दर्ज किंवदंतियों के अनुसार, पहले जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाभारत और पुराणों में वर्णित मालव राजा इंद्रद्युम्न द्वारा करवाया गया था।[i] इसका वर्तमान भव्य निर्माण 12 वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के प्रतापी शासक अनन्तवर्मन चोडगंगदेव द्वारा प्रारंभ कराया गया[ii] जिसे उनके उत्तराधिकारियों ने पूर्णता प्रदान की। लगभग एक सहस्राब्दी पुराना यह मंदिर कलिंग शैली की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी ऊँचाई लगभग 214 फीट 8 इंच है[iii] तथा इसका मुख्य गर्भगृह पंचरथ योजना पर आधारित है। मंदिर के चारों ओर निर्मित विशाल परकोटे को 'मेघनाद प्राचीर' कहा जाता है, जिसकी ऊँचाई लगभग 20 से 24 फीट है, जो मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता का प्रतीक है। मंदिर के चार प्रमुख द्वार-सिंहद्वार (पूर्व), व्याघ्रद्वार (पश्चिम), हस्तीद्वार (उत्तर) और अश्वद्वार (दक्षिण) धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर की संरचना चार प्रमुख भागों-विमान (गर्भगृह), जगमोहन, नाटमण्डप और भोगमण्डप में विभाजित है, जो कलिंग स्थापत्य की परिपक्व योजना को व्यक्त करते हैं। गर्भगृह में स्थित 'रत्नवेदी' पर महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा एवं सुदर्शन विराजमान हैं। यह वेदी लगभग 16 फीट लंबी और 4 फीट ऊँची है। बलभद्र को रुद्र का, सुभद्रा को आदिशक्ति का तथा जगन्नाथ को विष्णु का प्रतीक माना जाता है; साथ ही ये तीनों क्रमशः भूत, वर्तमान और भविष्य के द्योतक माने जाते हैं। सुदर्शन चक्र नारायण-तत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है।जगन्नाथ संप्रदाय का विकास आदिवासी दारु-पूजा, वैष्णव भक्ति और राजाश्रय के समन्वय से हुआ। गंग वंश के संरक्षण ने इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान किया, जबकि बाद में गजपति शासकों, विशेषतः प्रतापरुद्र देव ने पूजा-पद्धति एवं सेवायत परंपरा को सुव्यवस्थित किया। 'गोपाल अर्चना विधि' के अंतर्गत प्रतिदिन पाँच बार पूजा की परंपरा स्थापित हुई। बीजमंत्र, वासुदेव मंत्र एवं भुवनेश्वरी मंत्र द्वारा क्रमशः जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आराधना की जाती है, जिससे शैव, शाक्त और वैष्णव तत्वों का अद्भुत समन्वय प्रकट होता है। कलिंग की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में वास्तुशिल्प

शास्त्र का विशेष महत्त्व रहा है, जिसका उद्गम अथर्ववेद से संबद्ध स्थापत्यवेद से माना जाता है। कश्यप शिल्पशास्त्र, बृहत्संहिता, समरांगण सूत्रधार आदि ग्रंथों में मंदिर निर्माण की विधियाँ वर्णित हैं। जगन्नाथ मंदिर की काष्ठ-प्रतिमा परंपरा में नीम वृक्ष का उपयोग तथा पवित्र वृक्षों की अवधारणा वास्तु और पर्यावरणीय चेतना के समन्वय को भी दर्शाती है। इस प्रकार, जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय कला, वास्तुशास्त्र, लोक-आस्था और सांस्कृतिक समन्वय का जीवंत प्रतीक है, जिसने अपने उद्भव से लेकर विस्तार तक भारतीय सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ किया है।

मन्दिर वास्तु में भारतीय कला का स्वरूप -

वास्तुशिल्प शास्त्र मन्दिर निर्माण विधि से सम्बन्धित एक प्राचीन और वैज्ञानिक शास्त्र है[iv] जगन्नाथ मन्दिर का निर्माण गंग वंश के प्रतापी राजा चोडगंग देव के द्वारा 12 वी शताब्दी में हुआ था[v] यह मन्दिर स्थापत्य एवं मूर्तिकला का बेजोड़ उदाहरण है वास्तुशिल्प शास्त्र मानता है कि मन्दिर का निर्माण खुले विशाल प्रांगण में होना चाहिए जगन्नाथ मन्दिर 10 एकड में खुले विशाल प्रांगण में अवस्थित है[vi] वास्तुशिल्प शास्त्र के अनुसार मन्दिर के मुख्य प्रवेश द्वार चारों दिशाओं में खुले होने चाहिए। जगन्नाथ मन्दिर के चार द्वार है। जिसमे पूर्व स्थित सिंहद्वार मुख्यद्वार है। जगन्नाथ मन्दिर की पाकशाला भी जगन्नाथ के मन्दिर के पूर्वी दक्षिणी कोने पर स्थित है[vii] वास्तुशिल्प शास्त्र के अनुसार मुख्यद्वारों के सामने कुछ न कुछ मूर्तियाँ होनी चाहिए। जगन्नाथ मन्दिर के सभी द्वारो पर अलग-अलग मूर्तियाँ निर्मित है जिनमें दोनो तरफ सिंह, व्याघ्र और हस्ती है। वास्तुशिल्प शास्त्र मानता है कि शिखर के ऊपर सुन्दर मूर्तियाँ, आकृतियाँ आदि खुदी होनी चाहिए जगन्नाथ मन्दिर के बाहरी भागो पर भी सुन्दर मूर्तियाँ आदि गढ़ी हुई है।

प्रतिमा विधान एवं शिल्प परम्परा -

जगन्नाथ मन्दिर भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परम्पराओं का अद्वितीय केन्द्र है। जगन्नाथ मन्दिर में उपस्थित प्रतिमाओं का प्रतिमा विज्ञान और शिल्प परम्परा भारतीय मूर्तिकला की परम्परागत धारणाओं से भिन्न होते हुए भी अत्यंत गूढ़ दार्शनिक अर्थों से युक्त है। यहाँ स्थापित मुख्य देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएँ पत्थर या धातु की न होकर दारु ब्रह्म अर्थात् पवित्र नीम की लकड़ी से निर्मित हैं यह मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कई किंवदंतियों के अनुसार, कृष्ण का हृदय यहीं रखा गया था, और लकड़ी की मूर्ति के भीतर ही असली जगन्नाथ हैं। चूंकि लकड़ी खराब हो जाती है, इसलिए इसे हर कुछ वर्षों में बदलना पड़ता है[viii] यह विशेषता इसे भारत के अन्य

मंदिरों से अलग पहचान देती है। जगन्नाथ की प्रतिमा का स्वरूप अत्यंत विशिष्ट है। गोल और विस्तृत नेत्र सर्वव्यापकता तथा सर्वदर्शिता के प्रतीक माने जाते हैं हाथ-पैरों का अपूर्ण या संक्षिप्त रूप निराकार ब्रह्म के साकार रूप का दार्शनिक संकेत देता है । प्रतिमाओं का अनुपात पारंपरिक शिल्पशास्त्रीय मानकों से भिन्न दिखाई देता है, किन्तु इनके निर्माण में निश्चित माप और नियमों का पालन किया जाता है। जगन्नाथ का श्यामवर्ण कृष्ण-तत्त्व का द्योतक है, बलभद्र का श्वेतवर्ण शक्ति एवं कृषि संस्कृति का प्रतीक है, जबकि सुभद्रा का मध्यस्थ स्थान शक्ति और संतुलन का बोध कराता है। इन तीन प्रतिमाओं का संयुक्त रूप भारतीय विविध दार्शनिक धाराओं वैष्णव, शैव और शाक्त का समन्वय प्रस्तुत करता है जगन्नाथ मन्दिर प्रतिमा विज्ञान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता 'नवकलेवर' परम्परा है। निश्चित अंतराल (आमतौर पर 12 या 19 वर्ष) पर प्रतिमाओं का नवीनीकरण किया जाता है।[ix] इसके अंतर्गत विशेष लक्षणों से युक्त नीम वृक्ष की खोज की जाती है, जिसे 'दारु' कहा जाता है यह प्रक्रिया गुप्त अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होती है। नवकलेवर केवल प्रतिमा-परिवर्तन नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और नित्य-नवीनता की दार्शनिक अवधारणा का प्रतीक है। शिल्प परम्परा की दृष्टि से उन प्रतिमाओं का निर्माण विशिष्ट सेवायत परिवारों द्वारा किया जाता है, जिन्हें 'महारण' या 'विश्वकर्मा' कहा जाता है। प्रतिमा निर्माण की यह परम्परा पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है । प्रतिमा निर्माण में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है और इसे अत्यंत गोपनीय रखा जाता है । शिल्प की यह पद्धति केवल तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और अनुष्ठानिक अनुशासन से भी जुड़ी हुई है। इन प्रतिमाओं में ओड़िसा की आदिवासी 'सवरा' संस्कृति का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। विद्वानों के अनुसार जगन्नाथ का मूल स्वरूप जनजातीय उपासना से संबंधित रहा है, जिसे बाद में वैदिक और पौराणिक परम्पराओं से जोड़ा गया। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर का प्रतिमा विज्ञान भारतीय सांस्कृतिक समन्वय का जीवंत उदाहरण है, जहाँ लोक और शास्त्र, आदिवासी और आगमिक तथा दार्शनिक और भक्तिपरक तत्व एक साथ अभिव्यक्त होते हैं।

धार्मिक परम्पराएँ एवं अनुष्ठानिक कला -

जगन्नाथ मंदिर भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना का एक अद्वितीय केंद्र है। यह मंदिर धार्मिक परम्पराओं और अनुष्ठानिक कला का महान संगम है। ओडिशा के पुरी नगर में स्थित यह तीर्थ 'चार धाम' में से एक है और यहाँ की पूजा-पद्धति, अनुष्ठान तथा लोक-आधारित कला परम्पराएँ भारतीय धर्म संस्कृति की विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करती हैं। जगन्नाथ परंपरा की विशेषता इसकी समन्वयकारी प्रवृत्ति है। यहाँ भगवान जगन्नाथ को

विष्णु, कृष्ण, बुद्ध और लोकदेवता के रूप में एक साथ देखा जाता है। मुख्य विग्रह जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा–दर्शन और प्रतीकात्मकता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनकी प्रतिमाएँ दारू (काष्ठ) से निर्मित होती हैं, जो भारतीय मूर्तिकला परंपरा में अद्वितीय हैं। जगन्नाथ मंदिर में होने वाले प्रमुख धार्मिक अनुष्ठानों में रथयात्रा, स्नान पूर्णिमा, अनवासर और गुंडिचा यात्रा प्रमुख हैं। इन उत्सवों में मूर्तियों का शुद्धिकरण, एकांतवास और नगर भ्रमण जैसे तत्व मंदिर की धार्मिक परम्परा और जनआस्था को दर्शाते हैं। नित्य पूजा, स्नेह यात्रा, नवकलेवर तथा महाप्रसाद की व्यवस्था के साथ तीर्थयात्रियों के अनुष्ठान और सेवायत समुदाय की भूमिका है।

महाप्रभु का नवकलेवर -

परम्परा के अनुसार निर्धारित समय पर पुरी में संपन्न होता है। बारह वर्षों में (या उससे कम या अधिक अंतराल के बाद) जब दो आषाढ़ मास आते हैं, तब यह महोत्सव सम्पन्न होता है। शास्त्रीय विधान के अतिरिक्त अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों में भी महाप्रभु के नवकलेवर की अनेक घटनाएँ मिलती हैं। प्राचीन काल में जब पुराण वर्णित दारु समुद्र में बहते हुए आया था और विचित्र बढ़ई ने उससे विग्रह निर्माण के लिए प्रयास शुरू किया था, उस वक्त भी दो आषाढ़ के महीने पड़े थे। उसके बाद से ही नवकलेवर की परम्परा शुरू हुई थी।

महाप्रभु की रथयात्रा की परम्परा -

महाप्रभु जगन्नाथ की रथ-यात्रा विश्वप्रसिद्ध रथ-यात्रा मानी जाती है।[x] यह भारतीय वैष्णव परम्परा की अत्यंत महत्वपूर्ण रथ-परम्परा है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों से असंख्य श्रद्धालु पुरी स्थित श्रीक्षेत्र में उपस्थित होकर जगन्नाथ के दर्शन एवं अनुग्रह का लाभ प्राप्त करते हैं। यह वार्षिक उत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु वैश्विक स्तर पर शान्ति, सौहार्द, प्रेम, भक्ति और मानवीय एकात्मता का सशक्त सांस्कृतिक संदेश प्रदान करने वाला महापर्व है। इसी कारण इसे 'भक्ति-महोत्सव', 'पतितपावन-महोत्सव' तथा 'सांस्कृतिक महोत्सव' जैसे विविध विशेषणों से अभिहित किया जाता है।[xi] यह यात्रा वस्तुतः भक्ति, धर्म और दर्शन की त्रिवेणी का सजीव रूप है, जिसमें आध्यात्मिक अनुभूति और लोक-सांस्कृतिक सहभागिता का अद्वितीय समन्वय दृष्टिगोचर होता है। महाप्रभु जगन्नाथ को आनन्दमय चैतन्य के मूर्त प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में उन्हें आदिदेव, परब्रह्म तथा परम तत्त्व की अभिव्यक्ति माना गया है। वे सांस्कृतिक समन्वय, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक एकता के अधिष्ठाता देवता के रूप में

प्रतिष्ठित हैं। वैदिक साहित्य, विशेषतः ऋग्वेद की अपौरुषेय परम्परा के आलोक में उन्हें अनादि, अनन्त और समस्त सृष्टि के मूलाधार तत्त्व के रूप में व्याख्यायित किया जाता है और ये ही अनन्त है-

"अतो यद्वाकः प्लवते, सिन्धुः पारे अपौरुषम्"[xii]

महाप्रभु जगन्नाथ वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, सौर और गाणपत्य है। रथयात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से आरंभ होकर आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तक चलती है। इसमें संसार के लाखो श्रद्धालु भक्तगण एवं पर्यटक पुरी आते है।प्रतिवर्ष तीन नए रथ बनाए जाते है और श्रीमंदिर के सिंहद्वार के निकट एक पंक्ति में उन्हें सुसज्जित कर रखा जाता है। महाप्रभु के रथ का नाम 'नन्दिघोष' बलभद्र के रथ का नाम 'तालध्वज' एवं सुभद्रा जी के रथ का नाम 'देवदलन' है[xiii] कुछ विद्वान इस रथयात्रा को बौद्ध परम्परा का प्रतीक मानते है उनका यह मानना है कि भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव के अवसर पर पाटलिपुत्र में रथयात्रा निकलती थी, जिसे प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भी बताया है। कठोपनिषद् में रथ के विषय में कहा गया है –

"आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च"[xiv]

यहाँ 'रथ' प्रतीकात्मक होने पर भी रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत में युद्ध प्रसंग में 'रथ' यानरूप में व्यवहृत हुआ है। वेद में सूर्य और विष्णु के रथ का भी वर्णन आया है। यहाँ 'रथ' प्रतीकात्मक होने पर भी रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत में युद्ध प्रसंग में 'रथ' यानरूप में व्यवहृत हुआ है। वेद में सूर्य और विष्णु के रथ का भी वर्णन आया है। महाप्रभु की रथयात्रा के लिए काष्ठ संग्रह वसंत पंचमी के दिन से आरंभ हो जाता है। काष्ठ ओड़िशा के दशपल्ला के जंगल से आता है। अक्षय तृतीया के दिन से रथ निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। वंश परंपरा से बढ़ई आदि महाप्रभु का रथ निर्माण करते है। रथयात्रा को घोष यात्रा और गुण्डिचा यात्रा भी कहा जाता है[xv] मन्दिर की धार्मिक परंपराओं में 'सेवायत' व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग परिवार पीढ़ियों से उत्तरदायी है। यह व्यवस्था केवल धार्मिक कर्मकांड नही, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का उदाहरण है।

जगन्नाथ संस्कृति में लोक एवं शास्त्रीय कला का समन्वय -

जगन्नाथ संस्कृति का मूल स्वरूप सांस्कृतिक समन्वय है। यह केवल धार्मिक समन्वय नहीं, बल्कि सामाजिक, कलात्मक और राजनीतिक स्तर पर एकीकृत प्रक्रिया है। एशमैन, कुलके और त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि जगन्नाथ परम्परा आदिवासी सवरा

समुदाय की दारु-उपासना से विकसित हुई, जिसे ब्राह्मणीय वैष्णव सिद्धांतों ने क्रमशः आत्मसात किया।[xvi] इस प्रक्रिया को कुलके ने कल्ट इंटीग्रेशन एंड स्टेट फॉर्मेशन की संकल्पना से जोड़ा है[xvii] ऐतिहासिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि 'नीलमाधव' की कथा और सवरा प्रमुख विश्ववासु का प्रसंग दारु-देवता परम्परा की ओर संकेत करता है[xviii] यह तथ्य इस बात को पुष्ट करता है कि जगन्नाथ परम्परा का आरंभिक स्वरूप लोकधर्मी था। बाद में गंग वंश के संरक्षण में इसे शास्त्रीय वैष्णव रूप दिया गया यह प्रक्रिया 'संस्कृतिकरण' और 'क्षेत्रीय वैधता' का उदाहरण है, जहाँ स्थानीय आस्था को शास्त्रीय धर्म में समाहित किया गया। पुरी मंदिर की सेवा-प्रणाली में 100 से अधिक प्रकार की सेवाएँ वर्णित हैं इनमें ब्राह्मण, शूद्र, कारीगर, रसोइये, रथ-निर्माता और आदिवासी समुदाय सम्मिलित हैं। यह संरचना सामाजिक समरसता का व्यावहारिक उदाहरण है। महाप्रसाद की सामूहिक परम्परा जाति-भेद से परे साझा भोजन की अवधारणा को पुष्ट करती है, जिसे कुलके ने आध्यात्मिक समतावाद का रूपक कहा है[xix] पट्टचित्र चित्रकला जगन्नाथ संस्कृति की दृश्य अभिव्यक्ति है। दीनानाथ पाथी के अनुसार पट्टचित्रों में लोक-रेखांकन शैली और शास्त्रीय पौराणिक विषयवस्तु का समन्वय है[xx] थॉमस डोनाल्डसन ने ओडिशा की मूर्तिकला और चित्रकला को अनुष्ठानिक दृश्यता की संज्ञा दी है अर्थात् कला यहाँ केवल सज्जा नहीं, बल्कि अनुष्ठान का सक्रिय अंग है[xxi] इस प्रकार लोक और शास्त्रीय कला का यह समागम केवल सौंदर्यात्मक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक-राजनीतिक समेकन का माध्यम भी है।

भारतीय कला-दर्शन और जगन्नाथ संस्कृति -

भारतीय कला-दर्शन में कला का उद्देश्य केवल सौन्दर्य सृजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य की अभिव्यक्ति है। आनंदा के. कुमारस्वामी के अनुसार भारतीय कला "तत्वमीमांसा का दृश्य रूप है"[xxii] जगन्नाथ की प्रतिमा पारंपरिक 'मानुषी आकृति' से भिन्न है। यह अपूर्णता वास्तव में अनंतता का प्रतीक है। शर्मा के अनुसार गोल नेत्र 'सर्वदर्शिता' का संकेत हैं, जबकि स्थूल रूप 'सगुण-निर्गुण' के मध्य सेतु है। क्रामरिश[xxiii] ने मंदिर को ब्रह्मांडीय पुरुष का रूपक माना है। इस दृष्टि से जगन्नाथ मंदिर 'ब्रह्मांडीय पिंड' का स्थापत्य रूप है विमान सिर का, जगमोहन धड़ का, और प्राचीर भौतिक सीमाओं का प्रतीक है। भारतीय सौन्दर्यशास्त्र में 'रस' की अवधारणा महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ संस्कृति में भक्ति-रस प्रधान है। रथयात्रा में सामूहिक सहभागिता, कीर्तन, और अलंकरण भावानुभूति को सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव में रूपांतरित करते हैं[xxiv] कुमारस्वामी[xxv] के अनुसार भारतीय कला में 'अनुभूति' को रूपायित किया जाता है। जगन्नाथ प्रतिमा इसी अनुभव का मूर्त रूप है यह अनुपात से अधिक अनुभूति पर आधारित है। पर्सी ब्राउन[xxvi] ने कलिंग स्थापत्य को भारतीय मंदिर वास्तु की

परिपक्व अभिव्यक्ति कहा है। यहाँ ऊर्ध्वगामी शिखर आध्यात्मिक आरोहण का प्रतीक है। बृहत् संहिता और समरंगण सूत्रधार में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार मंदिर 'देवालय' नहीं, बल्कि 'देहालय' है देव का निवास-स्थान। जगन्नाथ मंदिर इसी दार्शनिक अवधारणा का जीवंत उदाहरण है।

समकालीन परिप्रेक्ष्य में जगन्नाथ संस्कृति -

आधुनिक युग में जगन्नाथ मंदिर, केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) ने रथयात्रा को विश्वव्यापी उत्सव का रूप दिया लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को और सिडनी में रथयात्रा का आयोजन भारतीय प्रवासी समुदाय के सांस्कृतिक पुनर्संयोजन का उदाहरण है। यह प्रक्रिया वैश्विक धार्मिक आंदोलन की श्रेणी में आती है, जहाँ स्थानीय परम्परा वैश्विक मंच पर पुनर्परिभाषित होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंदिर परिसर के संरचनात्मक संरक्षण के प्रयास किए गए हैं[xxvii] समुद्री आर्द्रता, भीड़-प्रबंधन और पर्यावरणीय दबाव प्रमुख चुनौतियाँ हैं। यूनेस्को की 'जीवंत विरासत' अवधारणा के अनुसार ऐसी परम्पराएँ केवल संरक्षित स्मारक नहीं, बल्कि सक्रिय सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ हैं। जगन्नाथ संस्कृति इस मानदंड पर खरी उतरती है। रथयात्रा और महाप्रसाद की परम्परा जाति-भेद से परे सहभागिता का उदाहरण है। यह 'पवित्र सार्वजनिक स्थल' की अवधारणा को पुष्ट करती है, जहाँ धार्मिक आस्था सामाजिक एकता का माध्यम बनती है[xxviii] आधुनिक भारत में यह परम्परा सांस्कृतिक कूटनीति का भी माध्यम है भारतीय आध्यात्मिकता की वैश्विक प्रस्तुति। समकालीन चुनौतियों संरक्षण, भीड़-प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन के बावजूद यह परम्परा एक 'जीवंत विरासत' के रूप में जीवंत है

निष्कर्ष -

प्रस्तुत शोध के सम्यक् परीक्षण से यह निष्कर्ष प्रतिपादित होता है कि जगन्नाथ संस्कृति भारतीय कला, धर्म और समाज की अंतःसंबद्ध परम्पराओं का एक जटिल, समन्वित और ऐतिहासिक रूप से विकसित तंत्र है। जगन्नाथ मंदिर इस सांस्कृतिक तंत्र का केन्द्रीय बिंदु है, जहाँ स्थापत्य, प्रतिमा-विधान, अनुष्ठानिक परम्पराएँ तथा लोक-आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियाँ एकीकृत रूप में मूर्त होती हैं। 12वीं शताब्दी में अनन्तवर्मन चोडगंगदेव द्वारा आरंभित निर्माण-प्रक्रिया और पश्चात् गजपति शासकों के संरक्षण ने इस परम्परा को राजनैतिक वैधता, धार्मिक संस्थागत संरचना और सांस्कृतिक निरंतरता प्रदान की। इस प्रकार, जगन्नाथ परम्परा केवल आस्थागत प्रणाली नहीं, बल्कि राज्य-निर्माण, क्षेत्रीय पहचान

और सांस्कृतिक एकीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया का द्योतक है। मन्दिर वास्तु के परिप्रेक्ष्य में कलिंग शैली का पंचरथ विन्यास, ऊर्ध्वमुखी रेखा-देउल (विमान), जगमोहन, नाटमंडप और भोगमंडप की क्रमिक योजना भारतीय वास्तु-दर्शन की दार्शनिक संरचना को मूर्त करती है। यह स्थापत्य केवल संरचनात्मक परिपक्वता का परिचायक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रतिमान की कलात्मक पुनर्रचना है, जिसमें देवालय को दैहिक और आध्यात्मिक आयामों के समुच्चय के रूप में प्रतिपादित किया गया है। मेघनाद प्राचीर, चार प्रतीकात्मक द्वार और विस्तीर्ण प्रांगण, पवित्रता, संरक्षण तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संकेन्द्रण के वास्तुशास्त्रीय आयामों को अभिव्यक्त करते हैं। प्रतिमा-विधान की दृष्टि से दारु-ब्रह्म की अवधारणा भारतीय मूर्तिकला-परम्परा में अद्वितीय है। नीम-काष्ठ से निर्मित विग्रह, नवकलेवर की आवधिक पुनर्संरचना तथा प्रतिमा-निर्माण की अनुष्ठानिक गोपनीयता, नश्वरता और नित्यत्व के द्वंद्वात्मक संबंध को दार्शनिक स्तर पर उद्घाटित करती है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएँ पारंपरिक मानुषी अनुपात से भिन्न होते हुए भी प्रतीकवाद की दृष्टि से गहन आध्यात्मिक आशय ग्रहण करती हैं, जहाँ सगुण-निर्गुण, लोक-आदिवासी तत्व और शास्त्रीय-आगमिक परम्पराएँ परस्पर अंतःक्रिया में स्थित हैं। इस प्रकार प्रतिमा-विज्ञान यहाँ सौन्दर्यात्मक अनुशासन से आगे बढ़कर दार्शनिक एवं सांस्कृतिक विमर्श का माध्यम बन जाता है। धार्मिक परम्पराओं एवं अनुष्ठानिक कला के स्तर पर रथयात्रा, महाप्रसाद-परम्परा, सेवायत-व्यवस्था और पंच-कालिक पूजा भारतीय समाज में 'पवित्र सार्वजनिक क्षेत्र' की अवधारणा को मूर्त करती हैं। सामूहिक सहभागिता, जाति-आधारित विभाजनों के अतिक्रमण और लोक-सांस्कृतिक ऊर्जा का संस्थागत रूपांतरण, जगन्नाथ संस्कृति को एक जीवंत सामाजिक संरचना के रूप में स्थापित करता है। अनुष्ठानिक संगीत, पट्टचित्र, रथ-निर्माण और पाक-परम्परा जैसी कलाएँ इस धार्मिक प्रणाली को बहुस्तरीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में रूपांतरित करती हैं। भारतीय कला-दर्शन के आलोक में जगन्नाथ संस्कृति उस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि कला आध्यात्मिक सत्य की दृश्य अभिव्यक्ति है। यहाँ स्थापत्य, मूर्तिकला और अनुष्ठान मिलकर एक समेकित सौन्दर्य-अनुभूति का सृजन करते हैं, जो भक्ति-रस के माध्यम से सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव में परिणत होती है। इस दृष्टि से जगन्नाथ मंदिर भारतीय सौन्दर्यशास्त्र, दार्शनिक प्रतीकवाद और सामाजिक-धार्मिक व्यवहार का एक संगठित प्रतिमान प्रस्तुत करता है। समकालीन संदर्भ में यह परम्परा स्थानीय सीमाओं का अतिक्रमण कर वैश्विक आयाम ग्रहण कर चुकी है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) द्वारा विश्व-स्तर पर आयोजित रथयात्राएँ इसे अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद का माध्यम बनाती हैं।संरक्षण, पर्यावरणीय दबाव, तीर्थ-प्रबंधन और विरासत-प्रशासन जैसी चुनौतियों के

बीच भी यह परम्परा 'लिविंग हेरिटेज' के रूप में सक्रिय बनी हुई है, जो निरंतर पुनर्सृजन और सांस्कृतिक अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजरती है।_अतः समग्रतः कहा जा सकता है कि जगन्नाथ संस्कृति भारतीय कला की समन्वयात्मक चेतना का उत्कृष्ट प्रतिमान है। इसमें मन्दिर वास्तु, प्रतिमा-विधान, अनुष्ठानिक परम्परा, लोक-सांस्कृतिक ऊर्जा और दार्शनिक विमर्श एक अखंड संरचना में संगठित हैं। यह परम्परा न केवल ऐतिहासिक विकास-क्रम का परिणाम है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक सार्वभौमिकता की सशक्त अभिव्यक्ति भी है। इस प्रकार जगन्नाथ संस्कृति भारतीय कला-दर्शन की जीवंत प्रयोगभूमि और सांस्कृतिक निरंतरता का स्थायी आधार सिद्ध होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

---

[i] घोष, ए. (1990). एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ इंडियन आर्कियोलॉजी. ब्रिल एकेडमिक.

[ii] सेसरोन, बी. (2012). *बर्नार्ड सेसरोन: पट-चित्र ऑफ़ ओडिशा.*

[iii] पट्टनायक, पी. सी. (2010, जुलाई). सम वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ जगन्नाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स. *उड़ीसा रिव्यू,* 45–47. https://magazines.odisha.gov.in/orissareview/2010/July/engpdf/45-47.pdf

[iv] नगेन्द्र. (सम्पादक). (1981). *भारतीय साहित्य कोश.* नेशनल पब्लिशिंग हाउस.

[v] श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालन समिति. (बि.ति.). *श्री जगन्नाथ पुरी.*

[vi] पूर्वोक्त

[vii] गुप्त, एन., पुरोहित, एस. एल., एवं पाण्डेय, ए. (2014). *भारतीय संस्कृति को उड़ीसा की देन.* सद्विचार प्रकाशन

[viii] गौतम, एम. (2022, नवम्बर 7). *दस लॉर्ड कृष्णाज अमेजिंग हार्ट लिव्ड ऑन फॉर पोस्टेरिटी.* द स्टेट्समैन https://www.google.com/amp/s/www.thestatesman.com/lifestyle/thus-lord-krishnas-amazing-heart-lived- on-for-posterity-1503129194.html/amp

[ix] नुगटेरेन, ए. (2010). वीविंग नेचर इनटू मिथ: कंटिन्यूइंग नैरेटिव्स ऑफ़ वुड, ट्रीज़, एंड फॉरेस्ट्स इन द रिचुअल फैब्रिक अराउंड द गॉड जगन्नाथ इन पुरी. *जर्नल फॉर द स्टडी ऑफ़ रिलिजन, नेचर एंड कल्चर, 4*(2), 159–172. https://doi.org/10.1558/jsrnc.v4i2.159

[x] पाण्डेय, ए. (2014). महाप्रभु जगन्नाथ (भारतीय संस्कृति की एक अद्वितीय पुस्तक). रामा पब्लिकेशंस

[xi] पूर्वोक्त, पृ. 80.

[xii] पूर्वोक्त, पृ. 80.

[xiii] पूर्वोक्त, पृ. 80.

[xiv] पूर्वोक्त, पृ. 81.

[xv] पूर्वोक्त, पृ. 83.

[xvi] एशमैन, ए., कुल्के, एच., एवं त्रिपाठी, जी. सी. (संपा.). (1978). *द कल्ट ऑफ़ जगन्नाथ एंड द रीजनल ट्रेडिशन ऑफ़ उड़ीसा.* मनोहर पब्लिकेशंस

[xvii] कुलके, एच. (1993). किंग्स एंड कल्ट्स: स्टेट फॉर्मेशन एंड लेजिटिमेशन इन इंडिया एंड साउथईस्ट एशिया. मनोहर पब्लिकेशंस.

[xviii] पूर्वोक्त, पृ. 19-21

[xix] पूर्वोक्त पृ. 266-267.

[xx] महापात्र, आर. पी. (1986). *आर्किओलॉजी इन उड़ीसा: साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स.* बी. आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन.

[xxi] डोनाल्डसन, टी. ई. (2001). *हिंदू टेम्पल आर्ट ऑफ़ उड़ीसा.* डी. के. प्रिंटवर्ल्ड.

[xxii] कुमारस्वामी, ए. के. (1934). द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ़ नेचर इन आर्ट. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

[xxiii] क्रैमरीश, एस. (1946). *द हिंदू टेम्पल.* यूनिवर्सिटी ऑफ़ कलकत्ता

[xxiv] वात्स्यायन, के. (1974). *इंडियन क्लासिकल डांस.* पब्लिकेशन डिवीजन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.

[xxv] कुमारस्वामी, ए. के. (1934), पृ. 6-8.

[xxvi] ब्राउन, पी. (1942). *इंडियन आर्किटेक्चर (बुद्धिस्ट एंड हिंदू पीरियड्स).* डी. बी. तारापोरवाला संस एंड कंपनी.

[xxvii] महापात्र, आर. पी. (1986), पृ. 145-148.

[xxviii] कुलके, एच. (1993), पृ. 268-270.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 30-34

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में मंदिरों की बहुआयामी उपयोगिता : विश्लेषणात्मक अध्ययन

जितेंद्र गवरिया

शोधार्थी, प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय, मंदसौर।

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश।

सारांश :

भारतीय ज्ञान परंपरा केवल श्रुति और स्मृति तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसे भौतिक और संस्थागत रूप में संरक्षित करने का सबसे प्रभावी माध्यम 'मंदिर' रहे हैं। यह शोध पत्र प्राचीन और मध्यकालीन भारत में मंदिरों की बहुआयामी भूमिका का विश्लेषण करता है। मंदिर केवल उपासना के केंद्र नहीं थे, बल्कि वे शिक्षा, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, गणित, अर्थव्यवस्था और ललित कलाओं के जीवंत विश्वविद्यालय थे। इस अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार मंदिरों ने ज्ञान के सृजन, संरक्षण और हस्तांतरण में एक संस्थागत ढाँचे के रूप में कार्य किया।

कुंजी-शब्द : भारतीय ज्ञान परंपरा, वास्तुकला, शिल्प शास्त्र, घटिका, अधिष्ठान, खगोल विज्ञान, सांस्कृतिक संरक्षण।

प्रस्तावना –

भारतीय उपमहाद्वीप में मंदिर एक साधारण संरचना न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक रूप माने गए हैं। आगम और निगम परंपराओं के अनुसार, मंदिर का निर्माण और उसकी कार्यप्रणाली समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए की गई थी। ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों 'चाहे वह दर्शन हो, विज्ञान हो या कला' को एक ही छत के नीचे पल्लवित करने का श्रेय मंदिर व्यवस्था को जाता है।

शोध के उद्देश्य –

- भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण में मंदिरों की संस्थागत भूमिका का मूल्यांकन करना।
- वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग केंद्र के रूप में मंदिरों का विश्लेषण करना।
- समाज की शैक्षणिक और आर्थिक रीढ़ के रूप में मंदिर व्यवस्था के योगदान को रेखांकित करना।

भारतीय ज्ञान परंपरा में मंदिर का योगदान –

सम्पूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, जो अपने गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध परम्पराओं और धार्मिक स्थलों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। भारत के मंदिर न केवल स्थापत्य

कला की दृष्टि से अद्वितीय हैं, बल्कि वे श्रद्धा, आस्था और भक्ति के केन्द्र भी हैं।

'मंदिर' शब्द सुनते ही मन में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा और भक्ति भावना उत्पन्न हो जाती है। यह एक ऐसा पावन स्थान है, जहां व्यक्ति भीतर से सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति की अनुभूति करता है। जीवन की हर परिस्थिति चाहे सुख हो या दुःख व्यक्ति मंदिर जाता है और वहां उसे शांति, तथा ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होती है।

मंदिर में आराध्य देव की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना ध्यान व चिंतन किया जाता है। यहां आकर भक्तजन ईश्वर की पूजा अर्चना व उपासना करके उन्हें प्रसन्न करने तथा उन्हें अपनी पुकार सुनाने का प्रयास करते है। लाखों लोग आज भी मंदिरों में नित्य दर्शन व पूजा–प्रार्थना के लिए जाते है। इस तहर मंदिर भक्ति करने व भगवान से जुडने हेतु सबसे अच्छे माध्यम है।

भक्तजन जब भी मंदिर जाते है तो ईश्वर को ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते है। मान्यता है कि भगवान की परिक्रमा या प्रदक्षिणा करने से पाप खत्म हो जाते है।

यही नहीं मंदिर में विराजित भगवद्विग्रह के दर्शन से आगन्तुक दर्शनार्थियों को तनाव से मुक्ति एवं उसके मन को शांति मिलती हैं। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, जिससे उसके मन में दोष बोध हो तो वह मंदिर में भगवान के समक्ष प्रायश्चित पूर्वक क्षमा प्रार्थना करके अपने मन को हल्का कर सकते है। साथ ही मंदिर में शंख और घंटियों की आवाजे वातावरण को शुद्ध कर तन और मस्तिष्क को शांत करती है। धूप और दीप से मन और मस्तिष्क के सभी तरह के नकारात्मक भाव हट जाते है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

मंदिर अपनी स्थिति व आकार के कारण आसपास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते है। मंदिर का उच्च शिखर दूर से ही ईश्वर की सर्वव्यापकता का उद्घोष करता है। मंदिर के समीप आते ही मानव भक्ति में विभोर हो जाता है। उसका ध्यान संसार की भौतिकता से हट जाता है तथा उसमें आध्यात्मिक भावना जाग जाती है। इस तरह ये मानव को सुचरित्र जीवन यापन की प्रेरणा देते है। वर्तमान जहां चारों ओर भौतिकता हावी है, वहां इसका और अधिक महत्व हो जाता हैं। देवालयों में शिल्पकारों द्वारा उत्कीर्ण उद्भूत अलंकरणों के मध्य उपासक खो जाता है तथा अपने आप को भूल जाता है। परिणामस्वरूप अलंकरणों में निहित मूल्यों, विश्वासों व संस्कृति को आत्मसात करना आसान हो जाता है। कलाकार मंदिर के विभिन्न स्थानों पर विजिन्न जीव–जन्तुओं, पुष्पलताओं, पौराणिक दश्यों तथा लोक कथाओं का चित्रण कर, सामाजिक चित्रण दर्शाता हैं इससे संस्कृति का एक पीढी से दूसरी पीढी तक हस्तांतरण होता रहा रहता है। प्राचीन काल में मंदिर ऐसी अन्य संस्थाओं को भी स्थायित्व प्रदान करते थे जिनका मुख्य कार्य मंदिर के समान ही परंपरागत मूल्यों की रक्षा करना था। चूंकि मंदिर सब क्रिया–कलापों का केन्द्र होता था। इसलिए प्राचीन समय में ग्राम और नगर उसके आसपास ही बस जाते थे।

साथ ही मंदिर धर्म के लौकीकरण व उपासना पद्धति के सरलीकरण के प्रमुख सुत्राधार भी माने जाते है, क्योंकि इन्होने न केवल यज्ञ की क्रमशः जटिल होती परम्परा के समक्ष एक सरल विकल्प प्रस्तुत किया अपितु जनसामान्य के सार्वजीनकरण करने में भी महत्वूपर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह कहना उचित प्रतित होता है कि मंदिरों का भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान रहा है।

मंदिरों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मंदिर स्थापत्य कला ने एक लम्बी विकास यात्रा तय की है।

कलाकार ने नए–नए विचारों को आत्मसात किया तथा उनका समावेश मंदिर निर्माण में किया। स्थापत्यकारों ने जो भी विचार ग्रहण किये, वह भारतीय भूमि से ही लिए गए हैं इसलिए मंदिर वास्तुकला में कोई बाह्य प्रभाव नहीं दिखाई देता है। जो कुछ भी उन्होंने लिया है, वही अपने ही देश की परंपरा से ग्रहण किया है। यहीं कारण है कि तीनों प्रकार के मंदिरों की बनावट तथा उनका स्थापत्य शुद्ध देशीय सिध्द्धान्तों और स्थापत्य की परंपरागत शैली के अनुसार ही हैं। हालांकि अपनी विभिन्न आस्था और विश्वासों के अनुसार पहचान की दृष्टि से उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य किए गए है।

कई सालों के अथक प्रयासों के बाद एक मंदिर का निर्माण होता था। इसको लाभ यह होता था कि अनेक इंजिनियरों, शिल्पियों व कारीगरों को रोजगार मिल जाता था। साथ ही पडोसी प्रांतो के सर्वोत्तम कारिगरों को भी संरक्षण प्राप्त होता था। इस प्रकार एक मंदिर के विकास के दौरान प्रतिभाशाली मूर्तिकारों, कारिगरों व राजगीरों की एक पीढी प्रशिक्षित हो जाती थी। मंदिरों की शिल्प की उत्कृष्टता का कारण शिल्पकारों की अनेक पीढियों के प्रयास व राजसी उदारता रही है। शिल्पियों में आत्मत्याग की इतनी गहरी भावना थी की कहीं भी उन्होने अपना नामोललेख नहीं किया है। इसी कारण कई कलाकृतियों के रचयिता के नाम वर्तमान में अजात है।

वहीं मंदिरों से प्राप्त विभिन्न शिलालेखों से हमें ततकालीन सभयता व संस्कृति के विभिन्न तत्वों को समझने में सहायता मिलती हैं। इनके अवलोकन से ज्ञात होता है कि मंदिर ततकालीन ग्रामीण व नगरीय जीवन के धूरी बन गए थे। मंदिरों में ही समस्त जीवन समाहित था। जिससे इसका प्रभाव उस समय के सभी विषर्यो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पर पड़ा। इस प्रकार मंदिर मूर्तिकला, स्थापत्यकला, वस्त्रकला तथा अन्य कलारूपों के भंडार बन गए थे।

जैसे–जैसे मंदिर विशालतम होते गए वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का सम्पादन करने लगे। मंदिरों हेतु राजाओं, कुलीनों व साधारण भक्तों द्वारा निरंतर दान दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप मंदिर इतने धनी हो गए कि वह बैंको के रूप में भी कार्य करने लगे। किसानों को ऋण देकर उनकी सहायता करने लगे। अर्थात् उस क्षेत्र के प्रमुख मंदिर के देवता ही भूस्वामी बन गए थे।

मंदिरों में नित्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, जिससे संगीतकारों, नृतकों व ललित कला के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाता था। इसके अलावा मंदिर में किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों से अनेक पुजारियों, वेदपाठी, ब्राम्हणों, शिक्षकों, पुष्प विक्रेताओं, दर्जियों, लिपिकों, लेखपालों तथा अन्य कार्य करने वालों को रोजगार मिल जाता था। ऐसे कई अभिलेख प्राप्त हुए जो मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों के हेतु निश्चित किए गए बजट की जानकारी प्रदान करते है।

साथ ही मंदिर में कीर्तन व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों हेतु वैतेनिक कार्यकताओं की भी नियुक्ती की जाती थी। इनमें कीर्तनीया, झाापतिया, भजनिया आदि को सम्मलित किया जा सकता हैं। इन धार्मिक अनुष्ठानों व कार्यक्रमों की व्यापकता के कारण ही आगे मंदिर में अन्य अंगों सभामण्डप, नृत्यमण्डप व भोगमण्डप का निर्माण किया जाने लगा।

दूसरी और मंदिर का प्रांगण केवल धार्मिक कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं था, अपितु ये सामाजिक उत्सवों, आमोद–प्रमोद के कार्यक्रमों तथा खेलों के केन्द्र के रूप में भी प्रचलित थें। आस–पास के कई इलाकों

में कई लोग इन्हें देखने आते थे। आगे ये उत्सव मेलों के रूप में विस्तारित हो गए। इन मेलों में कई दुकानदार व व्यापारी अपने सामान विक्रय तथा वास्तु विनिमय हेतु जाते थे। जिससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढावा मिलता था।

इतना ही नहीं मंदिरों में विद्वानों के मध्य वाद–विवाद व विचार–विमर्श हुआ करता था। इस प्रकार भिन्न–भिन्न मतों व दार्शनिक विचारधाराओं को प्रसार करने हेतु मंच मिल जाता था। दूसरी और मंदिरों के साथ लगे विश्राम ग्रहों में यात्रियों के लिए आवास की, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी की जाती थी।

मंदिरों का शिक्षण व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान था। इनके साथ कई विद्यालयों व पाठशालाओं को जोडा गया था। जिनमें विभिन्न विषयों की पढाई विद्यार्थी करते थे। इनमें धर्मशास्त्र, दर्शन, गणित व नीतिशास्त्र आदि विषयों का जान विद्यार्थी प्राप्त करते थे। इसके अलावा चिकित्सा हेतु मंदिर प्रांगण में ही अस्पतालों का निर्माण किया जाता था।

विभिन्न ग्रंथों से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय सभा व पंचायतों की बैठके मंदिर आंगन में आयोजित की जाती थी। इनमें नगर के मामलों व वैयक्तिक विवादो का समाधान किया जाता था। ऐसी धारणा प्रचलित थी कि यदि चुनाव व विवादों की सुनवाई देवताओं के समक्ष होंगे तो उनमें सच्चाई व ईमानदारी अधिक होगी।

जैसा हमें ज्ञात है मंदिरों का समय के साथ–साथ विकास होता गया। जिससे मंदिर स्थापत्य में नवीन अंगो के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। परिणामस्वरूप कलाकारों ने आवश्यकतानुसार कई अंग जोड दिए। जिससे कई कार्यों में सहायता प्राप्त हुई। जिसका अवलोकन हम निम्न रूप से कर सकते हैं।

दरबार हाल – इसमें प्रजा, राजा के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते थे। राजा देवता को साक्षी रख इनके समाधान का प्रयास करता था। अर्थात् प्राचीनकाल में मंदिर मण्डप के अंतर्गत राजा व मंत्रिगण जनता हितेषी कार्यों की योजनाए बनाता था।

विद्वत परिषद – मंदिर वाद–विवाद व विचार–विमर्श के प्रमुख केन्द्र थे। विभिन्न विध्द्वानों के मध्य मंदिर प्रांगण में शास्त्रार्थ होता था।

व्यास कथा का स्थान – मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत होता था। इसलिए व्यास कथाओं का जनमानस द्वारा शांतचित्त होकर श्रवण किया जाता था।

राज्यसभा का अधिवेशन स्थल – मंदिरों की शासन–प्रशासन के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यहां शासक व मंत्रिगण एकत्रित होकर इन विषयों पर चर्चा करते थे।

निष्कर्ष –

भारतीय ज्ञान परंपरा मात्र अमूर्त विचारों का संग्रह नहीं हैय यह एक जीवंत और व्यावहारिक प्रणाली रही है, जिसका सबसे बड़ा अधिष्ठान भारत के मंदिर रहे हैं। मंदिरों ने वेद–वेदांगों की शिक्षा से लेकर उन्नत वास्तुकला, धातु विज्ञान, जल प्रबंधन और खगोल शास्त्र को अपने स्वरूप में समेटा और अगली पीढ़ियों तक हस्तांतरित किया। अतः, यह स्पष्ट है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन, संरक्षण और प्रसार में मंदिरों का योगदान सर्वोपरि और अद्वितीय रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. पाण्डेय, वी, के, प्राचीन भारतीय कला वास्तु एवं पुरातत्व, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पुनःमुद्रित संस्करण, 2022
2. परमार, अजय, प्राचीन भारतीय प्रतिमा कला एवं मंदिर वास्तुकला. जयपुर, 2011
3. श्रीवास्तव, ए.एल, भारतीय कला, किताब महल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2022
4. उपाध्याय, वासुदेव, प्राचीन भारतीय स्तूप गुहा एवं मंदिर, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2008
5. गुप्त, परमेश्वरीलाल, भारतीय वास्तुकला, विश्वविध्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2019
6. उपाध्याय, उदयनारायण, भारतीय स्थापत्य एवं कला, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, तृतीय संस्करण, 2018
7. श्रीवास्तव, शशिबाला, उत्तर भारतीय मंदिरों की वास्तुगत विवेचना, कला प्रकाशन, वाराणसी, (2019)
8. वाजपेयी, कृष्णदत्त, भारतीय वास्तुकला का इतिहास, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ, 2015

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha
June 2026

ISSN : 2395-7115
Page No. : 35-39

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

अलवर नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं उद्योगों का हरित लेखांकन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Vishram

Researchers, Guest Faculty Assistant Professor Department of Accounting

Jai Narayan Vyas University, Jodhpur.

सारांश (Abstract)

औद्योगिक विकास आर्थिक समृद्धि का आधार है, परंतु इसके कारण होने वाला पर्यावरणीय क्षरण (Environmental Degradation) मानव अस्तित्व के लिए संकट बनता जा रहा है। राजस्थान का अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण वायु और जल प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र 'हरित लेखांकन' (Green Accounting) की अवधारणा के आलोक में अलवर के औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे वायु, भूजल और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अलवर में PM_{10} (RSPM) और भूजल में कुल कठोरता व विद्युत चालकता का स्तर सुरक्षित मानकों से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, अलवर को हाल ही में नगर निगम (Municipal Corporation) का दर्जा मिलने के बाद स्थानीय निकाय और रीको के बीच समन्वय, शहरी डंपिंग यार्ड की मात्र 35% से 40% परिचालन क्षमता तथा औद्योगिक इकाइयों के वित्तीय तुलन–पत्र (Balance Sheet) पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द (Keywords) : हरित लेखांकन, रीको (RIICO), नगर निगम अलवर, डंपिंग यार्ड क्षमता, भूजल संदूषण, तुलन–पत्र प्रभाव, सतत विकास।

1. प्रस्तावना (Introduction)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) योजना बोर्ड के क्षेत्रीय प्लान 2021 के तहत राजस्थान उप–क्षेत्र (RSR) में आने वाला अलवर जिला तीव्र आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पारंपरिक रूप से अलवर एक प्रशासनिक और सेवा उन्मुख शहर था, परंतु पिछले दो दशकों में दिल्ली के विकास के साथ यहाँ औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से प्रसार हुआ है। अलवर नगर निगम का कुल शहरी क्षेत्र अब लगभग 49\ text { km}'² में फैला हुआ है, जिसके भूमि उपयोग (Land Use) का एक बड़ा हिस्सा अर्थात् ''24% भूमि केवल उद्योगों (Industrial Use)'' द्वारा घेरी गई है।

राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO–रीको) द्वारा यहाँ ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया (88

हेक्टेयर) और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र (MIA) का विकास किया गया है, जहाँ वर्तमान में 213 से अधिक सक्रिय खनिज, रासायनिक और इंजीनियरिंग उद्योग संचालित हैं। जहाँ इन उद्योगों ने क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदला है (क्षेत्रीय केंद्र की जनसंख्या वर्ष 2001 में 3.36% से बढ़कर 2021 में 18.79 लाख अनुमानित की गई), वहीं स्थानीय पर्यावरण पर इसका चिंताजनक प्रभाव पड़ा है। इस परिदृश्य में वित्तीय लाभों के साथ पर्यावरणीय लागतों को एकीकृत करने के लिए ''श्हरित लेखांकन (Green Accounting)'' की प्रासंगिकता अत्यधिक बढ़ जाती है।

2. साहित्य की समीक्षा ¼Review of Literature½

- **शर्मा एवं मिश्रा (2018)** ने अपने राष्ट्रीय अध्ययन में पाया कि भारतीय उद्योगों में पर्यावरण संबंधी खर्चों को स्वेच्छा से दिखाया जाता है, न कि किसी वैधानिक बाध्यता के तहत। उन्होंने प्रतिपादित किया कि जब तक हरित लेखांकन को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं किया जाता, तब तक इकाइयां वास्तविक प्रदूषण लागत को वित्तीय विवरणों में छुपाती रहेंगी।
- **राठौड़ (2021)** ने राजस्थान के औद्योगिक क्लस्टर्स (विशेषकर भिवाड़ी और पाली) पर किए गए शोध में उल्लेख किया कि रासायनिक और वस्त्र उद्योग भूजल को सबसे अधिक प्रदूषित कर रहे हैं। उनके अनुसार, कॉमन **एफ्लुएंट** ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की परिचालन क्षमता वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रभावित होती है, जिसे केवल हरित लेखांकन के पारदर्शी ढांचे से ही सुधारा जा सकता है।
- **सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE, 2023) की रिपोर्ट**'' के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता (AQI) सर्दियों में खतरनाक स्तर पर पहुँच जाती है। रिपोर्ट में उद्योगों द्वारा क्लीनर फ्यूल (जैसे पीएनजी) को अपनाने की धीमी गति को रेखांकित किया गया है और इसके लिए आर्थिक प्रोत्साहनों की वकालत की गई है।
- **सिंह एवं यादव (2025)** ने शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक अपग्रेडेशन पर अपने लेख में स्पष्ट किया कि जब कोई शहर नगर परिषद से नगर निगम बनता है, तो केंद्रीय वित्तीय अनुदानों (जैसे 15वें वित्त आयोग के फंड) में भारी वृद्धि होती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा वायु गुणवत्ता सुधार और 'ग्रीन बजटिंग' (Green Budgeting) के लिए आरक्षित होता है।
- **गुप्ता (2024)** ने सतत विकास लक्ष्यों (SDG–12 : जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग और उत्पादन) के संदर्भ में स्पष्ट किया कि पर्यावरण पर खर्च की गई राशि को 'परिचालन लागत' (Operating Cost) के बजाय दीर्घकालिक परिसंपत्ति (Asset) के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे कंपनी की बाजार साख सुदृढ़ होती है।

3. शोध कार्यप्रणाली (Methodology)

इस शोध पत्र में डेटा विश्लेषण के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB), अलवर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (UIT), और अलवर नगर निगम की नवीनतम बायो–माइनिंग कार्ययोजना रिपोर्ट 2026 के प्राथमिक एवं द्वितीयक वैज्ञानिक आंकड़ों (Empirical Dat) का उपयोग किया गया है।

4. शोध के उद्देश्य ¼Objectives of the Study) :

- अलवर के रीको औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण (वायु, जल, ठोस कचरा) की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

करना।

- हरित लेखांकन (Green Accounting) की अवधारणा और औद्योगिक प्रबंधन में इसके महत्व को समझना।
- अलवर के मुख्य डंपिंग यार्ड की कार्यक्षमता का आकलन करना तथा इसके कारण हो रहे प्रदूषण का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना।
- अलवर के नगर निगम बनने से रीको क्षेत्र के पर्यावरण प्रबंधन और बजट आवंटन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- हरित लेखांकन अपनाने से अलवर के उद्योगों के वित्तीय तुलन–पत्र (Balance Sheet) पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना।

क. वायु गुणवत्ता का गंभीर संकट (Air Quality Assessment)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अलवर के आवासीय और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक चिंताजनक है :

- **RSPM ¼PM_**{10}) : जहाँ आवासीय क्षेत्रों (RPCB ऑफिस) में वार्षिक औसत 161 \mu\text{g/m}'3 (अधिकतम 668 \mu\text{g/m}'3 है, वहीं औद्योगिक क्षेत्रों (RIICO पंप हाउस और गौरव साल्वेक्स) में यह औसत 91–99 \mu\text{g/m}'3 दर्ज किया गया है, जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQ) की औद्योगिक सीमा 120\mu\text{g/m}'3 के भीतर होने पर भी आवासीय मानकों 60\mu\text{g/m}'3 को पार कर जाता है।
- **SPM ¼Suspended Particulate Matter½** % आवासीय क्षेत्रों में यह 285\mu\text{g/m}'3 (अधिकतम 1153 \mu\text{g/m}'3) तक पहुँच चुका है, जो शुष्क जलवायु और औद्योगिक धूल के कारण है। हालांकि, भारी रासायनिक उद्योगों की सीमित संख्या के कारण SO_2 और NO_x का स्तर वर्तमान में मानकों के भीतर है।

ख. भूजल संदूषण और गुणवत्ता ह्रास (Groundwater Quality Degradation)

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) डेटा के अनुसार, अलवर के विभिन्न क्षेत्रों (शिवाजी पार्क, police लेन, काला कुआं, समोला) का भूजल रासायनिक रूप से अत्यधिक कठोर हो चुका है :

- **विद्युत चालकता (EC)** : समोला और शिवाजी पार्क जैसे क्षेत्रों में EC का स्तर 1140 से 1980 \mu\text{mhos/cm} के बीच है, जो पानी में अत्यधिक लवणता को दर्शाता है।
- **कुल कठोरता (Total Hardness) :** जल में कुल कठोरता 140 \text{ mg/l} से लेकर 360 \text{mg/l} तक दर्ज की गई है, जो स्वीकार्य सीमाओं को चुनौती दे रही है।
- **हैवी मेटल्स और अन्य तत्व :** पुलिस लेन और समोला क्षेत्रों में जिंक (n) का स्तर 4.18\text{mg/l} तथा आयरन (Fe) का स्तर 7.39 \text{mg/l} तक पाया गया है, जो औद्योगिक रसायनों के रिसाव का सीधा संकेत है।

ग. जलवायु परिवर्तन और वर्षा का पैटर्न (Rainfall Vulnerability)

कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अलवर की औसत वार्षिक वर्षा 638\text{mm} है, लेकिन वर्ष 1990 से 2004 के बीच इसमें अत्यधिक उतार–चढ़ाव (Variable) देखा गया है। वर्ष 2002 में वर्षा का स्तर घटकर

200\text{mm} से भी नीचे चला गया था। अर्ध–शुष्क जलवायु (emi-arid climate) और घटती वर्षा के कारण उद्योगों द्वारा किया जाने वाला भूजल का अत्यधिक दोहन जल संकट को और गहरा बना रहा है।

इसके कारण होने वाले प्रदूषण का आकलन निम्नलिखित है :

1. **लीचेट रिसाव (Leachate Impact) :** ऊपर दी गई भूजल तालिका (Table 3) में जो नाइट्रेट (NO_3) का स्तर समोला में 130 \text{ mg/l} (मानक सीमा 45\text{mg/l} से अधिक) और काला कुआं में 67\text{mg/l} दर्ज किया गया है, वह इसी ठोस कचरे और औद्योगिक अपशिष्ट से रिसने वाले जहरीले तरल (लीचेट) का परिणाम है।
2. **लैंडफिल गैस और स्वतः दहन :** डंपिंग यार्ड में पड़े कचरे के सड़ने से उत्पन्न मीथेन गैस गर्मियों में आग का कारण बनती है, जिससे निकलने वाला धुआँ रीको क्षेत्र के पहले से ही बढ़े हुए PM_{10} के स्तर को और अधिक घातक बना देता है।

7. अलवर के नगर निगम बनने का डंपिंग यार्ड प्रबंधन पर प्रभाव :

अलवर को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद डंपिंग यार्ड की इस सीमित क्षमता को 100% तक पहुँचाने के लिए नए नीतिगत प्रयास शुरू हुए हैं।

- **कचरा पृथक्कीकरण (Ource Segregation) :** नगर निगम ने उद्योगों से गीले, सूखे और खतरनाक कचरे को अलग–अलग एकत्र करने के लिए नए नियम बनाए हैं।
- **बायो–माइनिंग (Bio-Mining) के लिए बजट :** नगर निगम को मिलने वाले नए वित्तीय अनुदानों से डंपिंग यार्ड में जमा पुराने कचरे (Legacy Waste) को साफ करने के लिए श्बायो–माइनिंग की निविदाएं जारी की जा रही हैं।
- **यूजर चार्ज का निर्धारण :** नगर निगम ने रीको की कचरा फैलाने वाली इकाइयों पर जो यूजर चार्ज लगाया है, उसकी मदद से डंपिंग यार्ड को आधुनिक साइंटिफिक लैंडफिल में बदलने की योजना बनाई जा रही है।

8. हरित लेखांकन अपनाने से अलवर के उद्योगों के तुलन–पत्र (Balance Sheet) पर वित्तीय प्रभाव :

जब अलवर के रीको क्षेत्र के उद्योग हरित लेखांकन के सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से लागू करते हैं, तो उनकी वित्तीय स्थिति (Tulan-patr) पर निम्नलिखित प्रभाव दिखाई देता है :

क. परिसंपत्ति पक्ष (Assets Side) पर प्रभाव :

- **पर्यावरण पूंजी निवेश (Fixed Assets) :** उद्योगों को अपशिष्ट जल उपचार के लिए ZLD (शून्य तरल निर्वहन) और CETP अवसंरचना में निवेश करना पड़ता है, जो उनकी बैलेंस शीट में स्थायी संपत्ति के रूप में दर्ज होता है।
- **त्वरित मूल्यह्रास (Accelerated Depreciation)** : वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा न करने वाले पुराने कोयला आधारित बॉयलरों को बदलने के कारण कंपनियों को अपनी पुरानी मशीनों पर भारी 'Impairment Loss' दिखाना पड़ता है, जिससे नेट एसेट वैल्यू घटती है।

ख. दायित्व एवं लाभ पक्ष (Liabilities & Profit Side) पर प्रभाव :

- **आकस्मिक दायित्व (Contingent Liabilities)** : भूजल को प्रदूषित करने (जैसे जिंक और आयरन की

अधिकता फैलाने) के एवज में NGT या अलवर नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले संभावित जुर्मानों को अब उद्योगों को 'Footnotes' में आकस्मिक देनदारियों के रूप में दिखाना पड़ता है।

- **शुद्ध लाभ (Net Profit) में कमी :** पर्यावरण ऑडिट और नगर निगम को दिए जाने वाले सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज के कारण परिचालन व्यय (Operating Expense) बढ़ते हैं, जिससे कंपनियों का अल्पकालिक शुद्ध लाभ कम हो जाता है।

9. निष्कर्ष एवं सुधारात्मक सुझाव (Conclusion & Recommendation) :

दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अलवर का रीको क्षेत्र अत्यधिक औद्योगिक दबाव में है, जहाँ 24% भूमि औद्योगिक उपयोग में है और भूजल व वायु गुणवत्ता के आंकड़े सुरक्षित सीमाओं को पार कर चुके हैं। अलवर के नगर निगम बनने से प्रशासनिक शक्तियां तो बढ़ी हैं, लेकिन डंपिंग यार्ड का 35–40% की अत्यंत कम क्षमता पर काम करना एक बड़ी चुनौती है।

सुझाव :

1. **अनिवार्य ग्रीन बैलेंस शीट :** रीको और अलवर नगर निगम को भूजल में बढ़ रहे हैवी मेटल्स (Zn, Fe) को रोकने के लिए प्रत्येक उद्योग हेतु वार्षिक पर्यावरण इनपुट–आउटपुट लेखांकन अनिवार्य करना चाहिए।
2. **'बायो–माइनिंग का त्वरित क्रियान्वयन :** अलवर नगर निगम की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार डंपिंग यार्ड के शत–प्रतिशत कचरे की बायो–माइनिंग की जानी चाहिए ताकि लीचेट रिसाव से भूजल को बचाया जा सके।
3. **इको–टैक्स इंसेंटिव :** जो उद्योग स्वेच्छा से अपने हरित लेखांकन में जल पुनर्चक्रण के सकारात्मक आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, नगर निगम को उन्हें स्थानीय करों में विशेष रियायत देनी चाहिए।

संदर्भ सूची (References)

1. 'अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (UIT), अलवर। 'भूमि उपयोग प्रतिरूप और वर्तमान शहरी संरचना रिपोर्ट (Figure 5).
2. केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB). (2006). 'अलवर जिले में भूजल गुणवत्ता और रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (Table 3).
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB). (2005). 'अलवर शहर एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र वायु गुणवत्ता निगरानी डेटा (Table 2).
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB). 'राजस्थान उप–क्षेत्र (RSR) के लिए उप–क्षेत्रीय योजना 2021 : कार्यकारी सारांश और जनसांख्यिकीय अनुमान।
5. अलवर नगर निगम। (2026). 'ठोस कचरा प्रबंधन एवं डंपिंग यार्ड बायो–माइनिंग कार्ययोजना रिपोर्ट.' स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, अलवर।

Email id chandoliyavishram2017@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642
Bohal Shodh Manjusha
June 2026
ISSN : 2395-7115
Page No. : 40-47
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL VARIABLES ON PLAYING PERFORMANCE AMONG DIFFERENT CATEGORIES OF CRICKET PLAYERS

Ekta Pramod Singh, Research Scholar,
Dr. Arun Mathur, Research Supervior, Dean and Director of Sports,
Suresh Gyan Vihar University, Jaipur (Rajasthan)

Abstract :

The purpose of the present investigation was to examine the influence of selected physiological variables on playing performance among different categories of cricket players. Cricket is a sport that requires a combination of technical skills, tactical understanding, psychological preparedness, and physiological efficiency. Physiological fitness plays a crucial role in sustaining performance during prolonged matches and repeated high-intensity activities. The study was conducted on one hundred and fifty male cricketers comprising fifty batsmen, fifty pacers, and fifty spinners who had participated at inter-collegiate, inter-university, and national coaching camp levels.

The physiological variables selected for the study included resting pulse rate, resting blood pressure, vital capacity, resting respiratory rate, maximum breath-holding time, air flow rate, and cardiovascular efficiency. Standard physiological testing procedures were adopted to collect the required data. Descriptive statistics, correlation analysis, and discriminate function analysis were employed to analyze the data.

The findings revealed that pacers demonstrated superior physiological characteristics compared to batsmen and spinners. Pacers recorded higher values of vital capacity (4.5 ± 0.48 liters), maximum breath-holding time (48.2 ± 5.85 seconds), air flow rate (4.2 ± 0.68 L/sec), and cardiovascular efficiency (88.6 ± 4.85). Furthermore, cardiovascular efficiency (r = 0.45), maximum breath-holding time (r = 0.41), and vital capacity (r = 0.38) showed significant positive correlations with playing performance.

The study concluded that physiological fitness significantly contributes to successful cricket performance. Enhanced cardiovascular and respiratory efficiency enables players to sustain

performance levels during prolonged competition and recover more effectively between bouts of activity. The findings provide valuable information for coaches, trainers, sports scientists, and selectors involved in cricket talent identification and player development programs.
Keywords : Cricket, Physiological Variables, Cardiovascular Efficiency, Vital Capacity, Breath Holding Time, Playing Performance, Sports Physiology.

1. Introduction :

Cricket has undergone remarkable transformation over the past few decades. The introduction of limited-over formats, Twenty-20 cricket, and increasingly competitive international schedules has elevated the physical and physiological demands placed upon players. Modern cricketers are expected to maintain high levels of performance throughout extended matches while simultaneously executing technically demanding skills under conditions of physical and psychological stress.

Physiological fitness has become one of the most important determinants of sports performance. The ability of the cardiovascular and respiratory systems to efficiently transport oxygen and nutrients to working muscles directly influences athletic performance. In cricket, physiological fitness contributes not only to endurance but also to concentration, recovery, agility, and sustained skill execution.

Different categories of cricket players are exposed to varying physiological demands. Fast bowlers perform repeated high-intensity actions involving explosive movements and substantial cardiovascular stress. Batsmen require sustained concentration, efficient energy utilization, and resistance to fatigue during prolonged innings. Spinners depend heavily upon technical consistency and repetitive bowling actions requiring efficient physiological recovery.

The assessment of physiological characteristics such as resting pulse rate, blood pressure, vital capacity, respiratory rate, breath-holding ability, air flow rate, and cardiovascular efficiency provides valuable insight into an athlete's functional capacity. Understanding these characteristics helps coaches identify strengths and weaknesses, optimize training programs, and improve competitive performance.

The present investigation was therefore undertaken to determine the influence of selected physiological variables on playing performance among different categories of cricket players.

2. Review of Related Literature :

Sports scientists have consistently emphasized the importance of physiological fitness in athletic performance.

Wilmore and Costill (2019) reported that cardiovascular efficiency is strongly associated with sports performance and recovery capacity. Athletes possessing superior cardiovascular fitness

can sustain high levels of physical activity for longer durations.

Noakes (2018) observed that respiratory efficiency significantly influences endurance and recovery during prolonged sports participation. Enhanced lung function improves oxygen delivery and reduces fatigue.

Stretch (2013) investigated physiological characteristics among elite cricketers and concluded that fast bowlers generally demonstrate superior aerobic and anaerobic capacities compared to other playing categories.

Pyne et al. (2006) reported that physiological variables such as heart rate, lung function, and aerobic fitness contribute significantly to cricket performance.

McArdle, Katch, and Katch (2018) suggested that physiological profiling should be incorporated into athlete selection and talent identification programs.

The available literature clearly indicates that physiological characteristics influence sports performance and may contribute substantially to success in cricket.

3. Statement of the Problem :

The purpose of the study was to investigate the influence of selected physiological variables on playing performance among batsmen, pacers, and spinners.

4. Objectives of the Study :

The following objectives were formulated :

- To assess selected physiological variables among batsmen, pacers, and spinners.
- To compare physiological characteristics among different categories of cricket players.
- To determine the relationship between physiological variables and playing performance.
- To identify the physiological predictors of cricket performance.
- To provide recommendations for physiological conditioning programs.

5. Hypotheses :

The following hypotheses were tested :

H1 : Significant differences would exist among batsmen, pacers, and spinners in selected physiological variables.

H2 : Selected physiological variables would significantly correlate with playing performance.

H3 : Physiological fitness would contribute significantly to successful cricket performance.

6. Methodology :

6.1 Participants :

The study was conducted on 150 male cricket players aged between 18 and 25 years.

The sample consisted of :

- 50 Batsmen
- 50 Pacers
- 50 Spinners

Participants were selected through purposive sampling from inter-collegiate, inter-university, and national coaching camps.

6.2 Variables Selected :

The following physiological variables were selected :

- Resting Pulse Rate
- Resting Blood Pressure
- Vital Capacity
- Resting Respiratory Rate
- Maximum Breath Holding Time
- Air Flow Rate
- Cardiovascular Efficiency

6.3 Instruments Used :

The following instruments were employed :

- Digital Sphygmomanometer
- Spirometer
- Peak Flow Meter
- Stopwatch
- Harvard Step Test Bench
- Heart Rate Monitor

6.4 Testing Procedure :

All physiological measurements were recorded during morning hours under standardized laboratory conditions.

Participants were instructed to avoid strenuous activity twenty-four hours before testing. Adequate warm-up and familiarization sessions were provided prior to data collection.

6.5 Statistical Analysis :

The following statistical techniques were employed :

- Mean
- Standard Deviation
- Pearson Product Moment Correlation
- Discriminant Function Analysis

- Percentage Analysis

The level of significance was fixed at 0.05.

7. Results :

7.1 Resting Pulse Rate :

Category	Mean	SD
Batsmen	62.5	4
Pacers	61.8	4
Spinners	63.2	5

Pacers exhibited the lowest resting pulse rate, indicating superior cardiovascular adaptation.

7.2 Resting Blood Pressure :

Category	Mean	SD
Batsmen	118.4	6
Pacers	120.2	6
Spinners	116.8	5

Minor differences were observed among the groups.

7.3 Vital Capacity :

Category	Mean	SD
Batsmen	4.2	1
Pacers	4.5	0
Spinners	4	1

Pacers demonstrated the highest vital capacity.

7.4 Resting Respiratory Rate :

Category	Mean	SD
Batsmen	14.2	2
Pacers	13.8	2
Spinners	14.5	2

Pacers exhibited the lowest respiratory rate.

7.5 Maximum Breath Holding Time :

Category	Mean	SD
Batsmen	45.5	6
Pacers	48.2	6
Spinners	44.8	7

Pacers demonstrated superior respiratory endurance.

7.6 Air Flow Rate :

Category	Mean	SD
Batsmen	3.8	1
Pacers	4.2	1
Spinners	3.6	1

Pacers recorded the highest air flow rate.

7.7 Cardiovascular Efficiency :

Category	Mean	SD
Batsmen	85.4	5
Pacers	88.6	5
Spinners	84.2	5

Pacers exhibited superior cardiovascular fitness.

8. Correlation of Physiological Variables with Playing Performance :

Physiological Variable	Correlation (r)
Cardiovascular Efficiency	0.45
Maximum Breath Holding Time	0.41
Vital Capacity	0.38
Air Flow Rate	0.34
Resting Respiratory Rate	-0.18
Resting Pulse Rate	-0.24

The results indicate that cardiovascular efficiency demonstrated the strongest relationship with playing performance.

9. Discussion :

The findings of the present study demonstrate that physiological fitness is a significant determinant of cricket performance. Among all variables examined, cardiovascular efficiency emerged as the strongest predictor of playing success.

The superior cardiovascular efficiency exhibited by pacers may be attributed to the repeated high-intensity efforts involved in fast bowling. Enhanced cardiovascular fitness enables greater oxygen transport, improved recovery, and reduced fatigue during competition.

Vital capacity also demonstrated a positive relationship with performance. Athletes possessing greater lung volumes can transport and utilize oxygen more effectively, thereby supporting sustained performance.

Maximum breath-holding time was another significant predictor of performance. This variable

reflects respiratory control and lung function, both of which contribute to physiological efficiency during prolonged activity.

The lower resting pulse rate observed among pacers indicates improved cardiac efficiency. Athletes with lower resting heart rates generally possess stronger cardiovascular adaptations resulting from systematic training.

The findings support previous investigations conducted by Stretch (2013), Wilmore and Costill (2019), Noakes (2018), and Pyne et al. (2006), who reported similar relationships between physiological fitness and sports performance.

10. Practical Applications :

The findings of the study have several practical implications :

- Physiological profiling should be incorporated into cricket talent identification programs.
- Cardiovascular conditioning should be emphasized in cricket training.
- Respiratory training may improve breath-holding ability and lung function.
- Periodic physiological testing should be conducted to monitor player fitness.
- Coaches should develop position-specific conditioning programs based on physiological requirements.

11. Conclusion :

The present study concludes that physiological variables significantly influence playing performance among cricket players. Pacers demonstrated superior physiological characteristics compared to batsmen and spinners. Cardiovascular efficiency, maximum breath-holding time, and vital capacity emerged as the most important predictors of cricket performance.

The findings highlight the importance of systematic physiological conditioning in cricket and support the integration of physiological assessments into talent identification, player selection, and performance enhancement programs.

12. Recommendations :

- Similar studies should be conducted on female cricketers.
- Longitudinal investigations should be undertaken to examine physiological adaptations over time.
- Additional physiological variables such as VO? max and lactate threshold should be included.
- Comparative studies involving international players should be conducted.
- Physiological monitoring should become a regular component of elite cricket training programs.

References :

- McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2018). Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. Wolters Kluwer.
- Noakes, T. (2018). Lore of Running (5th ed.). Human Kinetics.
- Pyne, D. B., Duthie, G. M., Saunders, P. U., Petersen, C. A., & Portus, M. R. (2006). Anthropometric and physiological characteristics of elite cricket players. Journal of Strength and Conditioning Research, 20(3), 621–626.
- Stretch, R. A. (2013). Anthropometric and physiological profiles of elite cricketers. Journal of Sports Sciences, 31(14), 1587–1595.
- Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, W. L. (2019). Physiology of Sport and Exercise (7th ed.). Human Kinetics.
- Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. (2019). Periodization: Theory and Methodology of Training. Human Kinetics.
- Powers, S. K., & Howley, E. T. (2018). Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. McGraw-Hill Education.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642
Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 48-53
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Analyzing Transportation Challenges Through Mathematical Modeling and Phenomena

Rinkle Middha, Ph. D. Scholar,
Dr. Hemlata, Assistant Professor,
Tantia University, Sri Ganganagar.

Abstract :

Transportation systems play a vital role in industrial production, supply chain management, logistics, and resource allocation. The increasing complexity of transportation networks, uncertainty in supply and demand, and the need for cost minimization have made transportation modelling an important area of research in applied mathematics and operations research. Mathematical modelling provides a systematic framework for analysing transportation problems and obtaining optimal solutions through quantitative techniques. Transportation problems, being a specialized application of linear programming, assist decision-makers in allocating resources efficiently while minimizing transportation costs. The present study examines transportation challenges through mathematical modelling and explores the applicability of deterministic, stochastic, fuzzy, and bulk transportation models under different operational conditions. The study highlights the significance of transportation modelling in solving real-world distribution problems and emphasizes the role of advanced optimization techniques in addressing modern transportation challenges.

Keywords: Transportation Problem, Mathematical Modelling, Linear Programming, Bulk Transportation Problem.

1. Introduction :

Mathematics has emerged as a powerful scientific tool for understanding and solving complex problems encountered in industrial, technological, and managerial systems. One of the most significant contributions of mathematics to real-world decision-making is the development of mathematical modeling techniques. Mathematical models simplify complex systems into manageable structures by identifying important variables and establishing quantitative relationships among them.

Transportation modeling represents one of the most important applications of mathematical

modeling and linear programming. It focuses on determining the optimal allocation of resources from multiple sources to multiple destinations while minimizing transportation costs and satisfying supply-demand requirements. Transportation problems are commonly encountered in manufacturing industries, logistics networks, retail businesses, public transportation systems, and supply chain management.

In modern industrial environments, transportation systems have become increasingly complex due to globalization, fluctuating customer demands, resource limitations, and uncertain operational conditions. Organizations must optimize transportation activities to reduce costs, improve service quality, and maintain competitiveness. Mathematical models provide a structured framework to analyse such challenges and identify efficient transportation plans.

Over the years, transportation models have evolved from simple deterministic frameworks to sophisticated stochastic, fuzzy, and multi-objective models. These advanced approaches incorporate uncertainty, multiple objectives, fixed transportation costs, and capacity restrictions, thereby making transportation analysis more realistic and practical. The present study focuses on analysing transportation challenges through mathematical modeling and investigating the effectiveness of various transportation models in addressing contemporary logistical problems.

Need of the Research :

The necessity of the present research arises from the growing complexity of transportation and logistics systems in modern industries. Transportation activities directly affect production efficiency, customer satisfaction, and organizational profitability. Inefficient transportation planning often results in increased operational costs, delayed deliveries, resource wastage, and reduced service quality.

Traditional transportation methods frequently fail to address uncertainties related to fluctuating demand, varying transportation costs, and changing supply conditions. Therefore, there is a need for advanced mathematical models capable of providing optimal solutions under dynamic environments.

The research is also essential because :

1. Transportation costs constitute a significant portion of overall supply chain expenses.
2. Organizations require efficient allocation of limited resources among multiple destinations.
3. Modern transportation systems face uncertainty due to market fluctuations and operational disruptions.
4. Mathematical modelling enables scientific decision-making and optimization.

Thus, the study contributes to improving transportation efficiency through mathematical and computational approaches.

Statement of the Problem :

"Analyzing Transportation Challenges Through Mathematical Modeling and Phenomena"

Objectives of the Study :

The study is conducted with the following objectives :

1. To analyse transportation challenges using mathematical modeling techniques and evaluate their effectiveness in optimizing transportation systems.
2. To examine the applicability of advanced transportation models such as stochastic, fuzzy, and bulk transportation problems for minimizing transportation costs and improving resource allocation efficiency.

Hypotheses :

H1 : Mathematical transportation models significantly improve the efficiency of resource allocation and reduce transportation costs compared to conventional transportation planning methods.

H2 : Advanced transportation models incorporating uncertainty and practical constraints provide more realistic and effective solutions than traditional deterministic transportation models.

Methodology :

The present study is analytical and descriptive in nature and is primarily based on secondary data obtained from research publications, books, journals, and studies related to transportation modelling and operations research.

Research Design :

The study adopts a mathematical and analytical research design focusing on transportation optimization problems.

Mathematical Framework :

The study utilizes transportation models based on linear programming principles.

The general transportation model can be represented as :

$$\text{Minimize } Z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} C_{ij} X_{ij}$$

where :

Cij = transportation cost per unit from source i to destination j

Xij? = quantity transported from source i to destination j

Analytical Approach :

- Classical Transportation Problem (b) Stochastic Transportation Problem
  (c) Fixed Charge Transportation Problem (d) Multi-stage Transportation Problem
- Bulk Transportation Problem (e) Fuzzy Transportation Models

Analysis and Discussion :

Transportation models provide a structured mechanism for minimizing costs and maximizing efficiency in logistics systems. The analysis reveals several important findings.

1. **Classical Transportation Models :** Classical transportation models assume certainty in transportation costs, supply quantities, and demand levels. Under these assumptions, linear programming techniques effectively determine optimal transportation schedules. These models are simple, computationally efficient, and widely applicable in industrial distribution systems.

2. **Stochastic Transportation Models :** Real-world transportation systems rarely operate under certainty. Supply disruptions, fluctuating customer demand, and variable transportation costs create uncertainty.

3. **Fixed Charge Transportation Problems :** In practical transportation systems, initiating a transportation route often involves fixed costs in addition to variable transportation expenses.

4. **Multi-stage Transportation Models :** Modern supply chains frequently involve intermediate facilities such as warehouses and distribution centres.

Multi-stage transportation models analyse transportation flows through multiple levels :

* Production Units
* Distribution Centres
* Retail Markets

These models improve logistics planning by considering the entire supply chain network rather than direct source-to-destination transportation only.

The study finds that multi-stage models significantly improve distribution efficiency and inventory management.

5 **Bulk Transportation Problem (BTP) :** A major focus of this research is the Bulk Transportation Problem. Unlike classical transportation models, BTP requires that each demand point be supplied entirely by a single source. This restriction introduces additional complexity but reflects practical situations involving bulk commodities such as :

* Cement * Wheat * Rice * Milk * Chemicals * Petroleum products

The analysis demonstrates that BTP provides realistic solutions for large-scale commodity transportation systems.

6. **Fuzzy Transportation Models :** In many practical situations, transportation data is imprecise or uncertain. Fuzzy transportation models utilize fuzzy numbers to represent uncertain :

* Costs * Demand levels * Supply quantities

These models provide flexible and robust solutions under incomplete information.

7. **Computational Efficiency :** Advanced computational methods including :

- Vogel's Approximation Method (VAM)
- Genetic Algorithms
- Evolutionary Algorithms
- Heuristic Optimization Methods

have significantly improved the efficiency of solving transportation problems.

Conclusion :

The present study highlights the critical role of mathematical modelling in analysing and solving transportation challenges. Transportation problems represent one of the most practical and widely applied areas of linear programming and operations research. Mathematical transportation models provide systematic frameworks for optimizing the movement of goods and resources while minimizing costs and satisfying operational constraints.

The study confirms that classical transportation models offer efficient solutions under deterministic conditions. However, modern transportation systems are increasingly characterized by uncertainty, dynamic demand patterns, capacity limitations, and complex logistical networks. Consequently, advanced models such as stochastic, fuzzy, multi-stage, and bulk transportation models have become essential for realistic transportation planning.

The analysis further demonstrates that Bulk Transportation Problems and fuzzy transportation models effectively address practical challenges encountered in industrial distribution systems. Moreover, the integration of advanced computational techniques significantly improves solution quality and computational efficiency.

Overall, transportation modelling remains an indispensable tool for logistics optimization, supply chain management, and strategic decision-making. Future developments incorporating artificial intelligence, machine learning, and real-time optimization techniques are expected to further enhance the effectiveness and applicability of transportation models in addressing emerging global transportation challenges.

Bibliography :

1. Taha, H. A. *Operations Research: An Introduction*. Pearson Education.
2. Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. *Introduction to Operations Research*. McGraw-Hill.
3. Winston, W. L. *Operations Research: Applications and Algorithms*. Cengage Learning.
4. Dantzig, G. B. *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press.
5. Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. *Linear Programming and Network Flows*. Wiley.

6. Charnes, A., & Cooper, W. W. *Management Models and Industrial Applications of Linear Programming*. Wiley.
7. Zadeh, L. A. (1965). "Fuzzy Sets." *Information and Control*, 8(3), 338–353.
8. Hitchcock, F. L. (1941). "The Distribution of a Product from Several Sources to Numerous Localities." *Journal of Mathematics and Physics*, 20, 224–230.
9. Koopmans, T. C. (1949). "Optimum Utilization of the Transportation System." *Econometrica*, 17, 136–146.
10. Dantzig, G. B. (1963). *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha
June 2026

ISSN : 2395-7115
Page No. : 54-68

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Effect of Classroom Seating Arrangement on Students' Learning Outcomes : An Experimental Study of U-Shaped and Row-Wise Seating

Dr. Vaseem Khan, *Department of Philosophy,*
Pranjal Garg, *Department of Psychology*
Ankita Kumari Poonia, *Department of Geography*
Dr. Nisha Agrawal, *Hod in Department of Psychology*
Ravindra Nath Tagore PG College, Kapasan.

Abstract :

The physical design of a classroom plays a critical role in shaping student learning experiences and outcomes. This experimental study investigated the effect of classroom seating arrangement on students' comprehension and recall of lecture material. A total of 60 undergraduate students, aged 18–20 years, were divided into two groups of 30 each, maintaining gender balance. One group was seated in a U-shaped arrangement, while the other was seated in a traditional row-wise layout. Both groups attended a 10-minute lecture on the "Layers of the Atmosphere" and then completed a five-question assessment. Descriptive statistics and an independent samples t-test were used to analyze the data. Results showed that students in the U-shaped seating arrangement scored higher ($M = 4.2$, $SD = 0.7$) than those in the row-wise seating arrangement ($M = 3.1$, $SD = 2.0$), and the difference was statistically significant ($t = 2.97$, $p < 0.05$). The study concludes that seating arrangement significantly influences short-term learning outcomes, suggesting that interactive layouts enhance engagement, comprehension, and equitable learning opportunities.

Keywords : Classroom Seating, U-shaped Seating, Row-Wise Seating, Learning Outcomes, Comprehension, Classroom Design.

Introduction :

The physical environment of a classroom plays an important role in shaping students' learning experiences and academic outcomes. Among various environmental factors, classroom seating

arrangement has attracted increasing attention from researchers in education, psychology, and learning sciences. Seating arrangement not only determines the spatial organization of students but also influences interaction patterns, visibility, participation, and attention during instructional activities. As a result, the design of classroom seating can significantly affect students' cognitive engagement and learning performance.

Traditional classrooms in many educational institutions are organized in row-wise seating arrangements, where students sit in straight lines facing the teacher and the front of the classroom. This arrangement is commonly used because it facilitates teacher-centered instruction, reduces distractions, and supports independent work. Research suggests that row seating often leads to higher levels of on-task behavior and classroom discipline, particularly during lectures and individual assignments (Wannarka & Ruhl, 2008; Rosenfield et al., 1985). However, critics argue that such layouts can limit interaction among students and create unequal participation opportunities, especially for students seated at the back of the classroom.

In contrast, alternative seating arrangements such as U-shaped or horseshoe layouts have been proposed as more interactive classroom designs. In a U-shaped arrangement, desks are organized in a semicircular pattern allowing students to face both the instructor and their peers. This configuration improves visibility, encourages discussion, and allows the instructor to maintain eye contact with all students. According to research on classroom environments, such arrangements facilitate collaborative learning, promote communication among learners, and enhance classroom engagement (Syahruni, Radhiyani, & Arham, 2025). Similarly, studies on classroom design emphasize that seating patterns which promote mobility and interaction can positively influence students' participation and learning experiences (Tanner, 2009).

The importance of classroom physical design has also been highlighted in research examining the relationship between educational environments and academic outcomes. Fisher (2001) noted that environmental factors such as lighting, air quality, furniture design, and spatial organization can influence student behavior and learning performance. Classroom layout, in particular, determines how easily teachers can monitor students, provide feedback, and facilitate classroom interaction. When the physical arrangement supports communication and engagement, students are more likely to participate actively in the learning process.

Several empirical studies have examined how seating arrangements affect student engagement and performance. For example, studies investigating classroom seating patterns have found that seating proximity and arrangement can influence levels of student attention and physiological engagement during learning activities (Gao et al., 2021). Similarly, research examining seating location and

classroom design suggests that the spatial configuration of learning environments can affect participation and interaction among students (Meeks et al., 2013). Although some studies report mixed findings regarding the direct impact of seating on academic performance, there is general agreement that seating arrangement influences classroom dynamics and student behavior.

Despite growing interest in classroom design, relatively few experimental studies have examined how different seating arrangements influence short-term learning outcomes in classroom settings. Most existing research focuses on engagement, classroom behavior, or student perceptions rather than measurable academic performance. Furthermore, interdisciplinary perspectives combining psychology and spatial or environmental factors remain limited. Understanding how physical classroom structure interacts with cognitive processes is therefore an important area of research.

The present study attempts to address this gap by examining the effect of two classroom seating arrangements—U-shaped seating and traditional row-wise seating—on students' learning outcomes. The study adopts an experimental approach in which undergraduate students attended a short lecture and subsequently completed comprehension questions related to the lecture content. By comparing students' performance under different seating arrangements, the study aims to explore whether spatial classroom organization influences immediate learning outcomes. The findings may contribute to interdisciplinary research linking psychological learning processes with classroom spatial design, offering insights for educators and classroom planners seeking to create more effective learning environments.

Objectives of the Study :

- To examine the effect of classroom seating arrangement on students' learning outcomes.
- To compare the academic performance of students seated in a U-shaped seating arrangement with those seated in a traditional row-wise seating arrangement.
- To investigate whether interactive seating layouts (U-shaped) enhance students' comprehension and recall of lecture material compared to conventional classroom layouts.

To explore the role of classroom spatial organization as an environmental factor influencing short-term learning outcomes.

Hypotheses :

Null Hypothesis (H_0)

- There is no significant difference in the learning outcomes of students seated in a U-shaped seating arrangement and those seated in a traditional row-wise seating arrangement.

Alternative Hypothesis (H_1)

- There is a significant difference in the learning outcomes of students seated in a U-shaped

seating arrangement and those seated in a traditional row-wise seating arrangement.

Methodology :

Research Design :

The present study employed a quantitative experimental research design to investigate the effect of classroom seating arrangement on students' learning outcomes. The experimental approach was chosen because it allows researchers to examine cause-and-effect relationships by manipulating an independent variable while controlling other relevant conditions. In this study, the independent variable was the type of classroom seating arrangement, and the dependent variable was students' learning outcomes measured through a short test administered after a lecture.

The study followed a between-group experimental design, in which participants were divided into two groups and each group experienced a different seating arrangement. A total of 60 undergraduate students, aged between 18 and 20 years, participated in the experiment. The participants were divided into two equal groups of 30 students each, and gender balance was maintained by including 15 male and 15 female students in each group.

Two classroom seating arrangements were used in the study. The first was a U-shaped seating arrangement, where desks were organized in a horseshoe pattern allowing students to face both the instructor and their peers. This arrangement was selected because it facilitates better visibility and interaction among students. The second arrangement was the traditional row-wise seating arrangement, where desks were placed in straight rows facing the instructor. This arrangement represents the conventional classroom layout commonly used in educational institutions.

Both groups attended a 10-minute lecture on the topic "Layers of the Atmosphere." The lecture was delivered by the same instructor using the same teaching method and explanation to ensure consistency in instruction and to minimize potential confounding variables. After the lecture, students were asked to answer five short questions based on the lecture content. Each correct response was awarded one mark, making the maximum possible score five marks.

The responses were collected immediately after the lecture to measure students' comprehension and recall of information. The scores obtained by students were then analyzed statistically by calculating the mean and standard deviation for each group. An independent samples t-test was conducted to determine whether the difference in performance between the two seating arrangements was statistically significant.

Sample :

The present study included a total of 60 undergraduate students as participants from R.N.T. Institute of BSTC, Kapasan, District – Chittorgarh (Rajasthan). The sample was drawn from students

enrolled in a higher education institution and represented the typical age range of early undergraduate learners, between 18 and 20 years. Participants were selected using a purposive sampling technique, which allowed the researchers to recruit students who were available and willing to participate in the study. The goal was to obtain a sample that could reliably reflect the effects of classroom seating arrangement on learning outcomes while ensuring adequate representation across gender.

To maintain gender balance, each group consisted of 15 male and 15 female students. Gender balance was considered important to minimize potential bias, as prior research suggests that gender differences can influence classroom participation, engagement, and learning outcomes. By ensuring an equal number of male and female students in both groups, the study controlled for gender as a potential confounding variable, thereby increasing the validity of the findings.

The total sample of 60 students was divided into two groups of 30 participants each, corresponding to the two seating arrangements under investigation. The first group was assigned to a U-shaped seating arrangement, where desks were arranged in a horseshoe pattern. This layout allowed students to face both the instructor and their peers, creating an environment conducive to interaction, discussion, and visual engagement. The U-shaped arrangement was specifically chosen to explore whether increased peer and teacher visibility could enhance students' learning outcomes compared to conventional seating.

The second group was assigned to a traditional row-wise seating arrangement, in which desks were arranged in straight rows facing the instructor. This configuration is widely used in educational institutions and is generally associated with lecture-based instruction and limited peer interaction. The inclusion of this group allowed for comparison between an interactive seating design and a conventional classroom layout, providing a baseline for evaluating the effect of seating arrangement on learning performance.

All participants attended a 10-minute lecture on the topic "Layers of the Atmosphere." The lecture content was identical for both groups and delivered by the same instructor to ensure uniformity. Immediately following the lecture, participants were asked to answer five short questions related to the lecture content. The questions were presented in both Hindi and English, allowing all students to clearly understand the assessment task. Each correct answer was awarded one mark, making the maximum possible score five.

The sample size of 60 participants was considered adequate for an experimental study of this nature. The division into two equal groups allowed for a controlled comparison of the two seating arrangements, while the gender balance and age homogeneity contributed to the internal validity of the study. By carefully selecting participants and controlling demographic variables, the study ensured

that differences in learning outcomes could be attributed primarily to the seating arrangement rather than extraneous factors.

Overall, the sample design provided a representative, controlled, and balanced participant group, enabling a systematic investigation of the relationship between classroom seating arrangement and short-term learning outcomes.

Procedure :

The study was conducted in a classroom setting to examine the effect of seating arrangement on students' learning outcomes. A total of 60 undergraduate students aged between 18 and 20 years participated in the study. The participants were divided into two groups of 30 students each, maintaining gender balance with 15 males and 15 females in each group. The students were assigned to two different seating arrangements: a U-shaped seating arrangement and a traditional row-wise seating arrangement.

Prior to the instructional session, the classroom was organized according to the assigned seating arrangement. In the U-shaped seating arrangement, desks were placed in a horseshoe pattern, allowing students to face both the instructor and their peers, facilitating interaction and better visibility. In the row-wise seating arrangement, desks were arranged in straight lines facing the instructor, reflecting a conventional classroom setup with limited peer interaction. Care was taken to ensure that all students had a clear view of the instructor and instructional materials.

Both groups attended a 10-minute lecture on the topic "Layers of the Atmosphere." The lecture content was as follows:

Lecture Content :

Good morning everyone,

Today we will learn about the layers of the atmosphere. The atmosphere is the layer of gases that surrounds the Earth. It protects life on Earth from harmful solar radiation, helps regulate temperature, and influences weather and climate.

The atmosphere is mainly divided into five layers :

1. **Troposphere – Altitude : 0–12 km.** This is the most important layer because all weather phenomena such as clouds, rainfall, and storms occur here. Life on Earth exists in this layer. As altitude increases, the temperature decreases. About 75% of the total atmospheric mass is found in this layer.

2. **Stratosphere – Altitude : 12–50 km.** The ozone layer is located in this layer, which absorbs harmful ultraviolet (UV) radiation from the Sun. Jet airplanes often fly in this layer because the weather conditions are relatively stable here. In this layer, temperature increases with altitude due to

the presence of ozone.

3. Mesosphere – Altitude : 50–85 km. This layer burns up most meteors that enter the Earth's atmosphere, thereby protecting the planet. It is the coldest layer of the atmosphere, and the temperature decreases again with increasing altitude.

4. Thermosphere – Altitude : 85–600 km. This layer contains the ionosphere, which helps in radio communication. The International Space Station (ISS) orbits within this region. Temperature rises rapidly in this layer and may reach around 1500°C or even higher.

5. Exosphere – Altitude : Above 600 km, gradually merging into outer space. This is the outermost layer of the atmosphere. Gas particles are extremely sparse and move very fast. Many satellites orbit the Earth in this layer.

Immediately after the lecture, students were asked to answer five short questions in English to assess their comprehension and recall. The questions were as follows :

1. How many layers are there in the atmosphere?
2. In which layer of the atmosphere is the ozone layer found?
3. In which layer of the atmosphere do weather phenomena occur?
4. What happens to temperature as we move upward in the atmosphere?
5. Which is the outermost layer of the atmosphere?

The students were given sufficient time to read and answer the questions immediately after the lecture. The procedure ensured that both groups received identical instruction and questions, with the only variation being the seating arrangement, allowing for a controlled examination of its impact on learning outcomes.

Data Analysis :

The study investigated the effect of classroom seating arrangement on students' immediate learning outcomes. The independent variable was seating arrangement (U-shaped vs. row-wise), and the dependent variable was students' scores on a five-question assessment administered immediately after a 10-minute lecture on the "Layers of the Atmosphere."

Descriptive statistics were calculated to summarize the performance of each group. Table 1 presents the mean, standard deviation (SD), and sample size (N) for both seating arrangements.

Seating Arrangement	N	Mean Score	Standard Deviation (SD	t- value
U-shaped	30	4.2	0.7	2.97
Row-wise	30	3.1	2.0	

From the table, it is evident that students in the U-shaped seating arrangement obtained a higher mean score ($M = 4.2$) compared to the row-wise group ($M = 3.1$). The lower standard deviation in the U-shaped group ($SD = 0.7$) indicates that the students' performance was relatively consistent, suggesting uniform comprehension and recall of lecture content. Conversely, the row-wise group displayed greater variability in scores ($SD = 2.0$), indicating that while some students performed well, others struggled to recall and comprehend the lecture material.

To determine whether the observed difference in performance between the two groups was statistically significant, an independent samples t-test was conducted. The analysis produced a t-value of 2.97, which is significant at $p < 0.05$. This result indicates that the difference in mean scores between students in U-shaped seating and row-wise seating is unlikely to have occurred by chance. In other words, seating arrangement had a statistically significant impact on students' learning outcomes in this experiment.

Overall, the data suggest that the U-shaped seating arrangement facilitated better comprehension and recall compared to the traditional row-wise layout. The arrangement may have supported greater engagement, improved visual access to the instructor, and enhanced peer interaction, all of which are known to influence cognitive processing and learning performance. In contrast, the row-wise seating arrangement, while typical in conventional classrooms, may limit interaction and reduce attentional focus for some students, leading to inconsistent learning outcomes.

The descriptive and inferential statistics collectively support the conclusion that interactive classroom layouts, such as U-shaped seating, positively influence short-term learning outcomes, providing evidence for the importance of classroom spatial organization in instructional design.

Results :

The primary objective of the study was to examine the effect of classroom seating arrangement on students' learning outcomes. Two seating arrangements were compared: U-shaped seating and traditional row-wise seating. The dependent variable was students' performance on a short five-question assessment administered immediately after a lecture on the "Layers of the Atmosphere."

Descriptive Statistics :

Descriptive Statistics of Students' Scores by Seating Arrangement

Seating Arrangement	N	Mean Score	Standard Deviation (SD	t- value
U-shaped	30	4.2	0.7	2.97
Row-wise	30	3.1	2.0	

As shown in Table 1, students in the U-shaped seating arrangement scored higher on average (M = 4.2) compared to students in the row-wise seating arrangement (M = 3.1). The standard deviation was lower in the U-shaped group (SD = 0.7) than in the row-wise group (SD = 2.0), indicating that scores in the U-shaped group were more consistent, whereas scores in the row-wise group were more variable.

Inferential Statistics :

To examine whether the observed difference in mean scores between the two groups was statistically significant, an independent samples t-test was conducted. The analysis yielded a t-value of 2.97, which was significant at $p < 0.05$. This indicates that the difference in scores between students in the U-shaped and row-wise seating arrangements is statistically significant.

Summary of Findings :

The results demonstrate that students seated in the U-shaped arrangement performed significantly better on the comprehension assessment than students in the traditional row-wise arrangement. In addition to higher average scores, the U-shaped seating arrangement also resulted in more consistent performance among students, suggesting that this configuration supports both improved learning outcomes and uniformity in comprehension across the group.

Overall, these findings indicate that classroom seating arrangement can influence short-term learning outcomes, with U-shaped arrangements providing advantages in comprehension and recall compared to traditional row-wise seating. The data support the hypothesis that interactive seating arrangements facilitate better student engagement and academic performance.

Interpretation of Results :

The results of the study indicate a significant effect of classroom seating arrangement on students' learning outcomes. Students seated in a U-shaped seating arrangement obtained a higher mean score (M = 4.2, SD = 0.7) compared to those seated in a traditional row-wise arrangement (M = 3.1, SD = 2.0). The independent samples t-test yielded a t-value of 2.97, which is statistically significant at the $p < 0.05$ level. This suggests that the observed difference in learning outcomes between the two groups is unlikely to have occurred by chance and can be attributed to the seating arrangement.

The higher mean score in the U-shaped group indicates that this seating configuration may facilitate better comprehension and recall of lecture material. The relatively low standard deviation further suggests that students in this arrangement performed consistently well, reflecting a uniform enhancement in learning outcomes. In contrast, the row-wise seating arrangement showed not only a lower mean but also a higher variability in scores, suggesting that some students struggled to engage

or comprehend the lecture content fully, while others performed relatively well.

The results can be interpreted through the lens of cognitive and educational theories emphasizing the role of the physical learning environment. The U-shaped seating arrangement allows students to face both the instructor and their peers, increasing visual access, attention, and potential for interaction. Such factors are known to enhance engagement, focus, and motivation, which are crucial for comprehension and memory retention. Conversely, the row-wise seating arrangement may restrict peer interaction and limit visibility, particularly for students seated further from the instructor, thereby contributing to uneven learning outcomes.

These findings are consistent with prior research suggesting that interactive seating arrangements improve classroom participation, engagement, and academic performance (Tanner, 2009; Syahruni, Radhiyani, & Arham, 2025). Even in a brief lecture session of ten minutes, the arrangement of desks influenced how effectively students processed and recalled information. The study highlights that physical classroom design is not merely logistical but has pedagogical significance, affecting the quality and uniformity of learning outcomes.

In summary, the results demonstrate that students in U-shaped seating arrangements outperform their peers in row-wise seating, both in terms of mean performance and consistency. This suggests that adopting interactive classroom layouts can support better comprehension, engagement, and equitable learning opportunities, reinforcing the importance of considering classroom spatial organization as a factor in instructional planning.

Discussion :

The present study investigated the effect of classroom seating arrangement on students' short-term learning outcomes. Specifically, it compared U-shaped seating and traditional row-wise seating in terms of comprehension and recall of lecture content. The results demonstrated that students seated in a U-shaped arrangement performed significantly better ($M = 4.2$, $SD = 0.7$) than students seated in a row-wise layout ($M = 3.1$, $SD = 2.0$), with the difference being statistically significant ($t = 2.97$, $p < 0.05$). These findings highlight the importance of classroom spatial organization as a factor influencing cognitive engagement and learning performance.

The higher mean scores in the U-shaped group suggest that this seating arrangement facilitates better comprehension and recall of instructional material. This can be explained by principles of educational psychology and cognitive theory. The U-shaped layout allows students to face both the instructor and their peers, improving visual access, attentional focus, and opportunities for interaction. According to Vygotsky's social constructivist theory (1978), learning is a socially mediated process, and interaction with peers can enhance understanding and retention. By allowing students to see each

other and engage in non-verbal communication, the U-shaped seating arrangement may support collaborative cognitive processes even during brief lectures, promoting deeper encoding of information and better memory recall.

The relatively low standard deviation in the U-shaped group (SD = 0.7) indicates consistent performance across students, suggesting that the benefits of this layout were experienced broadly rather than being limited to high-performing individuals. In contrast, the row-wise arrangement showed greater variability (SD = 2.0), reflecting uneven engagement and comprehension. This is consistent with prior research indicating that traditional row seating, while effective for teacher-centered instruction, may limit interaction and reduce attentional focus for students seated farther from the instructor (Wannarka & Ruhl, 2008; Rosenfield et al., 1985). Students in back rows may experience reduced visibility, limited peer engagement, and decreased opportunities for participatory learning, contributing to the observed variability in performance.

The results also align with studies on classroom design and learning outcomes, which suggest that spatial configuration affects student behavior and engagement (Tanner, 2009; Syahruni, Radhiyani, & Arham, 2025). Tanner (2009) emphasized that classroom environments supporting visibility, mobility, and interaction positively influence participation, attention, and motivation. Similarly, Syahruni et al. (2025) reported that horseshoe and U-shaped seating arrangements improve communication, encourage discussion, and foster active learning. The present findings extend these insights by demonstrating that even a short 10-minute lecture can produce measurable differences in comprehension and recall based on seating arrangement, highlighting the pedagogical significance of classroom layout.

Furthermore, the study underscores the role of classroom design in promoting equitable learning opportunities. In the U-shaped arrangement, students' performance was more uniform, suggesting that interactive seating reduces disparities caused by seating position or individual differences in attentional capacity. In contrast, the row-wise seating may advantage some students (e.g., those in front rows) while disadvantaging others, leading to inconsistent learning outcomes. This finding is particularly relevant for educational planning, as it indicates that classroom layout can contribute to fairness and inclusivity in learning environments.

The interdisciplinary nature of the study, combining psychological principles of learning with spatial considerations from educational geography, offers a novel perspective on psycho-spatial learning environments. It emphasizes that physical environment and cognitive processes are interconnected, and optimizing classroom layout can have tangible effects on short-term learning outcomes.

Despite the clear findings, it is important to note limitations. The study involved a brief 10-minute lecture, and results may differ for longer or more complex instructional sessions. Additionally, the study focused on a single topic and immediate recall, leaving open questions about long-term retention and application of knowledge. Future research could examine these variables, as well as the effects of seating arrangements on collaborative tasks, problem-solving, and other higher-order cognitive activities.

In conclusion, the present study provides empirical evidence that classroom seating arrangement significantly influences student learning outcomes. The U-shaped seating layout enhanced comprehension, recall, and uniformity of performance compared to the traditional row-wise arrangement. These findings have practical implications for educators, classroom designers, and institutions seeking to optimize learning environments. Incorporating interactive seating arrangements can support engagement, attentional focus, and equitable learning opportunities, reinforcing the value of thoughtful spatial planning in educational settings.

Limitations of the Study :

While the present study provides valuable insights into the influence of classroom seating arrangements on students' learning outcomes, several limitations should be acknowledged :

1. **Short duration of the lecture :** The study involved only a 10-minute lecture. While this allowed for controlled measurement of short-term comprehension and recall, the findings may not generalize to longer or more complex instructional sessions where attention, fatigue, and engagement dynamics could differ.
2. **Limited scope of assessment :** The dependent variable was performance on a five-question assessment immediately following the lecture. This captures short-term recall but does not address long-term retention, critical thinking, or application of knowledge, which are also important indicators of learning outcomes.
3. **Sample characteristics :** The study included 60 undergraduate students aged 18–20 from a single institution. While gender balance was maintained, the sample may not be representative of other age groups, academic levels, or cultural contexts, limiting the generalizability of the findings.
4. **Single lecture topic :** The lecture focused solely on "Layers of the Atmosphere." Different subjects or lecture formats (e.g., math, literature, problem-solving tasks) may produce different results depending on the nature of content and cognitive demands.
5. **Classroom setting constraints :** The experiment was conducted in a controlled classroom environment. In real-world settings, factors such as peer behavior, classroom size, and instructor variability could influence learning outcomes beyond seating arrangement.

6. **Short-term measurement :** Only immediate comprehension and recall were measured. The study did not examine whether seating arrangement affects long-term academic performance, retention, or application in subsequent learning tasks.

Implications of the Study :

Despite these limitations, the study has important theoretical and practical implications for education and classroom design :

1. **Educational practice :** The results suggest that U-shaped seating arrangements enhance comprehension and recall even during brief lectures. Educators can use this insight to organize classrooms in ways that promote engagement, peer interaction, and equitable learning opportunities.
2. **Classroom design and policy :** Institutions and educational planners should consider spatial layout as an integral part of pedagogy, not merely a logistical concern. Interactive seating arrangements can be incorporated in lecture halls, tutorial rooms, and discussion spaces to maximize student engagement.
3. **Pedagogical strategies :** The findings support the integration of active learning and social constructivist principles, highlighting that seating arrangements that encourage visibility and interaction can improve cognitive processing, attention, and learning outcomes.
4. **Future research directions :** The study opens avenues for examining how seating arrangements influence long-term retention, collaborative learning, problem-solving skills, and motivation. Future studies could also explore different classroom designs, diverse student populations, and multiple subjects to provide broader generalizability.
5. **Equity and inclusion :** The consistent performance observed in the U-shaped seating arrangement suggests that thoughtful classroom design can reduce disparities in engagement and comprehension, creating a more equitable learning environment.

In summary, while limited in scope and duration, the study demonstrates that classroom seating arrangement is a significant environmental factor affecting learning outcomes. Its findings inform both practical classroom management and future research on optimizing learning spaces for engagement, comprehension, and equitable academic performance.

Conclusion :

The present study examined the effect of classroom seating arrangement on students' short-term learning outcomes. Specifically, it compared the performance of students seated in a U-shaped arrangement versus a traditional row-wise layout after a brief lecture on the "Layers of the Atmosphere." The results demonstrated that students in the U-shaped arrangement scored significantly higher ($M = 4.2$, $SD = 0.7$) than those in the row-wise seating ($M = 3.1$, $SD = 2.0$), with an independent samples t-

test yielding a t-value of 2.97 ($p < 0.05$). These findings indicate that seating arrangement is a meaningful factor influencing comprehension, recall, and consistency of learning outcomes.

The study highlights the importance of classroom spatial organization in promoting cognitive engagement and academic performance. The U-shaped seating arrangement, by allowing students to face both the instructor and their peers, enhances visual access, attentional focus, and opportunities for interaction. This configuration not only improves mean learning outcomes but also reduces variability in student performance, promoting equitable learning opportunities. In contrast, traditional row-wise arrangements, while suitable for teacher-centered lectures, may limit peer interaction, reduce attentional focus for some students, and lead to inconsistent comprehension.

From a theoretical perspective, the findings support principles from educational psychology and social constructivism, which emphasize the role of interaction, engagement, and social mediation in learning. The results also align with research on classroom design, reinforcing the idea that the physical learning environment is integral to pedagogical effectiveness. Even in a short 10-minute lecture, the configuration of desks significantly influenced students' ability to process, retain, and recall information.

Recommendations :

Based on these findings, the following recommendations are proposed for educators, classroom planners, and institutions :

- **Implement interactive seating arrangements :** U-shaped or horseshoe layouts should be considered for lecture-based and discussion-based sessions, as they enhance engagement, comprehension, and recall.
- **Promote equitable learning environments :** Interactive seating reduces variability in performance, ensuring that students in different parts of the classroom have similar opportunities to engage with the instructor and peers.
- **Integrate spatial design into pedagogical planning :** Teachers should consider classroom layout as part of instructional strategy, aligning seating with lesson objectives, group activities, and desired interaction levels.
- **Further research and experimentation :** Institutions should encourage studies examining the impact of seating arrangements on long-term retention, collaborative learning, and other higher-order cognitive skills.

In conclusion, the study provides empirical evidence that classroom seating arrangement significantly affects short-term learning outcomes. By adopting interactive and visually engaging layouts like the U-shaped arrangement, educators can enhance student comprehension, promote

consistent performance, and create a more inclusive learning environment. Thoughtful consideration of classroom design should therefore be recognized as a vital component of effective teaching and learning strategies.

References :

- Fisher, K. (2001). Building better outcomes: The impact of school environments on student learning. Western Australia: Edith Cowan University.
- Gao, F., Zhang, T., & Franklin, T. (2021). Investigating the effects of classroom design on students' attention and engagement. Educational Technology Research and Development, 69(3), 1571–1588.
- Meeks, L., Van Winkle, W., & Sullivan, K. (2013). The relationship between classroom seating and student participation. Journal of Learning Spaces, 2(1), 1–10.
- Rosenfield, S., Lam, P., & Daniels, R. (1985). Effects of seating arrangements on classroom behavior. Educational Psychology, 5(2), 145–153.
- Syahruni, S., Radhiyani, F., & Arham, A. (2025). Influence of classroom seating patterns on students' engagement and learning outcomes. Journal of Educational Environment and Psychology, 12(1), 45–60.
- Tanner, C. K. (2009). Effects of school design on student outcomes. Journal of Educational Administration, 47(3), 381–399.
- Wannarka, R., & Ruhl, K. (2008). Seating arrangements that promote positive classroom behavior: A review of empirical research. Support for Learning, 23(2), 89–93.
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642
Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 69-74
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति सीकर जिले की स्नातक स्तर की छात्राओं में जागरूकता का अध्ययन

रामचन्द्र, शोधार्थी
डॉ. अमिता, शोध पर्यवेक्षक
भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर।

सारांश (Abstract)

भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान समय में महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा से संबंधित अनेक कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, किन्तु इन प्रावधानों के प्रति महिलाओं में पर्याप्त जागरूकता का अभाव देखा जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य सीकर जिले की स्नातक स्तर की छात्राओं में महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना है। अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया तथा वर्गीकृत आनुपातिक न्यादर्श पद्धति के आधार पर 1060 छात्राओं का चयन किया गया। अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानकविचलन एवं 'ज' परीक्षण का प्रयोग किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि शहरी छात्राओं में ग्रामीण छात्राओं की अपेक्षा कानूनी जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया, किन्तु यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक नहीं था। अध्ययन महिला सशक्तिकरण एवं कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

प्रमुख शब्द (Keywords)

महिला अधिकार, कानूनी जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, स्नातक छात्राएँ, सीकर जिला, महिला सुरक्षा कानून।

1. प्रस्तावना :

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का निवास माना जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सदैव शक्ति, करुणा एवं संस्कारों का प्रतीक माना गया है। समाज एवं राष्ट्र के विकास में महिला एवं पुरुष दोनों का समान योगदान होता है। किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है।

वर्तमान समय में महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, प्रशासन एवं सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, फिर भी महिलाओं के प्रति हिंसा, भेदभाव, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न तथा

शिक्षा में असमानता जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों की रक्षा हेतु भारतीय संविधान तथा विभिन्न अधिनियमों में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निषेध अधिनियम एवं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जैसे अनेक कानून महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

इसके बावजूद महिलाओं में कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को अपने अधिकारों एवं कानूनी संरक्षण की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। अतः महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

2. समस्या का औचित्य :

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में महिलाओं की सहभागिता एवं जागरूकता सामाजिक विकास का आधार होती है। यदि महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, तो वे अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाएँगी।

सीकर जिले में महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद कानूनी जागरूकता अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देती है। ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं में जागरूकता का स्तर भिन्न हो सकता है। इसलिए यह अध्ययन महिला सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति को समझने एवं जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता को पहचानने हेतु महत्वपूर्ण है।

यह शोध पत्र महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति छात्राओं की जानकारी का विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा भविष्य में महिला जागरूकता कार्यक्रमों के निर्माण हेतु आधार प्रदान करता है।

3. शोध समस्या :

"महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति सीकर जिले की स्नातक स्तर की छात्राओं में जागरूकता का अध्ययन।"

4. शोध के उद्देश्य :

- स्नातक स्तर की छात्राओं में महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
- शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य कानूनी जागरूकता की तुलना करना।
- कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की छात्राओं में कानूनी जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- महिला अधिकारों के प्रतिजागरूकता बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

5. परिकल्पनाएँ :

- शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं की कानूनी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

- विज्ञान संकाय की छात्राओं की कानूनी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- कला संकाय की छात्राओं की कानूनी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- वाणिज्य संकाय की छात्राओं की कानूनी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

6. शोध विधि :

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। सर्वेक्षण विधि सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन हेतु उपयुक्त मानी जाती है।

6.1 न्यादर्श (Sample) :

अध्ययन हेतु वर्गीकृत आनुपातिक न्यादर्श पद्धति का प्रयोग किया गया। कुल 10640 छात्राओं की जनसंख्या में से 1060 छात्राओं का चयन किया गया। इनमें कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं को सम्मिलित किया गया।

संकाय	शहरी छात्राएँ	ग्रामीण छात्राएँ
कला	530	530
विज्ञान	115	115
वाणिज्य	40	40

6.2 शोध उपकरण :

अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा स्व निर्मित निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति छात्राओं की जागरूकता का मापन किया गया।

6.3 सांख्यिकीय प्रविधियाँ :

प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation) एवं 't' परीक्षण का प्रयोग किया गया।

7. आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

तालिका 1

शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं की कानूनी जागरूकता में अन्तर

वर्ग	संख्या	मध्यमान	मनक विचलन	T –मूल्य
शहरी	685	34.81	9.40	1.83
ग्रामीण	685	33.90	9.40	

व्याख्या – प्राप्त 't' मूल्य 1.83 है, जो 0.05 स्तर पर आवश्यक मान 1.97 से कम है। अतः शहरी एवं

ग्रामीण छात्राओं की कानूनी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

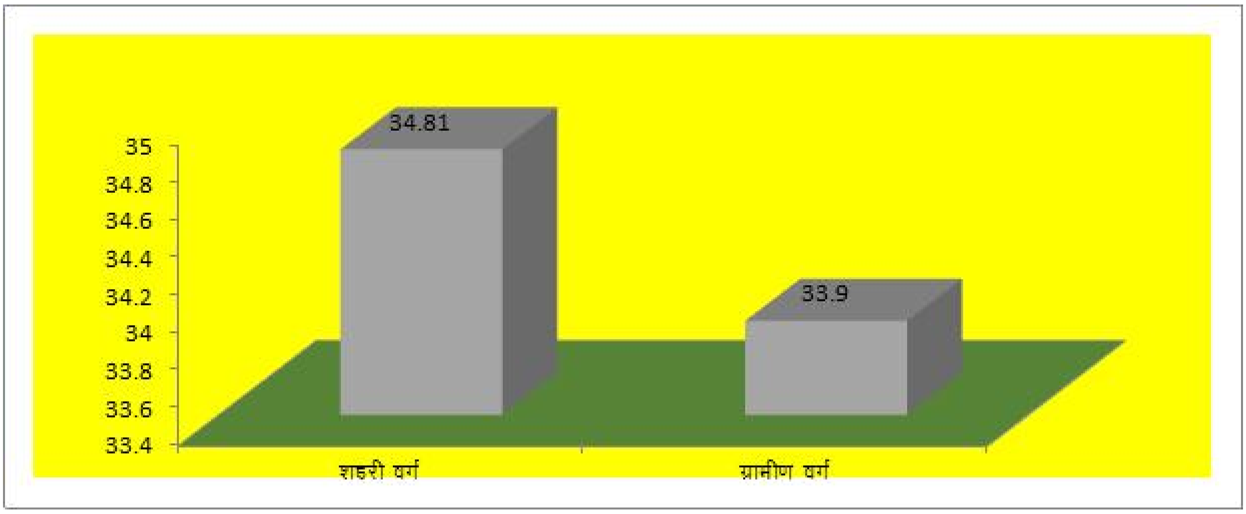

तालिका 2

विज्ञान संकाय की छात्राओं की कानूनी जागरूकता में अन्तर

वर्ग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	T –मूल्य
शहरी	115	39.17	6.86	1.09
ग्रामीण	115	38.22	6.30	

व्याख्या – प्राप्त 't' मूल्य 1.09 है, जो सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक नहीं है। अतः विज्ञान संकाय की छात्राओं की कानूनी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

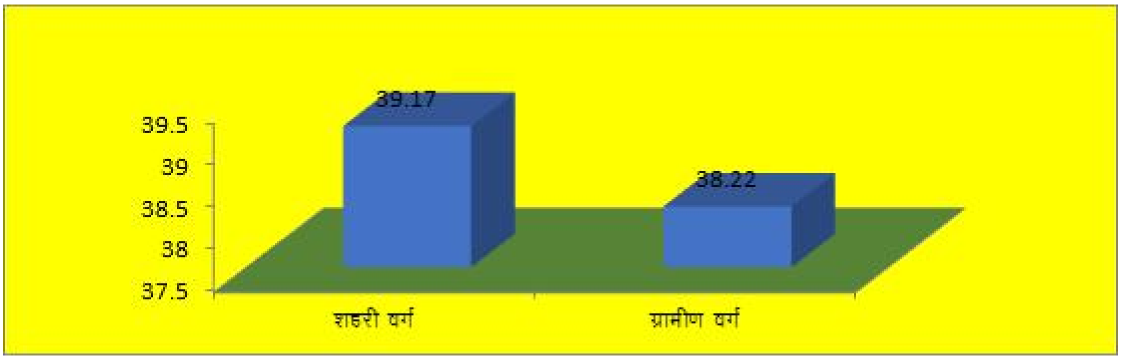

तालिका 3

कला संकाय की छात्राओं की कानूनी जागरूकता में अन्तर

वर्ग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	T –मूल्य
शहरी	530	36.43	8.81	0.60
ग्रामीण	530	36.11	8.47	

व्याख्या – प्राप्त 't' मूल्य 0.60 है, जो सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक नहीं है। अतः कला संकाय की छात्राओं की कानूनी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

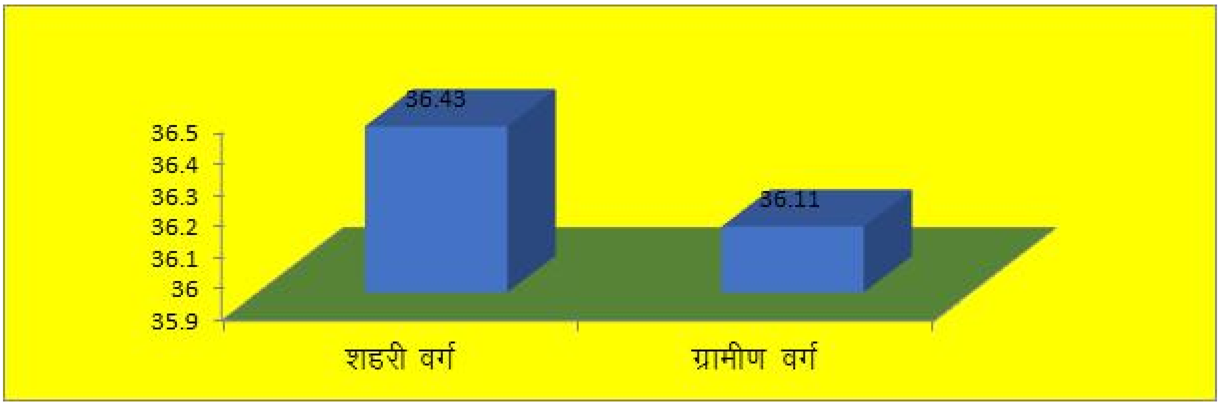

8. प्रमुख निष्कर्ष :

- छात्राओं में महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति सामान्य स्तर की जागरूकता पाई गई।
- शहरी छात्राओं में जागरूकता का स्तर ग्रामीण छात्राओं की अपेक्षा अधिक पाया गया।
- विज्ञान एवं कला संकाय की छात्राओं के मध्य कानूनी जागरूकता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।
- अधिकांश छात्राओं को महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की सीमित जानकारी थी।
- सामाजिक एवं शैक्षिक परिवेश कानूनी जागरूकता को प्रभावित करते हैं।

9. शैक्षिक निहितार्थ :

- महाविद्यालय स्तर पर महिला अधिकारों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- छात्राओं को संवैधानिक अधिकारों एवं महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।
- महिला सशक्तिकरण हेतु सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं को संयुक्त प्रयास करने चाहिए।

10. भावी शोध हेतु सुझाव :

- यह अध्ययन अन्य जिलों एवं राज्यों में भी किया जा सकता है।
- उच्च शिक्षा स्तर की छात्राओं में कानूनी जागरूकता का अध्ययन किया जा सकता है।
- महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
- सह–शिक्षा संस्थानों में भी इसी प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है।

11. उपसंहार :

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार है। यदि छात्राओं को उचित कानूनी जानकारी प्रदान की जाए तो वे न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगी, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। अतः सरकार, शैक्षिक संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों को मिलकर महिला कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास करने चाहिए।

संदर्भ सूची (References)

1. भारतीय संविधान।
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. Census of India 2011.
5. दहेज प्रतिशेध अधिनियम, 1961।
6. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।
7. कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2013।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha
June 2026

ISSN : 2395-7115
Page No. : 75-79

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Ideological Debates and Policy Orientations in the Pre-Second World War Period

Samaresh Chattaraj, Research Scholar,
Dr. Swati Kumar, Assistant Professor,
Dept. of Political Science, YBN University, Ranchi.

When elections were held in 1937 under the new Constitution, the Congress achieved significant electoral success. A survey reveals that the Congress's success was driven by promises made in its election manifesto, such as a struggle inside and outside the Legislative Assembly to abolish the Constitution, and demands for complete independence. However, it remains to be seen that after the formation of provincial cabinets, the scope of ideological conflict widened, as these cabinets were largely dominated by moderate elements, who increasingly adopted a policy of cooperation with the government. Such actions of the Congress cabinets and the Congress manifesto presented a conflict. At its Haripura Congress in 1938, the Congress clarified its policy on the Constitutional Article, rejecting it and calling for its abolition. However, attempts by moderates within the Congress to reach a compromise with the government opened up a new ideological dimension of conflict within the Congress. It was in this context that the 1939 Congress session in Tripuri was held. Subhas Chandra Bose, again putting forward his candidacy for the Congress President ship at the General Conference, presented an anti-compromise ideology. This candidacy was against the Congress's official candidate, Sitaramayya, who was supported by left-leaning figures within the Congress. Bose's victory at the Tripuri Congress over Sitaramayya, the official Congress candidate, created a significant crisis within the Congress. The resolution adopted at the Tripuri Conference regarding the preservation of Congress unity also opposed the federal article of the Constitution and called for a struggle against it. Regarding the formation of the Working Committee, it was proposed that Bose would form his own Working Committee in accordance with Gandhi's advice. When Bose and Gandhi failed to reach an agreement on the composition of the Working Committee, Bose resigned as Congress President and formed the Forward Block.

One area of ideological conflict was the negative attitude of Congress ministries toward the growing

peasant and labour movements. Following the formation of Congress ministries, farmers and labourers experienced a surge of hope, and they began agitating for solutions to their problems. The attitude of the Congress ministries towards these movements was repressive. The scope of the controversy widened further when, in the summer of 1939, a Congress Committee meeting passed a resolution further tightening the Congress Constitution, limiting the powers of Congress provincial committees vis-à-vis Congress ministries, and prohibiting the leadership of peasant and labour movements without the consent of Congress committees. The clear intent of this resolution was to disrupt peasant and labour movements. When Mr. Bose and the Left Consolidation protested against this on July 9th, it was considered a violation of Congress discipline. As a disciplinary measure against Subhas Chandra Bose, he was removed from the post of President of the Bengal Congress Committee and was barred from holding any post for three years. Although the Forward Bloc did not criticise Gandhi or the Congress in policy, it opposed the federal article of the Constitution and was perceived as having anticipated the potential for the growth of struggle in the national movement due to the attitude of the Congress ministries towards the problems of peasants and labourers.

It had ended. Events indicated that a major conflict was brewing between imperialism and the national movement, and the split within the elite leadership of the National Congress had not yet reached a compromise. Meanwhile, World War II broke out, bringing the accumulated conflict between the national movement and imperialism to a climax and raising new problems. These were not the only reasons for the emergence of the ideological differences described above within the national movement. Beyond these political and political-strategic factors, there were also factors of global significance that were affecting the Indian national movement ideologically. These factors primarily impacted the Indian national movement on communal issues. Furthermore, the impact of the 1937 election results on the national movement, which polarized class forces within the movement, was clearly visible in the Congress party. Within the Congress party, a process of polarization of political leadership began on this basis, leading to a period of ideological disputes.

The global economic recession that followed World War I, which plunged imperialist countries into a state of disrepair, triggered a communal political landscape in European countries. Hitler's Nazi Party, particularly in Germany, propagated racist slogans as a way to solve the problems of the German people. This impacted Indian communal elements and their politics. Although the British government had been using Hindu-Muslim communalism as a tool in India, before 1934, i.e., before Hitler's rise to power in Germany, Indian communalism was not as aggressive as it became after that. Indian communalists believed that India was composed of diverse communities based on religion, and that the interests of these communities clashed. However, they also recognized that the ultimate destiny

of Indian politics was the unification of these diverse communities into a single nation. India's various communities demanded special rights, protection, and reservations for their respective communities, but not at the expense of emerging national unity. These communities not only believed in national unity, but also believed that the common interest of Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, etc. is ultimately the same. It can be seen that moderate nationalism, including Gandhi, adopted this form of communalism in a slightly refined manner. This gave rise to the ideology of "Sarvadharma Samabhava," and the belief that Hindus, Muslims, Sikhs, and Christians are brothers became a catchphrase of the national movement. This Sarvadharma Samabhava had another aspect, manifesting itself in the form of "plural communalism." The way the national movement approached the struggle to separate communalism, no matter what form it took, from politics was precisely this Sarvadharma Samabhava, that is, to grant equal status to all sects and religions. Ever since the imperialist rulers started using communalism as a weapon to divide the Indian people and the national movement, the movements and actions taken by the Congress in the national movement against it were not based on the strategy of destroying it completely, although efforts were made honestly. The tendency to seize power on the basis of communalism and racism that emerged after Nazism came to power in Germany also had an impact on India. Although the Communist International 1935 Congress called for a united front against imperialism and fascism, and Jawaharlal Nehru, as President of the Congress General Session in Lucknow in 1936, did give the slogan of advancing the national movement on this basis, but the Congress could not take it forward. This was one aspect of the ideological conflict that kept arising within the national movement from 1936 to the Tripuri Congress Session of 1939. One assessment rightly states that clearly, the strategy of resolving the communal problem through negotiations or compromise with Hindu, Muslim, or Sikh communal leaders was a complete failure. Indeed, this policy was inherently flawed from the outset. The attempt at negotiations or compromise clearly meant that the Congress implicitly accepted, to some extent, which communal leaders represented the interests of their respective communities and that communal and religious interests existed in real life. By negotiating with communal leaders, the Congress legitimized their politics and gave them respectability. It also asserted its right and will to launch a vigorous political-ideological campaign against communal leaders and individuals.

Conclusion

After the outbreak of World War II in 1939, the question of attitudes toward war emerged as a major issue in the national movement. This question had arisen during the First World War from 1914 to 1918, and it resurfaced during the Second World War. However, the conditions of the imperialist countries fighting in the First and Second World War were not the same. During the First World War,

global imperialism entered its highest stage, the era of "financial capitalism," and capital exports became a significant phenomenon. This increased the importance of colonies, and war became a major issue. It was a war fought between newly emerging imperialist and old imperialist countries for the redistribution of colonies. At that time, anti-imperialist revolutionary political ideology in India was quite weak, the working class was unorganized and lacked its own political party. Although the Russian Revolution of 1917 had successfully concluded before the war, the British imperialists prevented its political influence from reaching India. Nevertheless, despite its weak role in the national movement, the working class opposed the war, calling it a war of exploiters on both sides. However, this opposition could not influence the ideology of the national movement.

The Congress, which led the national movement at that time, was a political party solely representing the interests of the national bourgeoisie and had not yet achieved any polarization within itself based on left ideology to oppose imperialism. The war had presented India with an opportunity for Indian capital to enter industry and earn profits.

Therefore, Gandhi, a staunch supporter of the Congress, later realized his mistake and admitted in his own trial statement that "these attempts to serve the British Empire were wrong." Behind all my efforts were my belief that through such services I would be able to achieve a position of complete equality for the people of my country." But during the Second World War, neither India's situation was like that of the First World War nor was imperialism in its same position; the situations of both had changed qualitatively. Regarding 18th-century India, Macaulay described British rule in India as engaged in a "great and immense task," namely, "the reconstruction of a decayed society." Macaulay saw India of the past as merely an "undefended" empire over which "Alarics and Aditalas were rapidly ascending one after another," but due to the self-satisfied optimism of his time, he failed to realize that British rule in India at that time was decaying ancient Indian society far more rapidly than Alarics and Attilas; it was destroying with far greater force the centuries-old Indian way of life and the entire ancient foundation of Indians. Macaulay's exaggerated picture of the chaos and terror that prevailed in 18th-century India, before British rule, is juxtaposed with Churchill's quote from his description of Europe in 1914-18: "When all was lost, persecution and cannibalism were the only means by which civilized, scientific, Christian states could survive, and their usefulness was doubtful." The picture of India that Macaulay presented was not only transformed but inverted during the Second World War. A comment on this has rightly been made that imperialism itself is now in a state of decay, and the recent experience of France has vividly revealed the glaring vision of a "rotten society" haunted by the nightmare of the rapid ascension of the "Alarics" and "Athilas," trampling European culture underfoot. The people of the world have made considerable progress towards liberation from

imperialism, fascism and reactions, and the Indian people are moving forward rapidly to take their rightful place by joining this journey of development.

References

1 D.G. Tendulkar, Mahatma, Bho. 2, p. 82

2. K. Antonova, G. Bogard-Levin, G. Krotovsky, A History of India, Book 2, Progress Publishers, Moscow, p. 168

3. Louis Fischer, The Life of Mahatma Gandhi, pp. 219; M. Farooqui, Our Freedom Struggle and the Communist Party of India, pp. 26-27

4. Gandhi's statement given in a trial in 1922

5. Jawaharlal Nehru's speech as President of the Congress in Lucknow, 1936

6. Rajani Pam Dutt, India Today, Macmillan India, 1985, p. 523

7. Election manifesto adopted by the Faizpur Congress session of December 1936

8. Report of the General Secretary to the Haripura Session of the Congress, 1938

9. The Times, March 9, 1937

10. Prof. Bipin Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K.N. Pannikar, Sucheta Mahajan, India's Freedom Struggle, Directorate of Hindi Medium Implementation, University of Delhi, 1955, p. 340

11. International Press Correspondence, February 28, 1927 and Selected Works of Jawaharlal Nehru, Vol. 2, p. 284

12. Rajani Pam Dutt, India Today, Macmillan India, 1985, p. 553

13. Tilak's letter to Clemens, President of the Peace Conference, Versailles Peace Conference, 1919

14. Prof. A.B. Creeth, Constitutional History of India, London, pp. 472-73

15. Resolutions passed in support of the Chinese liberation movement in the Congress sessions from 1925 to 1927, debates and resolutions passed on China and India at the founding conference of the League Against Imperialism held in Brussels, etc. 152 153

16. Resolution passed at the Faizabad session of the Congress, December 1936

17. Ratified at the Tripuri session of the Congress (Spring 1938)

18. Major Wingate, Our Financial Relations with India, 1859, p. 17

19. Mr. N. Curzon, Proclamations of the Far East, 1894, pp. 9-10

20. Central Party Archive, Institute of Marxism-Leninism, Moscow 495/18/1135/2

21. Statement of the Congress Working Committee, September 14, 1939

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 80-93

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बचपन : व्यवहार, शिक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

संदीप सैनी
सीनियर रिसर्च फेलो, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
प्रो. ध्रुव कुमार त्रिपाठी
विद्यांत हिंदू पी. जी. कॉलेज, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

सारः-

वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सभी वयस्क एवं बच्चों के जीवन में एक अभिन्न अंग बन चुके है। शैक्षणिक परिदृश्य से देखा जाए तो इन संसाधनों के माध्यम से बच्चों में त्वरित जानकारी, ऑनलाइन शिक्षा और इंटरैक्टिव लर्निंग के साथ ही ज्ञानार्जन में सहायता मिलती तो वही दूसरी तरफ अत्यधिक समय स्क्रीन के संपर्क में रहने के कारण बच्चों में ध्यान की एकाग्रता, पठन-पाठन में अरूचि, एवं रचनात्मकता पर प्रतिकूल असर और मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखने को मिलते है। (सुडंस, एम. एवं सेतियानी, दियर.) ने अपने अध्ययन में पाया कि गैजेट्स जैसे- स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेबलेट, और विडियो गेम्स बच्चों की दैनिक दिनचर्या, शिक्षा और सामाजिक व्यवहार को अधिक प्रभावित करते है। इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य गैजेट्स के उपयोग से बच्चों के व्यवहार, सीखने की क्षमता, पारिवारिक संबधों एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को जानना है। इस अध्ययन हेतु अन्वेषणात्मक अनुसंधान पद्धति एवं उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है, वही प्राथमिक आँकड़ों का संकलन गूगल फार्म संरचित प्रश्नावली सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से 1-10 वर्ष आयु बच्चों के अभिभावको से तथ्यों का संकलन व सांख्यिकीय विधियों से विष्लेषण तथा द्वितीयक स्त्रोतों- शोध जर्नल्स, समाचार प्रपत्रों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिर्पोट इत्यादि का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष बच्चों में गैजेट्स के उपयोग से होने वाली शारीरिक, व मानसिक समस्याओं, सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक संबंधों, शैक्षणिक प्रभावों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास है।

मुख्य शब्द- इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बच्चें, शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य।

पृष्टभूमि

आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, टेलीविजन और वीडियो गेम बच्चों के जीवन का अभिन्न

हिस्सा बन चुके हैं। इन गैजेट्स से जहाँ बच्चों, किशोर, युवा, एवं व्यस्क स्त्री/पुरूष, के जीवनचर्या में गैजेट्स पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ने के साथ ही वो अपने दैनिक जीवन के कार्यो को भी सरलतापूर्वक करने और मंनोरंजन के रूप में उपयोग करते है। अगर इन गैजेट्स का अत्यधिक प्रभाव देखा जाये तो वो सबसे अधिक बच्चो एवं किशोरों में शिक्षण अभिक्षमता, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास में अधिक देखने को मिलता है। जहाँ तकनीकी प्रगति ने शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में नई संभावनाएँ अवश्य प्रदान की हैं, वहीं इन उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से बच्चों के व्यवहार, शैक्षणिक प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। बचपन जो सीखने, सामाजिकता, और भावनात्मक विकास का सबसे संवेदनशील चरण होता है वह अब डिजिटल स्क्रीन के प्रभाव से अछूता होता जा रहा है, आज के बच्चे पारंपरिक खेलों की बजाय स्क्रीन-आधारित गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करते हैं। जिससे उनकी सामाजिक सहभागिता, ध्यान केंद्रण, और रचनात्मकता प्रभावित हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल टूल्स ने सीखने की प्रक्रिया को आसान तो बनाया, परंतु इसके साथ ही बच्चों में एकाग्रता की कमी, आक्रामकता, चिंता, अवसाद जैसी मानसिक समस्याएँ भी उभर रही हैं।

इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बच्चों के **व्यवहारिक विकास, शैक्षिक प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य** पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है— सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टियों से। यह अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह भी विश्लेषित करेगा कि परिवार, विद्यालय और समाज किस प्रकार बच्चों के डिजिटल उपयोग को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, टी.वी. इत्यादि में वीडियो गेम बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे है। षोध सर्वेक्षणों में पाया गया कि सम्पूर्ण विश्व एवं भारत देष में 93 प्रतिशत लोगो में से इलेक्ट्रानिक गैजेट्स व इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 73 प्रतिशत है जिसमें बच्चों की संख्या अधिक है। मानव को अपना जीवन बिना इलेक्ट्रानिक गैजेट्स के अकाल्पनिक लगता है, अर्थात ऐसा लगता है कि यदि ये इलेक्ट्रानिक गैजेट्स हमारे जीवन से हटा लिए जाए तो हमारे जीवन में कुछ शेष नही बचता है। जैसे- स्मार्टफोन शादी-ब्याह या किसी अन्य अवसर पर जीवन का एक अभिन्न अंग रहता है, इनको हम आज के वर्तमान परिदृष्य में जन-जीवन में कहीं भी देख सकते है। समाज में स्मार्टफोन के उपयोग के स्वस्थ तरीकों को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है, साथ ही मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में दोस्ती और पारिवारिक जुड़ाव के महत्व को भी बढ़ावा देना चाहिए। चिकित्सकों को इन नए विकारों के बारे में खुद को अपडेट रखना चाहिए और युवा पीढ़ी को गैजेट के उपयोग की एर्गोनोमिक प्रथाओं और स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में पर्याप्त रूप से शिक्षित करने की आवश्यकता है। **(कुएवर, एलिसन 2015)** ने अपने शोधकार्य यू0एस0 में यह पाया कि 9-13 वर्ष आयु के बच्चों में स्कूलों के शैक्षणिक व्यवस्था के कारण मानसिक विकार संबंधी समस्याओं से शिकार हो रहे है, और नेशनल सर्वे ऑफ चिल्ड्रेन हेल्थ 2007 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बच्चें अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसआर्डर (ADHD) से 03-17 वर्ष के आयु अन्तराल में 6.8 प्रतिशत, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर से 03-17 वर्ष के आयु अन्तराल में 1.1 प्रतिशत मानसिक विकार संबंधी समस्या से शिकार थे। **(सुहाना, एम. 2017)** के अनुसार इण्डोनेशिया के बच्चों में

सामाजिक भावनात्मक विकास से गैजेट्स के प्रभावों का अध्ययन किया और यह तर्क दिया, कि इलेक्ट्रानिक गैजेट्स का उपयोग बच्चों के सामाजिक जीवन और भावनात्मक प्रबंधन में कमी लाता है। जिसके फलस्वरूप बच्चे एक दूसरे से संचार संप्रेषण में अपने आप को असहज महसूस करते है, और बच्चों में अंतर्मुखी एवं अधीर, पारम्परिक समस्या, पारस्परिक संचार कौशल विकास में बाधा उत्पन्न होती है। **(राद्लिया, एवं अन्य 2017)** आजकल इलेक्ट्रानिक गैजेट्स उपयोगकर्ताओं में केवल व्यस्क और किशोर ही शामिल नहीं बल्कि जो बच्चे अभी प्लेग्रुप और के०जी० में है वह भी इलेक्ट्रानिक गैजेट्स से भंली-भांति परिचित हो जाते है। छोटे बच्चें स्मार्टफोन, लैपटॉप, आदि में स्क्रीनलॉक खोलकर विडियों गेम ऐप्लिकेशन, यूट्यूब, सोशल मीडिया की साइट पर आसानी से पहुँचकर उसी में अपने आप को संलग्न किए रहते है और अगर छोटे बच्चों से उनके अभिभावक अगर स्मार्टफोन व अन्य गैजेट्स को उनके हाथों से छिन ले तो बच्चे उपद्रव करने के साथ-साथ रोना-चिल्लाना, घर की चीजों का तोड़फोड़ करना शुरू कर देते है और पूरे घर में आफत मचा देते है जिससे बच्चो को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वही कुछ बच्चो में इलेक्ट्रानिक गैजेट्स के माध्यमों से शैक्षणिक विडियों समाग्री के द्वारा अपने पठन-पाठन के कार्यो को आसानी से करना सीख जाते है जैसे उपकरणों में रंग भरना, साहसिक गेम, पहेलियाँ, अक्षर पढ़ना-लिखना, सीखना आदि बच्चों में गैजेट्स के प्रति रूचि पैदा करते है। **(नुरूल हदीराह, 2022)** ने मलेशिया के शोध अध्ययन में इलेक्ट्रानिक गैजेट्स के उपयोग से संबंधित जब बच्चों के माता-पिता, स्कूल अध्यापकों, के अलावा बच्चों की देखभाल करने वाले केयर टेकर आदि, से साक्षात्कार के माध्यम से पता चला कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के साथ ही सामाजिक विकास में भी इलेक्ट्रानिक गैजेट्स सहायक है, लेकिन बच्चों को बिना उचित दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण बच्चे पूरा दिन इलेक्ट्रानिक गैजेट्स के उपयोग से उनमें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे- मोटापा, नींद पूरी नहीं होना, चिड़चिड़ापन आदि भी अधिक देखने को मिली है। **(सोरफीना, धनिया एवं अन्य 2020)** ने अपने शोध अध्ययन मलेशिया के ऑटिस्टिक एवं इलेक्ट्रानिक स्क्रीन एक्सपोजर से प्रभावित 120 बच्चों के परिवार से क्रॉस अनुभागीय अध्ययन किया, इस शोधकार्य का उद्देश्य बच्चों द्वारा इलेक्ट्रानिक स्क्रीन एक्सपोजर और ऑटिस्टिक के लक्षणों से प्रभावित बच्चों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। बच्चे इलेक्ट्रानिक गैजेट्स एवं टाइम स्क्रीन एक्सपोजर के उपयोग के कारण इंटरैक्टिव क्षमता, संवेदी अधिभार का अभाव देखा गया है, और स्क्रीन मीडिया से बच्चों में ऑटिज्म का जोखिम एवं अन्य समस्याओं जैसे-अवसाद, एकाग्रता, शारीरिक विकास, मानसिक विकास में बाधा बन रही है। साथ ही 0-2 वर्ष आयु के बच्चों को गैजेट्स के स्क्रीन टाइम उपयोग के लिए प्रतिदिन 3 घण्टे से कम उपयोग करने के पक्ष में निर्देश देने भी बात की गयी। वही अन्य 2015 में किए गए अध्ययन में देखने को मिला कि प्रति 1000 बच्चों में से 14.5 प्रतिशत बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर के शिकार हुए। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि इलेक्ट्रानिक गैजेट्स अभिभावकों की बच्चों के प्रति उन्मुखता शिक्षण व्यवस्था इत्यादि के कारण बच्चे मानसिक स्वास्थ्य समस्या से अधिक प्रभावित हो रहे है जो आज के समय में एक गम्भीर चिंता का विषय है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में समाजशास्त्रीय सिद्धांत जी.एच.मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया। जिससे यह जानने का प्रयास किया गया कि इलेक्ट्रानिक गैजेट्स स्मार्टफोन, टी.वी. आदि के द्वारा चलचित्र कार्टून के पात्रो, रंगों, भाषा ध्वनियों, संकेतो चित्रों आदि प्रतीको

के अर्थ को समझकर बच्चे किस प्रकार प्रतिक्रिया करते एवं ऑटिस्टिक बच्चों में इन प्रतीकों के माध्यम ऑटिस्टिक सेंटर में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इन बच्चों के सामाजीकरण की प्रक्रिया और उनके उपचार के लिए किन-किन प्रतीको की सहायता लेते है। प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया (Symbolic Interaction) जार्ज हरबर्ट मीड (1934) Mind Self & Society में इसे एक सूक्ष्म स्तरीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत मानते है, जो मौखिक एवं गैर-मौखिक मानवीय संप्रेषण और प्रतिदिन प्रतीको (जैसे- शब्दों, संकेतो, हाव-भाव, चित्रों) आदि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अर्थो को समझने और सूचनाओ के अदान-प्रदान से संबंधित है। हरबर्ट मीड का कथन है कि स्व का विकास अपने आप नही होता बल्कि इसका विकास सामाजिक प्रक्रिया अर्थात जब समाज में रहने वाले लोगो से अंतःक्रिया करने से होता है, वही माइंड का विकास स्वतः यानी शारीरिक विकास से होता है। मीड ने स्व के विकास को तीन चरणो में बताया है जो 1. अनुकरणात्मक चरण (0-2 वर्ष) जिसमे बच्चा लोगो के व्यवहार का अनुसरण करता 2. खेल का चरण (2-6 वर्ष) जिसमें बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं व लोगो को देखकर उसी तरह रोल निभाने की कोशिश करता जिससे उसके समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने लगती 3. गेम स्टेज का चरण (7 वर्ष से ऊपर) इसमें बच्चे का स्व पूर्णरूप से विकसित हो जाता और वह भूमिकाओं को ग्रहण करने कि कोशिश करने लगता। स्व के विकास कि दूसरी अवस्था में बच्चों में गैजेट्स के अधिक उपयोग के कारण उन बच्चों में मानसिक विकास की समस्या समाज में अधिक देखने को मिल सकती है।

अध्ययन की प्रासंगिकता

प्रस्तुत शोध अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का अत्यधिक उपयोग बच्चों में ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, सामाजिक अलगाव और भावनात्मक असंतुलन जैसी समस्याओं को जन्म देता है साथ ही माता-पिता, शिक्षकों और नीति-निर्माताओं को बच्चों के लिए संतुलित डिजिटल उपयोग की रणनीतियाँ विकसित करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अध्ययन बच्चों में तनाव, चिंता, नींद संबंधी समस्याओं, एकाग्रता में कमी तथा सामाजिक कौशल के विकास पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रभावों को समझने में सहायक सिद्ध होगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह शोध परिवार, विद्यालय और सामाजिक परिवेश में हो रहे परिवर्तनों को समझने तथा बाल विकास से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में उपयोगी होगा। इस प्रकार यह अध्ययन अकादमिक, सामाजिक और व्यावहारिक तीनों स्तरों पर प्रासंगिक है।

उद्देश्य

गैजेट्स के उपयोग से बच्चों के व्यवहार, सीखने की क्षमता, पारिवारिक संबधों एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को जानना है।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन में अन्वेषणात्मक तथा वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प तथा मिश्रित अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के लिए लखनऊ नगर स्थित समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (सी.आर.सी.) को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया। अनुसंधान हेतु 1-10 वर्ष की आयु वाले ऑटिज्म ग्रसित बच्चों को इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया। निर्दशन पद्धति के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का उपयोग करते हुए सी.आर.सी. केंद्र पर पंजीकृत कुल 60 ऑटिज्म ग्रसित बच्चों में से लगभग 50 प्रतिशत का चयन आकस्मिक\ सुविधाजनक निर्दशन विधि द्वारा किया गया। तथ्य संकलन के लिए चयनित बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावकों से व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से डेटा संकलित किया गया। संकलित तथ्यों का विश्लेषण SPSS सॉफ़्टवेयर पैकेज के माध्यम से किया गया, जिसमें दो चरों के मध्य क्रॉस-टैबुलेशन तकनीक का प्रयोग किया गया और परिणामों को सारणियों एवं ग्राफ के माध्यम से विश्लेषित एवं प्रदर्शित किया गया।

परिणाम एवं चर्चा

प्रस्तुत शोधपत्र लखनऊ नगर स्थित समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (सी.आर.सी.) में पंजीकृत ऑटिज्म ग्रसित बच्चो के माता पिता से साक्षात्कार अनुसूची के माधयम के प्राप्त अनुभवजन्य निष्कर्षों को प्रस्तुत एवं व्याख्या करता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बच्चों के व्यवहार, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य (न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर) पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अध्ययन से पता चलता है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है — वे अधिक चिड़चिड़े, एकाकी और ध्यान भंग होने वाले हो जाते हैं, प्राप्त निष्कर्षो को सारणी एवं चार्ट के माध्यम प्रदर्शित किया गया है।

सारणी:-1 उत्तरदाताओं का लिंग

बच्चे का लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
पुरुष	20	62.5
महिला	12	37.5
कुल	**32**	**100.0**

(स्तोत्र:- प्राथमिक डाटा)

चार्ट:-1

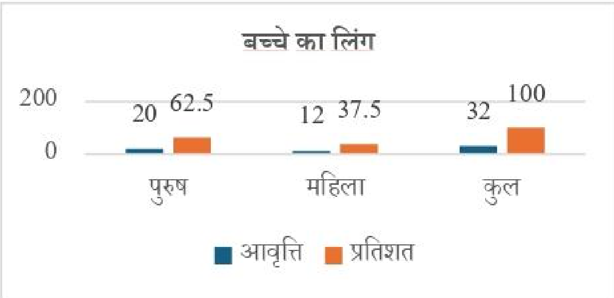

प्रस्तुत सारणी संख्या-1 से यह प्रदर्शित होता है कि इस अध्ययन में कुल 32 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है, जिनमें 20 (62.5 प्रतिशत) पुरुष और 12 (37.5 प्रतिशत) महिला हैं। यह वितरण दर्शाता है कि नमूने में लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में अधिक है, अर्थात लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है।

सारणी:- 2 बच्चे की उम्र एवं स्मार्टफोन में अंतर्संबंध

स्मार्टफोन			
बच्चे की उम्र	हां	नहीं	कुल
1-3 वर्ष	4	2	**6**
4-6 वर्ष	18	0	**18**
7-10 वर्ष	8	0	**8**
कुल	**30**	**2**	**32**

(स्तोत्र:- प्राथमिक डाटा)

प्रस्तुत तलिका संख्या-2 से यह प्रदर्शित होता है कि इस अध्ययन में कुल 32 उत्तरदाताओं में से 1–3 वर्ष आयु वर्ग के कुल 6 बच्चों में से 4 बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करते, जबकि 2 बच्चे स्मार्टफोन उपयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं, 4–6 वर्ष आयु समूह में सभी 18 बच्चे तथा 7–10 वर्ष समूह के सभी 8 बच्चे स्मार्टफोन उपयोगकर्ता पाए गए, अनुसंधान यह दर्शाता है कि 0–6 वर्ष की आयु में अत्यधिक स्क्रीन-समय भाषा विकास, संज्ञानात्मक क्षमताओं, ध्यान अवधि और सामाजिक-भावनात्मक कौशल पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, साथ ही नींद में व्यवधान, चिड़चिड़ापन और व्यवहारगत समस्याओं की संभावना बढ़ा सकता है। इस प्रकार यह तालिका संकेत करती है कि बहुत कम उम्र से ही बच्चों के बीच स्मार्टफोन उपयोग सामान्य हो चुका है, जिसके कारण अभिभावकों, शिक्षकों और नीति-निर्माताओं के लिए स्क्रीन-टाइम नियमन, अभिभावक-शिक्षा तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से संतुलित डिजिटल-नीति तैयार करना अत्यावश्यक हो गया है।

सारणी:- 3 बच्चे की उम्र एवं में आईपैड/टेबलेट अंतर्संबंध

आईपैड/टेबलेट			
बच्चे की उम्र	हां	नहीं	कुल
1-3 वर्ष	0	6	**6**
4-6 वर्ष	3	15	**18**
7-10 वर्ष	0	8	**8**
कुल	**3**	**29**	**32**

(स्तोत्र:- प्राथमिक डाटा)

चार्ट:-2

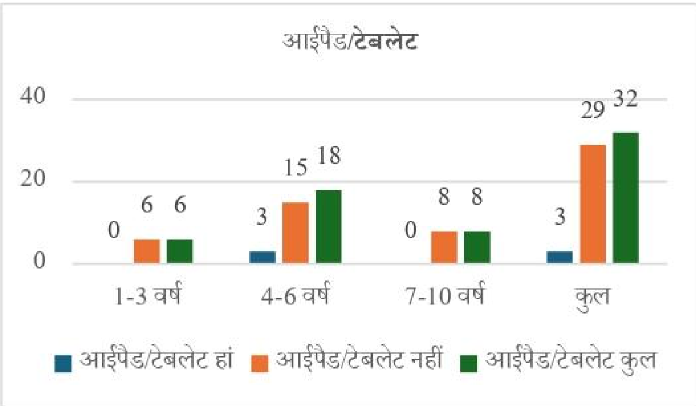

प्रस्तुत तलिका संख्या-3 से यह प्रदर्शित होता है कि इस अध्ययन में कुल 32 उत्तरदाताओं में से 1-3 वर्ष के 6 बच्चे आईपैड/टैबलेट का उपयोग नहीं करते तथा जबकि 4-6 वर्ष के समूह में 18 में से 3 बच्चों ने उपयोग की पुष्टि की है, जबकि 15 बच्चे आईपैड/टैबलेट का उपयोग नहीं करते। वही 7-10 वर्ष के सभी बच्चे आईपैड/टैबलेट का उपयोग नहीं करते, जो कुल नमूने में डिजिटल उपकरणों की बहुत कम प्रसार-दर को दर्शाता है। अतः प्रस्तुत परिणाम किसी विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा आर्थिक संदर्भ की ओर संकेत नहीं करता हैं।

सारणी:- 4 बच्चे की उम्र एवं में लैपटॉप अंतर्संबंध

चार्ट:-3

लैपटॉप			
बच्चे की उम्र	हां	नहीं	कुल
1-3 वर्ष	1	5	**6**
4-6 वर्ष	2	16	**18**
7-10 वर्ष	2	6	**8**
कुल	**5**	**27**	**32**

(स्तोत्र:- प्राथमिक डाटा)

प्रस्तुत तलिका संख्या-4 से यह प्रदर्शित होता है कि इस अध्ययन में कुल 32 उत्तरदाताओं में से केवल 5 बच्चों ने लैपटॉप के उपयोग को हाँ के रूप में दर्ज किया है, जबकि 27 बच्चों ने नहीं कहा है, जो यह दर्शाता है कि इस आयु-वर्ग में लैपटॉप उपयोग की समग्र प्रसार-दर बहुत कम है। 1–3 वर्ष की आयु में 6 में से केवल 1 बच्चा लैपटॉप का उपयोग करता है, 4–6 वर्ष में 18 में से 2 बच्चे, और 7–10 वर्ष में 8 में से 2 बच्चे लैपटॉप उपयोगकर्ता हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आयु बढ़ने के साथ उपयोग में हल्की वृद्धि तो दिखती है, परंतु अधिकांश बच्चे अभी भी लैपटॉप के प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता नहीं हैं।

सारणी:- 5 बच्चे की उम्र एवं एंड्राइड टी.वी.में अंतर्संबंध

चार्ट:-4

एंड्राइड टी.वी.			
बच्चे की उम्र	हां	नहीं	कुल
1-3 वर्ष	3	3	**6**
4-6 वर्ष	9	9	**18**
7-10 वर्ष	7	1	**8**
कुल	**19**	**13**	**32**

(स्तोत्र:- प्राथमिक डाटा)

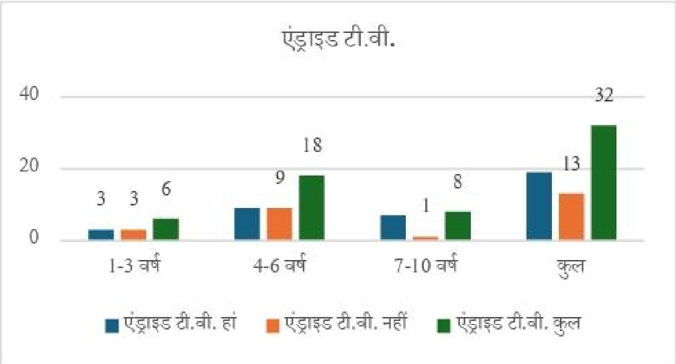

प्रस्तुत तलिका संख्या-5 से यह प्रदर्शित होता है कि इस अध्ययन में कुल 32 उत्तरदाताओं से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, 1–3 वर्ष की आयु वर्ग में एंड्रॉयड टीवी देखने वाले और न देखने वाले बच्चों की संख्या समान (3-3) पाई गई। वही 4–6 वर्ष के बच्चों में भी समान स्थिति देखी गई, जहाँ 9 बच्चे टीवी देखते हैं और 9 नहीं देखते। और 7–10 वर्ष के आयु वर्ग में 7 बच्चे एंड्रॉयड टीवी देखते हैं, जबकि केवल 1 बच्चा नहीं देखता। समग्र रूप से देखा जाए तो 32 बच्चों में से 19 बच्चे एंड्रॉयड टीवी देखते हैं, जबकि 13 नहीं। इस प्रकार लगभग 59 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से एंड्रॉयड टीवी का उपयोग करते हैं। यह प्रवृत्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि आधुनिक युग में छोटे बच्चे भी तेजी से स्क्रीन-आधारित मनोरंजन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अतः अभिभावकों के लिए आवश्यक है कि वे बच्चों की उम्र और विकास स्तर के अनुसार उनके स्क्रीन-समय को संतुलित और नियंत्रित रखें।

चार्ट:-5 बच्चे की उम्र एवं परिवार में किसका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सर्वाधिक प्रयोग करता है।

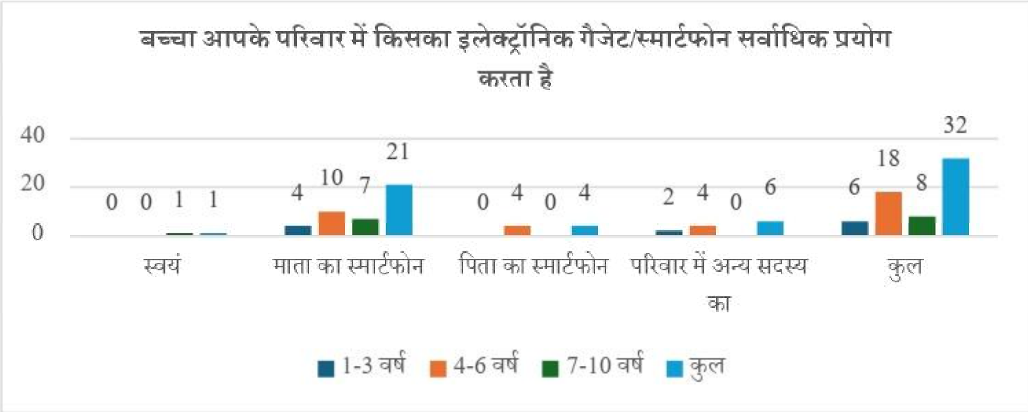

(स्तोत्र:- प्राथमिक डाटा)

प्रस्तुत चार्ट संख्या:- 5 में बच्चों की आयु के अनुसार यह दर्शाया गया है कि 1-3 वर्ष की आयु के बच्चों में किसी ने स्वयं का स्मार्टफोन प्रयोग नहीं किया, जबकि अधिकांश 4 बच्चों ने माता के स्मार्टफोन का उपयोग किया और 2 बच्चों ने अन्य पारिवारिक सदस्य का और 4-6 वर्ष के आयु वर्ग में भी यही प्रवृत्ति बनी रही, जहाँ 10 बच्चों ने माता का, 4 ने पिता का और 4 ने अन्य परिवारजन का स्मार्टफोन प्रयोग किया। वही 7-10 वर्ष की आयु के समूह में एक बच्चे ने अपना स्वयं का स्मार्टफोन उपयोग किया, जबकि सात बच्चों ने माता के स्मार्टफोन का प्रयोग किया। कुल मिलाकर 32 बच्चों में से 21 बच्चों ने माता का स्मार्टफोन सर्वाधिक प्रयोग किया, जो कि लगभग 65.6 प्रतिशत है।

चार्ट:-6 बच्चे की उम्र एवं स्क्रीन पर समय

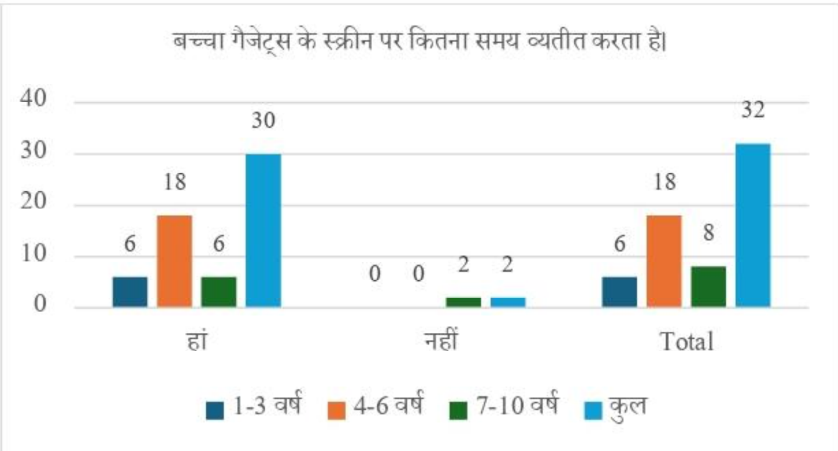

(स्तोत्र:- प्राथमिक डाटा)

प्रस्तुत चार्ट संख्या:- 6 में प्रदर्शित आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कुल 32 उत्तरदाताओं में से 1-3 वर्ष के 6 बच्चों में 0-1, 2-3 और 4-5 घंटे की प्रत्येक श्रेणी में 2-2 बच्चे पाए गए, जो एक समतल वितरण को प्रदर्शित करता है। जबकि इस आयु वर्ग के लिए अधिकांश स्वास्थ्य दिशानिर्देश 0-1 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम को अनुचित मानते हैं। वही 4-6 वर्ष के समूह में कुल 18 बच्चों में से 8 बच्चे 4-5 घंटे वाली श्रेणी में हैं, जो इस आयु वर्ग में अत्यधिक स्क्रीन प्रयोग की उच्चता और अनुशंसित मानकों से स्पष्ट विचलन को रेखांकित

करता है, और 7-10 वर्ष के 8 बच्चों में 4-5 घंटे के स्क्रीन टाइम वाले 2 बच्चे दर्ज किए गए हैं। जबकि इस आयु वर्ग के लिए भी प्रतिदिन लगभग 2 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम को मोटापा, नींद में कमी और ध्यान संबंधी समस्याओं जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तालिका में दर्शाए गए कई बच्चों का स्क्रीन टाइम स्वास्थ्य मानकों से काफी ऊपर है।

सारणी:- 6 बच्चे की उम्र एवं क्या बच्चें के व्यवहार में स्क्रीन समय परिवर्तन।

क्या बच्चें के व्यवहार में स्क्रीन समय के दौरान कोई परिवर्तन देखने को मिलता है।			
बच्चे की उम्र	हां	नहीं	कुल
1-3 वर्ष	6	0	**6**
4-6 वर्ष	18	0	**18**
7-10 वर्ष	6	2	**8**
कुल	**30**	**2**	**32**

(स्तोत्र:-प्राथमिक डाटा)

प्रदर्शित सारणी:- 6 में आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुल 32 बच्चों में से 30 बच्चों में स्क्रीन समय के दौरान व्यवहार में परिवर्तन देखा गया, जबकि केवल 2 बच्चों में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया, जो लगभग 93.75 प्रतिशत की बहुत उच्च प्रतिशतता को दर्शाता है। वही 1-3 वर्ष और 4-6 वर्ष के आयु-समूह में सभी बच्चों क्रमशः 6 में से 6 और 18 में से 18 में व्यवहारिक परिवर्तन दर्ज किए गए, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्क्रीन एक्सपोज़र के प्रति संवेदनशीलता अत्यधिक है। और 7-10 वर्ष के समूह में 8 में से 6 बच्चों (75प्रतिशत) में व्यवहार परिवर्तन और 2 में कोई परिवर्तन न होना इस ओर संकेत करता है कि बड़े बच्चों में कुछ हद तक अनुकूलन क्षमता या स्क्रीन उपयोग के प्रकार और अवधि में विविधता हो सकती है।

सारणी:- 7 बच्चे की उम्र एवं चिड़चिड़ापन

चिड़चिड़ापन			
बच्चे की उम्र	हां	नहीं	कुल
1-3 वर्ष	3	3	**6**
4-6 वर्ष	13	5	**18**
7-10 वर्ष	3	5	**8**
कुल	**19**	**13**	**32**

(स्तोत्र:-प्राथमिक डाटा)

प्रस्तुत सारणी संख्या-7 से यह प्रदर्शित होता है कि इस अध्ययन में कुल 32 बच्चों में से 19 बच्चों में चिड़चिड़ापन पाया गया, जो लगभग

59 प्रतिशत का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात है। 1-3 वर्ष के 6 बच्चों में चिड़चिड़ापन और न होने की संख्या समान (3-3) है, जिससे इस आयु–समूह में चिड़चिड़े और गैर–चिड़चिड़े बच्चों का वितरण संतुलित प्रतीत होता है। इसके विपरीत, 4-6 वर्ष के 18 बच्चों में से 13 में चिड़चिड़ापन दर्ज किया गया, जो लगभग 72 प्रतिशत के आसपास का अनुपात है, दूसरी ओर 7-10 वर्ष के आयु–समूह में 8 बच्चों में से केवल 3 बच्चों में चिड़चिड़ापन पाया गया। जिससे अनुमान होता है कि जैसे–जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चों में भावनात्मक नियंत्रण और आत्म–नियमन क्षमता विकसित होने के कारण चिड़चिड़ापन अपेक्षाकृत कम हो जाता है।

सारणी:- 8 बच्चे की उम्र एवं अनदेखा करना चार्ट:-7

अनदेखा करना			
बच्चे की उम्र	हां	नहीं	कुल
1-3 वर्ष	4	2	**6**
4-6 वर्ष	17	1	**18**
7-10 वर्ष	4	4	**8**
कुल	**25**	**7**	**32**

(स्तोत्र:-प्राथमिक डाटा)

प्रदर्शित सारणी संख्या-8 आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुल 32 बच्चो में से 7 बच्चो के व्यवहार में स्क्रीन समय के दौरान अनदेखा करना नहीं और 25 अनदेखा करते है, जिसमे 1-3 वर्ष के आयु समूह में व्यवहार में स्क्रीन समय के दौरान अनदेखा करना हाँ में 4 बच्चे और 2 बच्चो के अभिभावकों ने नही में प्रतिउत्तर दिया है। वही 4–6 वर्ष के मध्य आयु समूह में यह अंतर अत्यधिक बढ़ जाता है, जहाँ 17 अनदेखा करने के पक्ष में और केवल 1 उत्तरदाता अनदेखा नहीं करने को, तथा 7-10 वर्ष के आयु समूह में हाँ और नही दोनों की संख्या 4-4 समान है, जो अपेक्षाकृत संतुलित प्रवृत्ति को दर्शाता है। और यह संकेत देता है कि इस उम्र में, जब बच्चा अधिक विद्यालय उन्मुख और स्वायत्त होता है, तब अभिभावक उसकी आवश्यकताओं और व्यवहार के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सजग और उत्तरदायी दिखाई देते हैं।

सारणी:- 9 बच्चे की उम्र एवं अकेले बैठने के लिए जगह ढूढ़ना चार्ट:-8

अकेले बैठना/(अकेले बैठने के लिए जगह ढूढ़ना)			
बच्चे की उम्र	हां	नहीं	कुल
1-3 वर्ष	1	5	**6**
4-6 वर्ष	10	8	**18**
7-10 वर्ष	2	6	**8**
कुल	**13**	**19**	**32**

(स्तोत्र:-प्राथमिक डाटा)

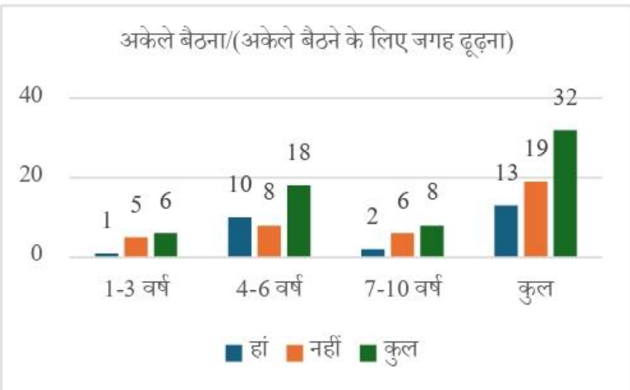

प्रदर्शित सारणी संख्या-9 के अनुसार कुल 32 बच्चों में से 19 बच्चे (लगभग 59 प्रतिशत) ऐसे पाए गए जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के स्क्रीन उपयोग के समय अकेले बैठना पसंद नहीं करते, जबकि 13 बच्चे (लगभग 41 प्रतिशत) ऐसे हैं जो स्क्रीन उपयोग के समय अकेले बैठना पसंद करते हैं। 1-3 वर्ष के आयु-समूह में 6 में से 5 बच्चे स्क्रीन उपयोग के समय अकेले बैठना पसंद नहीं करते हैं। वही 4-6 वर्ष के आयु-समूह में 18 में से 10 बच्चे स्क्रीन उपयोग के समय अकेले बैठना पसंद नहीं करते हैं, और 7-10 वर्ष के आयु-समूह में 8 बच्चों में से केवल 2 बच्चे स्क्रीन उपयोग के समय अकेले बैठना पसंद करते हैं जो अपेक्षाकृत कम है। और यह इंगित करता है कि इस आयु में केवल विकासात्मक आयु ही नहीं, बल्कि कक्षा-नियम, शिक्षण-संरचना, साथियों का प्रभाव और सामाजिक अपेक्षाएँ भी बच्चों के व्यवहार को आकर देती है।

सारणी:- 10 बच्चे की उम्र एवं सामान्य दिनचर्या (स्क्रीन से दूर) के दौरान बच्चे का व्यवहार

सामान्य दिनचर्या (स्क्रीन से दूर) के दौरान बच्चे का व्यवहार कैसा रहता है।		
प्रतिक्रिया	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
पढ़ाई करना	2	6.3
दोस्तो के साथ खेलना/(भौतिक क्रियाएं)	13	40.6
दादा-दादी के साथ समय बिताना	4	12.5
अन्य	10	31.3
लागू नहीं	3	9.4
कुल	**32**	**100.0**

(स्तोत्र:-प्राथमिक डाटा)

प्रस्तुत सारणी:- संख्या 10 के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य दिनचर्या के दौरान, जब बच्चे स्क्रीन से दूर रहते हैं तो उनमें से अधिकांश (40.6 प्रतिशत) बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलना या अन्य भौतिक गतिविधियों में भाग लेना पसंद करते हैं। और लगभग 12.5 प्रतिशत बच्चे दादा-दादी या परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक जुड़ाव और अंतरपीढ़ी संवाद बच्चों के भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं 31.3 प्रतिशत बच्चों ने अन्य श्रेणी में अपनी गतिविधियाँ बताई जो यह दर्शाता है कि वे रचनात्मक कार्यों जैसे चित्रकारी, संगीत, कहानी सुनना या घर के कार्यों में सहायता करना जैसी विविध गतिविधियों में संलग्न होते हैं। और केवल 6.3 प्रतिशत बच्चे ही स्क्रीन से दूर रहते हुए अध्ययन संबंधी कार्य करते पाए गए जो इस बात की ओर संकेत करता है कि बिना डिजिटल माध्यम के शिक्षण या अध्ययन में बच्चों की रुचि अपेक्षाकृत कम है। इसके अतिरिक्त 9.4 प्रतिशत बच्चों का व्यवहार इस अध्ययन के लिए लागू नहीं के रूप में दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्क्रीन से दूर रहने पर बच्चे मुख्यतः सामाजिक, खेलकूद और पारिवारिक गतिविधियों में समय व्यतीत करते हैं जो संतुलित विकास के लिए उपयोगी हैं।

सारणी:- 11 बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से किसी प्रकार की शारीरिक स्वास्थय समस्या हुई।

बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से किसी प्रकार की शारीरिक स्वास्थय समस्या हुई।				
स्मार्टफोन	आंखो का कमजोर होना	नींद की समस्या	लागू नहीं	कुल
हाँ	3	12	17	**32**
नहीं	0	0	0	**0**
कुल	**3**	**12**	**17**	**32**

(स्तोत्र:-प्राथमिक डाटा)

प्रदर्शित सारणी संख्या-11 के आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है की कुल 32 बच्चों स्मार्टफोन का उपयोग करने कि प्रवृत्ति में 3 बच्चों को आंखों की कमजोरी कि समस्या रही, और 12 बच्चों को नींद से जुड़ी समस्या देखने को मिली। जबकि 17 बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्याएं नहीं देखने को मिली।

सारणी:- 12 बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से किसी प्रकार की मानसिक स्वास्थय समस्या हुई।

बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से किसी प्रकार की मानसिक स्वास्थय समस्या हुई।						
बच्चे की उम्र	मानसिक तनाव	एकाग्रता में कमी	वर्चुअल ऑटिज्म	ऑटिज्म	अन्य	कुल
1-3 वर्ष	0	1	3	0	2	**6**
4-6 वर्ष	0	7	4	6	1	**18**
7-10 वर्ष	1	1	1	2	3	**8**
कुल	**1**	**9**	**8**	**8**	**6**	**32**

(स्तोत्र:-प्राथमिक डाटा)

चार्ट:-9

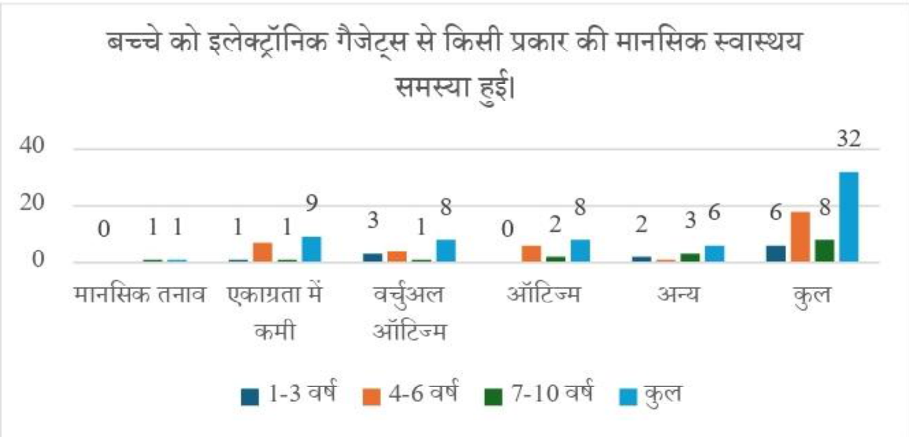

प्रस्तुत सारणी संख्या-12 से यह स्पष्ट होता है कि कुल 32 बच्चों में से 1-3 वर्ष आयु वर्ग के कुल 6 बच्चों में से वर्चुअल ऑटिज्म 3 मामले, तथा एकाग्रता में कमी 1, और 2 अन्य मानसिक समस्याओं के मामले मिले। वही 4-6 वर्ष आयु वर्ग के कुल 18 बच्चों में से एकाग्रता में कमी 7, ऑटिज्म 6, और वर्चुअल ऑटिज्म 4, तथा 7-10 वर्ष आयु वर्ग के कुल 8 बच्चों में से मानसिक तनाव के 1, एकाग्रता में कमी 1, वर्चुअल ऑटिज्म 1, ऑटिज्म 2, तथा 3 अन्य प्रकार की मानसिक समस्याओ से ग्रसित बच्चे मिले। जिससे स्पष्ट होता है कि 2-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम, सीमित प्रत्यक्ष मानवीय संवाद और कम शारीरिक/सामाजिक गतिविधियो के साथ ही ऑटिज्म की समस्या जैसे- भाषा-विलंब, ध्यान-सम्बंधी विकारों, को इंगित करती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों के दैनिक जीवन, व्यवहार, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं, विशेषकर ऑटिज्म ग्रसित बच्चों में इनका प्रभाव और अधिक जटिल रूप में उभरकर सामने आता है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश बच्चे अत्यधिक स्क्रीन टाइम के संपर्क में हैं, जिसके कारण उनमें चिड़चिड़ापन, अनदेखा करना, सामाजिक अलगाव, नींद की समस्या, एकाग्रता में कमी तथा वर्चुअल ऑटिज्म जैसे लक्षण अधिक मात्रा में देखे गए। आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 0–6 वर्ष की आयु, जो स्व तथा सामाजिक-भावनात्मक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है, उसी अवधि में स्मार्टफोन, टीवी इत्यादि का उपयोग सर्वाधिक है, जिससे मीड के प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया सिद्धांत के अनुरूप बच्चों की समाजीकरण प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, यह तथ्य उभरकर सामने आया कि बच्चे प्रायः माता के स्मार्टफोन तथा एंड्रॉयड टीवी जैसे उपकरणों का अधिक उपयोग करते हैं। जिससे पारिवारिक स्तर पर गैजेट्स की उपलब्धता और अभिभावकीय नियंत्रण दोनों एक महत्वपूर्ण नियामक कारक के रूप में सामने आते हैं। स्क्रीन से दूर रहने पर वही बच्चे दोस्तों के साथ खेल, पारिवारिक संवाद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो यह संकेत करता है कि यदि उपयुक्त दिशानिर्देश और विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ तो संतुलित एवं स्वास्थ्यकर दिनचर्या संभव है। शारीरिक स्तर पर आँखों की कमजोरी और नींद संबंधी समस्याएँ तथा मानसिक स्तर पर एकाग्रता में कमी, तनाव, ऑटिज्म एवं वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अनियंत्रित एवं दीर्घ स्क्रीन टाइम बाल विकास के लिए गंभीर जोखिम कारक बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग पूरी तरह नकारात्मक न होकर, नियोजित, सीमित और शैक्षिक/रचनात्मक सामग्री के साथ किया जाए तो यह बच्चों के संज्ञानात्मक एवं शैक्षणिक विकास में सहायक हो सकता है, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका अनियंत्रित एवं अत्यधिक प्रयोग बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है।

सुझाव

- अभिभावकों को चाहिए कि वे 0–6 वर्ष के बच्चों के लिए दैनिक स्क्रीन टाइम पर स्पष्ट सीमा तय करें।

- घर में स्मार्टफोन, एंड्रॉयड टीवी जैसे गैजेट्स का उपयोग बच्चों के सामने नियंत्रित एवं उद्देश्यपूर्ण, शैक्षिक, रचनात्मक रखा जाए।

- माता–पिता अपने बच्चों के साथ आमने–सामने संवाद, कहानी सुनाने, पारिवारिक खेल, तथा दादा–दादी के साथ समय बिताने जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करें।

- विद्यालयों में शिक्षकों को स्क्रीन आधारित शिक्षण के साथ–साथ आउटडोर गेम, समूह गतिविधियाँ, नाटक, चित्रकारी, संगीत आदि का अनुपात बढ़ाने की आवश्यकता है।

- बच्चों के लिए वैकल्पिक गतिविधियों जैसे पुस्तक पाठन, खेलकूद, रचनात्मक कार्य (ड्राइंग, क्राफ्ट, संगीत, नृत्य) और सामुदायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर गैजेट्स पर निर्भरता को कम किया जाए।

- ऑटिज्म और न्यूरो–डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से जुड़े केंद्रों (जैसे सी.आर.सी.) में गैजेट उपयोग के समाजशास्त्रीय आयामों पर विशेष मॉड्यूल और काउंसलिंग सेवाएँ विकसित की जाएँ।

संदर्भ सूची

Cuellar, A. 2015. "Preventing and Treating Child Mental Health Problems", *The Future of Children Spring*, Vol. 25, No. 1, Pp. 111-134.

Radliya, N. R., Apriliya, S., & Zakiyyah, T.R. 2017. "Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini", *Jurnal Paud Agapedia*, Vol. 1, No. 1, Pp. 1-12.

Suhana, M. 2017. "The Impact of Using Gadgets on Children's Social-Emotional Development", *Advances in Social Science Education and Humanities Research Atlanits Press*, Vol. 169, No. 01.

Nurul Hadirah, M. (2022). The Role of Electronic Gadgets in Cognitive Development of Children: A Malaysian Perspective. Asian Journal of Child Psychology, 9(3), 221-239.

Setiani, D. 2020. "The Effect of Gadget Usage on The Social Development of Children Aged 3-5 Years: Literature Review", *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Vol. 9, No. 2, Pp. 1732-1739.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha
June 2026

ISSN : 2395-7115
Page No. : 94-99

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

India-USSR Relations – Political and Strategic Cooperation

Sk Latifuddin, Research Scholar,

Dr. Swati Kumar, Assistant Professor,

Dept. of Political Science, YBN University, Ranchi.

The foundation of the Indo-Soviet Union is quite strong. Russian scholars like Afanasy Nikitin and F.S. Yefremov had visited India in the 15th century. The progressive sections of Russia reacted positively to the First Indian War of Independence of 1857. When the British government of India tried to scare Indians with Russian invasion and expansionism, the Congress and Mahatma Gandhi also never accepted this 'Russian bogey'. Gandhi, who was fighting in South Africa, was influenced by Tolstoy. He accepted Tolstoy as his Guru. Maxim Gorky, who was not only a revolutionary democrat of his time but also a revolutionary himself, had significantly influenced the nationalists and revolutionaries of this country by showing deep interest in Indian problems and the struggle for independence. In the words of Prof. Hiren Mukherjee, Gorky's historical work Mother (Mother) had made many terrorists of Bengal supporters of communist ideology. People like Bal Gangadhar Tilak and Mahatma Gandhi expressed happiness over the success of the 1905 strike. The October Revolution of Russia can be considered as a catalyst for Indian freedom fighters. Among the Indian revolutionaries inspired by the revolutionary life of Lenin, the name of Shaheed Bhagat Singh is especially noteworthy.

In the dock in Lahore court Standing up, they had filled the court building with slogans like 'Long live the socialist revolution. Long live international communism. Long live Lenin! Down with imperialism.' India's renowned poet Rabindranath Tagore visited the Soviet Union in 1930 and said that 'every aspect of Russian life has amazed me.' Late Nehru, despite being a staunch opponent of fascism and disagreeing with the methods of communism, was an admirer of this new sun. Addressing the Congressmen in his presidential speech in 1936, he said, "In the two distinct camps, we will support the progressive elements who oppose fascism and imperialism."

During India's freedom struggle, despite the clear awareness of the Soviet Union and the desire to maintain strong relations with it among the leaders of the national movement and the masses,

friendship between the two did not emerge spontaneously, but it developed as a result of time and need. The initial period of India-Soviet Union relations after Buddha. The first period has been called the passive period (1947-1965) and the latter part has been called the period of active friendship. During India's freedom struggle, despite the clear inclination of the leaders of the masses and nationalism towards the Soviet Union and their desire to maintain strong relations with it, friendship between the two did not emerge spontaneously. Rather, it developed as a result of time and need. The process of post-war India-Soviet Union relations has gone through two friendly periods. Commentators like K.P.N. Menon have called the initial period of India-Soviet Union relations as passive (1947 1965) and the latter period as the period of strict friendship.

In the last phase of the Indian National Movement, the attitude of the Leninist Soviet Union towards the Indian leadership was one-sided, distrustful and prejudiced. They did not even hide their cold attitude. The Soviet Union did not show any enthusiasm on the appointment of Mrs. Vijayalakshmi Pandit, the first ambassador of India to the Soviet Union. Stalin did not even consider it necessary to meet Jawaharlal Nehru's sister and India's first woman ambassador. On returning home after a year's stay in the Soviet Union, the disappointed ambassador also said, 'I have not seen her even once.' Referring to the cold Soviet attitude towards India, Mrs. Pandit said that 'the rulers there never took seriously the extraordinary eagerness and efforts to develop relations with the Soviet Union. They even today we are considered followers of England. They do not even give importance to the independent foreign policy formulated by Indian leaders in the international arena. After the Second World War, the leadership of the Soviet Union initially viewed India's non-alignment with suspicion. India's decision to remain in the British Commonwealth further strengthened their belief that India's non-alignment was a kind of deception. Nehru's India was considered a part of the American world. The interpretation given in the 'Soviet Encyclopedia' regarding the role and personality of the Father of the Nation of India, Mahatma Gandhi, was a very sharp attack on the contemporary leadership of India. Gandhi was considered a reactionary and a staunch supporter of British imperialism there. Due to the proximity between England and India in various fields, the Soviet leaders did not take India's non-alignment seriously. Due to its prejudices and interpretation regarding the class character of the Indian leadership, the Stalinist Soviet Union rejected India's non-alignment.

Former Indian Ambassador to Soviet Union K.P. Menon, in his article India and Soviet Union, while discussing his personal experience of the then senior officials' ambivalence and distrust towards Soviet Union, writes, "Even the intelligentsia of the country had misgivings about Soviet Union. I will give an example of this. When I was the Foreign Secretary, for the first time a trade agreement was signed between the two countries. The draft of that agreement was sent to all the ministries. There

was also a provision for exchange of technical experts. The then Home Secretary H.B. Ayengar came to my room and said, K.P.S.A. What are you doing? Under the guise of exchange of technical experts with the Soviet Union, many Soviet spies will come and destroy our economy. I assured him that his fear was baseless. At the beginning of the Korean War, the Indian government supported the American bloc and called North Korea the aggressor in the Korean War, which the Soviet Union took offense to, but in the latter part of the Korean problem, when India urged the United Nations forces not to cross the 38th latitude line, the Soviet government praised India's peace efforts. At the same time, India supported the Soviet Union's viewpoint on the question of the Japanese Peace Treaty and also refused to attend the San Francisco Conference organized by America. India also refused to sign the Japanese Peace Treaty (1951) like the Soviet Union because according to both, it was an attempt to bring Japan under imperialist subjugation. In April 1952, Stalin met the Indian ambassador Dr. Radhakrishnan and due to his efforts, friendly relations began to develop between the two countries. Now Stalin felt that in the case of non-aligned nations like India, it would be more logical to look beyond the dialectical materialist explanation of historical destiny or war.

India's late Prime Minister Jawaharlal Nehru, while understanding the depth and extent of differences, stressed the usefulness of cordial relations between India and the Soviet Union. Jawaharlal Nehru considered this friendship important from the point of view of far-reaching Indian national interests, whether it was youthful sentimentality, the transformation of Russia or fascination for Marxist ideology. In his book 'Domestic Couple and Friendship Policy', Ashwini Kumar Ray has rightly written that Nehru was perhaps the first diplomat in the non-communist world who saw the possibilities of co-existence between the newly awakened nations and the communist world. In various aspects of India's foreign policy, Jawaharlal Nehru stressed on cordial relations with the Soviet Union. Speaking on the radio on 7 September 1946, about a year before India declared independence; he laid down the basic principles of India's foreign policy after independence. He said that India intends to stay away from groups of competing states. It will try to establish friendly relations with all countries. Along with this, he declared, 'We welcome another great country of the present world, the Soviet Union. It is our neighbour in Asia and we will naturally have to solve many common problems.' Later, while addressing the Constituent Assembly on 13 December 1946, he reiterated this view, 'I remember much later the revolution which gave birth to a new model of state. It was the Russian revolution that resulted in the formation of the Union of Soviet Socialist Republics. This is another very powerful country that is playing a great role in the world. And it is not only a powerful country; it is also India's neighbour.

Summary :

The Soviet Union has now become a thing of history. After the disintegration of the Soviet Union (26 December 1992), 15 independent republics have emerged, of which the Russian Republic is the most prominent and important from the point of view of international politics. India's relations with the Soviet Union were special and historical. India and the Soviet Union have been close friends. The desire for Indo Soviet friendship has been strong among the policy makers of this country since the freedom movement; hence the policy of friendship adopted by the then government of independent India towards communist Russia is a link of continuity. The initial years of the post-war period were certainly covered with suspicion and prejudices, but the situation was not permanent. With the need of time, the clouds of suspicion started clearing and kept on clearing. After the Korea dispute of 1950, the Soviet leadership became convinced by India's international stance that it is not wise to consider this continent as a puppet of the West or America.

After understanding and evaluating the nature of India's non-alignment policy, the phase of cooperation in various fields began and continued to move forward. Pointing towards this, Pandit Nehru had said in 1961 that "The Soviet Union has given us many valuable gifts, the most valuable of which is the Soviet Union. 'India-Soviet friendship' is a valuable gift." Communist Party General Secretary Brezhnev called it a 'time tested friendship'. Late Jawaharlal Nehru was the main architect of active cooperation and friendship between the two continents. He laid the foundation of this friendship in the broad perspective of national interest. It was during his regime that this friendship grew day by day.

The establishment of diplomatic relations with the Soviet Union by the interim government of India in 1946 was an important step towards materializing his long cherished desire. Looking at the geo-political conditions of both the countries, his clear opinion was that "there can either be friendship with the Soviet Union or enmity, there is no question of remaining indifferent." Shri Nehru chose the path of friendship with the Soviet Union. Jawaharlal Nehru brought India's ideology closer to the ideology of the Soviet Union. In 1928 itself, he had presented a glimpse of the Soviet Union in front of India. After this, he kept bringing India closer to the Soviet Union through political ideas in his writings. Thus, under Nehru's leadership, India and the Soviet Union came closer to each other in terms of political ideas. This ideological pull was not one-sided. Nehru also changed the ideology of the Soviet Union and Nehru had a great influence on Khrushchev's policy of peaceful co-existence.

References :

1. Hindustan, 11 October, 1971
2. Former Indian Ambassador to Soviet Union K. P. S. Menon, in his article 'India and Soviet

Union', has described the fear prevalent among senior officials and has written, 'Let me give an example of how much misconception there was about the Soviet Union even among the intellectuals of the country. When I was the Foreign Secretary, for the first time a trade agreement was signed between the two countries. The draft of that agreement was sent to all the ministries. There was also a provision for exchange of technical experts in that draft. The then Home Secretary H. V. Ayengar came to my room and said- 'K. P. S.! What are you doing? Exchange of technical experts with Russia! Under the guise of this provision, many Soviet spies will come and destroy our economy. I assured them that their fear was baseless. See B. R. NAND (ed.): Indian Foreign Policy, p.137.

3. See Pravda, December 15, 1955

4. The result of this campaign was that there was a huge increase in the volume of trade between the two countries. Starting from a sum of 81 lakh rupees, it reached 71 crore 97 lakh rupees in 1961 and 175 crore 36 lakh rupees in 1965. In 1966-67, this sum reached 226 crore 95 lakh rupees and by the end of 1968, it had reached 497 crore rupees. We can estimate its increased amount from the fact that in 1978, it reached 1250 crore rupees.

5. The Soviet magazine Pravda in a way supported the Chinese side by calling the McMahon Line an imperialist line. Not only was this, Russia As per its earlier decision, the export of 22 MiG aircraft to India also postponed. This created some bitterness in the relations between the two countries. 176

6. Out of 870 major projects established in third world countries to which Soviet Union is providing assistance, 80 projects are located in India. The projects established with Soviet assistance produce 20 per cent of our electric power, 30 per cent of steel, 35 per cent of oil refineries, 60 per cent of oil extraction and 80 per cent of heavy machinery.

7. K. P. S. MENON: The Indo-Soviet Treaty, p.48

8. ARTICLE 1: The high contracting parties solemnly declare that enduring peace and friendship shall prevail between the two countries and their peoples. Each party shall respect the independence, sovereignty and territorial integrity of the other party and refrain from interfering in the other's internal affairs. The high contracting parties shall continue to develop and consolidate the relations of sincere friendship, good neighbourliness and comprehensive co-operation existing between them on the basis of the afore, said principles as well as those of equality and mutual benefit.

9. ARTICLE II : Guided by the desire to contribute in every possible way to ensure enduring peace and security of their people, the high contracting parties declare their determination to continue their efforts to preserve and to strengthen peace in Asia and throughout the world, to halt the arms race and to achieve general and complete disarmament, including both nuclear and conventional, under effective international control.

10. ARTICLE III : Guided by their loyalty to the lofty ideal of equality of all peoples and nations irrespective of race or creed, the high contracting parties condemn colonialism and racialism in all forms and manifestations, and reffirm their determination to strive for their final and complete elimination. The high contracting parties shall co-operate with other states to achieve these aims and to support the just aspirations of the peoples in their struggle against colonialism and racial domination. 177

11. ARTICLE IV : The Republic of India respects the peace-loving policy of the Union of Soviet Socialist Republics aimed at strengthening friendship and cooperation with all nations. The Union of Soviet Socialist Republics respects India's policy of non-alignment and reaffirms that this policy constitutes an important factor in the maintenance of universal peace and international security and in the lessening of tensions in the world.

12. ARTICLE V : Deeply interested in ensuring universal peace and security, attaching great importance to their mutual co-operation in the international field for achieving these aims, the high contracting parties will maintain regular contacts with each other on major international problems affecting the interests of both the States by means of meetings and exchanges of view a between their leading statesmen, visits by official delegations and special envoys of the two Governments, and through diplomatic channels.

13. ARTICLE VI : Attaching great importance to economic, scientific and technological co-operations between them, the high contracting parties will continues to consolidate and expand mutually advantageous and comprehensive cooperation in these fields as well as expand trade, transport and communications between them on the basis of the principles of equality, mutual benefit and most favoured-nation treatment, subject to the existing agreement and the special arrangement with contiguous countries as specified in the Indo-Soviet trade agreement of December 26, 1970.

14. ARTICLE VII : The high contracting parties shall promote further development of ties and contacts between them in the fields of science, art, literature, education, public health, press, radio, television, cinema, tourism and sports.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 100-105

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

रत्नकुमार सांभरिया की कहानियों में झाँकता वृद्धों का उज्ज्वल पक्ष

रतन लाल जाट

शोधार्थी, हिंदी विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।

डॉ. सी. एल. महावर

आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

शोध सारांश –

वर्तमान में लेखनरत हिंदी कहानीकारों में बहुचर्चित साहित्यकार रत्नकुमार सांभरिया ने हिंदी साहित्य को न केवल कहानियाँ ही, वरन उपन्यास, नाटक, लघुकथा और अन्य विधाओं में भी एक से बढ़कर एक रचना प्रदान की है। इन विविध रचनाओं में अलग–अलग प्रकार के कई सारे नये विषयों पर अपनी लेखनी चलायी है और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने पूर्णतः नवीन और मौलिक विषयों का चयन करते हुए साहित्य जगत् में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया हैं।

सांभरिया जी ने कई प्रकार समस्याओं और मसलों पर अपनी कहानियाँ सृजित की हैं। इनकी कहानियों में, आज के रचे जा रहे साहित्य में प्रचलित लगभग सारे के सारे ही विमर्श छिपे हुई दिखाई देते हैं। ये विमर्श, चाहे स्त्री विमर्श हो या वृद्ध विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, किसान विमर्श, पर्यावरण विमर्श, दिव्यांग विमर्श और किन्नर विमर्श आदि दिखाई देते हैं, इनमें से शायद कोई विमर्श इनकी लेखनी से अछूता रहा हो। इसलिए सांभरिया जी को किसी एक विमर्श विशेष से जुड़ा हुआ लेखक नहीं माना जाना चाहिए।

कुल मिलाकर इन कहानियों में चित्रित हुए वृद्धों के बारे में कहा जाये, तो कह सकते हैं कि ये मजबूर, प्रताड़ित और निर्वासित नहीं होकर साहसी, जिद्दी और स्वाभिमानी हैं। साथ ही परिवार में अपना पूर्ण अस्तित्व बनाये हुए, परिवार को पूरी तरह जोड़े हुए और आपस में खुशी बाँटते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर पाठकों के मन में जीवन के इस पड़ाव के प्रति एक सकारात्मक भावना बढ़ती है और अब तक वृद्धावस्था को लेकर मन में छिपा हुआ डर मिटाता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही मनुष्य के मन में अपने जीवन के प्रति उत्साह, जिजीविषा और उदात्त भाव उत्पन्न होते हैं।

बीज शब्द : विघटन, अकेलापन, आत्मनिर्भर, आश्रय, परित्यक्त, प्रताड़ित, रिटायरमेंट, जिजीविषा आदि।

शोध आलेख –

हिंदी कहानी साहित्य के इतिहास में प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक वृद्ध जीवन को अभिव्यक्त करने

वाली कहानियाँ लगभग सभी प्रमुख कहानीकारों ने रची हैं। इन कहानियों में वृद्ध जीवन को अपने परिवार के बीच में ही अकेले और उपेक्षित रूप से दुखों से भरा हुआ बताया गया है। यहाँ पर वृद्धों को हर जगह बात–बात पर अपमानित होना पड़ता है और दूसरों पर चलने–फिरने से लेकर खाने–पीने और कहीं आने–जाने के साथ अपने दैनिक कार्यों के लिए भी आश्रित रहना पड़ता है। इस विमर्श में संयुक्त परिवार का विघटन, युवा पीढ़ी से टकराव और मानसिक–शारीरिक समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस अवस्था के बारे में प्रसिद्ध लेखिका स्वाति तिवारी ने अपनी पुस्तक 'अकेले होते लोग' में लिखा है – "वृद्धावस्था जीवन का सामान्य घटना क्रम है एवं प्राकृतिक संतुलन की अनिवार्यता भी शरीर के विभिन्न अंगों की संचित कार्य क्षमताओं में धीरे–धीरे होने वाली कमी से संबंधित है।"[1]

कुछ समय पहले ही उनकी दर्जनभर कहानियों का चयन करते हुए महाराष्ट्र के साहित्य मर्मज्ञ विद्वान् डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे ने 'वृद्ध विमर्श : रत्नकुमार सांभरिया की चयनित कहानियाँ' नाम से चयन और संपादन करके वृद्ध विमर्श से जुड़ा हुआ नवीन संग्रह प्रकाशित करके साहित्य–प्रेमियों के लिए बड़े ही उपकार का कार्य किया है। इस कहानी संग्रह में सांभरिया जी की कुल बारह चयनित कहानियों को स्थान दिया गया हैं। इन कहानियों का यदि गहराई से अध्ययन किया जाये, तो समझ आता है कि ये कहानियाँ केवल वृद्ध विमर्श पर ही आधारित नहीं हैं। अपितु इन कहानियों की विषयवस्तु दलित, किसान, स्त्री, वृद्ध और भी अन्य कई विषयों से जुड़ी हुई समस्याओं को समाहित किये हुए हैं।

इस संग्रह की कहानियों को पढ़ने के पश्चात अन्य कहानियों से हटकर यहाँ एक और नयी बात देखने को मिलती है, वो इन कहानियों में आये वृद्ध पात्रों को लेकर बात दिखाई देती है। अब तक वृद्ध विमर्श से जड़ी हुई लगभग सभी कहानियों में वृद्धों को लाचार, दुखी, आश्रित, निराश और अकेला ही चित्रित किया हैं। इस बात को इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृद्ध विमर्श की अधिकतर कहानियों में अब तक वृद्धों का करुण और त्रासदीपूर्ण जीवन ही स्थान पाता आया है। लेकिन इन कहानियों के वृद्ध दुखों से लड़कर जीतते हुए और खुशी से जीते हुए दिखाई देते हैं। ये वृद्ध औरों पर आश्रित होने के बजाय खुद अपने हिसाब से स्वतन्त्र जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं। इन वृद्धों के लिए बुढ़ापा एक बोझ नहीं होकर जीवन की एक अनिवार्य अवस्था है और ये वृद्ध इस उम्र को लाचारी से ढोने के बजाय खुशी से जीते हुए नजर आते हैं। इन कहानियों में वृद्धों के एकाकीपन, शारीरिक–मानसिक बीमारी और पारिवारिक–सामाजिक समस्याओं का चित्रण नहीं होकर परिवार में अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए पूरी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और ये वृद्ध पूरी तरह आत्मनिर्भर और जिजीविषा से भरपूर अपने जीवन से संतुष्ट बिना किसी शिकायत के अपने बेटे–बेटियों और पोते–पोतियों के बीच महत्वपूर्ण स्थान पर खड़े दिखाई देते हैं। साथ ही एक बात और कहीं जा सकती है कि इन वृद्धों में सभी संपन्न, शिक्षित और शहरी जन ही शामिल नहीं हैं। अपितु गरीब, अनपढ़ और ठेठ ग्रामीण वृद्ध भी शामिल हैं। इनमें भी केवल वृद्ध पुरूष ही नहीं, उनसे भी आगे वृद्ध स्त्रियाँ भी पूर्णतः सशक्त रूप से सामने आती है। वृद्धों के इस प्रकार जीवन जीने के दृष्टिकोण पर कुसुम शर्मा अपनी पुस्तक 'साठोत्तरी हिंदी उपन्यास : विविध प्रयोग' में लिखती है– "व्यक्ति अगर चिंतन कर अपने ही जीवन में झाँककर देखें, तो कभी उसे ये नहीं लगना चाहिए कि उसने जिन्दगी जी नहीं है। साथ ही मौत से घबराना भी मौत है। मौत से ना घबराना ही जिन्दगी है।"[2]

इस कहानी संग्रह की सबसे विशिष्ट कहानियों में से एक कहानी 'बूढी' में देखते हैं कि एक वृद्ध माँ,

जो अपनी बेटी के ससुराल से लौटने पर उसके स्वागत के लिए एक तरफ चिंतित, तो दूसरी तरफ प्रफुल्लित और अपना सब कुछ समर्पित करने को आतुर दिखाई देती है। तभी वह अचानक मास्टर के सामने प्रकट होकर कहती है– "मास्साब, तार आया हैं। बाँच दो न, इसे।"[3] इसके बाद वह अपनी बेटी की आवभगत में कोई कमी नहीं रह जाये, इसके लिए अपने दिवंगत माता–पिता और पति की बची हुई एक मात्र निशानी, काँसे का थाल अब तक बचा हुआ था, उसे भी बेच देने को तैयार हो जाती है। क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी के लिए किसी भी बात की कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। जो सुविधा उसे शहर में प्राप्त है। उन सुविधा का अभाव महसूस नहीं होना चाहिए। इसके लिए वह तपती धूप में पसीने से भीगी हुई एक छोटी–सी बच्ची के समान सब कुछ भूलकर इधर–उधर दौड़ी फिरती हैं। वह कभी भीषण गरमी में गाँव के मास्टर के घर काँसे का थाल गिरवी रखकर पैसे लेने जाती हैं। उसका चित्रण कहानी में इस प्रकार हुआ है– "बूढी ने आँखे मूंद ली और ऊपर की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए, मानो थाली की फरोख्त पर अपने आदमी की मुहर लगवा रही हो – कोख मेरी थी। बेटी तुम्हारी है। हिस्सा है, बराबर–बराबर। जब मैं तुम्हारे पास आऊं, एक–एक बात का लेखा ले लेना, लेकिन यह मत पूछना, थाली क्यों बेची चुन्नी।"[4]

इसी प्रकार वह पैसे लेकर तांगेवाले के घर जाकर उसे बेटी को ले आने के लिए बहुत ही अनुनय–विनय करती है और उसके मना करने पर भी वह घोड़े के पास जा पहुँचती है। "घोड़े की लगाम पकड़ कर वह उसके कान के पास कहने लगी– घोड़ा बेटा, मेरी बेटी आएगी। वह बड़े घर में ब्याही है। पैदल नहीं चलती। तेरे गुन गाऊँगी।"[5] इसके बाद खुद घोड़ा तांगे में जुतने के लिए उतावला हो जाता है।

इसी तरह की कहानी 'इत्तफाक' में चित्रित हुए वृद्धजन अर्थात् एक वृद्धा, जो अपने परिवार की मुखिया है और उसने पेट में पलने वाले बेटे को लिए पति के द्वारा घर से बाहर निकाल देने के बाद अकेली संघर्ष कर इस मुकाम पर पहुँचती है। तो दूसरी तरफ जो बूढ़ा है, उसे भाभी ने युवावस्था में तो मजबूर की तरह घर–बार के कामों में लगाये रखा। तो अपने बेटे के साथ ही खुद ने वृद्ध देवर को परिवार से बाहर धकेल दिया।

तो वह एकदिन घर हमेशा के लिए निकल जाता है और बस में जा रहा होता है। तब बस में वृद्ध के पास ही सीट पर बैठी वृद्धा उसको पहचानने के बाद भाव परिवर्तित हो जाते हैं। "थैला बूढ़े के हाथ में थमा दिया था। जबरन बोली– चलो उठो, स्टैंड आ गया है। बूढा चौका– मुझे तो पचास कौस और दूर जाना है। बुढ़िया ने हठ पकड़ी– मैं कहती हूँ, उठो। बस यहाँ इतनी देर नहीं रूकती है।"[6] घर आने के बाद वृद्धा उस बूढ़े की सार–संभाल में सब कुछ भूल जाती है। कभी उसे चाय पिलाती है। तो कभी खुद हुक्का भरकर पिलाती है। फिर कमरे में बैठकर उस बूढ़े अपनी पोती की शादी के गहने दिखाती है। "बुढ़िया ने बॉक्स खोला। पुलकती हुई बोली– देखो, हमने अपनी पोती के लिए ये गहने बनवाए हैं। वह एकदृएक गहना दिखाती हुई कहती गई– यह हथफूल है। यह तगड़ी है। यह हार है। यह टीका है। यह अंगूठी है। यह घड़ी है। चौन समेत सोने की है। सब गहने सोने के हैं। चाँदी का बोझ ढोए, मेरी फूल सी बिटिया रानी!"[7]

लेकिन कहानी के अंत में पता चलता है कि जो वृद्धा संयोग से बस में मिले उस बूढ़े को अपने घर लाकर पनाह देती है, वही उस वृद्ध की परित्यक्त पत्नी ही होती है। जब वृद्धा पोती की शादी के लिए मंडप में बैठने के लिए बूढ़े के साथ तैयार होकर अचानक आती है। उसका चित्रण हुआ है– "बुढ़िया नवोढ़ा की तरह वस्त्राभूषणों से सजी–धजी थी। उसके पाँवों, हाथों, गले, कानों और नाक में पंसेरी भर चाँदी के गहने थे। वह

बूढ़े का हाथ पकड़े छमछम करती, भीड़ को चीरती हुई मंडप में आ गयी थी। बुढ़िया को देख समूचा मंडप हक्का–बक्का रह गया।"[8]

इस प्रकार कहानी में एक छोड़ी हुई पत्नी वृद्धावस्था में पुनः अपने पति को खुद के घर पुत्र–पुत्रवधू के नहीं चाहते हुए भी पनाह देते हुए उसकी सेवा–देखभाल करती दिखाई देती है। इस प्रकार की समर्थ और लीक से हटकर वृद्ध स्त्री पात्र बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करती दिखाई देती है।

इसी प्रकार वृद्ध विमर्श से जुड़ी हुई संग्रह की अन्य विशेष कहानियों में 'खेत' और 'आश्रय' कहानी प्रमुख रूप से अपना स्थान रखती हैं। ये कहानियाँ भी अन्य कहानियों की तरह ही कुछ विविधता लिए हुए अपने पुश्तेनी घर और खेत के लिए सब कुछ झोंकते हुए और कभी अपनों से, तो कभी भू–माफिया से, तो कभी प्रशासन और सत्ता तक से टकराते घोर संघर्ष से लड़ते अजेय वृद्धों को सामने लाती हैं।

सबसे पहले 'खेत' कहानी के कथानक की बात की जाये, तो इस कहानी का नायक एक वृद्ध, जो पत्नी के देहांत तथा पुत्र के शहर नौकरी करने के कारण अपने पैतृक खेत पर रहते हुए खेतीबाड़ी करता है और देखता है कि उसके खेत के तीनों तरह के खेत प्लाट में बदलकर अलग–अलग प्रकार की बिल्डिंगों में तब्दील हो चुके हैं। उस वक्त वृद्ध के मनोभाव इस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। "बूढा का मन कभी उन खेतों में, तो कभी उन पर उगे कंकरीट के जंगल में विचरण कर रहा था कि प्लास्टिक के पाइप से पानी कूदने लगा था, गलल गलल। फुर्र फुर्र। गल्ल गल्ल। हवा और पानी भरा पाइप कुचले साँप की तरह छटपटा रहा था।"[9]

इसके बाद तो फिर आए दिन कोई न कोई खरीददार उसके खेत का मोलभाव करता रहता है और उस वृद्ध को डरा–धमकाकर प्लाट लेने की कोशिशें करते दिखायी देते हैं। जब एकदिन वह सब्जी बेचने बाजार जाता है। तो लोग सब्जी की जगह खेत अर्थात प्लाट का भाव करते हैं। "हल्की–सी खंखारी ली – बूढा बाबा, अपना प्लाट का भाव बताओ थैं, तो।

बोनी बट्टा हुआ नहीं कि.....। बूढा धधका। बूढा चमका। बूढा ने ओठ से जीभ काटी – साग की बात कर बाबू, पिलाट विलाट ना बेचूँ, मैं।"[10]

इसी प्रकार वृद्ध को एक वकील अपनी चाल में फंसाकर प्लाट को हड़पने के लिए एक जाली स्टाम्प रख जाता है। "साँस जुड़ी कि बूढा खाट पर बैठ गया था। बिस्तर टेल कागज जैसा कुरकुराया। बूढा ने बिस्तर तहा कर देखा। हाथ लिखा दस रूपये का स्टाम्प था। नीचे दो दस्तखत थे। मजमून नोटरी पब्लिक से सत्यापित था। बूढा को डंक–सा लगा।"[11] तो उसी वक्त अपनी लाठी लिए बूढा उस वकील के घर जा धमकता है। "उसने गेट पर लाठी ठकठकाई – वकील छौ न। केरसिंह पागल कोनी,कालजो बेच दे अपणो। बूढा लाठी उठाये, वकील ने गेट बंद कर लिया था।"[12] इस प्रकार खेत का वृद्ध मालिक अजगर की तरह जीभ लपलपाते शहरीकरण की नजर से अपने खेत को बचाये रहता है।

तो 'आश्रय' कहानी सभी कहानियों से अलग ही एक नया कथानक सामने पेश करती है। इसमें पुत्र और पुत्रवधू द्वारा अपने वृद्ध पिता या ससुर को झाँसे में लेकर नया प्लाट खरीदने की बात कहकर पुश्तैनी मकान बेच देने के लिए की कोशिश करते हैं। लेकिन जब माँ की मृत्यु के बाद अलग अकेले रह रहे पिताजी के पास पुत्र आकर देखता है, तो मुँह फटा का फटा ही रह जाता है। "उम्रदराजों का जमावड़ा, आराम–पस्ती, चहल–पहल, आबाद–जीवन, हँसी–खुशी और सुखों की सरगमें। परमेश्वर की उम्मीदोंभरी बगिया में वीरानी

उतरने लगी। फिक्र घेरने लगा था।"[13] वे यह फैसला अपनी पत्नी की मृत्यु और पुत्र–बहू द्वारा कोई खबर नहीं लिए जाने के बाद अपने घर को एक आश्रय का रूप देकर अपने जैसे ही अकेले, प्रताड़ित और घर से त्यागे हुए वृद्धों के लिए खोल देता है। ऐसी ही मिलती–जुलती अभिव्यक्ति प्रियदर्शन द्वारा सम्पादित 'बड़े बुजुर्ग' पुस्तक में भी हुई – "मैंने एक निर्णय लिया है, पहली बार अपने लिए कोई निर्णय। और देखना है मेरे बच्चों में से कौन मेरे साथ आकर खड़ा होता है।"[14]

कहानी में देखते हैं कि अपने पिता के इस कदम से पुत्र के हाव–भाव देखने योग्य हो जाते हैं। "परमेश्वर हतवाक। हतप्रभ। माथा चढ़ गया। आश्चर्य टिमटिमाती आँखों उनकी ओर लखते रहे। अपलक। उनके तेज से ऐसे चौंधियाए धोती–कुरता पहने नहीं होते और बोलते नहीं, गच्चा खा गए होते– पिताश्री हैं।"[15]

इसके जवाब में पिताजी व्यंग्य करते हुए कहते हैं। "परमेश्वर का कंधा थपका और बोले – परमेश्वर जी, रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा बहू–बेटे पर आश्रित होने की बजाय मेरा घर, धन और मन बुजुर्गों का आश्रय बन जायें। दो–तीन भामाशाहों ने भविष्य का भरोसा दिलवाया है। आप जब भी 'आश्रय' आएँ, किसी बेसहारा को साथ जरूर लाएँ।"[16] फिर भी पुत्र अन्दर के लालच को ढकते हुए बाहर से पिताजी की चिंता में व्यथित होता हुआ दिखता है। क्योंकि उसे तो जैसे–तैसे अपना स्वार्थ साधना है। कहानीकार ने इसका चित्रण इस प्रकार किया है– "ढिठाई को ढकते बोले – पापा, यहाँ अकेले हैं, आप। हारी है, बीमारी है। बढ़ता बुढ़ापा है। साथ चले, मेरे। आराम से रहे वहाँ। प्लाट का सौदा तय है। एडवांस दे दिये है, दस लाख।"[17] इसके बाद भी पिताजी टस से मस नहीं हुआ तो पुत्र परमेश्वर का सिर चकरा जाता है। तो दूसरी ओर दलाल हाथ आये शिकार को निकालता महसूस करता है। "दलाल उनको परमेश्वरजी–परमेश्वरजी रुको–रुको कहते हाथ झालता रहा। परमेश्वर हाथ हिलाते ना कह अपनी गाडी की ओर बढ़ गए थे।"[18] इस प्रकार कहानी के वृद्ध न केवल स्वयं आत्मनिर्भर रहते हुए जीते हैं, अपितु अपने जैसे अन्य कई वृद्धों की खुशियों की वजह भी बनते हैं।

निष्कर्ष –

इन कहानियों को पढ़ने के बाद यह एक बात जरूर तय हो जाती है कि सांभरिया जी ने सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य मानकर उससे जुड़ी हुई संवेदना और अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान की है। कोई भी व्यक्ति– चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो या दलित हो, वह सबसे पहले तो एक मनुष्य ही है और इस परम सत्य को पूर्णतः समझते हुए कहानीकार ने अपने साहित्य में हर एक मनुष्य को गहराई से देखा और समझा तथा उसके सुख–दुःख में शामिल होते हुए उसके जीवन का दर्शन अपनी कहानियों में कराया है।

सन्दर्भ :–

1. स्वाति तिवारी, अकेले होते लोग, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष–2006, पृष्ठ सं.–31
2. कुसुम शर्मा, साठोत्तरी हिंदी उपन्यास : विविध प्रयोग, श्याम प्रकाशन, जयपुर, वर्ष–1990, पृष्ठ सं.–145
3. डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे (सं.), वृद्ध विमर्श : रत्नकुमार सांभरिया की चयनित कहानियाँ, हंस प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं.–18
4. वही, पृष्ठ–21
5. वही, पृष्ठ सं.–25

6. वही, पृष्ठ सं.–30
7. वही, पृष्ठ सं.–34
8. वही, पृष्ठ सं.–41
9. वही, पृष्ठ सं.–109
10. वही, पृष्ठ सं.–111
11. वही, पृष्ठ सं.–115
12. वही, पृष्ठ सं.–116
13. वही, पृष्ठ सं.–192
14. सं. प्रियदर्शन, बड़े बुजुर्ग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष–2014, पृष्ठ सं.–136
15. डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे (सं.), वृद्ध विमर्श : रत्नकुमार सांभरिया की चयनित कहानियाँ, हंस प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं.–195
16. वही, पृष्ठ सं.–198
17. वही, पृष्ठ सं.–196
18. वही, पृष्ठ सं.–199

पूर्ण पता :–
रतन लाल जाट, व्याख्याता हिन्दी, रा उ मा वि डिंडोली।
निवास– लाखों का खेड़ा, पोस्ट– भट्टो का बामनिया, तहसील– कपासन, जिला– चित्तौड़गढ़ (राज.)
पिन कोड– 312202 मोबाइल–9636961409 ई मेल– ratanlaljathindi3@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 106-109

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

समकालीन हिन्दी लघुकथाओं में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना

डॉ. तरूण कुमार साहू
अतिथि प्राध्यापक, शा. रा.लो. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम (छ.ग)

सारांश :

समकालीन हिन्दी लघुकथा ने अपने संक्षिप्त कलेवर में समाज की जटिल समस्याओं, बदलते मानवीय संबंधों तथा आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। वर्तमान समय में लघुकथा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गई है, अपितु सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों के पुर्नस्मरण का सशक्त साहित्यिक उपकरण बन गई है। सुकेश साहनी, अशोक भाटिया, श्यामबाबू शर्मा, विनय मोघे, चेतन स्वामी तथा असमिया लेखिका मणिका देवी की लघुकथाएँ सामाजिक यथार्थ को विभिन्न आयामों में प्रस्तुत करती हैं। इन कथाओं में तकनीकी हस्तक्षेप, धार्मिक रूढ़ियाँ, आर्थिक विषमता, पारिवारिक विघटन, ग्रामीण जीवन की त्रासदी तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसे विषय प्रमुखता से उभरकर सामने आते हैं।

बीज शब्द – लघुकथा, सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना, तकनीकी संस्कृति, ग्रामीण जीवन, भ्रष्टाचार, पारिवारिक मूल्य।

प्रस्तावना :

हिन्दी लघुकथा आधुनिक युग की सबसे सशक्त और लोकप्रिय गद्य विधाओं में से एक है। तीव्र गति से बदलते सामाजिक परिवेश में मनुष्य के पास लंबे साहित्यिक आख्यानों के लिए समय कम होता जा रहा है। ऐसे में लघुकथा अपने संक्षिप्त आकार, तीक्ष्ण कथ्य और प्रभावपूर्ण अंत के कारण पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुई है। समकालीन लघुकथाकारों ने अपने आसपास के जीवन को सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विसंगतियों को रचनात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है।

प्रस्तुत लघुकथाएँ आधुनिक समाज के विविध पक्षों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें व्यक्ति और व्यवस्था के संघर्ष, मनुष्य की संवेदनहीनता, तकनीकी युग की चुनौतियाँ तथा मानवीय मूल्यों के क्षरण का सशक्त चित्रण मिलता है।

सुकेश साहनी की लघुकथा 'वह तीसरा' आधुनिक तकनीकी युग की एक गंभीर समस्या की ओर संकेत करती है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति की निजी गतिविधियों तथा मानसिक प्रवृत्तियों पर होने वाली निगरानी को लेखक ने अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। कथा का नायक अनुभव करता है कि

उसके मन में उठने वाले विचारों से संबंधित सामग्री तुरंत उसके मोबाइल पर दिखाई देने लगती है। यह अनुभव धीरे–धीरे उसके भीतर भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। कहानी का कथावाचक कुछ दिनों से महसूस करता है कि "पिछले कुछ दिनों से उसे महसूस हो रहा था कि वह जो भी सोचता है या सोशल मीडिया पर देखता है, पलक झपकते ही उससे सम्बंधित पोस्ट्स का बाजार, तमाम लुभावने ऑफर्स लिये उसके सामने खुल जाता है।"[1]

कथा का चरम बिंदु तब आता है जब वह अपनी पत्नी के साथ निजी क्षणों में भी स्वयं को अकेला नहीं महसूस करता। उसे लगता है कि कोई अदृश्य सत्ता उसकी गतिविधियों पर निगरानी रख रही है। यहाँ तीसरा वास्तव में आधुनिक तकनीक और डिजिटल निगरानी का प्रतीक है। यह लघुकथा डिजिटल युग में व्यक्ति की निजता के संकट को अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करती है।

अशोक भाटिया की लघुकथा 'धर्म और रोटी' सामाजिक जीवन में धर्म और आर्थिक आवश्यकताओं के संबंध पर विचार करती है। कथा में तिलकधारी व्यक्ति धर्म की महत्ता स्थापित करना चाहता है, जबकि गरीब व्यक्ति रोटी को जीवन की मूल आवश्यकता बताता है। संवाद शैली में लिखी गई यह लघुकथा अत्यंत संक्षिप्त होते हुए भी गहरा सामाजिक संदेश देती है। गरीब व्यक्ति का कथन कि "रोटी हाथों से कमाई जाती है"[2] श्रम की गरिमा और जीवन की वास्तविकताओं को रेखांकित करता है। लेखक ने धार्मिक आडंबरों की अपेक्षा श्रम और आजीविका को अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध किया है। यह कथा वर्गीय असमानता और धार्मिक पाखंड पर तीखा व्यंग्य करती है।

श्यामबाबू शर्मा की लघुकथा 'बाघ' भारतीय ग्रामीण जीवन की त्रासदी को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। कोइली की बेटी मटुकी भूख के कारण दम तोड़ देती है, जबकि दूसरी ओर रेडियो पर बाघों की बढ़ती संख्या और संरक्षण की सफलता का समाचार प्रसारित हो रहा है।

डिजिटल होती दुनिया शायद बुजुर्ग, गरीब तथा ग्रामीणों के कुरूप होती जा रही है। उन्हें इंटरनेट लिंक की जानकारी नहीं वे कम्प्यूटर पर बैठे बाबू से अनुरोध करते रहते हैं और बाबू कहता है –"समझती काहे नहीं तू ऊपर से ऑडर आया है जिसका कार्ड लिंक नहीं होगा उसे कुछ न दिया जाए"[3] इस तरह से वे अपनी राशन, पेंशन के लिए हर रोज मुठभेड़ करते रहते हैं।

यहाँ लेखक ने दो विरोधी यथार्थों को आमने–सामने रखकर विकास की विसंगतियों को उजागर किया है। एक ओर मनुष्य भूख से मर रहा है और दूसरी ओर वन्यजीव संरक्षण की उपलब्धियों का उत्सव मनाया जा रहा है। कथा प्रशासनिक संवेदनहीनता तथा गरीबों की उपेक्षा पर तीखा प्रश्नचिह्न लगाती है। बाघ शीर्षक प्रतीकात्मक रूप से उस व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो गरीब मनुष्यों की अपेक्षा अन्य विशयों को अधिक महत्त्व देती दिखाई देती है।

विनय मोघे की लघुकथा 'हासिल' बदलते पारिवारिक संबंधों और वृद्धावस्था के अकेलेपन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण करती है। गणित के शिक्षक पिता विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से अपने परिवार के क्रमिक विखंडन को व्यक्त करते हैं। अष्टकोण संयुक्त परिवार का, त्रिकोण परिवार के विभाजन का, चौकोर नए परिवार का तथा अंततः एक रेखा अकेले बचे व्यक्ति का प्रतीक बन जाती है। अंतिम पृष्ठ पर बना प्रश्नचिह्न भविष्य की अनिश्चितता और अकेलेपन की पराकाष्ठा को व्यक्त करता है। पारिवारिक विघटन को जब उसकी

पत्नी देखती है– "हर पन्ने की आकृति का गूढ़ अर्थ समझाती जा रही थी। उन अर्थों को समझकर दोनों की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। गणित के शिक्षक रहे पिता ने पूरे जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से समझा दिया था।"[4] इस तरह से लेखक ने अत्यंत कलात्मक ढंग से यह दिखाया है कि आधुनिक जीवन की व्यस्तता ने पारिवारिक संबंधों को कमजोर कर दिया है। यह कथा वृद्ध माता–पिता की उपेक्षा और पारिवारिक मूल्यों के क्षरण की ओर संकेत करती है।

श्यामबाबू शर्मा की लघुकथा 'गांव व्यवहार' ग्रामीण जीवन में व्याप्त आर्थिक शोषण और सामाजिक विडंबना को उजागर करती है। बेटे की मृत्यु से दुखी खोड़हुनू को सांत्वना देने वाले लोग ही बाद में उसे कर्ज और ब्याज के जाल में फंसा देते हैं। पैसा के लिए –"महाजन ने बही निकाली और नाम दर्ज किया खोड़हुनू वल्द कोदे –

'सबसे डेढ़ टका ब्याज लिया जाता है तुमसे सवा टका।
बेटे को खो चुका बूढ़ा पिता इस गांव व्यवहार से कैसे उऋण होगा।'[5]

कथा में गांव व्यवहार शब्द व्यंग्यात्मक अर्थ ग्रहण कर लेता है। जो व्यवस्था सहयोग और संवेदना का प्रतीक होनी चाहिए, वही शोषण का माध्यम बन जाती है। लेखक ने ग्रामीण सत्ता संरचना, महाजनी प्रथा तथा आर्थिक निर्भरता की समस्या को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है।

चेतन स्वामी की लघुकथा 'रिकवरी' प्रशासनिक भ्रष्टाचार की गहरी पड़ताल करती है। नगरपालिका कर्मचारी विनयभान पर निकाली गई रिकवरी वास्तव में रिश्वतखोरी के तंत्र का हिस्सा बन जाती है। विनयभान कहता है "बताओ, क्या खाक कोई काम कर दे, पढ़ो इस कागज को– डीएलबी ने दस हजार रुपए की रिकवरी निकाली है। लिखा है, त्वरित जमा कराएं. लोगों के काम करें और खुद की रिकवरी निकलवाएं।"[6] यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हरिशंकर परसाई व्यंग करते भ्रष्टाचार पर कि मेरी गाड़ी का नंबर इतना है इसमें सौ नंबर और बढ़ा दी जाए तो गाड़ी चल पड़ेगी। इस तरह से कथा में व्यंग्य और यथार्थ का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। अधिकारी अपनी आर्थिक समस्या का हवाला देकर लोगों से अप्रत्यक्ष रूप से धन वसूलता है और बदले में उनके कार्य करता है। यहाँ भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत प्रवृत्ति नहीं, बल्कि संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा बनकर सामने आता है। कथा प्रशासनिक तंत्र की नैतिक गिरावट को उजागर करती है।

मणिका देवी की असमिया लघुकथा 'रास्ते की मटरगश्ती' एक भिन्न संवेदनात्मक धरातल प्रस्तुत करती है। कथा की नायिका रास्ते से संवाद करती है और उसमें अपनी स्वतंत्रता तथा आत्म–अभिव्यक्ति का विस्तार खोजती है और उनको "रास्ते के साथ गपशप करना अच्छा लगता है। बातों के भंवर में चक्कर कटवाना अच्छा लगता है। घुमावदार बातें मुझे अच्छी नहीं लगीं। मैं सीधा रास्ता हूँ, तना हुआ रास्ता है। आंखों से देखकर भी खत्म नहीं होने वाला रास्ता।"[7] रास्ता यहाँ केवल भौतिक मार्ग नहीं, बल्कि जीवन की संभावनाओं और स्वतंत्र चिंतन का प्रतीक है। कथानायिका का घर से निकलकर रास्ते के साथ संवाद करना स्त्री–स्वतंत्रता और आत्मपहचान की आकांक्षा को व्यक्त करता है। कथा का प्रतीकात्मक स्वर इसे अन्य सामाजिक यथार्थवादी कथाओं से अलग पहचान प्रदान करता है।

निष्कर्ष :

समकालीन हिन्दी लघुकथा समाज के विविध यथार्थों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करती है।

प्रस्तुत लघुकथाओं में तकनीकी निगरानी, धार्मिक पाखंड, भूख और गरीबी, पारिवारिक विघटन, ग्रामीण शोषण, प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा स्वतंत्रता की आकांक्षा जैसे विषयों का सशक्त चित्रण मिलता है। इन रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे छोटे आकार में बड़े सामाजिक प्रश्नों को उठाती हैं और पाठक को गहन चिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार समकालीन लघुकथा सामाजिक चेतना के निर्माण तथा मानवीय मूल्यों की पुर्नस्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संदर्भ सूची :

1. साहनी, सुकेश. वह तीसरा. कथादेश पत्रिका जुलाई अंक 2025. पृ. 21
2. भाटिया, अशोक. धर्म और रोटी. हंस पत्रिका सितम्बर अंक 2023 पृ. 50
3. वही पृ. 64
4. मोघे, विनय. हासिल. हंस पत्रिका सितम्बर अंक 2024, पृ. 8
5. वही, पृ. 87
6. स्वामी, चेतन. रिकवरी. हंस पत्रिका अगस्त अंक 2023, पृ. 89
7. देवी, मणिका. रास्ते की मटरगश्ती (अनु. दिनकर कुमार), वागर पत्रिका अंक 359, अक्टूबर 2025, पृ. 49.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 110-112

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

संपूर्ण मानव निर्माण : शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य

डॉ. निशांत शेखर
श्रीराम प्रॉपर्टी लिबर्टी स्क्वायर, गोल्ड कॉइन क्लब के पास,
अनंत नगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज–2, बेंगलुरु पिन–560100

वैश्वीकरण के इस युग में अभिभावक गण अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अधिकारी बनाना ही चाहते हैं। मेरे अनुरूप ये सही नहीं है हमारे यहां बहुत संभावनाएं हैं बहुत सारे विकल्प हैं कैरियर का। आज का प्रवेश आर्थिक युग का है और सभी लोग अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि आज के परिपेक्ष्य में हमें अपने बच्चों को संपूर्ण मानव बनाना चाहिए जो इस सृष्टि के व्यवस्था में योगदान दे सके, मानवता के लिए कार्य कर सके। बच्चों का जन्म लेने से पहले ही अभिभावक उसके भविष्य के बारे में सोच लेते हैं। ये कोई नहीं बताता है कि मैं अपने बच्चों को पत्रकार बनाउंगा, राजनेता बनाउगा, संस्कृत का विद्वान बनाउगा या एक सम्पूर्ण मानव बनाउगा इत्यादी। हर व्यक्ति ईश्वर का भेजा हुआ एक अलग गुण के साथ है और आपके अलावा कोई एक विशेष कार्य है जो आपके लिए ही रखा गया है। अपनी प्रतिभा को पहचाने हुए अपने इच्छाओं और क्षमता के अनुसार किस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। वैश्वीकरण के इस आर्थिक युग में बच्चे संस्कृत, वेद, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान (बेसिक), विदेशी भाषा, कृषि, संगीत, विस्कॉम, वास्तुकला, चित्रकार, नर्तक, फैशन डिजाइनर, मॉडल, अभिनेता, कॉर्पोरेट (लाखों कुशल नौकरी) इत्यादी। हमें अपने बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित होते हुए संपूर्ण मानव बनाना है। आर्थिक लाभ करते हुए अपने बच्चों का भरण पोषण करते हुए अपने बंधु बांधव अपने समाज के अपेक्षाओं पे खरा उतरते हुए एक संपूर्ण मानव के रूप में हमें दिखायी देगा जो भ्रष्टाचार, परिवार विखंडन एवं चरित्रहीन से दूर अपनी एक स्वच्छ दुनिया बनायेगा।

वर्तमान वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के युग में शिक्षा का अर्थ प्रायः केवल रोजगार प्राप्त करना और आर्थिक सफलता हासिल करना समझ लिया गया है। अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी या अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायों में देखना चाहते हैं। यद्यपि इन क्षेत्रों का अपना महत्व है, परंतु शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल आजीविका अर्जित करना नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो ज्ञानवान, संस्कारी, संवेदनशील, नैतिक और समाज के प्रति उत्तरदायी हो। दूसरे शब्दों में, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण मानव का निर्माण है।

मनुष्य केवल एक आर्थिक प्राणी नहीं है। उसके जीवन में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और

आध्यात्मिक पक्ष भी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि शिक्षा केवल रोजगार और धनार्जन तक सीमित रह जाए, तो वह व्यक्ति को सफल तो बना सकती है, लेकिन संपूर्ण नहीं। आज समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, पारिवारिक विघटन और सामाजिक असंवेदनशीलता का एक कारण यह भी है कि शिक्षा का केंद्र केवल भौतिक उपलब्धियाँ बन गई हैं। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा व्यक्ति के चरित्र, विचार और व्यवहार को भी विकसित करे।

प्रत्येक बालक ईश्वर की एक अनूठी रचना है। प्रत्येक के भीतर अलग–अलग प्रतिभाएँ और क्षमताएँ होती हैं। कोई संगीत में उत्कृष्ट हो सकता है, कोई साहित्य में, कोई विज्ञान में, कोई कृषि में, तो कोई कला, पत्रकारिता या खेल के क्षेत्र में। यदि सभी बच्चों को एक ही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो उनकी स्वाभाविक प्रतिभा का विकास बाधित हो सकता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था और अभिभावकों का दायित्व है कि वे बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को पहचानें तथा उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा को केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना गया है। हमारे ऋषि–मुनियों ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को बताया है। वेद, उपनिषद, संस्कृत साहित्य और अन्य प्राचीन ग्रंथ हमें जीवन मूल्यों, नैतिकता, अनुशासन और मानव कल्याण की शिक्षा देते हैं। आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ यदि बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों का ज्ञान भी दिया जाए, तो वे अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकेंगे।

आज के समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। कंप्यूटर विज्ञान, विदेशी भाषाएँ, कृषि, फैशन डिजाइनिंग, अभिनय, संगीत, चित्रकला, पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, शोध और अनेक अन्य क्षेत्रों में युवा अपनी प्रतिभा के बल पर उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समाज को केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं, बल्कि अच्छे शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, किसान और सामाजिक कार्यकर्ता भी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र समाज की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए किसी भी व्यवसाय को छोटा या बड़ा नहीं माना जाना चाहिए।

संपूर्ण मानव वह है जो अपनी सफलता के साथ–साथ समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने दायित्वों को समझता हो। वह अपने परिवार, पड़ोस और समाज के लोगों के प्रति संवेदनशील हो तथा अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करे। ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति में सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुण विकसित करे, वही वास्तव में सार्थक शिक्षा कहलाती है।

अंततः कहा जा सकता है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल आर्थिक उन्नति नहीं, बल्कि एक आदर्श, जिम्मेदार और संस्कारित नागरिक का निर्माण है। हमें अपने बच्चों को केवल सफल पेशेवर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसा संपूर्ण मानव बनाना चाहिए जो अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करे, समाज के लिए उपयोगी बने और मानवता के कल्याण में योगदान दे। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है और यही एक समृद्ध तथा सशक्त राष्ट्र के निर्माण का आधार भी है।

संदर्भ सूची :

1. मानव निर्माण कला।
2. बोहल शोध मंजूषा।
3. शोध समालोचन त्रैमासिक।
4. गीना शोध संगम।
5. नीति शतकम्।
6. संस्कार प्रकाश (Sanskar Prakash)
7. संस्कार सुधा।

मो. 8940187377

shekharfrench@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 113-120

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Religious Tourism and the Shakti Peeth Circuit in Himachal Pradesh : Mapping the Potential for Sustainable Pilgrimage Tourism

Kuldeep Patyal

Student, Himachal Pradesh University, Shimla (HPU)

Abstract :

The Shakti Peethas of Himachal Pradesh are really famous. This study is all about them. You see Himachal Pradesh has a lot of gods and goddesses and the way people live and the things they believe in change every few kilometers. That is why people call Himachal Pradesh the "Dev Bhoomi" which means the Land of the Gods.

There are many stories and beliefs about the Shakti Peethas. People believe that these Shakti Peethas came from the parts of Satis body. The Shakti Peethas are very important to people. Everyone knows about them. What happened was that Sati gave up her life in a fire and Lord Shiva picked up her body. Wherever any part of her body fell a Shakti Peetha was formed.

Himachal Pradesh has a lot of temples, for all the gods and goddesses and people come from all over to visit these temples. The Shakti Peethas are a part of this and people really want to see them when they visit Himachal Pradesh.

1. Introduction :

Religious tourism is a type of trip that comes from faith, church, and artistic traditions.

People constantly visit sacred places for religious purposes, fashions, and unsubstantial excrescency. In India, this shape of tourism plays an important portion in the frugality, helps save society, and strengthens the identity of nonidentical regions.

Himachal Pradesh, known as the" Land of Gods," has several important tabernacles dedicated to Goddess Shakti.

These bear Jwala Ji, Chintpurni, Brajeshwari, and Naina Devi. These places attract a physical number of addicts every time. Together, they form a network of passage blots known as the Shakti

Peeth Circuit. still, the growing number of rubberneckers has created cases like bane, overcrowding, parsimonious waste operation, and pressure on initial coffers.

This has made it essential to detect an expressway to develop religious tourism that's sustainable. Sustainable tourism helps cover the fiefdom, supports initial communities, and preserves artistic rubric.

This study aims to scheme the Shakti Peeth Circuit in Himachal Pradesh and look into how it can be developed in a sustainable expressway.

1.2 Concept of Sustainable Passage Tourism :

Sustainable passage tourism refers to tourism development that fulfills the spiritual and profitable requirements of pilgrims while conserving ecological balance, artistic heritage, and original livelihoods for unborn generations.

The conception includes

Environmental sustainability

Socio-artistic sustainability

Profitable sustainability

Community participation.

Heritage conservation

The Shakti Peeth circuit in Himachal Pradesh possesses strong implicit to crop as a model for sustainable religious tourism in India.

1.3 Statement of the Problem

Despite the fashionability of Shakti Peeth destinations in Himachal Pradesh, limited exploration has been conducted on

Integrated passage circuit development

Sustainable tourism planning

Carrying capacity operation

Community participation

Environmental impacts of passage tourism

Rapid commercialization and adding pilgrim advent are creating ecological and infrastructural stress in these fragile Himalayan regions.

Hence, this study aims to collude the Shakti Peeth circuit and estimate its eventuality for sustainable passage tourism development.

1.4 Need and Significance of the Study :

The study is significant because

It contributes to sustainable tourism exploration in Himachal Pradesh. It helps policymakers developeco-friendly passage circuits.

It promotes original profitable development. It supports artistic heritage conservation.

It identifies challenges faced by pilgrims and original communities.

The findings may help tourism departments, tabernacle trusts, original communities, and itineraries in creating sustainable passage programs.

2. Literature Review

Religious tourism is an important part of artistic tourism. Research has shown that pilgrimage tourism in India generates significant economic benefits and supports local communities. Scholars like Singh (2004) and Timothy and Olsen (2006) have pointed out that religious tourism helps preserve culture and encourages heritage conservation.

Butler (1999), in his study of sustainable tourism, emphasized that we need to carefully manage what tourists do to protect the environment and local cultures. In India, Shinde (2010) examined several popular travel destinations. He highlighted issues such as too much commercial activity and a lack of proper infrastructure.

In Himachal Pradesh, Sharma (2015) looked into temple tourism and found that while the area has a lot of potential, there isn't enough overall planning for how visitors move around. Kumar and Gupta (2018) have suggested using technology and improving the guidance provided to make religious sites more appealing to tourists.

Even so, people haven't really looked much into the Shakti Peeth Circuit, especially not as a single, well-organized route.

Most of the research focuses on individual temples rather than considering the entire circuit as something unique. This gap clearly shows we need more exploration to map out the circuit and understand its possibilities for sustainable tourism.

2.1 Pilgrimage Tourism in India

Pilgrimage tourism forms a major element of India's tourism sector. Religious destinations attract millions of callers annually due to faith, church, and artistic attachment. According to Rana P.B. Singh, the Shakti Peeths are important passage centers representing sacred terrain and spiritual tourism networks in South Asia.

2.2 Passage Tourism in Himachal Pradesh

Himachal Pradesh has multitudinous Hindu pilgrimage destinations that contribute significantly to tourism and indigenous development. The state's mountainous geography, sacred traditions, and

tabernacle architecture attract pilgrims throughout the time. Sati (2023) observed that passage tourism in the Himalayan region influences original livelihoods, frugality, and artistic traditions.

2.3 Shakti Peeths as Living Religious Heritage

Bhandari et al. emphasized that the Shakti Peeths of Himachal Pradesh represent "living religious heritage" where religious traditions continue laboriously in the present day.

The study stressed Growing pilgrim pressure structure expansion pitfalls to traditional armature Need for sustainable conservation measures .

2.4 Sustainable Tourism and Environmental Challenges

Exploration of passage tourism at Naina Devi Temple revealed both positive and negative impacts of religious tourism. Profitable openings increased, but waste operation, overcrowding, and environmental declination also surfaced as major enterprises. Recent reports also indicate that Himachal Pradesh is passing "over-tourism," leading to road traffic and carrying capacity issues.

2.5 Exploration Gap

Former studies substantially concentrated on Individual tabernacles Religious gestures Artistic heritage :

Veritably limited exploration exists on Integrated Shakti Peeth passage circuits Civilians mapping of passage routes Sustainable passage tourism planning Community-grounded passage tourism Therefore, the present study attempts to fill this gap.

Objectives of the Study

- Aims to examine the significance of the Shakti Peeth tabernacles as major passage destinations and estimate their eventuality for sustainable tourism development in Himachal Pradesh. The study focuses on understanding how religious tourism can contribute to profitable growth, artistic preservation, environmental sustainability, and community development in the Himalayan region.
- The primary ideal of the study is to machinate the major Shakti Peeth passage destinations of Himachal Pradesh and assess their eventuality for developing a sustainable passage tourism circuit. The exploration seeks to dissect the being tourism structure, vacuity, frequenter flux, and tourism installations available at these religious destinations. It also aims to understand the trip patterns and exploits of pilgrims visiting the Shakti Peeth tabernacles.
- Another important ideal of the study is to examine the socio-profitable impact of passage tourism on original communities. The study will dissect how passage tourism contributes to employment generation, original businesses, transport services, crafts, food services, and income openings for residers living around these passage spots.
- The exploration also aims to identify the environmental challenges associated with adding

passage tourism in ecologically sensitive Himalayan regions. Issues similar as waste generation, overcrowding, business business, water failure, pollution, and pressure on natural coffers will be examined to understand their impact on sustainable tourism development.

- Likewise, the study intends to estimate the part of original communities, government agencies, tabernacle trusts, and tourism stakeholders in promoting sustainable passage tourism practices. The exploration will also explore the possibilities of community-friendly tourism structure, heritage conservation, and responsible tourism operation within the Shakti Peeth circuit.
- Eventually, the study aims to suggest suitable strategies and policy recommendations for developing the Shakti Peeth circuit as a sustainable passage tourism destination. The recommendations may help tourism itineraries and policymakers in balancing religious tourism growth with environmental conservation and artistic preservation in Himachal Pradesh.

3. Research Methodology Research Design

The study uses a descriptive and exploratory path to understand the potentiality of the Shakti Peeth Circuit in Himachal Pradesh.

Data Collection

Primary Data :

- checks and questionnaires given away away to pilgrims
- Interviews with tabernacle staff, initial people, and tourism officers

Secondary Data :

- crashes from the Tourism Department of Himachal Pradesh
- exploration papers, books, and diurnals
- Online sources and tabernacle websites

Study Area :

This study focuses on the following main Shakti Peeths in Himachal Pradesh

- Jwala Ji(Kangra)
- Chintpurni (Una)
- Brajeshwari Devi (Kangra)
- Naina Devi (Bilaspur)

Data dissection :

- Qualitative dissection to understand pilgrims' tricks and views from nonidentical stakeholders
- Quantitative dissection applying simple statistics like chances and maps
- Mapping of passage rows applying geographical tools

Objects of the Study :

- To understand the conception of religious tourism in Himachal Pradesh
- To machinate the Shakti Peeth Circuit
- To study the expostulations faced in passage tourism
- To estimate the potentiality for developing sustainable tourism in the region

4. Identify Circuit

4.1 Shakti Peeths Circuit :

Naina Devi | Jawala Ji Temple | Shaktipeeth Shri Brajreshwari Devi Temple, Kangra | Baglamukhi Temple Himachal | Chintpurni

4.2 Religious Circuit :

Shri Naina Devi Ji | Baba Balak Nath Temple | Jawala Ji Temple | Baijnath | Shaktipeeth Shri Brajreshwari Devi Temple, Kangra | Baglamukhi Temple Himachal | Chintpurni

5. Analysis and Recommendation

Current Situation :

Himachal Pradesh is a major center for religious tourism, attracting a significant number of pilgrims and tourists every year. People from all over India visit the state's prominent temples, driven by their deep faith and devotion.

Key Pilgrimage Centers :

The text highlights several famous temples that are central to this religious circuit :

- Naina Devi
- Chintpurni
- Jawala Ji
- Baba Balak Nath
- Baijnath

Recommendations :

Recommendations for Tourism enhancement installations and Information There should be better accommodation installations for excursionists at tabernacles and other spots. Also,' Online Information Centers' should be established to support callers about the original cultivation and religious significance.

Digital Services and Transportation Digital services and transportation networks need to be

strengthened to insure excursionists do n't face difficulties while touring.

Accommodation furnishing comfortable and popular stay options is stressed as a precedence for a better sightseer experience.

Original Brace and Promotion Effective' Tourism Promotion' and the active participation of original communities are considered essential for boosting tourism in the region.

6. Conclusion :

The study concludes that the Shakti Peeth compass in Himachal Pradesh holds significant eventuality for getting a well- structured religious tourism compass. These tabernacles not only have unsubstantial significance but also contribute to original husbandry through tourism- related conditioning.

Still, expostulations similar to see structure, environmental enterprises, and lack of integrated planning hamper sustainable evolution. The absence of proper waste operation systems, transportation installations, and digital services further impacts the pilgrim experience.

To promote sustainable passage tourism, it's essential to Develop a well- budgeted Shakti Peeth compass Ameliorate structure and connectivity applyeco-friendly practices Encourage community participation incorporate ICT(e.g.,e-puja, online booking, digital information systems)

By espousing a sustainable path, Himachal Pradesh can enhance its situation as a major religious tourism destination while conserving its artistic and natural rubric.

7. References :

- Kumar, R.B., Singh, G., & Singh, L. (2015). Pilgrimage Tourism and its Impact at Naina Devi Shrine (Bilaspur, Himachal Pradesh). Gyan Management Journal.
- Bhandari, H., Kaur, P., & Grover, A.R. (2018). The ongoing construction trends in Shaktipithas of Himachal Pradesh-symbols of living religious heritage. International Journal of Engineering and Technology.
- Singh, R.P.B. (2012). The 51 Shakti Pithas in South Asia: Spatiality and Perspective for Pilgrimage-Tourism. Oriental Anthropologist.
- Sati, V.P. (2023). Pilgrimage to the Himalaya: Historical Perspectives and Present Scenario. Journal on Tourism & Sustainability.
- Bhandari, H. et al. (2018). An Explorative Study of Hindu Goddess Sites in Himachal Pradesh.
- Bhandari, H., & Mittal, A. (2020). A naturalistic inquiry of pilgrims' experience at a religious heritage site: The case of a Shaktipitha in India.
- Thakur, P. (2025). Opportunities, Challenges and Sustainable Development of Religious Tourism in Himachal Pradesh. International Journal of Tourism and Hotel Management.

- Kuniyal, J.C. et al. (2025). Carrying Capacity and Strategic Planning for Sustainable Tourism Practices in the Char Dham from the Western Himalaya, India. Scientific Reports.
- Vyas, N., Nagal, P.R., & Dhanda, A. (2025). Mahasu Devta, Shamanism, and Cultural Heritage: Assessing the Scope of Spiritual and Cultural Tourism in Himachal Pradesh.
- Alam, J., Alam, Q.N., & Kalam, A. (2022). Prospects and Challenges for Sustainable Tourism: Evidence from South Asian Countries.
- Baggio, R. (2007). Symptoms of Complexity in a Tourism System.
- Zandi, S. (2023). Revival of the Silk Road using AR/VR and its Role on Cultural Tourism.
- Payntar, N.D. et al. (2020). Learning Patterns of Tourist Movement and Photography from Geotagged Photos at Archaeological Heritage Sites.
- Sharma, S., & Bhatia, A. (2022). Ornithological Tourism: Sustainable Tourism Development Opportunities for Poverty Reduction in Pong Dam Wetland of Himachal Pradesh.
- Butler, R.W. (1980). The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution. Canadian Geographer.
- Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach. Journal of Sustainable Tourism.
- Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. Van Nostrand Reinhold.
- Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. CABI Publishing. Smith, V.L. (1992). Introduction: The Quest in Guest. Annals of Tourism Research.
- Timothy, D.J., & Olsen, D.H. (2006). Tourism, Religion and Spiritual Journeys. Routledge. Singh, S. (2004). Religious Tourism in India. Daya Publishing House.
- Shackley, M. (2001). Managing Sacred Sites: Service Provision and Visitor Experience. Continuum.
- Cohen, E. (1992). Pilgrimage and Tourism: Convergence and Divergence. Journal of Tourism Studies.
- Government of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh Tourism Policy Reports. Himachal Tourism Official Website
- Ministry of Tourism, Government of India. Religious Tourism and Pilgrimage Rejuvenation Reports.
- Ministry of Tourism India.

E-mail ID – kuldeeppatyal29@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642
Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 121-127
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

अनाथालयों के अन्तेवासी बच्चों के विभिन्न वर्गो की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन का अध्ययन

अम्बरीश वाजपेयी, शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र,
डॉ. राजेश पालीवाल, सह आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग,
दयानन्द वैदिक कॉलेज, उरई, जनपद – जालौन, उ. प्र.।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनाथालयों के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य सह–संबंध का अध्ययन करना था।

प्रस्तुत शोध कार्य के लिये, शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जालौन, झाँसी एवं महोबा जनपदों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित अनाथालयों, यतीमखानों, मंदिरों और मस्जिदों के (10–16 वर्ष) आयु वर्ग के 44 अन्तेवासी अनाथ बच्चों का चयन किया।

प्रस्तावना :–

शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है जो उसके सर्वागीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में बच्चों का कल्याण एवं उनकी शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक विषय है। विशेष रूप से उन बच्चों के संदर्भ में जो अनाथालयों में निवास करते है। अनाथालयों में निवास करने वाले बच्चों के लिये शिक्षा न केवल उनके आत्मनिर्भर भविष्य का आधार बनती है, बल्कि उनके संवेगात्मक वंचन को भी कम करने में सहायक होती है। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सामाजिक – आर्थिक चुनौतियाँ अधिक है। जो अनाथालयों में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं एवं संवेगात्मक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। अनाथालयों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिये ही नहीं, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिये भी महत्वपूर्ण है। यदि इन बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया जाये, तो वे अपने जीवन में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते है और समाज में सार्थक योगदान दे सकते है। माता–पिता का संरक्षण न मिल पाने के कारण अनाथालयों में रहने वाले बच्चों में आत्मसम्मान की कमी, भावनात्मक अस्थिरता और सामाजिक अलगाव जैसी समस्यायें देखी जा सकती है।

यह अध्ययन इस बात की भी जांच करेगा कि संवेगात्मक वंचन किस हद तक उनकी शिक्षा और जीवन में प्रगति को प्रभावित करता है।

शोध समस्या कथन :–

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनाथालयों के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य सह–संबंध का अध्ययन।

शोध समस्या में प्रयुक्त चरों का परिभाषीकरण :-

अन्तेवासी बच्चे :- प्रस्तु शोध अध्ययन में अन्तेवासी बच्चों से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जालौन झाँसी एवं महोबा जनपदों में स्थित अनाथालयों के अन्तेवासी अनाथ बच्चों से है।

शैक्षिक आकांक्षा :- जब बालक के सामने कई चुनौतियाँ जैसे – आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं परम्परागत होती है। जिसके कारण बालक शिक्षा के अवसरों से वंचित रहता है। शैक्षिक अवसरों की चुनौतियां होते हुये बालक में शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। जिसे सामान्य रूप से शैक्षिक आकांक्षा कहा जाता है।

डॉ. वर्षा गौतम के अनुसार – शैक्षिक आकांक्षा में उपलब्धि की इच्छा निहित रहती है। शैक्षिक आकांक्षा यह नही बतलाती कि विद्यार्थी अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कितना सफल रहा, यह तो केवल इस बात का उल्लेख करती है कि विद्यार्थी क्या प्राप्त करना चाहता है या उसका लक्ष्य क्या है?

संवेगात्मक वंचन :-

संवेगात्मक वचन से आशय बच्चों में संवेगों के समुचित तथा संतुलित विकास एवं प्रकटीकरण की क्षमता का अभाव है। संवेगात्मक वचन एक क्रिया है जो सकारात्मक रूप में वर्गीकृत की गयी है। जब संवेगात्मक वंचन को यांत्रिक माध्यम में अंग्रेजी में रूपांतरित करते है तो Emotional Deprivation आता है। जिसको हिन्दी में भावनात्मक अभाव के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अतः संवेगात्मक वंचन से तात्पर्य भावनात्मक अभाव से है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

अनाथालयों के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वचन के मध्य सह–संबंध का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना :-

अनाथालयों के विभिन्न वर्गो (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति) की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य कोई सह–संबंध नहीं है।

उप परिकल्पना :-

अनाथालयों के सामान्य वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य कोई सह संबंध नहीं है।

अनाथालयों के अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य कोई सह–संबंध नहीं है।

अनाथालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य कोई सह संबंध नहीं है।

शोध अध्ययन की परिसीमायें :-

शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त अनाथालयों, यतीमखानों, मन्दिरों व मस्जिदों के अन्तेवासी अनाथ बच्चों को लिया गया है। शोध अध्ययन में उ. प्र. के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जालौन, झाँसी एवं महोबा जनपदों के (10–16 वर्ष) आयु वर्ग के अन्तेवासी बच्चों को लिया गया है। इस शोध अध्ययन

में 44 अन्तेवासी अनाथ बच्चों को न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है।

उपकरण :–

इस शोध अध्ययन में दो चरों का प्रयोग किया गया। प्रथम शैक्षिक आकांक्षा मापनी (P) का प्रयोग किया गया है, जो डा. वी. पी. शर्मा एवं डा. अनुराधा गुप्ता द्वारा निर्मित की गयी है। द्वितीय चर के लिये स्वनिर्मित संवेगात्मक वंचन मापनी का प्रयोग किया गया है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

शैक्षिक आकांक्षा :–

सिंह नागेन्द्र कुमार (2017) ने किशोरों की शैक्षिक आकांक्षा तथा शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि किशोरो की माध्यमिक स्तर पर क्षेत्र और लिंग के आधार पर शैक्षिक आकांक्षा का स्तर छात्रों में भिन्न–भिन्न होता है। और शैक्षिक आकांक्षा तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सकारात्मक सम्बन्ध होता है।

प्रभूदयाल (2019) ने माध्यमिक स्तर पर मुस्लिम समुदाय के छात्र–छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा के तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि शैक्षिक आकांक्षा छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करती है। परिवार तथा वातावरण की इसमें विशेष भूमिका होती है।

चण्डहोक, दिव्या, (2023) ने प्राथमिक शिक्षकें के आकांक्षा स्तर का उनकी व्यवसायिक संतुष्टि से सम्बन्ध के अध्ययन में पाया कि गुण और दोष आकांक्षा के स्तर को प्रभावित करते है। यह गुण और दोषों का विकास उसके माध्यमिक शिक्षा से प्रारम्भ हो जाता है। बालक एवं बालिकाओं में इनका स्तर भिन्न–भिन्न होता है।

दास सन्मय (2024) ने वर्तमान स्थिति में अनाथालयों के अनाथ बच्चों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन कर पाया कि वे औपचारिक शिक्षा में अधिक रूचि रखते है। अनाथ बच्चों की आकांक्षायें सामान्य बच्चों से कुछ कमजोर होती है। इसकी कारण अनाथ बच्चों में अनुचित व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। जिसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर भी पड़ता है।

संवेगात्मक वचन :–

रिमावी, ओ., एवं असफूर, ऐ., (2022) का यह अध्ययन यरूशलेम के आन्तरिक तथा बाह्य विभागों में रहने वाले अनाथ छात्रों में भावनात्मक अभाव के स्तर की जाँच करता है। शोध से यह पता चलता है कि देखभाल, पारिवारिक स्नेह और स्थिर सामाजिक वातावरण के अभाव में इन छात्रों में भावनात्मक असुरक्षा, अकेलापन और व्यवहारिक कठिनाइयाँ अधिक पायी जाती है। आन्तरिक विभागों में रहने वाले छात्रों में बाहरी विभागों की तुलना में ऊँचे स्तर का भावनात्मक अभाव देखा गया है जिसका मुख्य कारण व्यक्तिगत देखभाल की कभी और सीमित भावनात्मक समर्थन है।

एल्माही, वेनलेवाद, अहमद (2023) ने देखभाल में बच्चों के बीच भावनात्मक अभाव और अन्य अक्रामता के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध में पाया कि भावनात्मक अभाव और देखभाल में बच्चों के बीच आक्रामक व्यवहार की अभिव्यक्ति के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध है। इन्होने देखभाल में रहने वाले बच्चों के बीच भावनात्मक अभाव और इसके सभी रूपों में आक्रामक व्यवहार की घटना के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध के असित्व की

पुष्टि की है।

लाइवा, अरशद (2024) ने एकल अभिभावक के साथ किशोरावस्था में भावनात्मक अभाव और कुसमायोजन के शिकार होने का एक सहसंबंधी अध्ययन में इनके माता या पिता जो, एकल अभिभावक के रूप में हैं उनकी भूमिका, उनका व्यक्तित्व इन बालकों के संवेगों के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। जिससे वह मौखिक, शारीरिक व सामाजिक कुसमायोजन के शिकार हो जाते है।

मैसी, हेनरी (2025) ने शैशवास्था से मध्य आयु तक भावनात्मक अभाव का एक मनोविश्लेषणात्मक भावी अध्ययन में 125 शिशुओं पर शुरू हुआ और 30 वर्ष आयु तक किये गये भावनात्मक विकास के एक संभावित अध्ययन के आकड़ों के आधार पर भावनात्मक अभाव युक्त व्यक्तियों में दूसरों के प्रति नकारात्मक सोच व समुचित व्यवहार की संभावनायें अधिक पायी गयी।

हाउआडेफ और नासर (2025) ने ''स्कूली किशोरों में भावनात्मक अभाव और भावनात्मक बुद्धिमता के बीच संबंध'' अध्ययन में पाया कि स्कूली किशोरों में भावनात्मक अभाव, भावनात्मक बुद्धिमत्ता किशोरों की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी जरूरतों मे से एक है। और इनकी पूर्ति न होने पर किशोरों के व्यक्तित्व और भावनात्मक बुद्धिमता का अनुचित विकास हो सकता है।

सांख्यिकीय प्रविधि :– प्रस्तुत शोध अध्ययन ने शोधार्थी ने शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य सहसंबंध निकालने के लिये प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का प्रयोग किया है।

प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण एवं विवेचना :–

परिकल्पना :–

अनाथालयों के विभिन्न वर्गो (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा अनुसूचित जाति/जनजाति) की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य कोई सहसंबंध नही है।

उपपरिकल्पना :–

अनाथालयों के सामान्य वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य कोई सहसंबंध नहीं है।

अनाथालयों के सामान्य वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन स्तर के मध्य सहसंबंध गुणांक का मान :—

सारणी क्रमांक – 1

सामान्य वर्ग	संख्या	विचलन का योग	विचलन के वर्गो का योग	विचलनों का गुणनफल	सह संबंध गुणांक	स्वतन्त्रता के अंश	परिणाम
शैक्षिक आकांक्षा	44	1.06	1326.18	349.81	0.26	86	निम्न धनात्मक सहसंबंध
संवेगात्मक वंचन	44	1.42	1387.18				

व्याख्या :– प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि अनाथालयों के सामान्य वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की

शैक्षिक आकांक्षा के प्राप्तांक के मानक विचलनों का योग 1.06 एवं मानक विचलन के वर्गो का योग 1326.18 एवं अनाथालयों के सामान्य वर्ग के अन्तेवासी बच्चों के संवेगात्मक वंचन के प्राप्तांको का मानक विचलन का योग 1.42 एवं मानक विचलन के वर्गो का योग 1387.18 है। दोनों चरों के मानक विचलन के गुणनफल का योग 349. 81 है। जिसके फलस्वरूप सहसंबंध गुणांक का मान 0.26 प्राप्त हुआ जो कि +0.20 से +0.40 के मध्य परिगणित होता है एवं दोनों चरों के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबंध है। अतः प्रस्तुत शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। अनाथालयों के सामान्य वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबंध है।

उपपरिकल्पना :- अनाथालयों के अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य कोई सहसंबंध नही है।

अनाथालयों के अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन स्तर के मध्य सहसंबंध गुणांक का मान –

सारणी क्रमांक – 2

अन्य पिछड़ा वर्ग	संख्या	विचलन का योग	विचलन के वर्गो का योग	विचलनों का गुणनफल	सह संबंध गुणांक	स्वतन्त्रता के अंश	परिणाम
शैक्षिक आकांक्षा	29	– 2.84	426.82	– 82.86	– 0.11	56	अत्यन्त निम्न ऋणात्मक सहसंबंध
संवेगात्मक वंचन	29	6.39	1428.69				

व्याख्या :- प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि अनाथालयों के अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा के प्राप्तांक के मानक विचलन का योग – 2.84 एवं मानक विचलन के वर्गो का योग 426.82 एवं अनाथालयों के अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तेवासी बच्चों के संवेगात्मक वंचन के प्राप्तांकों का मानक विचलन का योग 6.39 एवं मानक विचलन के गुणनफल का योग – 82.86 है। अनाथालयों के अन्या पिछड़ा वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य सहसंबंध निकालने के लिये प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का प्रयोग किया गया। जिसके फलस्वरूप सहसंबंध गुणांक का मान – 0.11 प्राप्त हुआ जो कि + 0.00 से – 0.20 के मध्य परिगणित होता है एवं दोनों चरों के मध्य अत्यन्त निम्न ऋणात्मक सहसंबंध है, अतः प्रस्तुत शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। अनाथालयों के अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य अत्यन्त निम्न ऋणात्मक सहसंबंध है।

उपपरिकल्पना :- अनाथालयों के अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य कोई सहसंबंध नहीं है।

अनाथालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के स्तर के मध्य सहसंबंध गुणांक का मान –

सारणी क्रमांक – 3

अनुसूचित जाति / जनजाति	संख्या	विचलन का योग	विचलन के वर्गो का योग	विचलनों का गुणनफल	सह संबंध गुणांक	स्वतन्त्रता के अंश	परिणाम
शैक्षिक आकांक्षा	27	00	702.29	227.37	0.31	52	निम्न धनात्मक सहसंबंध
संवेगात्मक वंचन	27	– 2.84	742.96				

व्याख्या – प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि अनाथालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा के प्राप्तांक के मानक विचलन का योग 00 एवं मानक विचलन के वर्गो का योग 702.29 है एवं अनाथालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अन्तेवासी बच्चों के संवेगात्मक वंचन के प्राप्तांको का मानक विचलन का योग – 2.48 एवं मानक विचलन के वर्गो का योग 742.96 है दोनों चरों के मानक विचलन के गुणनफल का योग 227.37 है। अनाथालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य सहसंबंध निकालने के लिये प्रोडक्ट सहसंबंध गुणांक का मान 0.31 प्राप्त हुआ जो कि + 0.20 से + 0.40 के मध्य परिगणित होता है एवं दोनों चरों के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबंध है, अतः प्रस्तुत शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। अनाथालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबंध है।

निष्कर्ष :–

- अध्ययन से स्पष्ट है कि अनाथालयों के सामान्य वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबंध है।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अनाथालयों के अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य अत्यन्त निम्न ऋणात्मक सहसंबंध है।
- अध्ययन से स्पष्ट है कि अनाथालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अन्तेवासी बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबंध है।

सुझाव :

- अनाथालयों के अन्तेवासी अनाथ बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं के स्तर का विकास करने के लिये उन्हें समय – समय पर प्रशासन के उच्च अधिकारियों, देश व प्रदेश और शहर का नेतृत्व कर रहे, सम्मानित सदस्यों के द्वारा उनके बीच प्रेरण एवं मार्गदर्शन प्रदान कराना चाहिये।
- अनाथालयों के अन्तेवासी बच्चों के संवेगात्मक वंचन को कम करने के लिये उन्हें खेलकूद, नृत्य, संगीत और अन्य सामूहिक क्रियायों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
- अनाथालयों के देखभालकर्ता को सरकार के द्वारा समय समय पर नवीन जानकारियां का प्रशिक्षण प्रदान करने चाहिये जिससे वह अपने संस्था में रह रहे अनाथों का कल्याण कर सके।
- मजबूत शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगों के समुचित विकास के लिये आश्रय् स्थलों का वातावरण पक्षपात रहित

होना चाहिये।

- सरकारी व गैर सरकारी अनाथालयों में सरकार द्वारा अतरिक्त संसाधनों को प्रदान करना चाहिये।

संदर्भ सूची :-

- चौहान, आर. और पाठक, पी.डी., (2018) शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा, पृ. सं. – 127
- गौतम, डा. वी., (2021) रीवा विकास खण्ड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक शालाओं में छात्रों की शैक्षिक आकांक्षाओं का तुलनात्मक अध्ययन, 4(1), पृ. सं. 40–43, E-ISSN:2706-8927,PISSN:2706-8919
- सिंह, एन. के. (2017), किशोरों की शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन, 3(3), 55–59, ISSN:2455-2232
- भारद्वाज आर. के. और प्रभूदयाल, (2019) माध्यमिक स्तर पर मुस्लिम स्तर के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षाओं का तुलनात्मक अध्ययन, 4 (2), H.1-H.4, PISSN:2394-0344
- मीणा, मीनाक्षी, चण्डहोक, दिव्या (2023), प्राथमिक शिक्षकों के आकांक्षा स्तर का उनकी व्यावसायिक संतुष्टि से संबंध का अध्ययन, इण्टरनेशनल जर्नल आफ नोवल रिसर्च एण्ड डेबलपमेन्ट, 8 (5), 2456 – 4184
- Das, A, Rajesh, V,R, (2024), A study on educational aspiration among undergraduate students, shodh kosh : Journal of visual and performing Arts. 5 (6), 2458-2466, https://doi.org/10.29121/shodhkosh. v-5. i6.2024.3140.
- Rimawi, O , asfour , A.(2022), emotional deprivation among orphan students living in the internal and external departments of Jerusalem, international journal of social science and Humanities Invention, 9 (2), 6827-6831, https://doi.org/10.18535/ijsshi/v9i020.5
- Zoubeids, A, Benlebad, A. (2023), A psychological relationship between emotional deprivative and aggression among children in care. Rearfach the rapy and journal for development variations, 6(6), 523-529, https://doi.org/EISSN-2589-7799
- Arshad, L, (2024) A correlational study for emotional deprivation and vullying victimization in adolescence with single parent, research square, 21(1), 1-9, https://doi.org/10.21203/rs. 3.rs-4366921/v1
- Massey, H. (2025), A psychoanalytic study of emotional deprivation from infancy to midlife. Journal of Infant, child and adolescent psychotherapy, 24(1), 7-33, https://doi.org/10.1080/15289168.2025.2473859
- हाउआडेफ, आर. और नासर, एच टी, (2025), स्कूली किशोरों में भावनात्मक अभाव और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से इसका संबंध। दिरासैट : मानव और सामाजिक विज्ञान, 52(6), 75341, https://doi.org/10-35516/hum.v5216-7534
- shodhganda, https//shodhganga.inflibent.ac.in
- www.ncert.nic.in
- www.wikipedia.com
- Academia app
- https//www/sos/org/pk.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 128-134

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

The Spectacle of Suffering : Politics of Pain and Media Representation of Disability in Raghuvir Sahay's "The Handicapped Caught in a Camera"

Dr. Gunjan Kumari

Abstract :

Disabled bodies are frequently either erased from public discourse or rendered hyper visible through frameworks of pity, tragedy, and suffering. The politics of representation remains deeply intertwined with the politics of power: who represents whom, under what conditions, and for whose consumption are central questions in literary and cultural discourse. These questions become especially urgent in the context of disability, where representation often oscillates between invisibility and excessive visibility. Within this representational politics, pain emerges as a contested category. Pain is intensely personal, deeply embodied, and often resistant to language; yet media repeatedly attempts to extract, narrativize, and commodify it for public consumption. This paper, through a close reading of Raghuvir Sahay's "The Handicapped Caught in a Camera," translated into English by Harish Trivedi, offers a deeply unsettling critique of this process. Drawing on key theoretical frameworks from disability studies, media studies, and affect theory, this paper analyses how disability is mediated through structures of power, visuality, emotional manipulation, and ableist perspective. The works of Lennard J. Davis, Rosemarie Garland-Thomson, Elaine Scarry, Susan Sontag, and Michel Foucault are used to examine how media constructs disability through ableist narratives, surveillance, and spectacle.

Keywords :

Disability Representation, commodification, pain politics, Media Ethics, Spectatorship, ableism.

In a compact yet powerful poem, Sahay exposes the violence embedded in media's urge to capture disability through the language of pain, spectacle, and emotional consumption. Sahay's poem does not merely critique media insensitivity; rather, it dismantles the ideological machinery through

which disability is turned into spectacle and suffering into consumable visual material. The poem reveals that media often does not represent disabled pain as much as it manufactures and stages it. The disabled subject is denied agency and transformed into an object of interrogation, spectacle, and emotional extraction. This paper argues that Sahay's poem reveals the politics of pain as a form of extractive spectatorship wherein media converts disability into visual commodity, pain into emotional performance, and empathy into spectacle. Through the lenses of disability studies, media theory, affect studies, and surveillance discourse, the poem emerges as a sharp literary intervention into the politics of looking, consuming, and narrating disability.

The politics of disability representation cannot be understood without engaging with the theoretical foundations of disability studies. Lennard J. Davis argues that disability is not merely a medical condition but a category socially produced through normative systems. In *Enforcing Normalcy*, Davis writes, "the concept of the norm… implies that the majority of the population must or should somehow be part of the norm" (29). Disability thus emerges not simply from bodily impairment but from social frameworks that determine acceptable and deviant bodies.

Similarly, Rosemarie Garland-Thomson argues that staring occupies a central place in disability politics because disabled bodies become sites of visual fascination and anxiety. In *Staring: How We Look*, she notes that staring "registers the perception of difference and gives meaning to impairment" (6). The disabled body is thus not merely seen; it is interpreted, categorized, and consumed. Within this context, media functions as an intensified apparatus of staring.

Sahay's poem opens with chilling irony :

> "We shall appear on television
> We the able and the strong" (Sahay 146).

These opening lines immediately establish a hierarchy of power. The pronoun "we" is deeply political. It refers not only to media professionals but to the larger normative order that assumes authority over representation. The phrase "able and the strong" foregrounds bodily normativity as power. Disability is framed from the outset through an unequal relation between observer and observed. The able-bodied media apparatus occupies authority; the disabled subject is summoned as object.

The Hindi original intensifies this irony through Sahay's characteristic socio-political satire. Sahay's language is never sentimental; his critique remains systemic. The violence in the poem is bureaucratic, procedural, and disturbingly normalized. The television program appears socially meaningful on the surface, yet its structure is fundamentally exploitative.

The next lines expose the coercive structure of media questioning :

> "We shall ask him, So are you a handicapped person?

But why are you a handicapped person?" (Sahay 146)

The absurdity of "why" reveals profound ignorance disguised as inquiry. The question reduces disability to spectacle and curiosity. The disabled subject is not approached as a person with complex subjectivity but as a body requiring explanation.

Stuart Hall helps illuminate this process. In *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, Hall argues that representation is not reflective but constitutive—it actively produces meaning. Media here does not seek knowledge. It constructs disability as consumable meaning.

The poem becomes increasingly disturbing when pain is made the central demand :

"Your handicap must give you pain
Now does it?" (Sahay 146)

The word "must" is crucial. Pain is assumed, demanded, and scripted before the disabled subject is even allowed to speak. This line captures the politics of compulsory suffering in disability discourse. Society frequently expects disabled individuals to perform pain in recognizable and acceptable ways. If visible suffering is absent, dominant able-bodied narratives are disrupted.

Elaine Scarry offers a crucial framework here. In *The Body in Pain*, she argues that pain fundamentally resists language because it actively destroys expression. As Scarry writes, "physical pain does not simply resist language but actively destroys it" (4). Pain remains difficult to articulate precisely because it is intensely private and embodied.

Sahay captures this violence of extraction with remarkable precision :

"Yes, so tell us about your pain, then
What is this pain, quickly?
He wouldn't be able to tell" (Sahay 146)

The demand for immediate verbal articulation exposes the absurd violence of media extraction. Pain cannot be authentically performed on command. Yet media insists on speed, emotional clarity, and dramatic expression. The word "quickly" reveals the temporal violence of broadcast culture. Time is limited; emotion must be produced efficiently.

This is where Sahay's critique intersects powerfully with affect theory. Sara Ahmed reminds us that emotions do not remain private but circulate socially and politically. In *The Cultural Politics of Emotion*, Ahmed writes, "emotions work to shape the 'surfaces' of individual and collective bodies" (1). Pain in media thus becomes social currency. It generates sympathy, attention, emotional investment, and ultimately consumption. In this process, pain becomes commodified.

The poem further reveals how media manufactures emotional performance :

"Now think
Tell us
Just concentrate
(We can't lose this opportunity!)" (Sahay 146)

The parenthetical statement is devastating. It exposes the hidden logic beneath public concern. The "opportunity" is not to understand disability but to exploit emotional spectacle. Sahay brilliantly uses the parenthetical voice as disclosure of institutional hypocrisy. Public language performs empathy; private intention seeks spectacle.

Susan Sontag offers a striking parallel in *Regarding the Pain of Others*. Sontag warns that repeated exposure to suffering through visual media often creates not ethical engagement but detached consumption. She writes, "Compassion is an unstable emotion" (101). Without structural understanding or action, emotional response quickly turns into passive spectatorship.

Sahay intensifies this critique :

"We shall ask and ask and reduce him to tears" (Sahay 147)

This line marks the climax of emotional violence. Tears become the desired outcome. The interview succeeds only when suffering becomes visibly performative. Emotional breakdown becomes proof of authenticity.

The poem then shifts toward direct indictment :

"Do you also wait for him to start crying?
Do you?" (Sahay 147)

This is one of the poem's most powerful turns. The gaze shifts from media to audience. Sahay refuses to isolate guilt within institutions alone. The viewer becomes complicit. Media spectacle survives because audiences consume it. The repeated question—"Do you?"—collapses moral distance. The reader becomes implicated in the politics of consumption.

This recalls John Berger's insights in *Ways of Seeing*. Berger observes that seeing is never neutral or innocent; looking itself is structured by ideology and power. The act of looking becomes political because it determines how meaning is assigned. In disability representation, looking often becomes a subtle form of domination. The disabled body thus becomes meaningful primarily through the able-bodied gaze.

Perhaps the most haunting image in the poem is :

"Then we shall show on the screen
A blow up of a blinded eye
A big big blow up" (Sahay 147)

This is pure visual violence. The camera fragments the body. Rather than representing the individual as a whole person, it isolates impairment. The eye becomes spectacle. The disabled subject disappears as a person and survives only as an image.

David T. Mitchell and Sharon L. Snyder describe a similar phenomenon in *Narrative Prosthesis*, where disability functions less as lived reality and more as symbolic device. They argue that disability repeatedly serves as a narrative mechanism through which cultural meaning is produced. Sahay's "blow up of a blinded eye" becomes a perfect illustration of this phenomenon. Disability is aestheticized, magnified, and stripped of social context.

The following lines deepen this critique :

"And on his lips a twitch
(We hope you'll take it for the pain of the handicapped.)" (Sahay 147)

Pain here is no longer lived experience; it becomes interpretive instruction. Media dictates how viewers should decode bodily signs. A twitch becomes pain because media assigns that meaning. Representation therefore becomes construction.

This exposes the politics of interpretation itself. Disability is often mediated through able-bodied interpretive authority. The disabled subject's own voice becomes secondary to institutional narration. Meaning no longer emerges from lived experience but from externally imposed frameworks.

The poem reaches its most brutal articulation of emotional commodification :

"We must get both to start crying at once
You and him
Both" (Sahay 147)

This is perhaps the most devastating statement in the poem. Media success lies in synchronizing emotional response. The disabled subject's tears and the viewer's tears must coincide. Empathy becomes engineered simultaneity.

This is not authentic solidarity; it is orchestrated emotional consumption. Feeling is carefully staged, timed, and managed to maximize emotional impact. The disabled body becomes the site through which emotional spectacle is manufactured.

Such dynamics remain profoundly relevant in contemporary media culture. Indian television frequently frames disability through pity-driven narratives. Reality shows often foreground stories of "inspirational suffering," where disabled participants are celebrated primarily through narratives of hardship. News channels similarly rely on tragic framing. The disabled subject becomes either an inspirational hero or tragic victim, but rarely an ordinary citizen negotiating everyday life.

This phenomenon is not limited to India. Global media reproduces similar representational

patterns. Charity campaigns frequently rely on carefully curated images of disabled children framed through visual codes of suffering. Such representations may generate donations, but they also reinforce paternalistic frameworks. Disability becomes a site for emotional gratification rather than structural justice.

The issue does not lie in depicting pain itself, but in isolating pain from politics. Disability oppression arises less from impairment and more from inaccessible environments, discriminatory institutions, and systemic exclusion. Yet media repeatedly reduces disability to individual suffering.

Tom Shakespeare critiques precisely this reduction. In *Disability Rights and Wrongs*, Shakespeare argues that disability discourse must move beyond tragedy models and simplistic binaries. Disabled lives cannot be understood solely through suffering. Agency, pleasure, resistance, desire, and everyday life are equally central to disability experience.

Sahay's poem remains powerful because it reveals how media structurally resists such complexity. Complexity does not sell easily. Pain does.

The final lines of the poem are devastating in their irony :

> "Now we shall smile.
> You were watching a socially purposeful program
> (Which all but came off)
> Thank you" (Sahay 147)

The smile is deeply unsettling. It marks the return of polished performance after emotional violence. The program presents itself as socially meaningful while remaining fundamentally exploitative. The gap between appearance and reality becomes painfully visible.

This irony resonates powerfully with Michel Foucault's insights on power. In *Discipline and Punish*, Foucault demonstrates that modern power does not always operate through overt coercion; rather, it works through observation, normalization, and subtle disciplinary mechanisms. He writes, "Visibility is a trap" (200). Media, in this context, becomes a disciplinary apparatus that regulates how disability is seen, understood, and emotionally consumed.

Sahay's poem remains extraordinarily relevant in contemporary digital culture. Social media has intensified the politics of visibility. Disabled bodies circulate through viral videos, inspirational reels, charity campaigns, and emotionally charged storytelling. Digital platforms democratize visibility, but they also accelerate commodification. Pain travels faster than complexity.

Yet disability discourse has also evolved significantly. Disability activists increasingly challenge pity-driven representation. The rise of disability rights movements, accessible media practices, and self-representation has begun to complicate traditional media narratives. Disabled creators now reclaim

visibility on their own terms and challenge institutional control over representation.

This shift is critical. The alternative to exploitative representation is not invisibility but ethical representation. Ethical representation centers agency, voice, complexity, and structural critique. It resists reducing disability to pain alone.

Raghuvir Sahay's poem remains one of the sharpest literary critiques of disability representation because it reveals a disturbing truth: media often seeks not to understand pain but to extract it. The politics of pain, as Sahay demonstrates, remains inseparable from the politics of power. Pain becomes spectacle when mediated through institutional gaze. Disability becomes consumable when detached from lived subjectivity. Empathy becomes deeply suspect when engineered for emotional consumption. Ultimately, "The Handicapped Caught in a Camera" forces readers to confront uncomfortable questions. When does representation become violence? What does it mean to look at disabled pain? When does empathy become voyeurism? Sahay offers no easy answers. Instead, he leaves readers with unsettling self-recognition. The real critique extends beyond television to every gaze that consumes suffering without challenging the structures that produce it.

That is the enduring power of the poem. It transforms the camera into a metaphor for modern spectatorship itself. Under Sahay's piercing gaze, the spectacle collapses, and what remains visible is not disabled pain alone, but the moral failure of those who consume it without questioning.

Works Cited :

1. Ahmed, Sara. *The Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh UP, 2004.
2. Berger, John. *Ways of Seeing*. Penguin, 1972.
3. Davis, Lennard J. *Enforcing Normalcy*: Disability, Deafness, and the Body. Verso, 1995.
4. Foucault, Michel. *Discipline and Punish*: The Birth of the Prison. Vintage Books, 1977.
5. Garland-Thomson, Rosemarie. *Staring: How We Look*. Oxford UP, 2009.
6. Hall, Stuart. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage, 1997.
7. Mitchell, David T., and Sharon L. Snyder. *Narrative Prosthesis*: Disability and the Dependencies of Discourse. U of Michigan P, 2000.
8. Sahay, Raghuvir. "The Handicapped Caught in a Camera." Translated by Harish Trivedi, *Chicago Review*, vol. 38, no. 1/2, 1992, pp. 146–47.
9. Scarry, Elaine. *The Body in Pain*: The Making and Unmaking of the World. Oxford UP, 1985.
10. Shakespeare, Tom. *Disability Rights and Wrongs*. Routledge, 2006.
11. Sontag, Susan. *Regarding the Pain of Others*. Farrar, Straus and Giroux, 2003.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642
Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 135-142
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन : एक अध्ययन

ओमकार वर्मा, शोधार्थी–अर्थशास्त्र,
डॉ. आर. एन. सिंह, शोध निर्देशक–सेवानिवृत्त प्राचार्य,
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध "प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन" दुर्ग जिले के धमधा विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों के अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में वित्तीय समावेशन, बचत प्रवृत्ति, निवेश व्यवहार तथा बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना है। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु धमधा विकासखण्ड के बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर चयनित 9 ग्रामों से 225 जनधन खाताधारक लाभार्थियों का चयन किया गया। ग्रामों के चयन हेतु स्तरीकृत निदर्शन विधि तथा उत्तरदाताओं के चयन हेतु स्नोबॉल निदर्शन पद्धति का उपयोग किया गया। तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने ग्रामीण परिवारों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के परिणामस्वरूप लाभार्थियों में बैंक खाते के उपयोग, नियमित बचत तथा निवेश गतिविधियों में वृद्धि देखी गई। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच आसान होने से बैंकिंग व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुआ तथा वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु माध्य स्कोर एवं काई–वर्ग परीक्षण का उपयोग किया गया, जिनके आधार पर बचत प्रवृत्ति एवं वित्तीय समावेशन में वृद्धि संबंधी परिकल्पनाएँ सांख्यिकीय रूप से सार्थक पाई गईं। अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने तथा लाभार्थियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

कुंजी शब्द : प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन, बचत प्रवृत्ति, निवेश व्यवहार, बैंकिंग सेवाएँ।

प्रस्तावना :

वित्तीय समावेशन समावेशी विकास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है। बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं की उपलब्धता न केवल आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक

असमानताओं को कम करने में भी सहायक होती है। भारत में लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रही, जिसके कारण उन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय बहिष्करण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) का शुभारंभ किया। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल मानी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना तथा उन्हें बचत, ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सुविधाओं की पहुँच प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत शून्य शेष राशि पर बैंक खाता, रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा तथा अन्य वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में बैंक खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है। योजना ने लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है तथा वित्तीय लेन–देन की सुरक्षित एवं व्यवस्थित व्यवस्था प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय व्यवहार एवं आर्थिक निर्णयों में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले का धमधा विकासखण्ड मुख्यतः ग्रामीण स्वरूप वाला क्षेत्र है, जहाँ बड़ी संख्या में परिवार कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। ऐसे क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता एवं उनका उपयोग ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में वित्तीय समावेशन, बचत प्रवृत्ति, निवेश व्यवहार तथा बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना है। अध्ययन के निष्कर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा इस दिशा में नीतिगत सुधारों हेतु उपयोगी आधार प्रदान करेंगे।

शोध साहित्य की समीक्षा :

कलैवानी एवं मणि (2025) ने वित्तीय समावेशन संबंधी अध्ययनों की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा महिलाओं की वित्तीय भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है। अध्ययन में वित्तीय समावेशन को ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण आधार माना गया है।

मैती एवं मजूमदार (2024) ने भारत के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि जिन राज्यों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच तथा जनधन खातों का उपयोग अधिक है, वहाँ वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक सशक्तिकरण का स्तर भी अपेक्षाकृत अधिक पाया गया।

त्रिपाठी, सोनी एवं शर्मा (2023) ने दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि जनधन खातों की संख्या, जमा राशि तथा रुपे कार्ड वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि योजना ने ग्रामीण एवं निम्न आय वर्ग को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शर्मा एवं गोयल (2017) ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के प्रभावों का अध्ययन करते हुए पाया कि इस योजना ने ग्रामीण गरीबों को बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय जागरूकता से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्ययन में खातों के नियमित संचालन तथा वित्तीय साक्षरता को योजना की सफलता के लिए आवश्यक माना

गया है।

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने, वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने तथा लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि स्थानीय स्तर पर वित्तीय व्यवहार एवं बचत प्रवृत्ति में हुए परिवर्तनों का अध्ययन अभी भी अपेक्षित है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में बचत प्रवृत्ति की स्थिति का अध्ययन करना।
2. जनधन खाताधारकों के बचत एवं निवेश व्यवहार का विश्लेषण करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री जनधन योजना की भूमिका का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना :

1. प्रधानमंत्री जनधन योजना से ग्रामीण परिवारों की बचत में वृद्धि हुई है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, बचत प्रवृत्ति तथा बैंकिंग सेवाओं के उपयोग का अध्ययन करना है।

अध्ययन हेतु आवश्यक तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के धमधा विकासखण्ड का चयन किया गया। अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्राम पंचायतों को बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर स्तरीकृत किया गया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न बैंकिंग सुविधा वाले ग्राम पंचायतों में से सेमरिया, हिर्री एवं पथरिया (डी), मध्यम बैंकिंग सुविधा वाले ग्राम पंचायतों में से तितुरघाट, मोहरेंगा एवं नारधा तथा अपेक्षाकृत अधिक सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों में से सिरनाभाठा, बिरझापुर एवं डंगनिया का चयन किया गया। चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत से 25 जनधन खाताधारक लाभार्थियों का चयन स्नोबॉल निदर्शन पद्धति (Snowball Sampling Method) द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल 9 ग्राम पंचायतों से 225 उत्तरदाताओं को अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया। संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों की सहायता से किया गया। वित्तीय समावेशन, बचत व्यवहार तथा बैंकिंग सेवाओं के उपयोग से संबंधित तथ्यों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत, औसत, माध्य स्कोर तथा काई–वर्ग (Chi-square) परीक्षण का उपयोग किया गया। प्राप्त परिणामों को सारणियों एवं आलेखों के माध्यम से प्रस्तुत कर उनका व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री जनधन योजना की भूमिका का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सके।

अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के धमधा विकासखण्ड को अध्ययन क्षेत्र के रूप

में चयनित किया गया है। धमधा विकासखण्ड दुर्ग जिले के उत्तरी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं कृषि प्रधान क्षेत्र है। यह दुर्ग जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर दिशा में राजकीय राजमार्ग क्रमांक–07 पर स्थित है तथा दुर्ग एवं बेमेतरा जिलों के मध्य एक महत्वपूर्ण संपर्क क्षेत्र का निर्माण करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से धमधागढ़ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध 36 गढ़ों में से एक माना जाता है तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सामंजस्य एवं ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। जनगणना 2011 के अनुसार धमधा विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 2,69,990 है, जिसमें 1,35,480 पुरुष तथा 1,34,510 महिलाएँ सम्मिलित हैं। विकासखण्ड का लिंगानुपात 993 है। कुल जनसंख्या में से 75.74 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिससे यह मुख्यतः ग्रामीण स्वरूप वाला क्षेत्र है। विकासखण्ड की कुल साक्षरता दर 74.62 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 72.78 प्रतिशत दर्ज की गई है। आर्थिक दृष्टि से यह मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि, पशुपालन एवं कृषि श्रम पर निर्भर है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि गतिविधियाँ हैं। ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उनका उपयोग क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की पहुँच, बचत व्यवहार तथा वित्तीय समावेशन की स्थिति का अध्ययन करने के लिए धमधा विकासखण्ड एक उपयुक्त एवं प्रतिनिधिक अध्ययन क्षेत्र है। अतः प्रस्तुत शोध में इस क्षेत्र का चयन वित्तीय समावेशन की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करने हेतु किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

तालिका–1 : उत्तरदाताओं में आयु एवं लिंग संरचना

क्र.	आयु–वर्ग	महिला		पुरुष		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	18 से 25 वर्ष	19	8.4	26	11.6	45	20.0
2.	25 से 35 वर्ष	33	14.7	50	22.2	83	36.9
3.	35 से 45 वर्ष	53	23.6	44	19.6	97	43.1
योग		105	46.7	120	53.3	225	100

तालिका क्रमाँक–1 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित जन धन हितग्राहियों के आयु एवं लिंग संरचना की स्थिति को दर्शाता है। तालिका से स्पष्ट है कि चयनित हितग्राहियों में से सर्वाधिक 53.3 प्रतिशत उत्तरदाता पुरूष एवं 46.7 प्रतिशत उत्तरदाता महिला हैं। आयु संरचना की दृष्टि से चयनित उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 43.1 प्रतिशत उत्तरदाता 35 से 45 आयु वर्ग के है, जिसमें 23.6 प्रतिशत महिलाएँ है, जबकि 19.6 प्रतिशत उत्तरदाता पुरूष हैं। वहीं 25 से 35 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 36.9 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष उत्तरदाता 22.2 प्रतिशत है जबकि इस वर्ग में महिलाएँ 14.7 प्रतिशत हैं। 18 से 25 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 20.0 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष उत्तरदाता 11.6 प्रतिशत एवं महिला उत्तरदाता केवल 8.4 प्रतिशत है।

तालिका–2 : उत्तरदाताओं में शिक्षा का स्तर

क्र.	शैक्षणिक स्तर	महिला		पुरूष		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	3	1.3	2	0.9	5	2.2
2.	मात्र साक्षर	8	3.6	5	2.2	13	5.8
3.	प्राथमिक	16	7.1	11	4.9	27	12.0
4.	माध्यमिक	31	13.8	27	12.0	58	25.8
5.	हाईस्कूल	29	12.9	38	16.9	67	29.8
6.	हायर सेकेण्डरी	12	5.3	25	11.1	37	16.4
7.	स्नातक	6	2.7	12	5.3	18	8.0
योग		105	46.7	120	53.3	225	100

तालिका क्रमाँक–2 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित जन धन हितग्राहियों के शैक्षणिक स्थिति को दर्शाता है। तालिका से स्पष्ट है कि चयनित हितग्राहियों में सर्वाधिक 29.8 प्रतिशत उत्तरदाता हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण करने की जानकारी दिए हैं, जिसमें पुरूष उत्तरदाता 16.9 प्रतिशत एवं महिलाए 12.9 प्रतिशत है। इसके पश्चात् माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की जानकारी देने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 25.8 है, जिसमें 12.0 प्रतिशत पुरूष एवं 13.8 प्रतिशत महिलाएँ हैं। 16.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हायर सेकेण्डरी तक शिक्षा प्राप्त करने की जानकारी दिए हैं, जिनमें 11.1 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता 5.3 प्रतिशत महिलाएँ हैं। 12.0 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त करने की जानकारी दिए हैं, जिनमें 4.9 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता हैं, जबकि 7.1 प्रतिशत महिलाएँ हैं। वहीं उच्च शिक्षा स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने की जानकारी 8.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दिए हैं, जिसमें 5.3 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता हैं जबकि महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत केवल 2.7 है। चयनित उत्तरदाताओं में 2.2 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर एवं 5.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने केवल अक्षर ज्ञान होने के संदर्भ में जानकारी दिए हैं। निरक्षर एवं मात्र साक्षर उत्तरदाताओं में अपेक्षाकृत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र से हैं, साथ ही ये उत्तरदाता दिव्यांगजन हैं, जो शिक्षण सुविधाओं के अभाव एवं संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाये है।

तालिका–3 : उत्तरदाताओं का व्यवसाय

क्र.	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	117	52.0
2.	कृषि मजदूरी	63	28.0
3.	गैर–कृषि मजदूरी	30	13.3
4.	सूक्ष्म व्यवसाय	6	2.7
5.	अन्य	9	4.0
योग		225	100

तालिका क्रमाँक–3 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित जन धन हितग्राहियों में आयु एवं लिंग संरचना की स्थिति को दर्शाता है। तालिका से स्पष्ट है कि चयनित हितग्राहियों में से सर्वाधिक 52.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी दिए हैं कि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसके पश्चात् 28.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कृषि मजदूरी, 13.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने गैर–कृषि मजदूरी, 2.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सूक्ष्म व्यवसाय (कुटीर उद्योग एवं किराना व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के विक्रय से संबंधित दुकानें) एवं 4.0 प्रतिशत उत्तरातादाताओं ने अन्य कार्यों (बचत एवं बीमा अभिकर्ता, ग्राम के ही प्राथमिक विद्यालयों में रसोईया इत्यादि) को अपना मुख्य व्यवसाय होने की जानकारी दिए हैं।

तालिका–4 : उत्तरदाताओं की औसत मासिक आय

क्र.	मासिक आय (रूपये में)	संख्या	प्रतिशत
1.	रूपये 5000 से कम	141	62.7
2.	रूपये 5,000 से रूपये 10,000	63	28.0
3.	रूपये 10,000 से अधिक	21	9.3
योग		225	100

तालिका क्रमाँक–4 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित जन धन हितग्राहियों के औसत मासिक आय की स्थिति को दर्शाता है। तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 62.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं की औसत मासिक आय रू. 5000 से कम है। 28.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने औसत मासिक आय रू. 5000 से रू. 10,000 के मध्य होने की जानकारी दिए हैं। जबकि 9.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने औसत मासिक आय रू. 10,000 से अधिक होने की जानकारी दिए हैं।

तालिका–5 : उत्तरदाताओं द्वारा DBT के अतिरिक्त PMJDY खाते में नियमित रूप से बचत जमा

क्र.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ, नियमित	121	53.8
2.	कभी–कभी	76	33.8
3	नहीं	28	12.4
योग		225	100

तालिका क्रमाँक–5 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित जन धन हितग्राहियों के खाते में DBT के अतिरिक्त नियमित बचत जमा करने की स्थिति को दर्शाता है। तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 53.8 प्रतिशत उत्तरदााओं ने जानकारी दिए हैं कि वे शासकीय योजनाओं से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से प्राप्त होने वाली राशि के अतिरिक्त नियमित रूप से खाते में बचत जमा करते हैं, जबकि 33.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कभी–कभी ही खाते में रूपये जमा करने की जानकारी दिए हैं, वहीं 12.4 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं, जिन्होंने बचत नहीं कर पाने के संदर्भ में जानकारी दिए हैं। बचत की जानकारी देने वाले उत्तरदाताओं से यह ज्ञात किया गया कि वे अपनी बचत राशि का उपयोग किस प्रकार करते हैं? क्या उसे कही निवेश करते हैं या खाते में ही जमा रखते हैं? उक्त संबंध में 68.9 (155) उत्तरदाताओं ने निवेश करने की

जानकारी दिए हैं, जिनमें से सर्वाधिक 45.8 प्रतिशत उत्तरदाता पेंशन योजनाओं में, 12.3 प्रतिशत उत्तरदाता बीमा योजनाओं में, 7.7 प्रतिशत उत्तरदाता आवर्ती जमा (RD) एवं 5.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सावधि जमा (FD) करने की जानकारी दिए हैं, जबकि 4.5 उत्तरदाताओं ने अपने छोटे एवं सूक्ष्म व्यवसायों में निवेश करने की जानकारी दिए हैं, साथ ही 24.5 प्रतिशत उत्तरदाता अपने बचत राशि का निवेश कृषि संबद्ध कार्यों में कर आपातकालीन वित्त की व्यवस्था करने की जानकारी दिए हैं।

परिकल्पना का परीक्षण एवं व्याख्या :

प्रस्तुत अध्ययन में प्रधानमंत्री जनधन योजना के ग्रामीण परिवारों की बचत प्रवृत्ति एवं वित्तीय समावेशन पर प्रभाव का परीक्षण माध्य स्कोर तथा काई–वर्ग परीक्षण के माध्यम से किया गया।

अध्ययन की परिकल्पना ''प्रधानमंत्री जनधन योजना से ग्रामीण परिवारों की बचत में वृद्धि हुई है'' के परीक्षण में 2.41 का माध्य स्कोर प्राप्त हुआ, जो उच्च प्रभाव स्तर को प्रदर्शित करता है। साथ ही काई–वर्ग का परिकलित मान ($x^2 = 57\text{-}68$) प्राप्त हुआ। 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर $df = 2$ के लिए सारणी मान 5.99 है, जबकि परिकलित मान इससे कहीं अधिक पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में नियमित बचत की प्रवृत्ति में सांख्यिकीय रूप से सार्थक वृद्धि हुई है। अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया कि जनधन खातों के माध्यम से बड़ी संख्या में उत्तरदाता नियमित बचत करने तथा विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने लगे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि योजना ने केवल बैंकिंग सेवाओं की पहुँच ही नहीं बढ़ाई, बल्कि वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय नियोजन की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित किया है। अतः काई–वर्ग परीक्षण के परिणामों के आधार पर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने ग्रामीण परिवारों में बचत व्यवहार एवं वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने धमधा विकास खण्ड के ग्रामीण परिवारों में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन में पाया गया कि योजना का लाभ मुख्यतः कृषि एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों तक पहुँचा है, जिससे उनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि जनधन योजना ने ग्रामीण परिवारों में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। बड़ी संख्या में उत्तरदाता नियमित रूप से अपने बैंक खातों में बचत जमा कर रहे हैं तथा अपनी बचत राशि का उपयोग पेंशन, बीमा, आवर्ती जमा एवं कृषि संबंधी निवेशों में कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि योजना ने केवल बैंक खाते खोलने तक ही सीमित भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय नियोजन की संस्कृति को भी विकसित किया है। सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थी कृषि एवं कृषि मजदूरी से जुड़े निम्न आय वर्ग के परिवार हैं। ऐसे परिवारों के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ना वित्तीय सुरक्षा एवं भविष्य की आर्थिक योजना के लिए महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हुआ है। परिकल्पना परीक्षण के परिणामों से यह प्रमाणित हुआ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण ग्रामीण परिवारों की बचत में सांख्यिकीय रूप से सार्थक वृद्धि हुई है। माध्य स्कोर एवं काई–वर्ग परीक्षण के परिणामों ने योजना के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, बचत संस्कृति को विकसित करने तथा लाभार्थियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक प्रभावी एवं सफल पहल सिद्ध हुई है।

सुझाव :

- ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे लाभार्थियों में बचत, निवेश एवं बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ सके।
- दूरस्थ ग्रामों में बैंकिंग सुविधाओं, बैंक मित्रों एवं डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि सभी वर्गों की वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- जनधन खाताधारकों को पेंशन, बीमा एवं अन्य लघु बचत योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान संचालित किए जाने चाहिए।
- निष्क्रिय खातों की संख्या कम करने हेतु खाताधारकों को नियमित लेन–देन एवं बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची :

1. अग्रवाल, ए. (2016). फाइनेंशियल इन्क्लूजन इन इंडिया : कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेज. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 7(2), 45–50.
2. कलैवानी, एस., एवं मणि, एन. (2025). फाइनेंशियल इन्क्लूजन इन इंडिया : ए कॉम्प्रिहेन्सिव रिव्यू विद एम्फेसिस ऑन द प्रधान मंत्री जन धन योजना. इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च जर्नल.
3. चक्रवर्ती, एस. आर., एवं पाल, आर. (2013). फाइनेंशियल इन्क्लूजन इन इंडिया : एन एक्सिओमेटिक एप्रोच. जर्नल ऑफ पॉलिसी मॉडलिंग, 35(5), 813–837.
4. डेमिर्ग्युच–कुन्ट, ए., क्लैपर, एल., सिंगर, डी., अंसार, एस., एवं हेस, जे. (2018). द ग्लोबल फाइन्डेक्स डेटाबेस 2017 : मेजरिंग फाइनेंशियल इन्क्लूजन एंड द फिनटेक रिवोल्यूशन. वर्ल्ड बैंक.
5. त्रिपाठी, ए., सोनी, आर. के., एवं शर्मा, आर. (2023). इन्फ्लुएंस ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑन एडवांसिंग फाइनेंशियल इन्क्लूजन इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट.
6. नाबार्ड. (2022). स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल इन्क्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया.
7. बर्गेस, आर., एवं पांडे, आर. (2005). डू रूरल बैंक्स मैटर? एविडेंस फ्रॉम द इंडियन सोशल बैंकिंग एक्सपेरिमेंट. अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 95(3), 780–795.
8. मोहन, आर. (2006). इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल डीपेनिंग एंड फाइनेंशियल इन्क्लूजन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, 60(11), 1305–1320.
9. रंगराजन, सी. (2008). रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन फाइनेंशियल इन्क्लूजन. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.
10. सरमा, एम., एवं पैस, जे. (2011). फाइनेंशियल इन्क्लूजन एंड डेवलपमेंट. जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 23(5), 613–628.
11. वार्षिक प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 143-156

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

A Comparative Analysis of Global and Regional Human Trafficking Paradigms : Enforcement Gaps, Perpetrator Demographics and Victim Exploitation Vectors

Dr. Gajendra Singh

Assistant Professor, Govet. P.G. Law College, Sikar (Rajasthan)

Abstract :

Human trafficking remains one of the most pervasive forms of transnational organized crime and a grave violation of human rights, affecting millions of individuals worldwide. Despite extensive international and national efforts to combat trafficking, vulnerable populations continue to be exploited through forced labour, sexual exploitation, bonded labour, forced marriage, child trafficking, and other forms of coercion. This study examines the phenomenon of human trafficking from both global and Indian perspectives through a data driven and judicial analysis. Drawing upon secondary data from international organizations, including the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the International Labour Organization (ILO), and the United States Trafficking in Persons Reports, as well as national sources such as the National Crime Records Bureau (NCRB) and the Ministry of Home Affairs (MHA), the study analyzes trends in trafficking incidents, victim profiles, investigations, prosecutions, and convictions.

The research further evaluates the effectiveness of legal and institutional mechanisms by examining relevant international conventions, Indian statutory frameworks, and significant judicial pronouncements. Through a comparative analysis of global and Indian data, the study identifies major socio-economic factors contributing to trafficking, including poverty, migration, unemployment, gender inequality, and social vulnerability. The findings reveal persistent gaps between reported cases, prosecutions, and convictions, highlighting challenges in law enforcement, victim rehabilitation, and cross-border cooperation. The study emphasizes the need for strengthened legal enforcement, victim centered rehabilitation policies, enhanced international collaboration, and community participation to effectively address human trafficking. By integrating empirical evidence with judicial developments, this research contributes to a deeper understanding of contemporary trafficking dynamics and offers policy recommendations for improving anti trafficking interventions at both global and national levels.

Keywords : Human Trafficking, Forced Labour, Sexual Exploitation, Judicial Analysis, NCRB, UNODC, Human Rights, Criminal Justice System and Global Trends.

The Concept of Human Trafficking :

In the modern era, human trafficking is a grave and organized form of human exploitation. It involves the recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of individuals through means such as force, threats, fraud, deception, coercion, or the abuse of power, all with the aim of exploitation. This exploitation can manifest as sexual abuse, forced labour, bonded labour, domestic servitude, begging, child labour, forced marriage, illegal organ trade, and other inhumane activities. Human trafficking constitutes a severe violation of an individual's liberty, dignity, and fundamental human rights; consequently, it is regarded as a form of "modern slavery."

The most significant basis for defining human trafficking at the international level is the Palermo Protocol, adopted in the year 2000. According to this protocol, human trafficking encompasses the recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons for the purpose of exploitation, achieved through means such as the use of force, threats, abduction, fraud, deception, abuse of power or a position of vulnerability, or the giving of payments or benefits to obtain the consent of a person. The definition clarifies that exploitation is the central element of human trafficking; if the aforementioned means are employed, the victim's consent becomes legally irrelevant.

In the Indian context, the prohibition of human trafficking is enshrined in Article 23 of the Constitution, which bans the trafficking of human beings, "beggar" (forced labour without payment), and other forms of forced labour. Additionally, the "Bharatiya Nyaya Sanhita", 2023, and other special laws render offenses related to human trafficking punishable. Under Indian law, human trafficking is viewed not merely as the illegal movement of individuals, but as an organized crime committed with the intent to exploit.

There is also a significant distinction between human trafficking and human smuggling. Human smuggling primarily relates to the illegal crossing of borders by an individual, whereas the primary objective of human trafficking is the exploitation of the individual. In trafficking, the exploitation of the victim can persist continuously, whereas in smuggling, the criminal act generally concludes once the illegal transportation is complete.

Currently, factors such as poverty, unemployment, illiteracy, gender inequality, social discrimination, displacement, natural disasters, and the search for better employment opportunities fuel human trafficking. Globalization, rapid migration, and the expansion of digital technology have also made the modus operandi of this crime increasingly complex. Consequently, human trafficking is no longer merely a law and order issue; it has evolved into a multifaceted global challenge linked to social justice, the protection of human rights, and sustainable development.

Primary Objective :

To formulate necessary measures for the effective control and eradication of human trafficking by analyzing socio-economic factors, the legal framework, policy interventions,

and the role of the community in the struggle against it.

Methodology :

This study utilizes a multi-source, data-triangulation research design to analyze international and domestic human trafficking trends, enforcement efficacy, and systemic bottlenecks- The methodology synthesizes data from three primary analytical frameworks :

1. **Comparative Jurisdictional Analysis (United States vs. India) :** A comparative review was conducted evaluating judicial and enforcement outcomes between 2012 and 2024. Quantitative data assessing U.S. prosecution and conviction metrics, along with demographic profiles of defendants, were evaluated against Indian national metrics. For India, judicial efficiency was measured using case progression data from central investigative bodies (e.g., the National Investigation Agency)and annual statistical repositories from the National Crime Records Bureau (NCRB)spanning 2022 to 2024.
2. **Victim Categorization and Motive Profiling (Empirical Case Analysis) :** A granular analysis of rescue motives was conducted using empirical data from. This segment quantifies the distribution of rescued victims across distinct exploitation types ranging from forced labour and commercial sex work to highly covert crimes like organ removal to identify primary operational drivers for law enforcement.
3. **Geographical Diffusion and Transnational Flow Mapping :** To understand the international reach of trafficking networks, the study incorporates global trafficking flow data compiled by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)for the period of 2012–2014. This component tracks the geographical dispersion of victims by measuring the number of unique destination nations where citizens from specific global sub regions were detected.

Meaning and Definitions of Human Trafficking :

Human trafficking is a serious and organized crime against human rights, involving the exploitation of individuals by bringing them under control through fraud, enticement, force, threats, or other illicit means. This exploitation can manifest in forms such as sexual exploitation, forced labour, bonded labour, child labour, forced begging, forced marriage, and the illicit trade of organs. Human trafficking violates an individual's liberty, dignity, and fundamental rights; hence, it is considered a major form of modern-day slavery. Its primary objective is to exploit the victim's labour, body, or services for undue gain.

According to the most widely accepted international definition, human trafficking is "the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation-" Exploitation includes, at a minimum, prostitution or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery,

servitude, and the removal of organs.[1] Trafficking in human beings, "beggar" (forced labour without payment), and other similar forms of forced labour are prohibited, and any violation thereof is punishable by law. This provision offers a crucial constitutional safeguard for protecting human dignity and liberty.[2]

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 : Trafficking of Persons :

Whoever recruits, transports, harbours, transfers, or receives a person for the purpose of exploitation, and uses any one or more of the following means for this purpose—

1. Threatening;
2. Using force or any other form of coercion;
3. Abducting;
4. Resorting to fraud or deception;
5. Abusing power or authority; or
6. Giving or receiving payments, benefits, or other inducements to obtain the consent of a person having control over the victim;

shall be deemed guilty of the offence of trafficking of persons.

"Exploitation" includes physical exploitation, sexual exploitation, slavery, servitude or practices similar thereto, bonded labour, forced begging, and the forced removal of organs. The consent of the victim shall have no relevance in determining the offence of trafficking of persons. [3]

Provisions for Punishment :

(1) A person convicted of the offence of trafficking of persons shall be punished with rigorous imprisonment for a term of not less than seven years, which may extend to ten years, and shall also be liable to a fine.

(2) If the offence involves the trafficking of more than one person, the offender shall be punished with rigorous imprisonment for a term of not less than ten years, which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to a fine.

(3) If the offence involves the trafficking of a child (boy or girl) under the age of eighteen years, the offender shall be punished with rigorous imprisonment for a term of not less than ten years, which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to a fine.

(4) If the offence involves the trafficking of more than one child, the offender shall be punished with rigorous imprisonment for a term of not less than fourteen years, which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to a fine.

(5) If a person is convicted again for the offence of trafficking a child, they shall be punished with imprisonment for life, meaning imprisonment for the remainder of their natural life, and shall also be liable to a fine.

(6) If a public servant or a police officer is found to be involved in the offence of human trafficking, they shall be punished with imprisonment for life, meaning imprisonment for the remainder of their natural life, and shall also be liable to a fine. [4]

Exploitation of a Victim of Human Trafficking :

To make legal protections against human trafficking effective, Section 144 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, recognizes the exploitation of trafficking victims as a distinct and punishable offense. The objective of this section is not only to punish traffickers but also to hold accountable those who knowingly exploit victims of trafficking.

(1) If a person, knowing or having reason to believe that a child (boy or girl) under the age of eighteen is a victim of human trafficking, utilizes such child for any form of sexual exploitation, they shall be guilty of an offense. Such an offender shall be punished with rigorous imprisonment for a term of not less than five years, which may extend to ten years, and shall also be liable to a fine.

(2) If a person, knowing or having reason to believe that an individual is a victim of human trafficking, utilizes that individual for any form of sexual exploitation, they shall be punished with rigorous imprisonment for a term of not less than three years, which may extend to seven years. Additionally, they shall also be liable to a fine.[5]

According to the concept endorsed by the United Nations, three key elements—act, means, and purpose are considered essential to understanding human trafficking. While the presence of all three elements is generally required to establish a case of human trafficking involving adults, the situation differs in the case of children. If a child is recruited, transported, transferred, harboured, or received for the purpose of exploitation, it is classified as human trafficking even if the use of force, threats, fraud, or other coercive means cannot be proven because the law does not deem children capable of giving full and free consent and accords them special protection.[6]

According to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), human trafficking is a multifaceted crime that manifests in various forms of exploitation. It encompasses the recruitment of individuals through deception, coercion, or force for labour; the sexual exploitation of women and children; their use in forced marriages or for begging; and the harvesting of human organs for the illicit organ trade. All these forms of human trafficking constitute a grave violation of an individual's liberty, dignity, and fundamental human rights. The primary objective of this crime is often to secure economic gain, illicit profit, or to serve other self serving interests.[7]

Detailed Analysis of the Human Trafficking Data : Overview[8]

The chart illustrates the diffusion of trafficking flows during the period 2012–2024 by measuring the number of destination countries in which citizens from different sub regions were detected as victims of human trafficking. The data provide insight into the geographical spread and international reach of trafficking networks affecting various parts of the world.

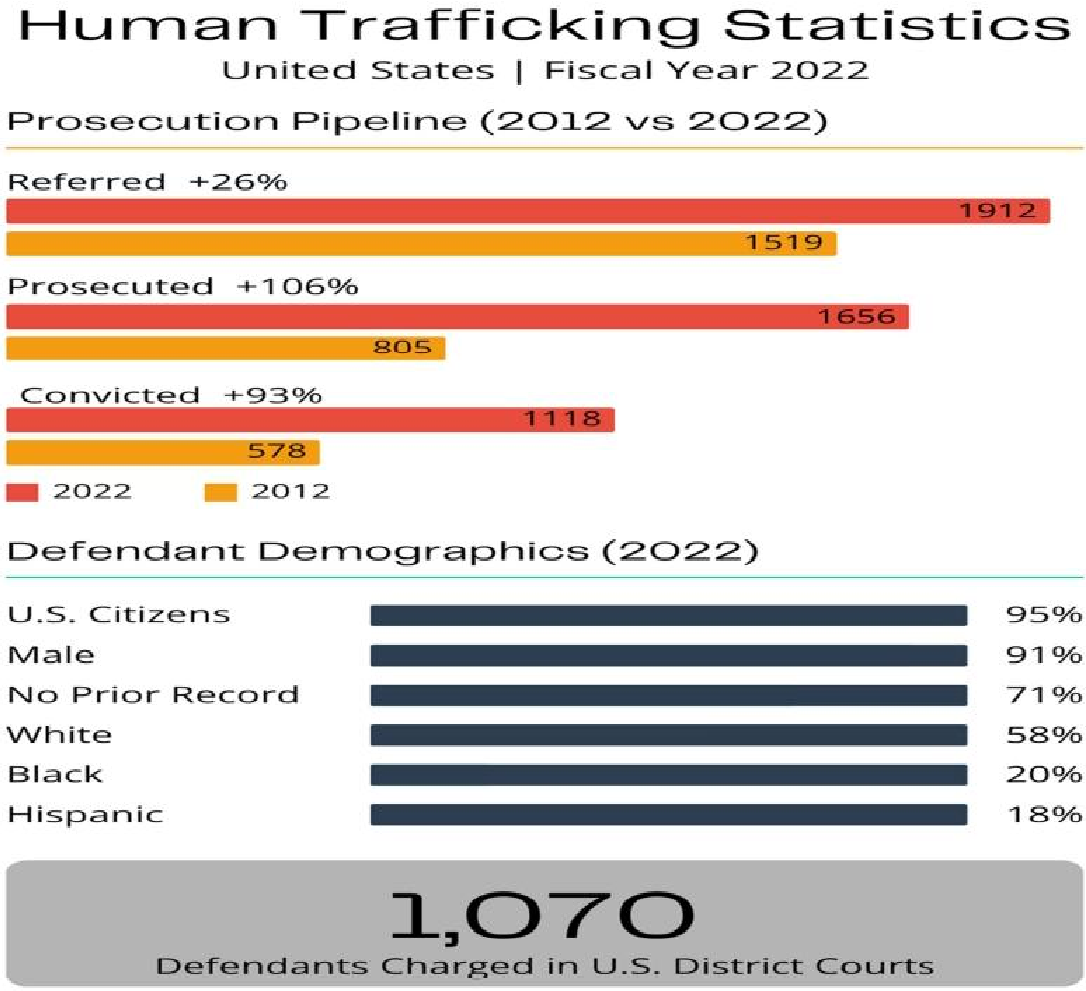

Source : Human Traffiking Statistics United States, Fiscal year -2022

The U.S. has significantly intensified its fight against human trafficking, with prosecutions more than doubling (+106%) and convictions rising 93% between 2012 and 2022. The typical defendant profile is a male (91%), white (58%), U.S. citizen (95%)with no prior criminal record (71%), challenging common misconceptions about trafficking perpetrators. These trends reflect both stronger enforcement and growing awareness of this critical issue.

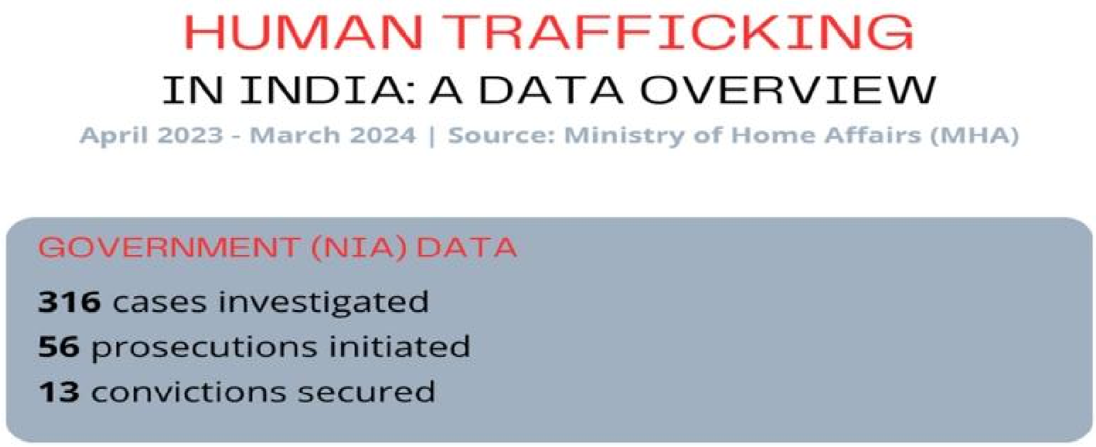

CIVIL SOCIETY REPORTS

157 cases investigated
- 83 sex trafficking
- 74 forced labour

59 traffickers prosecuted
- 48 sex trafficking | 10 forced labour | 1 other

4 convictions

CRIME IN INDIA 2022 (IPC)

2,250 investigations under IPC
676 charge sheets filed
204 convictions in 131 cases
1,134 acquitted in 545 cases

BONDED LABOUR (2022 DATA)

1,421 cases registered
1,362 convicted in 466 cases (BLSA)
No official data released for 2023
Govt. target: Eliminate bonded labour by 2030

Observers note current efforts may be insufficient to meet the 2030 elimination target.

Source : Human Trafficking in India : A Data Overview (Ministry of Home Affairs Report April 2023- March 2024)

India's response to human trafficking and related offences in recent years reflects a significant gap between investigation and judicial outcomes. During 2023–24, central agencies such as the National Investigation Agency (NIA) reportedly investigated more than 316 trafficking related cases, yet the number of convictions remained extremely low, with only 13 convictions recorded. This indicates that despite active enforcement and investigation efforts, the rate of successful prosecution remains limited in complex trafficking cases, particularly those involving organised networks and interstate or cross border dimensions.[9]

A similar pattern is evident in the Crime in India 2022 report published by the National Crime Records Bureau (NCRB). According to the data, there were 2,250 investigations under trafficking related IPC provisions. However, the judicial outcomes reveal a wide disparity, with 1,134 cases ending in acquittals and only 204 resulting in convictions. This shows that convictions form a small proportion of total investigations, while acquittals significantly outnumber successful convictions. Such figures highlight structural challenges within the criminal justice system, including difficulties in evidence collection, witness protection issues, procedural delays, and weaknesses in prosecution.[10]

Further concern arises from the lack of publicly available data on bonded labour cases for 2023, which creates a transparency gap in assessing the effectiveness of rehabilitation and enforcement mechanisms under labour welfare laws. Without consistent and updated data, it becomes difficult to evaluate progress in addressing one of the most severe forms of exploitation.[11]

Overall, the available evidence points to a persistent conviction deficit in trafficking related offences in India. While investigative efforts continue to expand, the low conversion of cases into convictions and gaps in data reporting underline the need for stronger prosecution systems, improved interagency coordination, faster judicial processes, and greater transparency in labour exploitation data.[12]

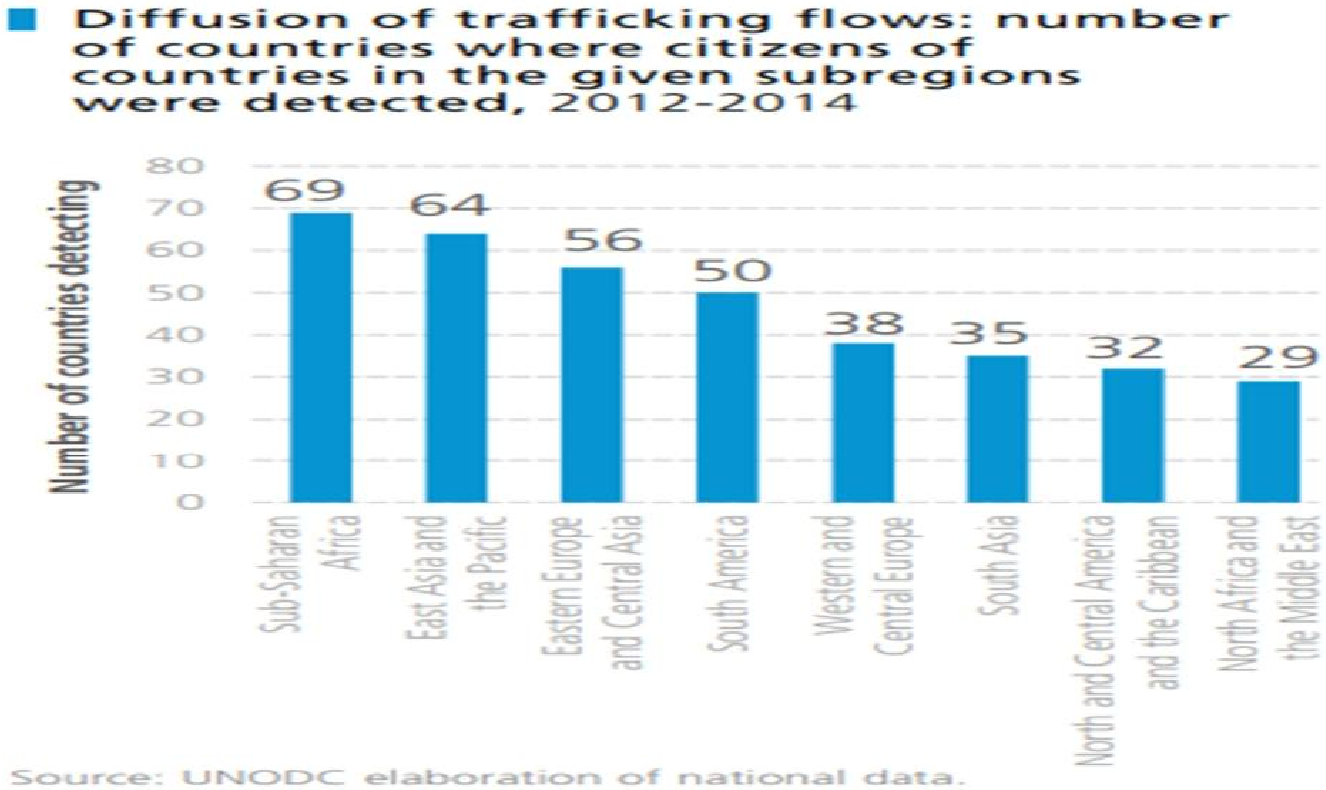

Source : UNODC Elaboration of National Data

The given chart titled “Diffusion of trafficking flows: number of countries where citizens of countries in the given sub regions were detected, 2012–2014” presents the global spread of human trafficking by showing how widely victims from different sub regions were detected across destination countries. It is based on data compiled by UNODC and highlights the international reach of trafficking networks.

The chart shows that Sub Saharan Africa has the highest diffusion, with its citizens detected in 69 countries, indicating the widest geographical spread of trafficking victims from this region. This reflects strong vulnerability due to factors such as poverty, conflict, weak governance, and lack of economic opportunities. The second highest is East Asia and the

Pacific, with victims detected in 64 countries, showing a highly extensive trafficking network, particularly affecting women and children through forced labour, sexual exploitation, and domestic servitude.

Eastern Europe and Central Asia follows with 56 countries, reflecting the impact of post-Soviet economic transition, unemployment, and migration pressures, which have made people vulnerable to trafficking. South America accounts for 50 countries, indicating significant cross border trafficking driven by inequality, organized crime, and irregular migration flows.

In Western and Central Europe, victims were detected in 38 countries, showing that even relatively developed regions are affected by trafficking, mainly in forms of sexual and labour exploitation. South Asia, including countries like India, Bangladesh, Nepal, and Pakistan, records 35 countries, highlighting issues such as poverty, illiteracy, gender inequality, and unsafe migration patterns.

The North and Central America and the Caribbean region shows detection in 32 countries, reflecting trafficking linked to irregular migration and organized criminal networks. The lowest diffusion is observed in North Africa and the Middle East, with victims detected in 29 countries, though the region remains vulnerable due to conflict, displacement, and refugee movements. [13]

The data based chart titled "Human Trafficking : 2022" from the file "Human Trafficking remove on status of these cases. According to the chart, sexual trafficking represents the vast majority of the documented legal landscape, with sexual trafficking incidents comprising 81% of the data and sexual trafficking cases making up 78%. In stark contrast, labour trafficking cases represent a much smaller segment, accounting for just 22% of the total.

The chart also sheds light on the nature of these incidents and the challenges faced within the judicial or investigative systems. Single victim incidents make up 70% of the recorded data, indicating that the majority of these trafficking scenarios involve isolated individuals rather than massive, multi victim rings. Furthermore, case resolution appears to be a significant hurdle across both major categories. The chart reveals that a staggering 68% of labour trafficking cases remain unresolved, closely mirrored by a 66% unresolved rate for sexual trafficking cases. Collectively, the data in "Human Trafficking remove " highlights that while sexual exploitation is the most prominently reported form of trafficking, both labour and sexual trafficking suffer from highly problematic, backlogged resolution rates.[14]

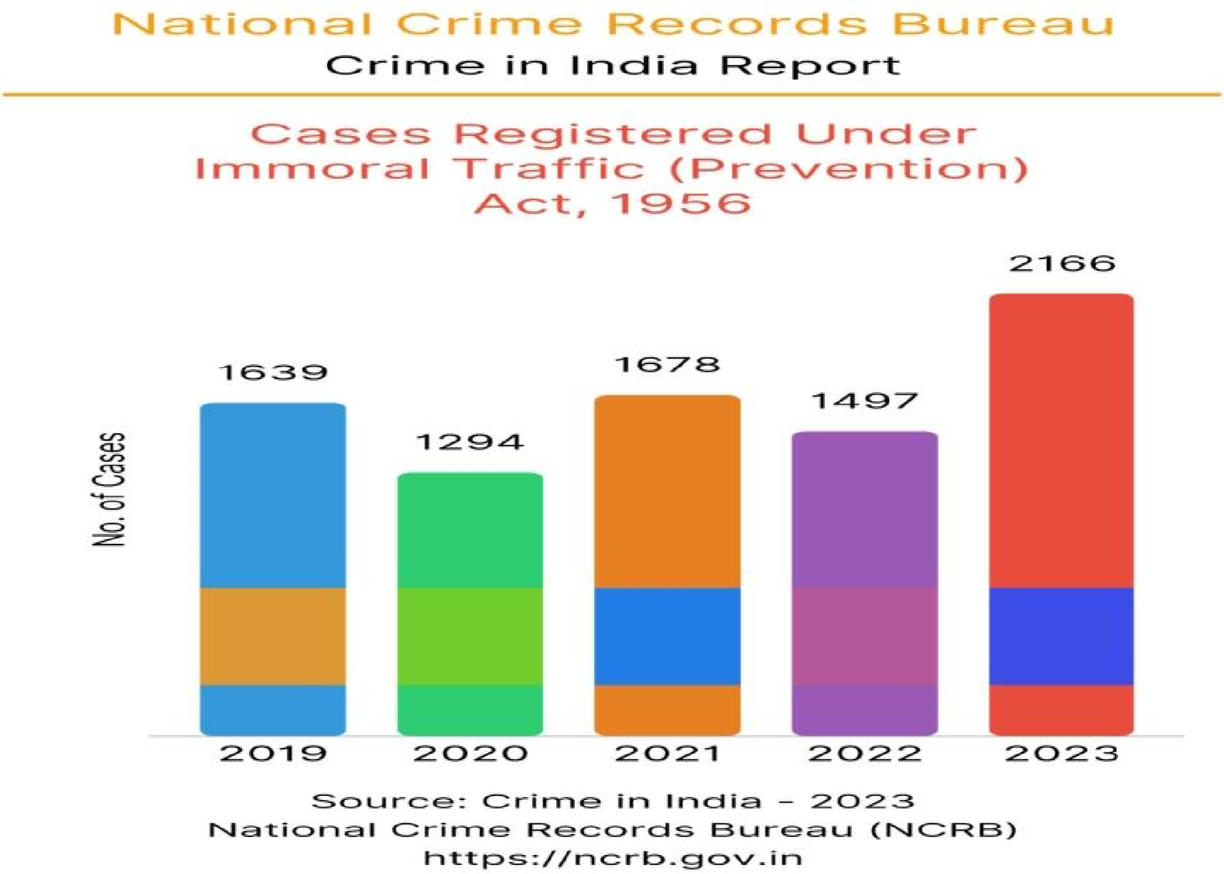

The bar chart based on NCRB data for cases registered under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 shows noticeable fluctuations over the observed period. While some years record a decline, the overall trend indicates a general rise in registered cases, with the

most recent year showing the highest number. This suggests increased reporting, stronger enforcement action, or a possible rise in incidents related to immoral trafficking. The variations across years highlight that the issue remains inconsistent but persistent, requiring continued attention from law enforcement and policy makers.[15]

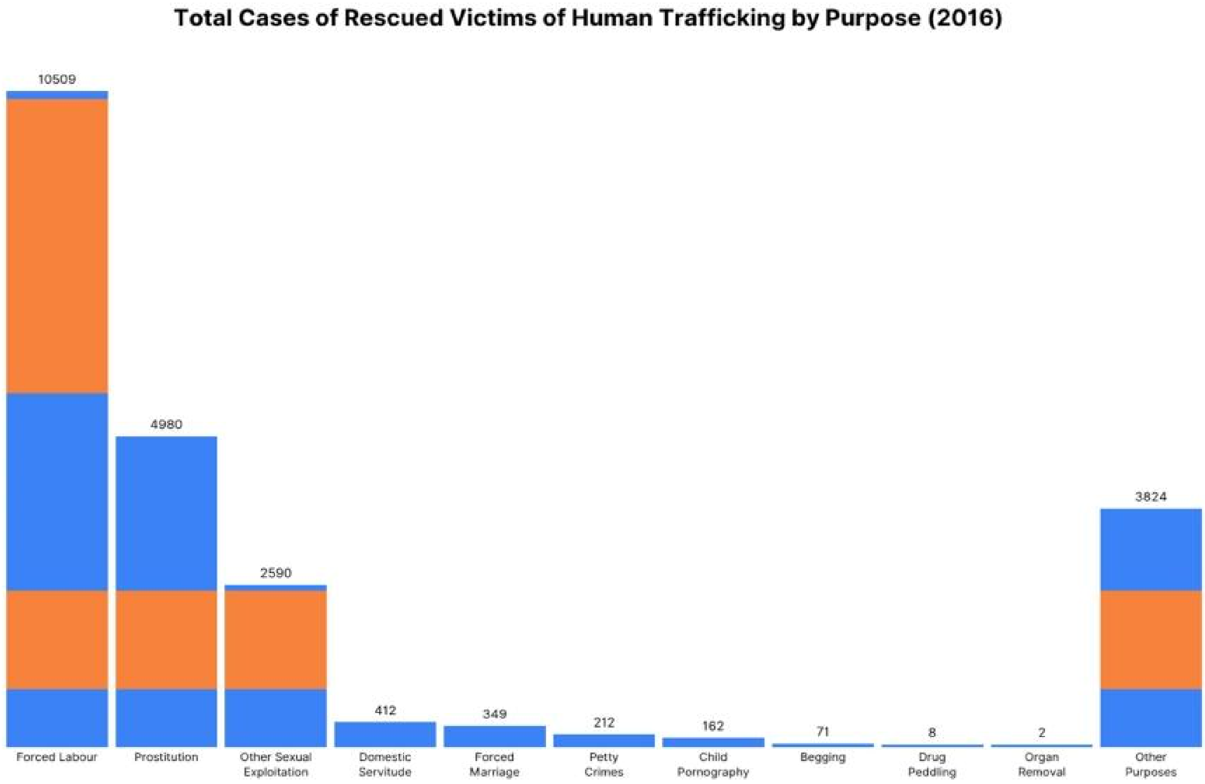

***Source**: NCRB, Human Trafficking, Crime in India 2016, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, 2017.*

Based on the bar chart titled "Total Cases of Rescued Victims of Human Trafficking by Purpose (2016) several clear conclusions can be drawn regarding the landscape of human trafficking in India during that year.

The data illustrates that human trafficking is overwhelmingly driven by economic and physical exploitation, with Forced Labour emerging as the single most dominant category by a staggering margin. Recording 10,509 cases, forced labour vastly outnumbers any other individual purpose on the labour exploitation represents the largest operational crisis for rescue and law enforcement agencies.

Beyond labour, commercial sexual exploitation constitutes the second major pillar of trafficking in the country. This is evidenced by the high volume of cases under Prostitution (4,980 cases) and Other Sexual Exploitation (2,590 cases), which collectively account for 7,570 rescued victims. Together, labour and sexual exploitation comprise the vast majority of all documented rescues.

Conversely, the data reveals a sharp drop off when moving to other specific forms of trafficking. Categories such as Domestic Servitude (412 cases), Forced Marriage (349 cases),

Petty Crimes (212 cases), Child Pornography (162 cases), and Begging (71 cases) represent much smaller fractions of the total. Extremely severe but highly covert crimes, including Drug Peddling (8 cases) and Organ Removal (2 cases), show the lowest recorded rescue numbers. Additionally, the remarkably high count in the Other Purposes category (3,824 cases) serves as the third largest segment on the chart, indicating a massive, diverse subset of trafficking motives that fall outside traditional classifications.

In summary, the data establishes that while human trafficking manifests in many distinct ways, anti trafficking efforts in 2016 were overwhelmingly concentrated on combating the dual crises of forced labour and sexual exploitation.[16]

Recommendations :

1. **Address the Institutional Conviction Deficit (India)** : To bridge the destabilizing gap between trafficking investigations and successful judicial outcomes, India must transition toward specialized legal infrastructures.
2. **Fast Track Courts** : Establish dedicated, fast track anti trafficking tribunals to eliminate debilitating procedural delays and clear case backlogs.
3. **Enhanced Prosecution Frameworks** : Provide advanced, specialized training for prosecutors handling complex, multi state, and cross border organized crime syndicates.
4. **Witness Protection Programs:** Institutionalize comprehensive, well-funded witness and survivor protection protocols to mitigate witness retraction rates, which currently drive the high volume of acquittals.
5. **Standardize Labour Data and Eliminate Transparency Gaps** : Mandatory Reporting: Eliminate the critical data omissions observed in 2023 by mandating the standardized, annual public publication of all bonded labour, rescue, and rehabilitation metrics. Unified Database: Create an integrated, inter agency digital tracking system connecting the Ministry of Labour and Employment, the Ministry of Home Affairs, and state level law enforcement to map labour exploitation in real time-
6. **Target Resource Allocation toward High Volume Exploitation Pillars** : Labour and Sex Sector Audits: Because forced labour and sexual exploitation constitute the vast majority of trafficking offenses, enforcement agencies must align their budgets proportionally- This requires intensifying unannounced labour inspections in high risk informal industries (e.g., brick kilns, agriculture, textiles)and disrupting organized digital sex trafficking rings.
7. **Disrupt Global Trafficking Flows via Inter Sub regional Coalitions :** Cross Border Intelligence Sharing: Nations within highly diffuse corridors particularly Sub Saharan Africa, East Asia, and South Asia must establish formal, bilateral intelligence sharing treaties to disrupt cross border trafficking supply chains.

8. **Targeted Migration Protections**: Align international development aid and domestic policies to address the root socio-economic vulnerabilities (poverty, illiteracy, and irregular migration pathways) that feed these transnational networks.

Conclusion :

The cross jurisdictional and empirical evidence demonstrates a stark divergence in global anti trafficking trajectories, highlighting deep structural bottlenecks in South Asian legal frameworks despite robust global enforcement indicators.

Divergent Enforcement Trajectories : The United States demonstrates an upward trajectory in anti-trafficking efficacy, with prosecutions escalating by 106% and convictions increasing by 93% between 2012 and 2022. Crucially, U.S. data dismantles conventional stereotypes regarding perpetrators, revealing that the typical defendant profile is overwhelmingly male (91%), white (58%), domestic citizens (95%), and individuals without prior criminal records (71%).

The Indian Conviction Deficit : Conversely, India suffers from a critical systemic gap between initial enforcement action and ultimate judicial outcomes. Despite active investigative expansion evidenced by the National Investigation Agency (NIA) handling over 316 complex cases in 2023–24 actual convictions remain abysmally low at just 13 cases. This dynamic is corroborated by broader NCRB data, where 2,250 investigations yielded a disproportionate ratio of 1,134 acquittals to a mere 204 convictions. This deficit points directly to deep seated institutional challenges in evidence collection, witness protection, and procedural delays. Furthermore, a total lack of public data regarding bonded labour cases in 2023 creates an acute transparency vacuum.

Exploitation Typologies : Empirical data proves that human trafficking is fundamentally anchored in economic and physical exploitation. Forced labour represents the single largest operational emergency, accounting for 10,509 cases, followed by the combined forces of commercial sexual exploitation (Prostitution and Other Sexual Exploitation)at 7,570 cases.

Global Transnational Diffusion : On an international scale, UNODC data highlights that systemic vulnerabilities like poverty, conflict, and unsafe migration drive expansive trafficking networks. Sub Saharan Africa exhibits the highest global diffusion, with victims detected across 69 nations, followed closely by East Asia and the Pacific (64 countries) and Eastern Europe/Central Asia (56 countries). In comparison, South Asian trafficking networks demonstrate localized but highly concentrated routes, with victims detected across 35 countries internationally.

References :

1. *Article 3 (a) (b) of the Palermo Protocol, 2000*
2. *Article 23 of the Constitution of India*

3. *Section 143, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Explanation 2 / formerly Section 370 of the Indian Penal Code, 1860*
4. *Section 143, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023*
5. *Section 144, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023*
6. *https://www-humantraffickingfoundation-org/theissue*
7. *https://www-unodc-org/e4j/en/secondary/human&trafficking&and&migrant&smuggling-html*
8. *Human Traffiking Statistics United States, Fiscal year -2022*
9. *Human Trafficking in India : A Data Overview (Ministry of Home Affairs Report April 2023- March 2024) and National Investigation Agency (NIA) Report 2022-23*
10. *Crime in India 2022 Report (NCRB)*
11. *Bonded Labour System (Abolition)Act data- 2023*
12. *Civil Society Organization reports 2022-23*
13. *UNODC Elaboration of National Data 2012-2014*
14. *Human Trafficking : 2022*
15. *Crime in India Report- 2023 (NCRB)*
16. *NCRB, Human Trafficking, Crime in India 2016, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, 2017.*

Mail : gajendrasingh2204@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642
Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 157-164
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में योग विषय के प्रति अभिरूचि का अध्ययन

Student of interest to wards yoga subject among higher secondary level students

डॉ. नुपूर अग्रवाल
सहायक आचार्य, जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकतपुरा, कोटा।

Abstract :

To provide proper yoga educational to the students, a positives interest towards yoga education among the students in very essential. Therefore, it is even more important for the teacher to plan how to develop the students attitude towards the subject of yoga in the present times in school.

Greater the significance of yoga Shiksha, the more it will be perusable to introduce the practice of yoga among the students in this system, education in provided in the medium of children's speech. Adolescent are mentally microscopic in nature that is why the knowledge given to him in the midst of communication is absorbed quickly.

Due to the current education system, students are suffering from mental stress, anxiety fear. Yoga is a very good way to remove mental stress of students.

Famous educationists and scientists believe that the environment around a teenage has a great impact on his mind and he moles himself accordingly. Therefore, children should experience such an environment which can help him in proper development of their personality and suitable adjustment.

In the present time education system to get admission in higher classes and to get a degree in the only ultimate goal of the students. It is correct student are not able to set higher goals in the true sense. Hence they are becoming victims of stress, anxiety and depression. therefore, the right direction can be provided to those students only through yoga education. This is the objective of the research paper. At present, there is an urgent need to study this subject.

प्रस्तावना –

योग मनुष्य को सकारात्मक चिन्तन के प्रशस्त पथ पर लाने की एक अद्भुत विद्या है, जिसे करोड़ों वर्ष

पूर्व भारत के प्रज्ञावान ऋषि–मुनियों ने आविष्कृत किया था। वस्तुतः योग का तात्पर्य है चरित्र निर्माण ऐसा चरित्र जिसमें शरीर, मन व आत्मा के बीच सांमजस्य तथा एकता को सुनिश्चित किया गया हो, एक ऐसे सुसंगत तथा परिपक्व व्यक्ति का निर्माण जो स्वयं शांति अनुभव करें तथा समाज के साथ शान्तिपूर्वक रह सके।

किशोरावस्था विद्यार्थियों की शिक्षा के संदर्भ में योग उनके जीवन निर्माण का अनुपम साधन, स्वस्थ व चारित्रिक जीवनयापद की अनुपम कला तथा उनकी बिगड़ी हुई आदतों व उनके पारस्परिक संबंधों व व्यवहार में सुधार लाने के अति उत्तम साधक है। यही शिक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का पूर्णविकास करके शरीर, मन व आत्मा में नवजीवन और स्फूर्ति प्रदान करती है। वह राष्ट्रीयता की भावना, अपार शारीरिक, मानविक व बौद्धिक स्फूर्ति प्रदान करके ऋषियों व मुनियों के वाक्य ''**न योगात् परोबलम्**'' को चरितार्थ करती है। योग शिक्षा शालीनता, आत्म गौरव, अनुशासन, त्याग व निष्काम सेवा करने की कर्तव्य परायणता आदि की अच्छी भावनाओं को जागृत करती है। यहीं यौगिक शिक्षा उन्हें चतुर कर्मठ सेनानी तथा कुशल कार्यकर्ता, आदर्श नागरिक व समाजसेवी बनाने में सक्षम हैं।

शिक्षाविदों व वैज्ञनिकों का मानना है कि किशोर बालक के मस्तिष्क पर उसके आस–पास के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार वह स्वयं को ढालता है। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि बालकों को ऐसे वातावरण का अनुभव प्राप्त हो जो उनके व्यक्तित्व का उचित विकास करके समायोजन में सहायक हो सकें। योग ही सही शिक्षा ही उन्हें यह अनुभव प्रदान कर सकती है। योग शिक्षा द्वारा किशोर छात्रों में नैतिक मूल्यों व आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास होता है।

अतः वर्तमान में योग शिक्षा जैसा पद्धति की आवश्यकता है जो उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके तथा छात्रों में आत्मविश्वास का विकास करें तथा उनमें योग के प्रति अभिरूचि भी विकसित करें।

समस्या का औचित्य/महत्व –

आज कक्षा में किशोरवय छात्र प्राकृतिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं करते है। इनका उद्देश्य होता है परीक्षा पास करना। योग प्रणाली में बच्चों के संभाषण के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मानसिक रूप से किशोर छात्र बहुत ही सूक्ष्मदर्शी होते है। इसलिए संचार के माध्यमों से दिया गया ज्ञान जल्दी से ग्रहण कर लेते है।

प्रसिद्ध शिक्षाविदों व वैज्ञानिकों का मानना है कि किशोर बालक के मस्तिष्क पर उसके आस–पास के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार वह स्वयं को ढालता है। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि बालकों को ऐसे वातावरण का अनुभव प्राप्त हो जहां उनके व्यक्तित्व का उचित विकास करके समायोजन में सहायक हो सके। योग की सही शिक्षा ही उन्हें यह अनुभव प्रदान करती है।

योग शिक्षा द्वारा किशोर में छात्रों में नैतिक मूल्यों व आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास होता है। किन्तु योग शिक्षा के उक्त वर्णित लाभ विद्यार्थियों को तभी प्राप्त हो सकते है, जब वे योग शिक्षा में अभिरूचि ले।

समस्या कथन –

''उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में योग विषय के प्रति अभिरूचि का अध्ययन।''

शोध अध्ययन के उद्देश्य –

1. उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि

का अध्ययन करना।

2. उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का अध्ययन करना।
4. उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का अध्ययन करना।
5. उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का अध्ययन करना।
6. उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ –

1. उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

अनुसंधान में प्रयुक्त विधि, प्रविधि एवं उपकरण –

1. प्रस्तुत शोध विद्यार्थियों में योग विषय के प्रति अभिरूचि के अध्ययन से संबंधित है। इसमें सर्वे द्वारा दत्तों का संकलन किया जाता है। अतः अनुसंधान हेतु सर्वेक्षण उपागम का प्रयोग किया गया।
2. प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा दत्त संकलन के लिए स्वनिर्मित विद्यार्थियों में योग विषय के प्रति अभिरूचि प्रमापनी का प्रयोग किया गया।
3. आँकड़ों के विश्लेषण हेतु आवृत्ति, प्रतिशत एवं आरेख प्रदर्शन का प्रयोग किया गया।

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण –

1. **योग शिक्षा** – किसी वांछित विषय वस्तु पर ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति और लम्बे समय तक शान्त रहने की क्षमता तथा योग को विद्यार्थी जीवन में लाने की प्रक्रिया को योग शिक्षा कहते है।
2. **विद्यार्थी** – विद्या चाहने वाला या वह व्यक्ति जो कुछ सीख रहा हो विद्यार्थी कहलाता है चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है।
3. **अभिरूचि** – अभिरूचि एक आन्तरिक प्रेरक शक्ति है, जो हमें ध्यान देने के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति प्रेरित करती है। अभिरूचि एक मानसिक संरचना है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु से अपना लगा तथा सम्बन्ध प्रकट करता है।

शोध परिसीमन –

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन को कोटा शहर तक सीमित रखा गया है।
2. चयनित सभी विद्यार्थी प्रायः किशोर वर्ग 14–18 वर्ष तक के होने चाहिए क्योंकि इसी स्तर के विद्यार्थी किशोरावस्था के अन्तर्गत आते है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श –

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा न्यादर्श के रूप में कोटा शहर के सरकारी व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में से 80 विद्यार्थियों (40 छात्र व 40 छात्राएँ) को चयनित किया गया है।

परिकल्पना के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण –

परिकल्पना 1 उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

सारणी संख्या 1

उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का मध्यमान, प्रमाप विचलनों एवं टी–मूल्यों द्वारा अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (SD)	टी–मूल्य	सार्थकता स्तर	निष्कर्ष
उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के छात्र	20	31.5	7.262	-1.020	0.05	स्वीकृत
उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय की छात्रा	20	33.25	2.47			

df = $N_1 + N_2 - 2 = 20 + 20 - 2 = 38$

df = 38 पर 0.05 का मान = 2.02

विश्लेषण एवं व्याख्या –

उपर्युक्त सारणी के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का मध्यमान क्रमशः 31.5 व 33.25 प्राप्त हुआ तथा प्रमाणिक विचलन क्रमशः 7.26 व 2.47 प्राप्त हुआ। इनसे प्राप्त टी मूल्य का मान –1.020 प्राप्त हुआ है जो स्वतंत्रता की कोटि (df) 38 पर सार्थकता स्तर पर सारणी मान 0.05 पर 2.02 से कम है। इसलिए षून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना 2 उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग षिक्षा के प्रति अभिरूचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

सारणी संख्या 2

उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का मध्यमान, प्रमाप विचलनों एवं टी–मूल्यों द्वारा अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (SD)	टी–मूल्य	सार्थकता स्तर	निष्कर्ष
उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालय के छात्र	20	34.25	10.35	0.5072	0.05	स्वीकृत
उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालय की छात्रा	20	32.5	11.55			

$df = N_1 + N_2 - 2 = 20 + 20 - 2 = 38$

df = 38 पर 0.05 का मान = 2.02

विश्लेषण एवं व्याख्या –

उपर्युक्त सारणी के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का मध्यमान क्रमशः 34.25 व 32.5 प्राप्त हुआ तथा प्रमाणिक विचलन क्रमशः 10.35 व 11.55 प्राप्त हुआ। इनसे प्राप्त टी मूल्य का मान 0.5072 प्राप्त हुआ है जो स्वतंत्रता की कोटि (df) 38 पर सार्थकता स्तर पर सारणी मान 0.05 पर 2.02 से कम है। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना 3 उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

सारणी संख्या 3

उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का मध्यमान, प्रमाप विचलनों एवं टी–मूल्यों द्वारा अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (SD)	टी–मूल्य	सार्थकता स्तर	निष्कर्ष
उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय व निजी विद्यालय के छात्र	40	32.37	5.5	0.3828	0.05	स्वीकृत
उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय व निजी विद्यालय की छात्रा	40	31.5	13.28			

$df = N_1 + N_2 - 2 = 40 + 40 - 2 = 58$

df = 58 पर 0.05 का मान = 1.99

विश्लेषण एवं व्याख्या –

उपर्युक्त सारणी के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय व निजी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि का मध्यमान क्रमशः 32.37 व 31.5 प्राप्त हुआ तथा प्रमाणिक विचलन क्रमशः 5. 5 व 13.28 प्राप्त हुआ। इनसे प्राप्त टी मूल्य का मान 0.3828 प्राप्त हुआ है जो स्वतंत्रता की कोटि (df) 58 पर सार्थकता स्तर पर सारणी मान 0.05 पर 1.99 से कम है। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है।

आरेख 1

उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि आरेख द्वारा प्रदर्शित

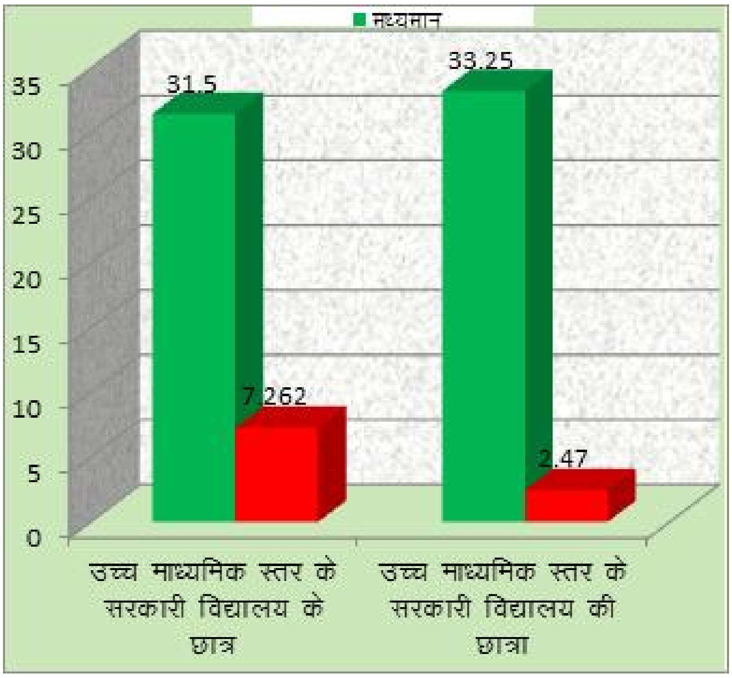

आरेख 2

उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि आरेख द्वारा प्रदर्शित

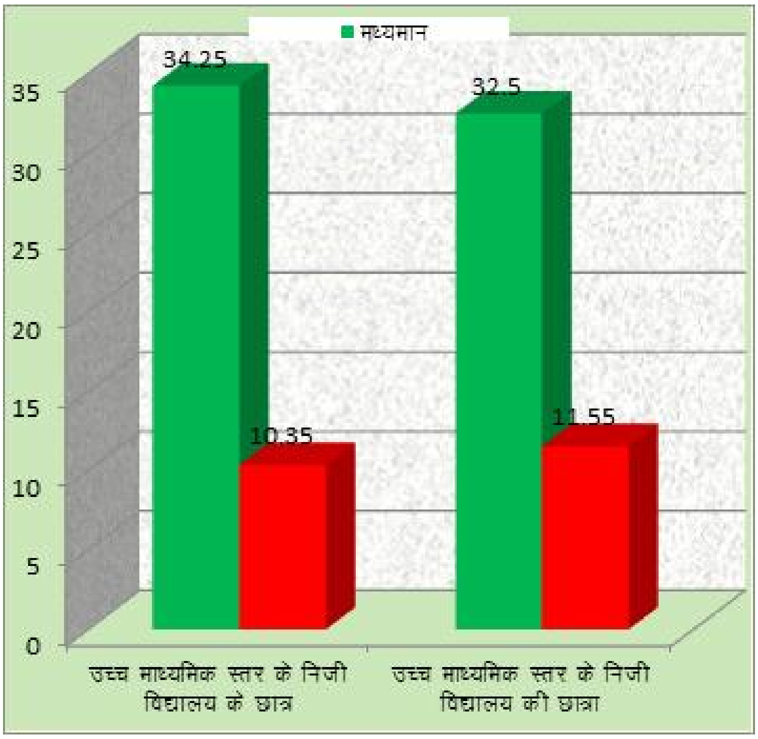

आरेख 3

उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि आरेख द्वारा प्रदर्शित

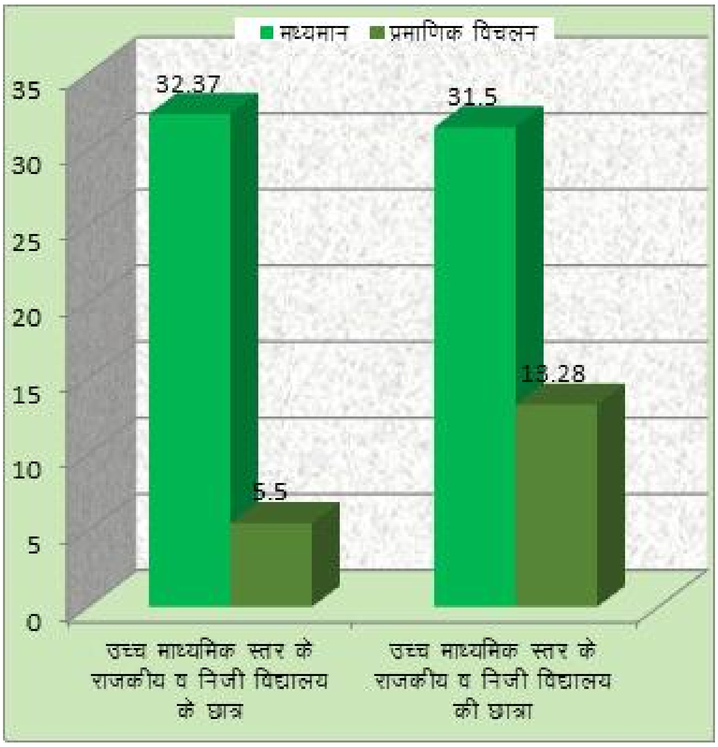

निष्कर्ष –

1. उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। योग शिक्षा छात्र एवं छात्राओं के लिए लाभप्रद है। यह उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के सभी पक्षों को समान रूप से प्रभावित करती है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की योग शिक्षा के प्रति अभिरूचि में कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। योग शिक्षा के द्वारा सभी छात्र व छात्राओं का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांवेगिक, सामाजिक विकास समान रूप से होता है।

शैक्षिक निहितार्थ –

1. योगाभ्यास से विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ती है।
2. इसके माध्यम से विद्यार्थियों की सहनशीलता बढ़ती है और मन शक्तिशाली होता है।
3. योग शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ बनाया जा सकता है।
4. योग शिक्षा द्वारा किशोरवय विद्यार्थियों में तनाव, कुण्ठा, दुष्चिंता, ईर्ष्या व अवसाद जैसे विकारों को दूर किया जा सकता है।
5. इसके माध्यम से विद्यार्थी अपना नैतिक उत्थान व चारित्रिक विकास कर सकते है।

सुझाव –

1. योग शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के समायोजन, आत्मचिन्तन, आत्म संतुष्टि व आत्म प्रत्यय पर पड़ने वाले प्रभावों आदि चरों को आधार बनाकर शोधकार्य किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोधकार्य ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों पर भी किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोधकार्य महाविद्यालय स्तर, बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों या व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- पाठक पी.डी. (2008), शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 2, पृ.स. 22–29
- भटनागर, सुरेश, शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
- सक्सेना, सरोज (2010), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार साहित्य प्रकाशन, आगरा, पृ.स. 137–145
- शर्मा, आर. ए. (2011), शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
- राय पारसनाथ (1997–98) अनुसंधान परिचय, सप्तम संस्करण शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशन, आगरा–3
- Vencente Manoj (2004), Emotion and Heard Rhythm as infulenced Pedrode with Yoga." Yoga Mimansa, Vol 23:2 P- 20.
- गुप्ता, एस.पी. (2009), ''सांख्यिकीय विधियाँ'', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- गैरेट, हेनरी ई. (2014), ''शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग'' कल्याण पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- माथुर, एस.एस. (2008) ''शिक्षा मनोविज्ञान'' अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।

Journals Survey and Others -

- Buch, M.B., Survey of Educational Nos 1, 2, 3, 4, 5 NCERT, New Delhi.
- Journal of Psychology Agra, Asian journal of Psyc and Education. Vol. 43, No. 34, Pg. 2-4.
- शर्मा, विनिता (जनवरी 2010), महर्षि पंतजलि का योग शिक्षा दर्शन, विद्या मेघ, पृ. स. 21–22 2
- जाखड, रामलाल (सितम्बर 2014), जीवन जीने की कला है. योग शिविरा पत्रिका।

Websites :

- www.indianresearchjournals.com
- http://www.shodhganga.co.in

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 165-172

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Mental Health and School Education

Dr. Giriraj Bhojak
Assistant Professor, Department of Education,
Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun.

Abstract :

Holistic education that promotes children's well-being is the core objective of schools. Every child is equally vulnerable to mental health challenges, like physical health problems, during their formative years. This article attempts to highlight some of the major adversities faced by school children. Mental health support facilities are missing in most of the schools in India. In the given situation, school-based family counseling is recommended, which would benefit school children in addressing the issues they face. Further research on the effectiveness and scalability of school-based mental health programs is needed, and child protection should be prioritized on the national agenda. This paper examines the prevalence, risk factors, common mental health issues, the roles of family and society, interventions, and policy frameworks related to adolescent mental health in India.

Keywords : School student, academic stress, mental health, Psychosocial development, Mental health interventions, school-based programs, Policy frameworks, corporal punishment, Suicide prevention,

Introduction :

Adolescence is a transformative stage characterized by rapid physical, emotional, cognitive, and social changes. During this period, individuals begin to form their identities, explore autonomy, and navigate complex relationships and life transitions. Although these developmental shifts offer growth opportunities, they also increase vulnerability to mental health challenges. Mental health, as defined by the World Health Organization, is a state of well-being in which individual scan realize their abilities, cope with normal stresses of life, work productively, and contribute to their communities. Erikson's psychosocial theory further underscores the identity versus role confusion stage during adolescence, where failure to establish a stable identity can lead to mental distress. These frameworks provide a valuable lens through which to examine and address adolescent mental health issues in India. Parents and teachers sometimes fail to understand children's challenges because

of factors such as lack of knowledge, insensitivity, illiteracy, behavioral or psychological issues, family violence, or poor communication with children. This leads to poor academic performance and worsens the problem. This article attempts to highlight some of the major adversities faced by school children up to higher secondary levels in India.

Mental health status of Indian school children :

In every state, especially in government schools, emphasis is given to teaching in the local language up to the 12th Standard and even at the undergraduate levels. As a result, when the students from those academic institutes go for higher studies, they experience significant difficulty with the medium of instruction, which is English. This results in students experiencing anxiety, an inferiority complex, poor performance, and sometimes dropping out (Deb et al., 2010). Some even develop suicidal ideation and suicide (K. S. Kumar & Akoijam, 2017). This leads to poor academic performance and worsens the problem. Evidence highlights that mental health challenges adversely impact the career of the child (McLean et al., 2020). At the societal level, poverty, social exclusion, early marriage, and child labor are structural determinants that place adolescents at risk. In rural areas and among marginalized communities, limited access to education, healthcare, and safe spaces exacerbates vulnerability. Additionally, rapid urbanization and digital exposure have introduced new forms of stress.

Academic stress :

Academic stress has emerged as a significant concern for secondary and higher secondary school students, particularly in Asia, where it is closely linked to various mental health issues like anxiety, depression, suicidal ideation and suicide (Mahapatra & Sharma,2020; Nandagaon & Raddi,2020). Various factors are responsible for increased academic stress in Asian countries 'children, including demographic differences, socio-economic variables, education systems and cultural values (Nandagaon & Raddi, 2020).

India's unique cultural, social and economic context profoundly influences students' mental health, particularly through societal norms and expectations. Academic achievement is often seen as a marker of self-worth and a means of upward social mobility, placing immense pressure on students to perform well. One Indian study revealed that 96.3% of students in Grades X and XII (specifically in science streams) engaged the services of private tutors, and a significant 42% of these students had four or more tutors. The study also indicated that approximately 32.6% of the students exhibited symptoms of psychiatric issues, while 81.6% reported experiencing examination-related anxiety. The effective implementation of the National Education Policy 2020 will bring some positive change to the school in the future.

Child abuse and Engagement of school students in social media :

A study carried out in Kolkata disclosed that 52.4% of adolescents reported psychological abuse, 25.1% physical abuse, and12.7% sexual abuse. (Deb, Ray, Bhattacharyya, & Sun,2016). In a one-year prevalence study in Kerala, M.T. Kumar et.al. (2019) reported that child physical and emotional abuse, including sexual abuse was very common. Importantly, children who have experienced any form of violence, regardless of its nature, exhibited significantly lower social adjustment scores compared to those who had not encountered violence.

School students and young people are increasingly drawn to social media platforms, as these platforms allow them to access information and stay connected with others. While social networking has certain benefits, it also manifests significant risks for school children. Several global studies highlighted the negative consequences of engagement of schoolchildren in social networking sites (Baltaci & Ersoz,2022; Bener et al.,2016). The scenario in India is not different. For example, one study carried out in Siliguri, West Bengal, indicates that about 70.7% of adolescents were found to be addicted to Social media.

Corporal punishment (CP) in India :

In India, children experience corporal punishment (CP) at home as well as in schools. It is considered to be a normal cultural practice and is perceived to be good for disciplining children. It is defined as 'any punishment involving physical force intended to cause some degree of pain or discomfort' (Human Rights Watch, 2008, p.23). A study carried out among school children in Puducherry, India found 'that 62% of schools experienced CP in the past twelve months. Students who experienced C reported higher levels of anxiety and depression, with this relationship being particularly strong among those reporting family tension (Deb et al.,2017, p.65). Evidence indicates that children who experience CP at home face a higher risk of developing various mental health issues and suffer from compromised relationships with their parents (Maguire-Jack et al., 2012).

Domestic violence and social discrimination :

Domestic violence is on the rise in Indian society, although many incidents go unreported due to factors such as women's financial dependence, social stigma, and a cultural tendency among some women to protect their husband's reputation despite enduring violence. Studies have highlighted the prevalence of family violence witnessed by children. For instance, a study revealed that 31.2% of children in urban areas had observed domestic violence in their households.

At the societal level, poverty, social exclusion, early marriage, and child labour are structural determinants that place adolescents at risk. In rural areas and among marginalized communities, limited access to education, healthcare, and safe spaces exacerbates vulnerability. The rise of social media,

for instance, has brought benefits in terms of connectivity but also exposed adolescents to cyberbullying, peer comparison, and unrealistic beauty or success ideals.

Mental disorder among school students :

Anxiety disorders affect an estimated 9% of children and adolescents globally, with many cases remaining undiagnosed due to the internalized and often overlooked nature of their symptoms (World Health Organization, 2022). Anxiety significantly impacts children's emotional well-being, social functioning, and academic performance, potentially leading to long-term developmental challenges (V. Kumar & Talwar, 2014). In India, mental health issues among school children are widespread, often fueled by the immense pressure to excel academically, as shaped by society and parental expectations (Pinquart,2017). Another widespread category includes behavioral disorders, such as Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Oppositional Defiant Disorder (ODD), and Conduct Disorder. These conditions often emerge in early adolescence and may lead to problems in school performance, peer relationships, and family interactions.

Suicide among students in India :

The National Crime Record Bureau (NCRB,2022), Ministry of Home Affairs, Government of India data, a total of 13,089 students died by suicide in 2021 because of academic failure, averaging 36 students per day, compared to 12,526 student suicides in 2020. The data indicate that suicide is more prevalent among males, accounting for 56.51% of cases, while females represent 43.49% (NCRB,2022). The Lancet (2022) reported that suicide is the leading cause of death in the 15–19 age group in India, often driven by examination failure, bullying, familial abuse, or mental illness. The widespread neglect of adolescent mental health care infrastructure has only exacerbated these issues.

Role of Family and School :

Unfortunately, many children experience complex family environments, and in turn, it adversely affects their healthy growth and development, as a good number of them experience neglect and abuse in different forms. Lee et al. (2012) noted that chronic economic hardships within families contribute to mental and physical health issues among adolescents. Furthermore, bullying, corporal punishment, discrimination based on caste, gender, or disability, and teacher insensitivity can exacerbate psychological distress. Despite the central role of schools in shaping emotional well-being, mental health services in educational settings remain grossly inadequate.

Absence of mental health support facilities in schools in India :

There is a lack of initiative in providing adequate psychological support, not only for abused children and their families, but also for the perpetrators. In most health centers and intervention programs, psychologists are rarely appointed to address the mental health needs of both developing

and abused or traumatized children (H. M. Singh et al., 2023). Additionally, there is a scarcity of psychologists and social workers in both government and private hospitals, where mental health care is typically handled by psychiatrists. The Mano Darpan initiative, launched by the Ministry of Education (2020) during the COVID-19 pandemic, focuses on providing psychosocial support to students, teachers, and families.

Interventions and Support Systems :

In recent years, digital mental health platforms have emerged as accessible alternatives, especially for urban and tech-savvy youth. Mobile applications such as Wysa, Your DOST, Mind Peers, and government-backed helplines offer anonymous and stigma-free counseling services. These platforms use AI-driven chatbots, trained psychologists, and curated mental health content to cater to adolescents seeking help in private and confidential settings. While promising, digital interventions also present challenges, such as digital literacy gaps, privacy concerns, and the need for content in regional languages.

There was a 41% increase in mental health-related internet searches in India during the first 10 months of 2023 compared to the previous year, indicating growing public awareness and interest in mental well-being (Economic Times, 2024). The Economic Survey 2024–25 emphasizes the need for early mental health education, improved workplace mental health policies, and the expansion of digital mental health services like Tele-MANAS (PIB,2024). The National Tele-Mental Health Programme (Tele-MANAS), launched in 2022, has established 53 operational cells across 36 states and union territories, handling over 1.45 million calls as of October 2024 (Lurnable, 2024).

School-based family counselling (SBFC) is an interdisciplinary and integrated approach to addressing children's issues and challenges in terms of both personal and academic aspects. The broad objective of SBFC is to reduce the challenges faced by children in the family, school, and community by creating a conducive and safe environment (Gerrard et al., 2023).

Additionally, teacher-counsellor collaborations can bridge gaps in mental health resources; basic mental health training for teachers enables them to identify at-risk students early and connect them with professional support. These practical interventions create a scalable, culturally sensitive framework for mental health support in schools and the family. Teachers, Accredited Social Health Activists (ASHAs), Anganwadi workers, and Auxiliary Nurse Midwives (ANMs) should be trained to recognize early signs of mental distress and refer adolescents to appropriate services.

Conclusion :

With the world's largest adolescent population, the country faces both significant challenges and opportunities to improve youth well-being. This paper has highlighted the complex interplay of

psychological, familial, educational, and societal factors influencing adolescent mental health, supported by recent data and established theoretical frameworks. Mental health conditions, the growing treatment gap, and promising interventions ranging from school-based programs to digital platforms and policy initiatives. The way forward lies in implementing a multi-sectoral and rights-based approach that integrates mental health into all aspects of adolescent life—home, school, and community. Enhanced budgetary allocation, improved mental health infrastructure, targeted public awareness campaigns, and a trained workforce are essential. Equally important is the need for ongoing research and disaggregated data to support evidence-based interventions.

References :

1. Anda, R. F., et al. (2020). The lasting impact of adverse childhood experiences on mental health outcomes. Journal of Adolescent Health, 67(5), 435-443.
2. Baltaci, S., & Ersoz, A. R. (2021). Social media engagement, fear of missing out and problematic internet use in secondary school children. International Online Journal of Educational Sciences, 14(1), 197–201.https://doi.org/10.15345/iojes.2022.01.015
3. Click2Pro. (2024). Mental Health in India: Surprising Statistics You Should Know. https://click2pro.com/blog/mental-health-india-surprising-statistics
4. Cuijpers, P., et al. (2016). Cognitive behavioral therapy for adolescent depression: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 49, 1-15.
5. Deb, S., Chatterjee, P., & Walsh, K. M. (2010). Anxiety among high school students in India: Comparisons across gender, school type, social strata and perceptions of quality time with parents. Office of Education Research: Faculty of Education. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ885704.pdf
6. Deb, S., Strodl, E., & Sun, J. (2015). Academic stress, parental pressure, anxiety and mental health among Indian high school students. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 5(1), 26–34http://www.sapub.org/global/showpaperpdf.aspx?doi=10.5923/j.ijpbs.20150501.04
7. Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. W. W. Norton & Company.
8. Government of India. (2017). Mental Healthcare Act, 2017. Ministry of Law and Justice.
9. Government of Kerala. (2020). Jeevan Mental Health Program. Directorate of Collegiate Education.
10. Gururaj, G., Varghese, M., Benegal, V., Rao, G. N., Pathak, K., Singh, L. K., ... & NMHS Collaborators Group. (2016). National Mental Health Survey of India, 2015-16: Summary.

NIMHANS Publication.

11. Journal of Mental Health and Human Behaviour. (2024). Bridging the Mental Health Treatment Gap inIndia.https://journals.lww.com/mhhb/fulltext/2024/07000/bridging_the_mental_health_treatment_gap_in_india_.3.aspx
12. Kumar, K. S., & Akoijam, B. S. (2017). Depression, anxiety and stress among higher secondary school students of Imphal, Manipur. Indian Journal of Community Medicine, 42(2), 94. https://doi.org/10.4103/ijcm_266_15
13. Lee, T. K., Wickrama, K. a. S., & Simons, L. G. (2012). Chronic family economic hardship, family processes and progression of mental and physical health symptoms in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 42(6), 821–836.https://doi.org/10.1007/s10964-012-9808-1
14. Lurnable. (2024). India's Workplace Mental Health Initiatives 2024. https://www.lurnable.com/content/indias-workplace-mental-health-initiatives-2024/
15. Mahapatra, A., & Sharma, P. (2020). Education in times of COVID-19 pandemic: Academic stress and its psychosocial impact on children and adolescents in India. International Journal of Social Psychiatry,67(4), 397–399.https://doi.org/10.1177/0020764020961801
16. Maguire-Jack, K., Gromoske, A. N., & Berger, L. M. (2012). Spanking and child development during the first 5 years of life. Child Development, 83(6), 1960–1977. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01820.x
17. McLean, L., Abry, T., Taylor, M., & Gaias, L. (2020). The influence of adverse classroom and school experiences on first year teachers' mental health and career optimism. Teaching and Teacher Education, 87, Article 102956. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102956
18. Ministry of Health and Family Welfare. (2025). National Mental Health Programme Annual Report 2024–25. Government of India.
19. Nandagaon, V., & Raddi, S. (2020). Depression and suicidal ideation as a consequence of academic stress among adolescent students. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 14(4), 4464–4468. https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12344
20. National Crime Record Bureau. (2022). Accidental deaths and suicides in India 2021: Student suicides. https://ncrb.gov.in
21. Patton, G. C., et al. (2018). Global patterns of adolescent mental health disorders. The Lancet Child & Adolescent Health, 2(2), 95-105.
22. Pinquart, M. (2017). Associations of parenting dimensions and styles with externalizing problems of children and adolescents: An updated meta-analysis. Developmental Psychology, 53(5), 873–932. https://doi.org/10.1037/dev0000295

23. PMC. (2024). Improving Child and Adolescent Mental Health in India: Status, Services, Policies, and Way Forward. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6657557/
24. The Lancet. (2022). Suicide is the leading cause of death in Indian adolescents aged 15–19. The Lancet Regional Health – Southeast Asia, 3, 100037. https://doi.org/10.1016/j.lansea.2022.100037
25. Times of India. (2025, May 8). Cops organise outreach programme for female students. https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/cops-organise-outreach-programme-for-female-students/articleshow/121006175.cms
26. Twenge, J. M., et al. (2021). Social media and adolescent mental health: Examining the impact. Journal of Youth Studies, 24(6), 732-748.
27. World Health Organization. (2022). Adolescent mental health: Current challenges and strategies. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/adolescent-mental-health.

E-mail:drbhojakgiriraj@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642
Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 173-177
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

झुंझुनू जिले के नगरीय केंद्रों का जनसंख्या प्रक्षेपण

डॉ. ममता यादव
सहायक आचार्य (भूगोल)
स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी, झुंझुनू।

सार –

जनसंख्या किसी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जनसंख्या का आकार, वितरण तथा वृद्धि दर किसी क्षेत्र की विकासात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में नगरीकरण की प्रक्रिया विश्व के अधिकांश देशों में तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत में नगरीकरण के कारण छोटे और मध्यम आकार के नगरों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में स्थित झुंझुनू जिले के नगर शिक्षा, व्यापार, पर्यटन और सेवा कार्यों के कारण तेजी से विकसित हो रहे हैं। इस शोध पत्र में झुंझुनू जिले के नगरीय केंद्रों की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर भविष्य की संभावित जनसंख्या (2027 की जनगणना) का अनुमान लगाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से होने वाला प्रवासन, शिक्षण संस्थानों का विकास तथा व्यापारिक गतिविधियों के कारण आने वाले दशकों में नगरों की जनसंख्या में और वृद्धि होगी। तेजी से बढ़ते नगरीकरण के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे– आवास की कमी, परिवहन की समस्या, जलापूर्ति पर दबाव तथा पर्यावरण प्रदूषण। इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित शहरी नियोजन तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। इस प्रकार यह शोध पत्र झुंझुनू जिले के नगरीय केंद्रों में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्तियां को समझने के साथ–साथ भविष्य की संभावित जनसंख्या का अनुमान प्रस्तुत करता है। यह शोध क्षेत्रीय नियोजन, शहरी विकास योजनाओं के निर्माण तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द – जनसंख्या, प्रक्षेपण, नियोजन, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि दर, जनगणना, प्रवासन, प्रदूषण, पर्यावरण।

प्रस्तावना –

वर्तमान समय में नगरीकरण सबसे महत्वपूर्ण एवं गतिशील अध्ययन क्षेत्र है। नगरीकरण न केवल जनसंख्या के स्थानिक वितरण को परिवर्तित करता है बल्कि यह आर्थिक संरचना, सामाजिक संगठनों, संसाधनों के उपयोग एवं पर्यावरण संतुलन को भी प्रभावित करता है। नगरीकरण के कारण विकासशील देशों में छोटे एवं मध्यम आकार के नगरों का विकास तीव्र गति से हुआ है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया बहुआयामी एवं असमान रही है यहाँ बड़े नगरों के साथ–साथ छोटे नगरों की जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी संदर्भ में राजस्थान

के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित शेखावाटी क्षेत्र का झुंझुनू जिला एक विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह अपनी ऐतिहासिक परंपरा, व्यापारिक गतिविधियों, प्रवासी परंपरा एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले में 2011 जनगणना के अनुसार झुंझुनू, नवलगढ़, चिड़ावा, उदयपुरवाटी, पिलानी, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, मुकुंदगढ़, खेतड़ी, गोठड़ा, विद्याविहार, बगड़, मलसीसर, सिंघाना, बबाई, इस्लामपुर और नुआ आदि 18 नगर स्थित है। इन नगरों की जनसंख्या संरचना में पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं। झुंझुनू, चिड़ावा, नवलगढ़, मंडावा और खेतड़ी जैसे नगर प्रशासनिक, व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षणिक एवं पर्यटक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। इन नगरों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता एवं आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के कारण ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन कर रहे हैं, जिससे यहां जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है और अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है।

इसी संदर्भ में जनसंख्या प्रक्षेपण एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में कार्य करता है। जनसंख्या प्रक्षेपण वर्तमान जनसंख्या प्रवृत्तियों, वृद्धि दरों एवं सामाजिक–आर्थिक कारकों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या का वैज्ञानिक अनुमान ज्ञात करना है। किसी क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास एवं नीति नियोजन हेतु भविष्योन्मुखी चिंतन आवश्यक है, इसके लिए क्षेत्र विशेष की वर्तमान जनसंख्या संबंधी तथ्यों के विश्लेषण के साथ–साथ भविष्येत्तर जनसंख्या स्वरूप की जानकारी होनी भी आवश्यक है। जनसंख्या प्रक्षेपण का उपयोग भविष्य के लिए बनाई जाने वाली विकास योजनाओं के उचित मापदंड निर्धारण में किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा भविष्य में जनसंख्या की वृद्धि, संसाधनों के विकास प्रतिरूप तथा जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्या (असमान लिंगानुपात, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य संकट) से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार जनसंख्या प्रक्षेपण क्षेत्र विशेष के आर्थिक–सामाजिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है। अतः नगरीय केंद्रों के प्रभावी शहरी नियोजन, संसाधनों के समुचित प्रबंधन तथा सतत विकास के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र –

झुंझुनू जिला राजस्थान राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका विस्तार 27°38' उत्तरी अक्षांश से 28°31′ उत्तरी अक्षांश तथा 75°02′ पूर्वी देशांतर से 76°06′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। झुंझुनू जिले की उत्तरी–पश्चिमी सीमा चूरू जिले, दक्षिण व पश्चिम सीमा सीकर जिले से तथा उत्तर–पूर्वी सीमा हरियाणा राज्य के भिवानी व महेंद्रगढ़ जिलों से लगती है। झुंझुनू जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5928 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 1.73 प्रतिशत है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 338 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झुंझुनू जिला जयपुर संभाग में स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले में 9 उपखण्ड, 12 नगरपालिका, 14 पंचायत समिति, ग्राम पंचायत 389 तथा 18 नगर स्थित है।

उद्देश्य –

1. झुंझुनू जिले के प्रमुख नगरों की वर्तमान जनसंख्या का विश्लेषण करना।
2. 2001 से 2011 के बीच नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर का अध्ययन करना।
3. सांख्यिकी विधियों के आधार पर नगरीय केंद्रों का 2027 के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण करना।

शोध पद्धति –

प्रस्तुत शोध पत्र में नगरीय जनसंख्या हेतु द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन से संबंधित आंकड़े भारत की जनगणना (2001 एवं 2011) एवं जिला जनगणना सार आदि से संग्रहित किए गए हैं।

1. जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर $\underline{[P_2-P_1]/10\ }$ **X 100**

$r = [P_2-P_1]/2$

r = वृद्धि दर

P_2= अंतिम दशक की जनसंख्या

P_1= प्रथम दशक की जनसंख्या

2. $P_n = P_o\ (\ 1+\ r\ )^n$

P_o = वर्तमान जनसंख्या

n = वर्षों की संख्या

P_n=वर्षों की अनुमानित जनसंख्या

r=जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर

किसी भी स्थान की जनसंख्या वृद्धि चक्रवृद्धि दर से होती है। अतः उपयुक्त सूत्र के आधार पर जिले के नगरीय केंद्रों के दो दशकों 2001- 2011 के बीच की वार्षिक वृद्धि दर तथा 2027 के लिए जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया है।

झुंझुनू जिले के नगरीय केंद्रों की संभावित जनसंख्या -

क्रम संख्या	नगरीय केंद्र	जनसंख्या 2001 (P_1)	जनसंख्या 2011 (P_2,P_o)	वृद्धि दर r (%)	P_n 2027
1.	झुंझुनू	100485	118473	1.64	153700
2.	नवलगढ़	56491	63948	1.23	77770
3.	चिड़ावा	37227	43953	1.66	57194

4.	उदयपुरवाटी	27843	29236	0.49	31611
5.	पिलानी	26224	29741	1.26	36340
6.	मंडावा	20830	23335	1.13	27896
7.	बिसाऊ	21133	23227	0.94	26981
8.	सूरजगढ़	18865	21666	1.38	26983
9.	मुकुंदगढ़	17792	18469	0.37	19586
10.	खेतड़ी	17382	18209	0.46	19590
11.	गोठड़ा	21820	16933	- 2.52	11253
12.	विद्याविहार	14366	15644	0.85	17910
13.	बगड़	14658	14238	-0.29	13592
14.	मलसीसर	11990	13719	1.35	16998
15.	सिंघाना	10681	11372	0.63	12576
16.	बबाई	9805	10620	0.80	12063
17.	इस्लामपुर	8738	10247	1.59	13189
18.	नुआं	5379	6049	1.17	7286

स्रोत-जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2001, 2011

नगरीय केंद्रों का 2027 के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण में सबसे अधिक जनसंख्या झुंझुनू नगर की 1,53,700 हो जाएगी जिसका अनुसरण नवलगढ़ 77,770, चिड़ावा 57,194 नगरीय केंद्र करेंगे। इनकी जनसंख्या 50 हजार से अधिक हो जाएगी। पिलानी की जनसंख्या 2027 में 36,340 होगी जिसका अनुसरण उदयपुरवाटी 31,611 मंडावा 27,896, सूरजगढ़ 26,983 व बिसाऊ 26,981 नगरीय केंद्र करेंगे। इन नगरीय केंद्रों की जनसंख्या 20 से 50 हजार के मध्य रहेंगी। शेष नगरीय केंद्रों की जनसंख्या 20 हजार से कम रहेगी। सबसे कम जनसंख्या नुआं नगर की होगी। गोठड़ा व बगड़ नगरीय केंद्र की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना में ऋणात्मक होने से भविष्य में जनसंख्या वर्तमान की तुलना में कम होगी।

झुंझुनू नगर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय होने से प्रशासनिक गतिविधियों के कारण यहां जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इसी प्रकार पिलानी शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में बाहर

से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। नवलगढ़ व मंडावा नगर में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों के कारण जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है, इनको यहां की हवेलियों ने विशेष पहचान प्रदान की है।

निष्कर्ष –

झुंझुनू जिले के नगरीय केंद्रों में जनसंख्या वृद्धि निरंतर जारी है। शिक्षा, व्यापार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के विकास ने नगरीकरण को गति प्रदान की है। वर्ष 2027 तक नगरों की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अतः भविष्य की शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध विकास अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जनकल्याणकारी नीतियों एवं नियोजन द्वारा नगरीय समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए, ताकि नगरों में सम्पोषणीय विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। जनसंख्या प्रक्षेपण केवल सांख्यिकीय अनुमान नहीं है, बल्कि यह भविष्य की विकास रणनीतियों का आधार भी है। यह अध्ययन विभिन्न नगरीय केंद्रों के लिए शहरी नियोजन, संसाधन प्रबंधन तथा सतत विकास की दिशा में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ सूची –

1. भारत सरकार, जनगणना 2001।
2. भारत सरकार, जनगणना 2011।
3. आर्थिक समीक्षा, नवीनतम संस्करण 2025–26।
4. चांदना, आर.सी. (2014) : जनसंख्या भूगोल, कल्याणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, झुंझुनू 2011।
6. रिजवी एस.एम. (2007) : सांख्यिकी भूगोल, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, द्वितीय संशोधित संस्करण।
7. Gibbs, Jack. P. (1966) : Population Growth and composition in urban research methods, East-west Press Pvt- Limited, New Delhi.
8. Singh, J. (2016) : Population Geography, Tata Mc Graw Hill Education.

Email – my191291@gmail.com
Mobile No. 9460144510

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 178-182

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

आधुनिक हिंदी कविता और भारतीय जीवन मूल्य

डॉ. प्रणव शर्मा
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

शोध संक्षेप :

स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत के जीवन मूल्यों में व्यापक परिवर्तन आया। प्रारम्भ से भारतीय समाज विविधता से भरापूरा समाज रहा है। जहाँ विविध संस्कृतियां एक साथ निवास करती रही हैं। समय के साथ विभिन्न संस्कृतियों के बीच आंतरिक संघर्ष भी बढ़ने लगे। बदलते सामाजिक जीवन ने जीने के नये तरीकों को जन्म दिया। पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते प्रभाव ने भी नये जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। वैज्ञानिक, यांत्रिक और औद्योगिक विकास ने विभिन्न प्रकार की संगतियों तथा विसंगतियों को जन्म दिया। और इन सबका प्रभाव आधुनिक हिंदी कविता पर पड़ने लगा। प्रस्तुत शोध पत्र आधुनिक हिंदी कविता और भारतीय जीवन मूल्यों को लेकर है।

मुख्य शब्द : मूल्यबोध, उपभोगवादी, बाजारवाद, सार्वभौमिक, लोकतंत्रात्मक, मनोवैज्ञानिक, भूमंडलीकरण।

प्रस्तावना :

हिंदी कविता में 'मूल्य' शब्द का प्रयोग नये युग की नयी चेतना के आते ही होने लगा था। जीवन के पुराने नियमों और सिद्धांतों का जीवन यथार्थ के नये पैमानों से तुलना किया जाने लगा था। समय के साथ जीवन मूल्य बदलने लगे। यह मूल्य–बोध सामाजिक, राजनितिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और आर्थिक जैसे जीवन से जुड़े सभी बिन्दुओं से जुड़े थे। आलोचक डॉ. रघुवंश के अनुसार – "अंततः मूल्यबोध का प्रश्न साहित्यकार की रचना प्रक्रिया का प्रश्न है। इस पर विचार वास्तव में इस रूप में होना चाहिए कि कला की रचना प्रक्रिया क्या है? और उसके भीतर जीवन–मूल्यों का कितना गहन और ठोस विस्तार समाहित है।"[1]

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत ऐसे समय में कदम रख चुका था जहां नये जीवन मूल्यों का निर्माण होने लगा था। भारत के पुराने रुढ़िगत मूल्यों का खोखलापन स्वतंत्रता के पहले ही सामने आने लगा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही लोगों में एक नई जागरूकता का प्रसार हुआ। लोगों में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक आदि स्तरों पर निहित मूल्यों से पूर्णतः मोह भंग की स्थिति बनने लगी। मूल्यों में तेजी से होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया में विभिन्न मूल्यों के बीच संघर्ष भी होने लगे।

विषय वस्तु :

परिवर्तित होते मूल्यों का प्रभाव हिंदी कविता पर भी दिखने लगा था। मूल्यों में हो रहे परिवर्तन के कारण हिंदी कविता में निहित भाव और विचारों में भी परिवर्तन आने लगे। व्यक्ति परम्परागत सामाजिक व्यवस्था के पुराने

मूल्यों के स्थान पर नये मूल्यों को अपनाने लगा। जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद हिंदी कविता के विषयवस्तु परिवर्तित होने लगे थे। छायावाद और प्रगतिवाद का समय जा चुका था। कविता प्रकृतिवादी या राष्ट्रप्रेम के विचारों और भावनाओं से दूर आ गयी थी। अब कविताओं में किसी एक धारा का प्रभाव नहीं रहा था।

स्वतंत्रता के बाद का कवि जीवन जीने के पुराने मूल्यों को तोड़ देना चाहता था। जो उस समय भारत के आम आदमी की चाह थी। आम आदमी ने समाज के परम्परागत दायरे में रहते हुए उसके बने बनाये मूल्यों की निरर्थकता को देख लिया था। उसके अंदर नये और पुराने जीवन मूल्यों को लेकर द्वन्द्व प्रारम्भ हो गए थे। नये युग में पुराने मूल्य उसके किसी काम के नहीं रह गये थे। उन मूल्यों को छोड़ वह नये भविष्य की ओर आगे बढ़ने की आकांक्षाएं करने लगा। जो आकांक्षाएं आधुनिक हिंदी कविता में इस प्रकार दिखने लगीं –

"………तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब
पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार
तब कहीं देखने मिलेंगी बाँहें
जिसमें कि प्रतिपल काँपता रहता
अरुण कमल एक ले जाने
उसको धँसना ही होगा
...तिरछी है किरनों की मार
उस नीम पर जिसके कि नीचे
मिट्टी के गोल चबूतरे पर,
नीली चाँदनी में कोई दिया सुनहला
जलता है मानो कि स्वप्न ही साक्षात्
अदृश्य साकार।"[2]

बदलते युग का आदमी पुराने सामाजिक दायरों में बंधकर नहीं रहना चाहता था। जिसके कारण उसका समाज से विघटन होने लगा। जिसका सीधा प्रभाव भारतीय पारिवारिक मूल्यों पर पड़ने लगा। लोगों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। परिवार छोटे–छोटे भागों में टूटने लगे थे। संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदलने लगे। शहरीकरण ने पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया को और भी तेजी दी। पारिवारिक विघटन से मुलभूत जीवन मूल्यों में व्यापक परिवर्तन आने लगे –

"संयुक्त परिवार के टूटने का दृश्य था
बरसों से एक जगह ठहरी हुई संरचनाएँ सचमुच टूट रही थीं
हर नया परिवर्तन नई समस्याओं को भी पैदा करता है,
एकल परिवार की भी बहुत सारी खूबियां थी,
परिवार के टूटने और एकल परिवार के
आकार लेने के बारे में एक लम्बी बहस छिड़ी हुई थी पूरे समाज में,
पर उसकी समस्याएं भी कम न थी।"[3]

स्वतंत्रता के बाद महत्व दिए जाने वाले लोकतंत्रात्मक विचार शब्द ही बनकर रह गए थे। मानव अधिकार

और समानता पर आधारित व्यवस्थाएं केवल नारों तक सीमित हो गए। हर जगह शोषण और भ्रष्टाचार का तंत्र फैलने लगा। धीरे–धीरे लोगों में पूरी व्यवस्था के प्रति मोह भंग होने लगा। जिसके प्रभाव से हिंदी कविता में व्यवस्था से खीज, विद्रोह और विरोध की आवाजें बढ़ने लगीं। व्यवस्था की विसंगतियों के प्रभाव में ही आधुनिक हिन्दी कविता के भाव बदलने लगे –

"मैं रोज देखता हूँ कि
व्यवस्था की मशीन का
एक पुर्जा गरम होकर
अलग छिटक गया है और
ठंडा होते ही फिर
कुर्सी से चिपक गया है
उसमें न दया है न हया है नहीं
अपना कोई हमदर्द यहाँ नहीं है
मैंने एक–एक को परख लिया है
मैंने हरेक को आवाज दी है
हर एक का दरवाजा
खटखटाया है मगर बेकार......!"[4]

पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव घर–घर में प्रवेश करने लगा था। बाजारवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति भारत के हर कोने में फैलती जा रही थी। इस संस्कृति ने आम आदमी को उपभोगवादी बना दिया। जिसके कारण मध्यमवर्गीय जीवन में ऐसी आवश्यकताओं को बढ़ावा मिला जो रोजमर्रा के जीवन में आवश्यक भी नहीं थी। आम आदमी मनोवैज्ञानिक विवशता और दबाव से घिर गया। हिंदी कविता उस दबाव और विवशता भरी व्यवस्था के प्रतिरोध में आवाज उठाने लगी। ऐसे समय को बताते हुए कवि मंगलेश डबराल की कविता कहती है –

'जिस तरह दिखता है
वह उस तरह नहीं होता
यह बाजार का एक ठोस
आध्यात्मिक आधार है
इसलिए चमत्कारों का उत्पादन
सबसे बड़ा व्यापार है।"[5]

भारतीय सभ्यता के सार्वभौमिक मूल्यों का लम्बे समय तक प्रतिष्ठा में थे। लेकिन धीरे–धीरे वह मूल्य निरंकुशता होने लगे थे। जिसका सबसे बड़ा कारण आम आदमी के जीवन का कठिनाइयों से भर जाना था। आम आदमी के नये जीवन यथार्थ से उन पुराने मूल्यों का कोई मेल नहीं था। जिससे आदमी में पुराने मूल्यों के प्रति अनास्था और निराशा की भावना बढ़ने लगी। हिंदी कवि पुराने मूल्यों से दूर नए मूल्यों को प्रतिष्ठा देने में लग गया। हिंदी कविता पुराने मूल्यों से छुटकारा पाने के लिए बेचौन दिखने लगी –

"आखिर कब तक

लड़ने वाले मुट्ठी जेबों में
बन नया दौर लाने में
असफल छन्द कब तक
आखिर कब तक?"[6]

आजादी के बाद हिन्दी कवि जीवन से हताश आम आदमी के साथ खड़ा था। कवि व्यवस्था को प्रत्युत्तर देते हुए नये यथार्थ मूल्यों को खोजने लगा। आजादी के बाद के कवियों के मन में यह विचार चलने लगे कि यदि वह इस दौर को बदलने में असक्षम है तो कम से कम उस संघर्षरत आदमी के साथ खड़ा तो रह सकता है। इस समय हिंदी कविता में बुद्धिवादी मूल्यों का प्रभाव बढ़ने लगा। जिसकी प्रबलता ने हिंदी कविता का स्वरूप बदल दिया –

"अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दूँ
अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित साँचे में ढाल दूँ
निजी जो कुछ है अस्वीकृत कर दूँ,
सम्बोधन के स्वर को उपसंहृत कर दूँ
आत्मा को न मानूँ।"[7]

आधुनिकता की ओर बढ़ते रस्ते में मानवीय मूल्यों का जो अवमूल्यन हुआ वह चिंतनीय है। अवश्य ही भूमंडलीकरण ने देश–विदेश को करीब लाया लेकिन आदमी के बीच की दूरी बढ़ गयी। इसने विशेष रूप से भारतीय समाज को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया। इस समय हिंदी कविता नये मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में प्रयासरत दिखती है। आधुनिक हिंदी कविता दुनिया को बाजारवाद, पूंजीवाद, सम्प्रदायवाद, धार्मिक उन्माद और आतंकवाद जैसे आम आदमी के विपक्ष में कड़ी ताकतों से बचाने की आकांक्षा करती है –

'मुझे बचाना है एक एक कर
अपनी प्यारी दुनिया को
बुरे लोगों की नजर है
इसे खत्म कर देने को।"[8]

निष्कर्ष :

साहित्य युगीन चेतना का परिणाम कहा जाता है। युगीन चेतना के मूल्यों में परिवर्तन का होना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर युग अपने साथ नए मूल्यों को लेकर विकसित होता है। विभिन्न देशकाल में लिखे गए साहित्य पर उस युग के मूल्यों की प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। युगीन मूल्य, आकांक्षाएं, सामाजिक प्रवृत्तियां, राजनीतिक गतिविधियां, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी साहित्य की सामग्री रूप में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक विकास के इस आधुनिक युग में छोटे–बड़े सभी पुराने मूल्यों को यथार्थ की कसौटी से देखा जाने लगा। जीवन के संघर्ष भरे यथार्थ ने जहाँ नए मूल्यों को स्थापित किया वहीँ मूल्य विघटन की स्थिति भी बनी। मूल्य विघटन बढ़ने का सीधा प्रभाव समकालीन साहित्यकारों के साहित्य पर पड़ा। पारिवेशिक वातावरण के परिवर्तनों के साथ हिंदी कविता भी मूल्य परिवर्तनों से गुजरी। जिसके कारण आधुनिक कवियों ने नये भाव, नयी चेतना और नयी संवेदना से भरे मूल्यों को अपनी रचना में स्थान दिया।

सन्दर्भ :–

1. डॉ. रघुवंश, लहर, सितम्बर 1960, पृष्ट 46.
2. मुक्तिबोध, गजानन माधव, चांद का मुंह टेढ़ा है, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, अष्टम संस्करण, 1985, पृष्ठ 283.
3. जोशी, राजेश, चांद की वर्तनी, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पहला संस्करण, 2006, पृष्ठ 105.
4. www.anubhutihindi.org/gauravgram/dhoomil/patkatha.html
5. डबराल, मंगलेश, आवाज भी एक जगह है, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, दूसरा संस्करण, 2004, पृष्ठ 58.
6. मिश्र, अनुपम, भवानी प्रसाद मिश्र और उनका काव्य–संसार, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 2003, पृष्ठ 36.
7. मिश्र, अनुपम, भवानी प्रसाद मिश्र और उनका काव्य–संसार, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 2003, पृष्ठ 37.
8. शुक्ल, विनोद कुमार, सब कुछ होना बचा रहेगा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2014, पृष्ठ 48.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 183-185

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

संजना कौल द्वारा लिखित उपन्यास 'पाषाण युग' में अस्तित्व हेतु संघर्ष करती हुई नारी का यथार्थ चित्रण

डॉ. दीपिका शर्मा

VPO Jhaloor, Distt/Teh - Barnala (Punjab) Pincode-148025

प्रस्तावना :

साहित्व सदैव से ही समाज का दर्पण होता है, जब समाज किसी भी राजनीतिक या साम्प्रदायिक हिंसा के दौर से गुजरता है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव स्त्रियों और बच्चों पर अवश्य पड़ता है। कश्मीर को केंद्र में रखते हुए हिंदी उपन्यासों में विस्थापन तथा आतंक की समस्या को कई त्रिकोण से चित्रित किया गया है। इसी परिदृश्य को अंकित करता हुआ संजना कौल का उपन्यास 'पाषाण युग' जोकि आत्मपरक शैली में लिखित एक दुखांतपूर्ण कथा है।

इस उपन्यास का शीर्षक 'पाषाण युग' उस बर्बरता, संवेदनाहीनता तथा क्रूरता का प्रतीक है जो आज के समय में आतंक के रूप में हमारे समाने खड़ी हुई है। इस उपन्यास 1990 के दशक में न केवल पुरुषों के राजनीतिक संघर्ष को दिखाया गया है अपितु उस मर्म को भी दिखाने का प्रयास किया है जिससे कश्मीर घाटी की स्त्रियां हर पल गुजरती है, चाहे फिर वह कश्मीरी पंडित परिवार की 'अंजलि' हो या फिर फिर मुस्लिम परिवार की 'नसीम' हो, दोनों ही पात्र कश्मीर की सांझी संस्कृति अर्थात् कश्मीरियत को बिखरते हुए और फिर उसको समेटने की इच्छा का जीता जागता दस्तावेज है। कश्मीर की कश्मीरियत का विध्वंस करते साम्प्रदायिक और विभाजनकारी षडयंत्रों ने चारों तरफ संशय, भय, क्षोभ के बीज बो रखे थे जिसके कारण मानवीय मूल्यों का एक प्रकार से ह्रास ही हो चुका था। इन सारी परिस्थितियों को झेलते हुए संजना कौल ने कश्मीर में आतंकवाद के भय में रह रही नारी की "साम्प्रदायिकता आतंकवाद के बीच अल्पसंख्यक होकर जीने या मरने स्नायिवक तनावों में टूटना तसलीमा नसरीन के 'लज्जा' की तरह संजना कौल के 'पाषाण युग' में ज्यादा ठोस रूप से महसूस किया जा सकता है।"[1]

प्रस्तुत उपन्यास 'पाषाण युग' में राष्ट्रीयता और अलगाव में भद्र और अभद्र की कसौटी को परखते हुए या पिसती हुई कश्मीरी स्त्रियों की एक नई कथा कही गई है जो प्रतिदिन किसी न किसी महाभारत को झेलती है। लेखिका संजना कौल यहाँ अपने दुःख को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि, "यह प्रस्तर युग नहीं था उससे भी आगे बढ़ी हुई अवस्था थी। पत्थर की कुल्हाड़ी बहुत पीछे छुट चुकी थी। यह इस जगमग करती हुई दुनिया की वह तहजीब थी जहां आदमी नए-नए हथियारों पर पॉलिश करना सीख गया था, इन्हें इस्तेमाल मात्र कर

रहा था।"[2] उन्होंने इसी भयावह स्थिति को झेलते हुए नारी की उसकी मानसिक पीड़ा को अपने उपन्यास में स्थान दिया है।

1. **कश्मीरियत का बिखरना तथा महिला अस्मिता :** कश्मीर की धरती को सूफी परम्परा और धर्मनिरपेक्ष की धरती कहा जाता है परन्तु जब से यहाँ पर आतंकवाद ने अपने कदम रखे हैं तब से कश्मीर की कश्मीरियत के बिखरने के प्रयक्ष प्रमाण वहां की महिलाओं के मनों पर देखने को मिलते हैं। लेखिका ने अंजलि और नसीम जैसी पात्रों के द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया है कि त्रासदी धर्म देखकर नहीं आती अपितु वह प्रत्येक माता, बहन एवं पत्नी की गोद को खाली करने आती है। जैसे कि उपन्यास 'पाषाण युग' की पात्र अंजलि इसी कश्मीरियत के बिखरने पर मानसिक पीड़ा से गुजर रही होती है तथा अपनी अस्मिता की खोज में यहाँ एक तरफ अंजलि के पिता आतंकवाद के बीच में पुराने दिनों की वापसी के सपने देख रहे हैं वही अंजलि उसके ही वतन में लूटे गए घरों तथा जला दिये जाने वाले घरों की लपटें, रोज किसी न किसी की हत्या तथा मरने वालों के नामों को सुन कर एक प्रकार के तनाव ग्रस्त स्थिति से गुजर रही है–

"अब तक मकानों के मकान जलाए जा चुके थे। अंजलि को आग से बुरी तरह डर लगने लगा था जैसे ही वह जलते हुए मकानों को देखती थी या रात के अँधेरे में आग से लाल हुए आसमान पर उसकी नजर पढ़ जाती थी, उसके हाथ–पैरों की शक्ति निचुड़ जाती थी। एक बात से वह परेशान रहने लगी थी उसके पढने लिखने का कमरा मकान की तीसरी मंजिल में था और अँधेरे में वहां जाने से वह कतराने लगी थी। वहां दीवार में दो छोटे–छोटे सुराख थे और उसे लगता था, दो खूंखार आँखे उसे घूर रही है। यह उसे क्या हो गया है? ऐसी बेवकूफी और इस तरह का आंतक ....ये छोटे–छोटे डर थे जिनसे वह पहली बार परिचित हो रही थी। कहीं इनकी तादाद में इजाफा होने लगा था तो? उसने सोचा, यह मनोरोगी बनने की दिशा में उसका पहला कदाम तो नहीं।"[3]

2. **आतंक और हिंसा के बीच मातृत्व तथा पारिवारिक संवेदना :** 'पाषाण युग' उपन्यास में कश्मीरी स्त्रियां मात्र पीडिता के रूप में चित्रित नहीं हुई है अपितु अपने परिवार की रक्षा के लिए रक्षक के रूप में भी चित्रित की गई है। महिलाओं ने अपने पारिवारिक सदस्यों की हत्या होते देखा है। प्रस्तुत उपन्यास में एक माँ और पत्नी की आंतरिक मनोविज्ञान स्थिति को चित्रित करते हुए उनके साहस को दिखाया गया है, "जब रात के सन्नाटे को चीरती हुई धमकियां आंगन तक पहुंचती थी तो पुरुषों का हाथ बंदूक या लाठी की तलाश करता था, लेकिन स्त्रियों की छाती के पीछे उनका दिल बैठ जाता था। वे अपने बच्चों को आंचल में छुपाती थी, मानो वह कपड़ा समय के क्रूर पत्थरों को रोक लेगा।"[4]

3. **शोषण की दोहरी त्रासदी की शिकार कश्मीरी स्त्रियाँ :** संजना कौल ने अपने उपन्यास 'पाषाण युग' में सामन्ती, मजहबी आतंकवाद को झेलती हुई परवीन मिर्जा की भयावह परिस्थिति को दिखाया है, "तो यह जबदस्ती नहीं है? मासूम लडकियाँ को बीच सड़क पर रंग में नहला देना कौन सा इस्लाम है! कल को उन्हें बाजार में नंगी भी घुमाया जा सकता है। उनके कपड़ें फाड़े जा सकते हैं। बुर्का न पहनने की सजा उन्हें रेप करके भी दी जा सकती है। वैसे भी इस तरह की तरीकों में औरत हमेशा सफर करते रही है।''[5]

4. **कश्मीरी महिलाओं को पहचान और परिधान के आधार पर प्रताड़ित करना :** प्रस्तुत उपन्यास में कश्मीरी स्त्रियाँ चाहे व हिन्दू और मुस्लिम हो उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है। अंजलि

द्वारा स्कूल में दूसरी मैडमों (लता सप्रू, महिंदर) को बिंदी लगाने पर कहती है, "अंजलि ने वहीं खड़े– खड़े बिंदी उनके माथे पर लगा दी और उनके साथ–साथ स्टाफ रूम की तरफ चलने लगी 'बिंदी उतारी क्यों थी, मैडम? उसने थोड़ी देर बाद पूछा। तुम तो पैदल आती जाती हो, अंजलि। हमें तो बस में आना पड़ता है। क्या बताऊं, ये कमीने बिंदीवाली औरतों को कैसी–कैसी गालियाँ देने लगते हैं। बहुत दर लगता है। मिसेज सप्रू ने कहा तो अंजलि अवाक् रह गई। माहौल में बदलाव की बू वह सूंघ रही थी लेकिन बिंदी लगाने वाली औरतों के नाम गालियाँ उसने सोचा भी नहीं था" तो दूसरी तरह धरम के नये नये रक्षक बने युवकों द्वारा अपने ही धरम की (परवीन मिर्जा, मिसेज रियाज) स्वतंत्र नारियों को शर्म और पर्दे का पाठ पढ़ाया जाता है कि "अभी कुछ दिन पहले वह कॉलेज के लिए निकल रही थी तो कोई दीवारों ने ध्यान खींच लिया। मुहल्ले की जवान लड़कियों के साथ ताक–झाँक करने वाले आवारा लडके इन दीवारों पर टूटू–फूटी अंग्रेजी में प्रेम संदेश लिखा करते थे, इन्हीं के बीच उर्दू भाषा के मोटे मोटे हरुफों में हरे रंग से कुछ नारे दिखाई दिए, "पर्दा करो, हिज्बे इस्लामी'' अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उन पर रंग फेंक दिया जाता था। "मैडम मैं लाल चौक से जा रही थी। कुछ लड़कों ने चेहरे और कपड़ों पर रंग डाल दिया। रंग से चेहरा अभी भी जल रहा था। वह रोने लगी।...उसे वापस भेजकर वह स्टाफ रूम में चली गई। पंजाबी की महिंदर कौर चार दिन की छुट्टी के बाद कॉलेज आई थी, पता चला, उस पर भी हरा रंग फेंका गया था जिसमें उसका चेहरा चार दिन तक जलता रहा। घबराहट के मारे वह कॉलेज नहीं आ रही थी।"

अंत में यह कहा जा सकता है कि संजना कौल का उपन्यास 'पाषाण युग' केवल एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास के उस दर्दनाक और दिल दहला देने वाले सत्य का आख्यान है, जहां कश्मीर की हसीन वादियां पत्थरों के युग में बदल गई। इसमें हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों की महिलाओं की त्रासदी, असुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई का यथार्थ चित्रण मिलता है। यह उपन्यास स्त्री संवेदना तथा मानवीय पीड़ा का एक उत्कृष्ट दस्तावेज है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. राजेन्द्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, पांचवा संस्करण (नयी दिल्ली), राजकमल प्रकाशन 2019.
2. प्रा.सुश्री सज्पोति महादेव सानप, पाषाण युग : ट्रेजेड़ी के बीच संकल्प का स्वप्न, IRJMSH, ISSN 2277 –9809, वर्ष–2010, VOLUME/ISSUE–1, पृष्ठ. सं –200.
3. संजना कौल, पाषाण युग (उपन्यास) आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2003, पृष्ठ.सं. 46.
4. संजना कौल, पाषाण युग (उपन्यास) आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2003, पृष्ठ. सं. 49.
5. संजना कौल, पाषाण युग (उपन्यास) आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2003, पृष्ठ. सं. 79.
6. संजना कौल, पाषाण युग (उपन्यास) आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2003, पृष्ठ. सं. 18.
7. संजना कौल, पाषाण युग (उपन्यास) आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2003, पृष्ठ. सं. 18.
8. संजना कौल, पाषाण युग (उपन्यास) आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2003, पृष्ठ. सं. 78.

Mobile number 8899247612

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 186-190

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत के पश्चिमी तटीय सुरक्षा के संदर्भ में सुरक्षा चुनौतियाँ : एक अध्ययन

दीपिका शर्मा (एम. ए.), राजनीति विज्ञान

प्रो. (डॉ.) शकील अहमद

जवाहर लाल नेहरू पी.जी. कालेज, एटा।

भारत एक विशाल समुद्री सीमा वाला देश है जिसकी समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें पश्चिमी तट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तट अरब सागर से सटा हुआ है और कई आर्थिक व रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र न केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद चुनौती पूर्ण हैं। भारत की लगभग 90 प्रतिशत समुद्री व्यापारिक गतिविधियाँ पश्चिमी तट के बंदरगाहों के माध्यम से होती हैं, जिसमें मुंबई, कांडला, कोचीन जैसे प्रमुख बंदरगाह शामिल है। ऐसे में इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की समुद्री नीति का एक प्रमुख पहलू है।

पश्चिमी तट की सुरक्षा को लेकर सबसे पहली और प्रमुख चुनौती आतंकवाद की है। 26/11 मुंबई हमले ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से उजागर किया कि समुद्री मार्गो का दुरूपयोग कर आतंकी तत्व भारत की सुरक्षा को गंभीर रूप से चुनौती दे सकते हैं। आतंकवादियों द्वारा समुद्री मार्ग से प्रवेश करना, नौकाओं और मछुआरों के भेष में छिपकर देश में घुसपैठ करना, तथा संवेदनशील स्थलों को निशाना बनाना एक प्रमुख चिंता का विषय है इसके अतिरिक्त ड्रग्स और हथियारों की तस्करी मानव तस्करी और अवैध व्यापार भी पश्चिमी तटीय सुरक्षा के लिए खतरे उत्पन्न करते हैं।

दूसरी बड़ी चुनौती समुद्री डकैती और अवैध शिकार है। अरब सागर के कुछ क्षेत्र आज भी समुद्री डाकुओं की गतिविधियों से प्रभावित हैं। इसके अलावा, विदेशी मछुआरे भारतीय जल सीमा में प्रवेश कर अवैध रूप से मत्स्य शिकार करते हैं, जिससे न केवल भारत की समुद्री संपदा को क्षति पहुँचती है, बल्कि यह भारत की समुद्री सीमा की संप्रभुता के लिए भी खतरा है। तीसरी चुनौती है भौगोलिक और तकनीकी जटिलताएँ। पश्चिमी तट पर कई द्वीप जटिल तटीय संरचनाएँ और निर्जन समुद्री क्षेत्र हैं, जिनकी निगरानी करना कठिन होता है। आधुनिक तकनीक, जैसे कि रडार प्रणाली, समुद्री निगरानी ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का व्यापक उपयोग आवश्यक है, लेकिन इन सभी संसाधनो की सीमाएँ और उच्च लागत एक और चुनौती प्रस्तुत करती है।

इसके अतिरिक्त, तटीय सुरक्षा में अनेक एजेंसियों की भागीदारी, जैसे भारतीय नौ सेना तटरक्षक बल,

राज्य पुलिस, मरीन पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ, आपसी समन्वय की आवष्यकता को भी जन्म देती है। यदि समन्वय और सूचना सांझा करने में कमी रह जाती है, तो सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो सकती है।

इस प्रकार, भारत की पश्चिमी तटीय क्षेत्र की सुरक्षा बहु आयामी है, जिसमें पारंपरिक व अपारंपरिक खतरों के साथ–साथ तकनीकी, रणनीतिक और नीति–निर्माण संबंधित समस्याएँ भी शामिल हैं। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र और एकीकृत समुद्री सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी विकास, प्रशिक्षण, खुफिया सूचना सांझा करने, और बहुस्तरीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाए।

भारत भौगोलिक रूप से विविधताओं से परिपूर्ण देश है – जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ है, वहीं विस्तृत समुद्र तट और सैकड़ों द्वीप समूह भी स्थित हैं। भारत की दक्षिणी छोर पर स्थित अंडमान–निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

विशेषताएँ :–

1. बैरन द्वीप – भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी।
2. सेलुलर जेल – ऐतिहासिक स्मारक।
3. अंडमान ट्राइब्स – विश्व का सबसे प्राचीन जनजातियाँ यहीं पाई जाती हैं।
4. समुद्री जैव विविधता एवं घन वन।
5. प्रशासनिक राजधानी : पोर्ट ब्लेयर

लक्षद्वीप द्वीप समूह –

- कावारत्ती (राजधानी)
- अगत्ती (हवाई अड्डा)
- मिनी कॉय।
- बित्रा, चेटलेट।

विशेषताएँ –

1. सुंदर लैगून, नीले पानी और सफेद रेत।
2. मुस्लिम बहुल जनसंख्या एवं संस्कृति।
3. प्रवाल भितियों और जैव विविधता का खजाना।
4. सीमित पर्यटन, विशेष अनुमति के साथ।
5. प्रशासनिक राजधानी : कावारत्ती।

- **अंडमान और निकोबार :** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश द्वीप पर्वतीय होते हैं, जिनमें उच्चतम शिखर और संकरे खाड़ी क्षेत्रों के बीच स्थित हैं। इन द्वीपों का सबसे बड़ा भाग पहाड़ी क्षेत्र का है, और उनकी संरचना मुख्यतः चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, अंडमान में ज्वालामुखीय भूमि भी पाई जाती हैं, जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **लक्षद्वीप :** लक्षद्वीप द्वीप समूह की संरचना विशेष रूप से प्रवाल भित्तियों पर आधारित है, जो समुद्र तल

के ऊपर उभरकर द्वीपों का रूप लेती हैं। ये द्वीप बहुत छोटे और समतल होते है, और यहाँ की मिट्टी बहुत ही हल्की होती है, जिससे जल स्तर में बदलाव का प्रभाव सीधे तौर पर इन द्वीपों पर पड़ता है। यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संवेदनशील है क्योंकि यहाँ की भूमि मृदा अपरदन और समुद्र स्तर वृद्धि से प्रभावित हो सकती है।

- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस :** द्वीप समूहों का स्वतंत्रता संग्राम में एक और अहम हिस्सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। उन्होंने द्वीपों का उपयोग रणनीतिक दृष्टिकोण से किया, खासतौर पर द्वीपों को जापान से गठबंधन करने के लिए। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को आजाद हिंद सरकार के तहत प्रशासन में लाने का प्रयास है।

सामरिक और रणनीतिक महत्व :-

- **नौसैनिक अड्डे**

अंडमान एवं निकोबार त्रि–सेवा कमांड, पोर्ट ब्लेयर भारत का पहला एवं एकमात्र त्रि–सेवा कमांड यहीं स्थित है, जहां नौसेना, थलसेना एवं वायुसेना के प्रमुख इकाईयां समन्वित होती है।

INS जड़ावा (फीनिक्स बे), INS कृपाण (मिडिल अंडमान) 'ये नौसेनिक अड्डे पूर्वोत्तर हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की वाहिनी शक्ति को बढ़ाते हैं।

- कोस्ट गार्ड स्टेशन्स लक्षद्वीप एवं अंडमान द्वीप समूहों में तट रक्षक नौका घाटियाँ समुद्री चोर एवं तस्करी पर रोक लगाने में सहायक हैं।

समुद्री मार्गो का नियंत्रण :-

- **मलक्का सकरे मार्ग की सुरक्षा :** अंडमान द्वीप समूह की स्थिति भारत को मलक्का संकरे मार्ग के पास से गुजरने वाली लगभग 80 प्रतिशत तेल एवं व्यापारिक वाहिकाओं पर निगरानी रखने में मदद करती है।
- **बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर :** लक्षद्वीप भारत के पश्चिमी समुद्री मार्ग– विशेषकर अफ्रीका और मिडल ईस्ट से आने वाले तेल टैंकरों के लिए एक प्राकृतिक चौकी का कार्य करता है।
- **समुद्र तट रडार एवं उपसतह निगरानी :** द्वीपों पर तैनात समुद्री रडार और सोनार प्रणाली से सतह एवं उपसतह में आने–जाने वाले जहाजों की गतिविधि पर दृष्टि रखी जाती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका –

- **परमाणु पनडुब्बी बेस :** निकोबार समूह के निकटवर्ती जलक्षेत्र में परमाणु पनडुब्बियों के ऑपरेशन की संभावना भारत की द्विपीय क्षमताओं को बढ़ाती है।
- **वायु – सुरक्षा कवच :** द्वीपों पर तैनात फिक्सड विंग फाइटर और एस एच ओ आर एडी मिसाइल सिस्टम से क्षेत्रीय हवाई रक्षा सुनिष्चित होती है।
- **स्पेशल फोर्सेज के अभ्यास क्षेत्र :** कठिनापूर्ति द्वीपीय इलाकों में विशेष बलों का प्रशिक्षण एवं उच्च स्तरीय युद्धाभ्यास किया जाता हैं, जो द्वीपीय ऑपरेशन्स की तैयारी में सहायक हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महत्व –

- **क्षेत्रीय समुद्री सहयोग :** अंडमान और लक्षद्वीप, दोनों द्वीप समूह भारत – अमेरिका (अभ्यास) भारत–फ्रांस–यूएई, तथा रीजनल समुद्री सहयोगी अभ्यासों के मुख्य स्थल रहे हैं।

- **सिचोइट्स पर नजर :** इन द्वीपों के माध्यम से आसपास के द्वीपीय देशों (म्यांमार, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका) के साथ समुद्री कनेक्टिविटी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती है।
- **वैश्विक समुद्री व्यापार सुरक्षा :** इन द्वीपों की तट रेखा समुद्री बैरियर के रूप में कार्य करती है, जिससे हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्ग और आसियान–इंडो–पैसिफिक इलाके की स्थिरता बनी रहती है।

चुनौतियाँ –

1. जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र स्तर वृद्धि उष्ण कटिबंधीय द्वीप जलवायु संवेदनशील हैं। 21वीं सदी में 20–30 सेंमी. तक समुद्र स्तर वृद्धि से कई एटोल और तटीय बैंड समाहित हो सकते है।
2. प्रवाल वेतन समुद्र तापमान 1–2 डिग्री सेल्सियस बढने पर प्रवाल अपने सहजीवी शैवाल खो देते है, जिससे पूरे रीफ इकोसिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
3. प्रदूषण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट समुद्री माइक्रोप्लास्टिक ने प्रवाल और मछलियों में एंटीऑक्सिडेंट असंतुलन उत्पन्न किया।
4. अवैध मत्स्य पकड़ एवं ओवरफिशिंग संवेदनशील प्रजातियों जैसे–डुगॉग और कुछ कछुए संकट में है, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के बावजूद स्थानीय ओवर–क्यॉटा मत्स्यकरण।
5. पर्यटन दबाव बिना नियमन के वृद्धि पायी एयरबीएनबी– स्टाइल कोटेज से तटीय क्षरण, जल संसाधन क्षीण कचरा प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त। आवासी और प्राकृतिक आपदाएँ चक्रवात, सुनामी इत्यादि, तटीय पारिस्थितिकी को अस्थिर करते हैं।

प्राप्त परिणाम –

1. पश्चिमी तट का सामरिक महत्व अत्याधिक है, क्योंकि यह क्षेत्र भारत के अधिकांश समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक नौसैनिक संचालन का केंद्र है। यहाँ स्थित बंदरगाह देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं।
2. तटीय क्षेत्र कई प्रकार के पारंपरिक व अपारंपरिक खतरों से ग्रस्त हैं, जिनमें आतंकवाद तस्करों समुद्री डकैती, अवैध मतस्य षिकार और घुसपैठ जैसी गतिविधियाँ प्रमुख हैं।
3. 26/11 जैसे समुद्री आतंकवादी हमले यह दर्शाते हैं कि समुद्री मार्गो का दुरूपयोग करके देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुँचाया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तटीय सुरक्षा केवल सीमावर्ती रक्षक एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता है।
4. तकनीकी अवसंरचना अभी भी कई क्षेत्रों में अपर्याप्त है। कई निर्जन या दुर्गम तटीय क्षेत्र रडार कवरेज से बाहर हैं जिससे निगरानी में कठिनाई आती है।
5. विभिन्न सुरक्षा एजेंसियो के बीच समन्वय की कमी पाई गई है, जिसके कारण सूचना का प्रवाह बाधित होता है और त्वरित प्रतिक्रिया में विलंब होता है।
6. मरीन पुलिस और तटीय सुरक्षा बलों को अपेक्षित संसाधन और प्रषिक्षण नहीं मिल पा रहा है। जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती हैं।
7. स्थानीय मछुआरा समुदाय एक संभावित मानव रडार नेटवर्क बन सकता है, लेकीन उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और जागरूगता नहीं दी जा रही है।

8. सरकारी स्तर पर कई पहलों के बावजूद तटीय सुरक्षा एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के अभाव में बिखरी हुई प्रतीत होती है। अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन अभी भी आधा अधूरा है।

सुझाव (सिफारिशें) –

1. **एकीकृत तटीय सुरक्षा नीति तैयार की जाए :** तटीय सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों नौसेना, तटरक्षक बल, मरीन पुलिस, खुफिया एजेंसियाँ और स्थानीय प्रशासन के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र एवं एकीकृत नीति की आवश्यकता है।

2. **तकनीकी अवसंचना को सुदृढ किया जाए :** रडार नेटवर्क, समुद्री ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग, ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित निगरानी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा इसका विस्तार उन क्षेत्रों तक किया जाए जो वर्तमान में निगरानी से बाहर हैं।

3. **मछुआरा समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए :** मछुआरों को सुरक्षा प्रहरी के रूप में प्रशिक्षित कर, उन्हें समुद्री सुरक्षा से जोड़ना चाहिए। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।

4. **राज्यों की मरीन पुलिस को सशक्त बनाया जाए :** राज्यों में स्थापित मरीन पुलिस थानों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और पर्याप्त जनशक्ति प्रदान की जाए, ताकि वे स्थानीय स्तर पर सुरक्षा में सहायक बन सकें।

5. **इंटर–एजेंसी समन्वय प्रणाली को मजबूत किया जाए :** नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (NC31) के तहत एजेंसियों के बीच रीयल–टाइम डेटा और खुफिया सुचना साझा करने की व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाया जाए।

निष्कर्ष :–

भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र देश की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक गतिविधियों और रणनीतिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यहाँ स्थित प्रमुख बंदरगाहों, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गो की निकटता इसे सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाती है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र आतंकवाद, तस्करी समुद्री डकैती, अवैध मछली शिकार और तकनीकी कमजोरियों जैसी अनेक जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। यद्यपि भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, फिर भी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी सीमित संसाधन, तथा आधुनिक तकनीकी की अनुपलब्धता इस क्षेत्र की सुरक्षा को बाधित करते हैं।

सन्दर्भ सूची –

1. खन्ना डॉ. (2018) भारत का भूगोल, दिल्ली : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल. पृ. 210–225
2. सिंह, गोपाल (2017). भारत का प्राकृतिक भूगोल मेरठ : सूरत प्रकाशन. पृ. 180–205
3. सिंह, आर.एल. (2016) भारत की भोगोलिक विशेषताएँ, वाराणसी : भारत पुस्तक भंडार. पृ. 250–265
4. मिश्रा, सतीश (2019) भारतीय द्वीप समूह : एक अध्ययन, दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट.
5. सिंह, रेखा (2020) अंडमान–निकोबार : इतिहास और संस्कृति. दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन. पृ. 90–105
6. अली, मोहम्मद (2015) लक्षद्वीप की सामाजिक संरचना, कोच्चि : समुद्र साहित्य संस्थान।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 191-202

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा समाज : राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी का अध्ययन

डॉ० मौ० मुजफ्फर अंसारी
राजनीती विज्ञान, घिस्सुपुरा, हरिद्वार उत्तराखण्ड।

शोध सार- (Abstract) :

"पसमांदा तबक़ात लंबे अरसे तक सियासी नुमाइंदगी, फ़ैसला-साज़ी और क़ियादत के मराकिज़ से महरूम रहे। मुस्लिम समाज की पारंपरिक क़ियादत ने भी उनके मसाइल को वह अहमियत नहीं दी जिसकी सामाजिक इंसाफ़ के तक़ाज़े के तहत अपेक्षा थी, जबकि बरसरे-इक़्तिदार हुकूमतें भी उनकी तालीमी, मआशी और सियासी पसमांदगी को दूर करने के लिए प्रभावी और लक्षित नीतियाँ विकसित करने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकीं।" जबकि भारतीय लोकतंत्र की सफलता सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा समावेशी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। यद्यपि भारतीय मुस्लिम समाज को प्रायः एक समान सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता रहा है, किंतु उसके भीतर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर पर गहरी असमानताएँ विद्यमान हैं। इन असमानताओं के संदर्भ में पसमांदा समाज का प्रश्न समकालीन भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक विमर्श का एक महत्त्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है। पसमांदा समाज ने सामाजिक न्याय, समान प्रतिनिधित्व तथा लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रश्नों को नई वैचारिक दिशा प्रदान की है।

वर्तमान समय में राजनीतिक दलों, नीति-निर्माताओं तथा सामाजिक संगठनों द्वारा पसमांदा समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक सहभागिता को लेकर व्यापक चर्चा की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि पसमांदा समाज की राजनीतिक स्थिति, लोकतांत्रिक भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व की वास्तविक अवस्था का सम्यक् अध्ययन किया जाए। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब समाज के सभी वंचित एवं हाशिए पर स्थित वर्गों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान अवसर एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

मुख्य शब्द (Keywords) : पसमांदा समाज, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक समावेशन, मुस्लिम समाज, पसमांदा विमर्श, सामाजिक समानता, राजनीतिक सशक्तिकरण।

प्रस्तावना (Introduction) :

भारतीय जम्हूरियत में पसमांदा समाज की मौजूदा हालत महज़ तारीखी इत्तिफ़ाक़ का नतीजा नहीं है, बल्कि यह सदियों से चली आ रही सामाजिक ना बराबरी, क़ियादत की असमान तश्कील और सियासी बे-तवज्जोही का भी परिणाम है। मुस्लिम समाज के भीतर प्रभावशाली तबक़ों ने लंबे अरसे तक दीनी इदारों, सामाजिक रहनुमाई और सियासी क़ियादत पर अपेक्षाकृत अधिक असर बनाए रखा। इसके कारण पसमांदा तबक़ात के तालीमी, मआशी और सियासी मसाइल अक्सर सामूहिक मुस्लिम मसलों के पीछे दबते चले गए। पसमांदा तबक़े की आवाज़ को वह जगह नहीं मिल सकी जिसकी वह हक़दार थी और न ही उनके मसाइल को उसी गंभीरता से राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया गया।

दूसरी ओर, आज़ादी के बाद बरसरे-इक़्तिदार आने वाली मुख़्तलिफ़ हुकूमतों ने भी मुस्लिम समाज को अक्सर एक ही इकाई के तौर पर देखा। इस वजह से पसमांदा तबक़ात की अलग सामाजिक हक़ीक़त, उनकी तालीमी पसमांदगी, मआशी कमज़ोरी और सियासी नुमाइंदगी के सवालों पर अपेक्षित तवज्जोह नहीं दी गई। नतीजतन, सामाजिक इंसाफ़ और बराबरी की जिन पॉलिसियों का फ़ायदा सबसे पहले इन तबक़ात तक पहुँचना चाहिए था, वे उस स्तर पर प्रभावी रूप से नहीं पहुँच सकीं।

हालाँकि, यह कहना कि इस पूरी सूरत-ए-हाल के ज़िम्मेदार केवल मुस्लिम रहबर या केवल हुकूमतें ही हैं, शोधपरक दृष्टि से उचित नहीं होगा। अधिक संतुलित निष्कर्ष यह है कि मुस्लिम समाज की पारंपरिक क़ियादत द्वारा पसमांदा तबक़ात के मसाइल को लंबे समय तक पर्याप्त अहमियत न देना तथा विभिन्न दौर की हुकूमतों द्वारा उनकी सामाजिक और सियासी पसमांदगी को दूर करने के लिए प्रभावी और लक्षित नीतियाँ विकसित न कर पाना—दोनों ने मिलकर इस स्थिति को गहरा किया। यही कारण है कि आज पसमांदा विमर्श महज़ एक सियासी बहस नहीं, बल्कि सामाजिक इंसाफ़, बराबरी, इज़्ज़त-ए-नफ़्स और वास्तविक जम्हूरी नुमाइंदगी की तहरीक के रूप में उभरकर सामने आया है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता केवल निर्वाचन प्रक्रिया तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की समान राजनीतिक भागीदारी तथा प्रभावी प्रतिनिधित्व पर भी निर्भर करती है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करते हुए ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।[1]

भारतीय समाज की भाँति भारतीय मुस्लिम समाज भी सामाजिक दृष्टि से एकरूप नहीं है। मुस्लिम समुदाय के भीतर भी ऐतिहासिक, सामाजिक एवं पारंपरिक व्यवसायों के आधार पर विभिन्न वर्ग विद्यमान हैं। इन वर्गों में सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों को

[1] भारत का संविधान, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत का राजपत्र, 26 नवम्बर 1949 (प्रवर्तन: 26 जनवरी 1950)।

सामान्यतः पसमांदा कहा जाता है। 'पसमांदा' फ़ारसी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'पीछे छूटे हुए' अथवा 'वंचित' होता है। समय के साथ यह शब्द भारतीय मुस्लिम समाज के उन समुदायों की पहचान बन गया जो सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से अपेक्षाकृत उपेक्षित रहे हैं।[2]

पसमांदा समाज (Pasmanda) उन मुस्लिम समुदायों का एक समूह है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह भारतीय मुसलमानों के भीतर मौजूद जातिगत और वर्ग-आधारित भेदभाव को उजागर करने और उनके अधिकारों की वकालत करने वाली एक पहचान है।

पसमांदा समाज की संरचना : भारतीय मुस्लिम समाज में पारंपरिक रूप से तीन स्तरों पर विभाजन देखा जाता है:

1. **अशरफ**: यह उच्च वर्ग है, जो मूल रूप से विदेशी (मुगल, पठान, सैयद) माने जाते हैं या उच्च जातियों से धर्मांतरित हुए हैं।
2. **अजलाफ:** यह मध्यम वर्ग है, जिसमें कृषि और दस्तकारी (कारीगर) से जुड़े मुसलमान आते हैं।
3. **अरजाल:** यह सबसे निचला और दलित वर्ग है, जो पारंपरिक रूप से श्रम-साध्य और अस्वच्छ समझे जाने वाले कार्यों से जुड़े रहे हैं।
    1. अजलाफ और अरजाल वर्गों को ही सामूहिक रूप से 'पसमांदा' कहा जाता है। भारत की कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 80 से 85 प्रतिशत हिस्सा पसमांदा समाज से ही आता है।
    2. इस समूह में कौन-सी जातियां शामिल हैं? पसमांदा एक व्यापक पहचान है जिसके तहत देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े (OBC) मुसलमान संगठित हो रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं : जुलाहे (अंसारी), धुनिया (मंसूरी), कसाई (कुरैशी), नाई (सलमानी), धोबी (हवारी), लोहार (सैफी), तेली (रैनी/कुंजरे), और मोची (मुकेरी)
    3. प्रमुख मुद्दे और आंदोलन सामाजिक असमानता : यह समाज मुस्लिम समुदाय के भीतर ही अशरफ वर्ग द्वारा किए जाने वाले जाति-आधारित भेदभाव का विरोध करता है। राजनीतिक एवं शैक्षिक प्रतिनिधित्व : पसमांदा आंदोलन का मुख्य लक्ष्य सरकारी नौकरियों, शिक्षा और राजनीति में इस वंचित वर्ग के लिए उचित प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। संगठन : इस पहचान और आंदोलन की शुरुआत 1998 में 'पसमांदा मुस्लिम महाज़' (Pasmanda Muslim Mahaz) के गठन के साथ हुई, जिसे **अली अनवर अंसारी** ने स्थापित किया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय लोकतंत्र ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में अनेक संवैधानिक एवं नीतिगत प्रयास किए। इसके बावजूद मुस्लिम समाज के भीतर विद्यमान पसमांदा वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रश्न लंबे समय तक व्यापक राजनीतिक विमर्श में अपेक्षित स्थान प्राप्त नहीं कर सका। विशेषतः इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से पसमांदा विमर्श ने

[2] अली अनवर, मसावात की जंग, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2001।

इस प्रश्न को नए सिरे से राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया कि मुस्लिम समाज के भीतर भी सामाजिक न्याय एवं समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को व्यवहार में किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए।[3]

वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों तथा नीति-निर्माताओं द्वारा पसमांदा समाज को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भागीदारी प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी संभव है, जब समाज के प्रत्येक वंचित वर्ग को नीति-निर्माण, नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में समान अवसर प्राप्त हो। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध-पत्र भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी का ऐतिहासिक, वैचारिक एवं समकालीन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्ययन का उद्देश्य (Objectives) :

प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक भागीदारी का समग्र अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत पसमांदा समाज की ऐतिहासिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए उसकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। साथ ही, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पसमांदा समाज के प्रतिनिधित्व, चुनावी सहभागिता, राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण तथा राजनीतिक सशक्तिकरण की संभावनाओं का अध्ययन करना भी इस शोध का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं समावेशी लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में पसमांदा समाज के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए उनके समाधान के संभावित उपायों की पहचान करना भी इस अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य है।

शोध पद्धति (Research Methodology) :

शोध-पत्र गुणात्मक (Qualitative) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) है। शोध में आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं के संकलन हेतु मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेज़ी की प्रामाणिक पुस्तकें, शोध-पत्र, शोध-प्रबंध, भारत सरकार की आयोगीय रिपोर्टें, जनगणना संबंधी प्रकाशित आँकड़े, संसदीय दस्तावेज़ तथा अन्य आधिकारिक प्रकाशनों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। उपलब्ध साहित्य का तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक भागीदारी की स्थिति, उससे संबंधित चुनौतियों तथा राजनीतिक सशक्तिकरण की संभावनाओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

[3] भारत सरकार, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत के मुस्लिम समुदाय की स्थिति (सच्चर समिति रिपोर्ट), नई दिल्ली: भारत सरकार, 2006।

पसमांदा समाज : ऐतिहासिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमि :- 'पसमांदा' शब्द फ़ारसी भाषा से व्युत्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'पीछे छूटे हुए', 'वंचित' अथवा 'हाशिए पर स्थित' है। भारतीय संदर्भ में यह शब्द मुस्लिम समाज के उन समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े रहे हैं। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह शब्द केवल सामाजिक पहचान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित एक वैचारिक एवं सामाजिक आंदोलन का आधार बन गया।[4] भारतीय मुस्लिम समाज को प्रायः एक समान धार्मिक समुदाय के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है, किंतु ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम समाज के भीतर भी सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान रहा है। मध्यकालीन तथा औपनिवेशिक काल के अनेक अध्ययनों में मुस्लिम समाज को सामान्यतः तीन प्रमुख वर्गों—अशराफ, अजलाफ और अरज़ल—में विभाजित किया गया है। अशराफ वर्ग स्वयं को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाला मानता रहा, जबकि अजलाफ एवं अरज़ल वर्ग परंपरागत रूप से श्रमप्रधान एवं सेवा-आधारित व्यवसायों से जुड़े रहे। परिणामस्वरूप इन वर्गों को सामाजिक सम्मान, शिक्षा, आर्थिक संसाधनों तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम अवसर प्राप्त हुए।[5]

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए, किंतु सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं का प्रभाव मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्गों पर भी बना रहा। लंबे समय तक मुस्लिम राजनीति में धार्मिक पहचान को प्राथमिकता मिलने के कारण आंतरिक सामाजिक असमानताओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप पसमांदा समुदाय के सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे प्रश्न राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में पर्याप्त स्थान प्राप्त नहीं कर सके।[6] बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक तथा इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में पसमांदा आंदोलन ने इन प्रश्नों को संगठित रूप से उठाया। इस आंदोलन ने यह प्रतिपादित किया कि मुस्लिम समाज के भीतर विद्यमान सामाजिक असमानताओं को स्वीकार किए बिना सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी रहेगी। पसमांदा विमर्श ने धार्मिक पहचान की अपेक्षा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान प्रतिनिधित्व तथा लोकतांत्रिक भागीदारी को अधिक महत्त्व

[4] अली अनवर, मसावात की जंग, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2001।

[5] मसूद आलम फलाही, हिंदुस्तान में जात-पात और मुसलमान, नई दिल्ली: अल-क़ाज़ी पब्लिशर्स, 2007।

[6] भारत सरकार, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत के मुस्लिम समुदाय की स्थिति (सच्चर समिति रिपोर्ट), नई दिल्ली: भारत सरकार, 2006।

देते हुए भारतीय लोकतंत्र में समावेशी राजनीति की आवश्यकता पर बल दिया।[7]

भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी :-

भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल निर्वाचित संस्थाओं में उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नीति-निर्माण, राजनीतिक नेतृत्व, दलगत संरचना तथा शासन-प्रक्रिया में प्रभावी सहभागिता से भी संबंधित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे शासन व्यवस्था में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।[8] पसमांदा समाज, जो भारतीय मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है, लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर अपेक्षित स्थान प्राप्त नहीं कर सका। स्वतंत्रता के पश्चात मुस्लिम समुदाय से संबंधित राजनीतिक नेतृत्व प्रायः सामाजिक रूप से अपेक्षाकृत प्रभावशाली वर्गों के हाथों में केंद्रित रहा, जबकि पसमांदा समुदाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी सीमित रही। परिणामस्वरूप इस वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ राजनीतिक विमर्श और नीति-निर्माण में अपेक्षित प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकीं।[9]

भारतीय चुनावी राजनीति में पसमांदा समाज की भूमिका समय के साथ निरंतर बढ़ी है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा अन्य राज्यों में पिछड़े मुस्लिम समुदायों की राजनीतिक जागरूकता और संगठनात्मक सक्रियता में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी पसमांदा समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने तथा उन्हें अपने सामाजिक आधार का महत्त्वपूर्ण भाग बनाने के प्रयास प्रारंभ किए।[10]

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, नगर निकायों, पंचायतों तथा राज्य विधानसभाओं में पसमांदा समाज की भागीदारी पूर्व की अपेक्षा बढ़ी है, किंतु संसद, राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व तथा नीति-निर्माण के उच्च स्तरों पर उनका प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि मात्र चुनावी भागीदारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्णयकारी संस्थाओं में प्रभावी प्रतिनिधित्व भी लोकतांत्रिक समावेशन के लिए आवश्यक है।[11]

---

[7] अली अनवर, मसावात की जंग, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2001; तथा मसूद आलम फलाही, हिंदुस्तान में जात-पात और मुसलमान, नई दिल्ली: अल-क़ाज़ी पब्लिशर्स, 2007।

[8] भारत का संविधान, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 1949 (प्रवर्तन: 26 जनवरी 1950)।

[9] भारत सरकार, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत के मुस्लिम समुदाय की स्थिति (सच्चर समिति रिपोर्ट), नई दिल्ली: भारत सरकार, 2006।

[10] अली अनवर, मसावात की जंग, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2001।

[11] भारत सरकार, राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (रंगनाथ मिश्र आयोग) रिपोर्ट, नई दिल्ली: भारत सरकार, 2007।

समकालीन भारतीय राजनीति में पसमांदा समाज का प्रश्न केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा लोकतांत्रिक समावेशन के व्यापक विमर्श का भी हिस्सा बन चुका है। यदि लोकतंत्र का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान राजनीतिक अवसर प्रदान करना है, तो पसमांदा समाज के प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करना लोकतांत्रिक मूल्यों की अनिवार्य आवश्यकता है।[12]

पसमांदा समाज और राजनीतिक दल :- भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख माध्यम हैं। किसी भी सामाजिक समूह की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व के विकास में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने मुस्लिम समुदाय को अपने राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया, किंतु अधिकांश मामलों में मुस्लिम समाज को एक समरूप समुदाय मानकर नीतियाँ निर्मित की गईं। परिणामस्वरूप पसमांदा समाज की विशिष्ट सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को लंबे समय तक अपेक्षित स्थान नहीं मिल सका।[13]

वर्ष 1990 के दशक के पश्चात सामाजिक न्याय की राजनीति के विस्तार के साथ पसमांदा समाज की राजनीतिक पहचान अधिक स्पष्ट होकर सामने आई। विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में पसमांदा समुदाय से जुड़े सामाजिक संगठनों तथा नेतृत्व ने राजनीतिक दलों का ध्यान मुस्लिम समाज के आंतरिक सामाजिक विभाजन और प्रतिनिधित्व की असमानताओं की ओर आकर्षित किया। इसके परिणामस्वरूप अनेक राजनीतिक दलों ने अपने संगठनात्मक ढाँचे तथा चुनावी रणनीतियों में पसमांदा समाज की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में पहल की।[14]

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने समय-समय पर पसमांदा समाज के प्रतिनिधियों को संगठनात्मक दायित्व, चुनावी टिकट तथा सार्वजनिक मंचों पर स्थान देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार कई क्षेत्रीय दलों ने भी पिछड़े मुस्लिम समुदायों को अपने सामाजिक आधार का महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की नीति अपनाई। तथापि अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि शीर्ष नेतृत्व एवं निर्णय-निर्माण के स्तर पर पसमांदा समाज की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत सीमित है।[15]

---

[12] मसूद आलम फलाही, हिंदुस्तान मे जात-पात और मुसलमान, नई दिल्ली: अल-क़ाज़ी पब्लिशर्स, 2007।

[13] भारत सरकार, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत के मुस्लिम समुदाय की स्थिति (सच्चर समिति रिपोर्ट), नई दिल्ली: भारत सरकार, 2006।

[14] अली अनवर, मसावात की जंग, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2001।

[15] मसूद आलम फलाही, हिंदुस्तान में जात-पात और मुसलमान, नई दिल्ली: अल-क़ाज़ी पब्लिशर्स, 2007।

समकालीन भारतीय राजनीति में पसमांदा समाज केवल चुनावी समर्थन प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि वह सामाजिक न्याय, समान अवसर, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व तथा समावेशी विकास से जुड़े व्यापक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। इस कारण राजनीतिक दलों के समक्ष यह चुनौती है कि वे पसमांदा समाज को केवल चुनावी रणनीति तक सीमित न रखकर नीति-निर्माण, संगठनात्मक नेतृत्व तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करें।[16]

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा समाज और राजनीतिक दलों का संबंध निरंतर परिवर्तनशील रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों की सार्थकता इसी में निहित है कि राजनीतिक दल सामाजिक न्याय एवं समान प्रतिनिधित्व के संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप पसमांदा समाज की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी और उत्तरदायी बन सके।[17]

पसमांदा समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी की प्रमुख चुनौतियाँ :-

भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक समानता के बावजूद पसमांदा समाज अनेक ऐसी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो उसके प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं लोकतांत्रिक भागीदारी को सीमित करती हैं। ये चुनौतियाँ केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा संस्थागत स्तर पर भी विद्यमान हैं। परिणामस्वरूप पसमांदा समाज लोकतांत्रिक अधिकारों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाया है।[18]

पसमांदा समाज के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन है। शिक्षा का निम्न स्तर राजनीतिक जागरूकता, नेतृत्व निर्माण तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी को प्रभावित करता है। सच्चर समिति ने भी यह स्पष्ट किया है कि मुस्लिम समुदाय के अनेक पिछड़े वर्ग शिक्षा, सरकारी सेवाओं तथा सार्वजनिक संस्थानों में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व रखते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ता है।[19]

आर्थिक संसाधनों की कमी भी राजनीतिक भागीदारी में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव लड़ना, संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहना तथा दीर्घकालिक राजनीतिक

[16] भारत सरकार, राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (रंगनाथ मिश्र आयोग) रिपोर्ट, नई दिल्ली: भारत सरकार, 2007।

[17] भारत का संविधान, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 1949 (प्रवर्तन: 26 जनवरी 1950)।

[18] भारत का संविधान, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 1949 (प्रवर्तन: 26 जनवरी 1950)।

[19] भारत सरकार, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत के मुस्लिम समुदाय की स्थिति (सच्चर समिति रिपोर्ट), नई दिल्ली: भारत सरकार, 2006।

नेतृत्व विकसित करना आर्थिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है। पसमांदा समाज के अनेक समुदाय पारंपरिक श्रम-आधारित व्यवसायों से जुड़े होने के कारण आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर रहे हैं, जिससे उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की क्षमता सीमित हुई है।[20]

एक अन्य महत्त्वपूर्ण चुनौती मुस्लिम समाज के भीतर विद्यमान सामाजिक स्तरीकरण है। लंबे समय तक राजनीतिक नेतृत्व अपेक्षाकृत प्रभावशाली वर्गों के हाथों में केंद्रित रहा, जिसके कारण पसमांदा समाज की समस्याओं और आकांक्षाओं को पर्याप्त राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं मिल सकी। इस स्थिति ने प्रतिनिधित्व की असमानता को और अधिक गहरा किया तथा पसमांदा समाज के स्वतंत्र नेतृत्व के विकास को प्रभावित किया।[21]

इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों द्वारा अनेक अवसरों पर पसमांदा समाज को मुख्यतः चुनावी दृष्टि से महत्त्व देने की प्रवृत्ति भी देखी गई है। चुनावों के दौरान इस वर्ग को विशेष महत्व दिया जाता है, किंतु नीति-निर्माण, संगठनात्मक नेतृत्व तथा निर्णयकारी संस्थाओं में उनकी भागीदारी अपेक्षित स्तर तक सुनिश्चित नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा दोनों के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है।[22]

अतः यह स्पष्ट है कि पसमांदा समाज की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावी बनाने के लिए केवल संवैधानिक अधिकार पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, नेतृत्व निर्माण, सामाजिक जागरूकता तथा राजनीतिक दलों की समावेशी नीतियों का समन्वित विकास आवश्यक है।

पसमांदा समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण की संभावनाएँ :- भारतीय लोकतंत्र की संरचना ऐसी है, जिसमें सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण की व्यापक संभावनाएँ निहित हैं। पसमांदा समाज के संदर्भ में यह संभावना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह वर्ग सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा प्रतिनिधित्व की दृष्टि से लंबे समय तक अपेक्षित लाभ से वंचित रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि संस्थागत सुधार, सामाजिक जागरूकता और नीतिगत समावेशन को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो पसमांदा समाज का राजनीतिक सशक्तिकरण संभव है।[23]

---

[20] मसूद आलम फलाही, हिंदुस्तान में जात-पात और मुसलमान, नई दिल्ली: अल-क़ाज़ी पब्लिशर्स, 2007।

[21] अली अनवर, मसावात की जंग, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2001।

[22] भारत सरकार, राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (रंगनाथ मिश्र आयोग) रिपोर्ट, नई दिल्ली: भारत सरकार, 2007।

[23] भारत का संविधान, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 1949 (प्रवर्तन: 26 जनवरी 1950)।

शिक्षा का प्रसार पसमांदा समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। शिक्षा न केवल राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाती है, बल्कि नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी को भी सुदृढ़ करती है। सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों में शैक्षिक पिछड़ापन एक प्रमुख संरचनात्मक समस्या है, जिसे दूर किए बिना वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण संभव नहीं है।[24]

आर्थिक सशक्तिकरण भी राजनीतिक भागीदारी को सीधे प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से सक्षम समुदाय ही चुनावी राजनीति, संगठनात्मक गतिविधियों तथा नेतृत्व निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। अतः स्वरोजगार, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं में समावेश के माध्यम से पसमांदा समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है।[25]

राजनीतिक दलों की समावेशी नीति भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यदि राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक ढाँचे में पसमांदा समाज को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करें तथा उन्हें निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में शामिल करें, तो यह वर्ग राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त हो सकता है। इसके साथ ही स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में उनकी भागीदारी नेतृत्व विकास का आधार तैयार कर सकती है।[26]

इसके अतिरिक्त, नागरिक समाज, सामाजिक संगठनों तथा शैक्षिक संस्थानों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संस्थाएँ पसमांदा समाज में सामाजिक चेतना, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा राजनीतिक भागीदारी के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करने में सहायक हो सकती हैं। इस प्रकार, बहु-आयामी प्रयासों के माध्यम से पसमांदा समाज का राजनीतिक सशक्तिकरण संभव है, जो भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी एवं प्रतिनिधिक बना सकता है।

निष्कर्ष :-

प्रस्तुत अध्ययन से यह वाज़ेह होता है कि भारतीय जम्हूरियत में पसमांदा समाज का सवाल महज़ एक तबक़े की सियासी नुमाइंदगी का मसला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक इंसाफ़, मुसावात (समानता), इज़्ज़त-ए-नफ़्स और समावेशी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ एक बुनियादी सवाल है। पसमांदा तबक़ात सदियों से सामाजिक, तालीमी, मआशी और सियासी पसमांदगी का सामना करते रहे हैं। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को बराबरी और न्याय का अधिकार प्रदान

24 भारत सरकार, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत के मुस्लिम समुदाय की स्थिति (सच्चर समिति रिपोर्ट), नई दिल्ली: भारत सरकार, 2006।

25 मसूद आलम फलाही, हिंदुस्तान मे जात-पात और मुसलमान, नई दिल्ली: अल-क़ाज़ी पब्लिशर्स, 2007।

26 अली अनवर, मसावात की जंग, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2001।

किया, किंतु व्यवहारिक स्तर पर पसमांदा समाज अपेक्षित सियासी नुमाइंदगी और फ़ैसला-साज़ी की प्रक्रिया में वह मुक़ाम हासिल नहीं कर सका, जिसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे हक़ था। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि पसमांदा समाज की मौजूदा स्थिति के लिए केवल बाहरी परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार नहीं हैं। मुस्लिम समाज की पारंपरिक क़ियादत और रहबरी ने भी लंबे अरसे तक पसमांदा तबक़ात के तालीमी, मआशी और सियासी मसाइल को वह अहमियत नहीं दी, जिसकी सामाजिक इंसाफ़ के तक़ाज़े के तहत अपेक्षा थी। दूसरी ओर, बरसरे-इक़्तिदार आने वाली मुख़्तलिफ़ हुकूमतें भी मुस्लिम समाज की आंतरिक सामाजिक हक़ीक़त को समझने और पसमांदा तबक़ात के लिए प्रभावी, लक्षित एवं न्यायसंगत नीतियाँ तैयार करने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकीं। परिणामस्वरूप पसमांदा समाज लोकतांत्रिक अधिकारों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने से महरूम रहा।

पसमांदा तहरीक ने भारतीय सियासत को यह एहसास कराया कि मुस्लिम समाज को एक समान सामाजिक इकाई मानकर उसकी वास्तविक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। यह तहरीक मज़हबी पहचान से आगे बढ़कर सामाजिक इंसाफ़, बराबरी, हिस्सेदारी और हक़ीक़ी नुमाइंदगी की बात करती है। इसी कारण पसमांदा विमर्श आज केवल एक सामाजिक आंदोलन नहीं, बल्कि भारतीय जम्हूरियत को अधिक जवाबदेह, समावेशी और प्रतिनिधिक बनाने का एक महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक विमर्श बन चुका है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की कामयाबी तभी मुकम्मल मानी जाएगी, जब पसमांदा समाज को केवल चुनावी सियासत का ज़रिया न समझकर, नीति-निर्माण, सियासी क़ियादत, प्रशासनिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक फ़ैसला-साज़ी के प्रत्येक स्तर पर सम्मानजनक एवं प्रभावी हिस्सेदारी प्रदान की जाएगी। वास्तविक जम्हूरियत वही है, जहाँ किसी भी तबक़े की पहचान उसकी पसमांदगी नहीं, बल्कि उसकी बराबरी, इज़्ज़त और लोकतांत्रिक हिस्सेदारी से हो। यही भारतीय संविधान की रूह है और यही सामाजिक न्याय का वास्तविक तक़ाज़ा भी।भारतीय लोकतंत्र का मूल उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व तथा लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय मुस्लिम समाज के भीतर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से वंचित पसमांदा समुदाय लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में अपेक्षित स्थान प्राप्त नहीं कर सका। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक व्यवस्था ने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए, फिर भी सामाजिक संरचना, आर्थिक विषमता, शैक्षिक पिछड़ापन तथा नेतृत्व के सीमित अवसरों ने पसमांदा समाज की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित किया। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि पसमांदा विमर्श ने भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय एवं समावेशी लोकतंत्र के प्रश्न को नई दिशा प्रदान की है। इस विमर्श ने मुस्लिम समाज के भीतर

विद्यमान सामाजिक असमानताओं को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को केवल धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के संदर्भ में देखने की आवश्यकता पर बल दिया।

वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा पसमांदा समाज को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व देने के प्रयास दिखाई देते हैं, किंतु लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी, जब यह प्रतिनिधित्व केवल चुनावी रणनीति तक सीमित न रहकर संगठनात्मक नेतृत्व, नीति-निर्माण तथा शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर भी प्रभावी रूप से परिलक्षित हो।

अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की समावेशी प्रकृति को सुदृढ़ बनाने के लिए पसमांदा समाज की राजनीतिक भागीदारी, शैक्षिक उन्नति, आर्थिक सशक्तिकरण तथा नेतृत्व विकास को समान रूप से प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सार्थक होगी, जब समाज के प्रत्येक वंचित वर्ग को सम्मानजनक एवं प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

संदर्भ सूची :

1. अनवर, अली. मसावात की जंग: पसमंजर–बिहार के पसमांदा मुसलमान. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2001.

2.फलाही, मसूद आलम. हिंदुस्तान में जात-पात और मुसलमान. नई दिल्ली: अल-क़ाज़ी प्रिंटर एंड पब्लिशर्स, 2007.

3.भारत सरकार. सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत के मुस्लिम समुदाय की स्थिति (सच्चर समिति रिपोर्ट). नई दिल्ली: प्रधानमंत्री का उच्चस्तरीय समिति, 2006.

4.भारत सरकार. राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (रंगनाथ मिश्र आयोग) रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2007.

5.भारत का संविधान. भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय. नई दिल्ली: भारत सरकार, 1949 (प्रवर्तन: 26 जनवरी 1950).

6.भारत सरकार. भारत की जनगणना 2011. नई दिल्ली: भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, 2011.

7.भारत निर्वाचन आयोग. सांख्यिकीय प्रतिवेदन : लोकसभा आम चुनाव (आवश्यक संस्करण). नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग.

8.भारत निर्वाचन आयोग. सांख्यिकीय प्रतिवेदन : विधानसभा आम चुनाव (संबंधित राज्य एवं संस्करण). नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642
Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 203-207
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

कौटिल्य के आर्थिक सुशासन के सिद्धान्त और 21वीं सदी की विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ : भारत के परिप्रेक्ष्य में

संतोष कुमार गौतम
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग,
जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल पी०जी० कॉलेज, बाराबंकी।

सारांश :

प्राचीन भारतीय राजनीतिक और आर्थिक चिंतन में आचार्य चाणक्य (कौटिल्य) द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' का स्थान अद्वितीय है। यद्यपि इस ग्रन्थ की रचना मौर्य काल (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) के राजतंत्रीय ढाँचे के अन्तर्गत की गई थी, तथापि इसके आर्थिक सुशासन, राज्य के कल्याणकारी स्वरूप, और राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धान्त 21वीं सदी की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर भारत के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। यह शोध पत्र कौटिल्य के आर्थिक दर्शन का विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक मूल्यांकन करता है तथा इसे आधुनिक भारत की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में परखता है। वर्तमान समय में भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था गरीबी उन्मूलन, राजकोषीय घाटे, भ्रष्टाचार और कर–प्रणाली की जटिलताओं से जूझ रही है। कौटिल्य का 'योगक्षेम' (कल्याणकारी राज्य) का सिद्धान्त, कराधान की प्रगतिशील और न्यायपूर्ण नीति, तथा प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय आधुनिक नीति–निर्माताओं के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करते हैं। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि यद्यपि शासन का स्वरूप राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया है, परन्तु आर्थिक सुशासन के मूलभूत सिद्धान्त–जैसे कि राजकोष की सुदृढ़ता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और कृषि तथा व्यापार का संतुलित विकास–आज भी अपरिवर्तित और शाश्वत हैं।

मुख्य शब्द : कौटिल्य, अर्थशास्त्र, आर्थिक सुशासन, कराधान प्रणाली, विकासशील अर्थव्यवस्था, भारत।

प्रस्तावना :

मानव इतिहास में राजनीतिक और आर्थिक चिंतन का विकास विभिन्न सभ्यताओं में अलग–अलग स्वरूपों में हुआ है। प्राचीन भारत में 'अर्थशास्त्र' की रचना एक युगांतरकारी घटना थी, जिसने न केवल तत्कालीन मौर्य साम्राज्य को एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शासनकला और राजनीतिक–अर्थव्यवस्था का एक मानक ग्रन्थ भी प्रस्तुत किया।[1] कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धान्त का वर्णन किया है, जिसमें 'कोष' (राजकोष) को राज्य की शक्ति का मूल आधार माना गया है।[2] 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल और वैश्वीकृत है। इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, विशेष रूप से भारत जैसी तीव्र गति से उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था के

लिए, कौटिल्य के विचारों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह समकालीन आर्थिक समस्याओं के समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।[3]

विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अक्सर संसाधनों की कमी, आय की असमानता, ढांचागत कमियों और प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का सामना करती हैं।[4] ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कौटिल्य का समय भी युद्धों, अकाल और राज्य–विस्तार की चुनौतियों से भरा था। ऐसे में उन्होंने एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की जो न केवल बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित हो, बल्कि आंतरिक रूप से आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और कल्याणकारी हो।[5] आधुनिक भारत, जो कि विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, आज भी अपनी एक बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और एक न्यायसंगत आर्थिक वितरण प्रणाली स्थापित करने के लिए संघर्षरत है। इस शोध पत्र का उद्देश्य कौटिल्य के आर्थिक सुशासन के उन प्रमुख सिद्धान्तों का विश्लेषण करना है, जिन्हें आधुनिक भारत की आर्थिक नीतियों और संस्थागत सुधारों में परिलक्षित या लागू किया जा सकता है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध पत्र की प्रकृति मुख्य रूप से गुणात्मक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' के प्राचीन सिद्धान्तों को 21वीं सदी की जटिल आर्थिक संरचनाओं के संदर्भ में परखने हेतु इस अध्ययन में एक अंतर्विषयक और तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें इतिहास, लोक प्रशासन और आधुनिक अर्थशास्त्र के उपागमों का समन्वय किया गया है।

आंकड़ों और साक्ष्यों के संकलन के लिए यह शोध पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन के मूल आधार के रूप में आचार्य कौटिल्य कृत 'अर्थशास्त्र' के प्रामाणिक और मान्यता प्राप्त अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवादों–विशेषकर आर. पी. कांगले और एल. एन. रंगराजन द्वारा की गई विस्तृत व्याख्याओं का गहन अवलोकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, शोध के विषय को आधुनिक भारत से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों, अकादमिक जर्नल्स, शोध–लेखों और समकालीन आर्थिक समीक्षाओं का व्यापक उपयोग किया गया है। आधुनिक आर्थिक नीतियों (जैसे–कराधान संरचना, एफ०आर०बी०एम० एक्ट, और कल्याणकारी योजनाओं) के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हेतु अमर्त्य सेन, अरविन्द पनगढ़िया और जीन ड्रेज जैसे समकालीन अर्थशास्त्रियों के साहित्य की समीक्षा की गई है।

तथ्यों के विश्लेषण हेतु मुख्य रूप से 'विषयगत विश्लेषण' और 'पाठ्य–विश्लेषण' पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस प्रविधि के अंतर्गत सम्पूर्ण अर्थशास्त्र का सामान्य अध्ययन करने के बजाय, आर्थिक सुशासन से जुड़े विशिष्ट विषयों –जैसे कि राजकोषीय अनुशासन, कराधान की प्रकृति, भ्रष्टाचार निवारण और कल्याणकारी राज्य (योगक्षेम) का चयन किया गया। तदुपरांत, इन प्राचीन विषयों को आधुनिक भारत की वर्तमान आर्थिक चुनौतियों (जैसे–कर–वंचना, आय असमानता और संस्थागत भ्रष्टाचार) के समानांतर रखकर उनकी प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। इस शोध प्रविधि का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि अतीत के नीतिगत सूत्रों में से उन व्यावहारिक समाधानों का अन्वेषण करना है, जिन्हें आज की विकासशील अर्थव्यवस्था के नीति–निर्माण में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।

आर्थिक सुशासन और आधुनिक भारत : एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण :

कौटिल्य के आर्थिक दर्शन का सबसे सशक्त पक्ष उनका 'योगक्षेम' का सिद्धान्त है। योग का अर्थ है जो

अप्राप्त है उसे प्राप्त करना (आर्थिक विकास), और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त है उसका संरक्षण करना (आर्थिक सुरक्षा और सुशासन)।[6] अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध श्लोक 'प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्' (प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही उसका हित है) आधुनिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की मूल भावना से पूरी तरह मेल खाता है।[7] 21वीं सदी के भारत में, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से इसी 'योगक्षेम' की अवधारणा का आधुनिक लोकतांत्रिक स्वरूप हैं।[8] विकासशील देशों में राज्य का उत्तरदायित्व केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों का आर्थिक उत्थान करना भी है, जिसकी वकालत कौटिल्य ने सदियों पहले की थी।[9] कराधान किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या कर–वंचना और कर का संकीर्ण आधार होती है। कौटिल्य की कराधान नीति अत्यंत तार्किक और वैज्ञानिक थी। उनका स्पष्ट मानना था कि राज्य को कर उसी प्रकार एकत्र करना चाहिए जिस प्रकार एक मधुमक्खी फूलों को बिना नुकसान पहुंचाए उनसे पराग इकट्ठा करती है ('पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्')।[10] इसका तात्पर्य यह है कि कर की दरें इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वे व्यापार और उत्पादन की प्रेरणा को ही नष्ट कर दें, और न ही इतनी कम होनी चाहिए कि राज्य का खजाना खाली हो जाए।[11] आधुनिक भारत में वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन और कॉर्पोरेट टैक्स में की गई कटौतियां इसी संतुलन को स्थापित करने के प्रयास हैं।[12] कौटिल्य ने आपातकाल में उच्च कर लगाने का भी समर्थन किया था, जिसे हम आधुनिक दौर में 'सरचार्ज' या 'सेस' के रूप में देख सकते हैं।[13] हालांकि, भारत में आज भी प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या कुल आबादी के अनुपात में बहुत कम है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कृषि, वानिकी, खनन और व्यापार पर बहुआयामी कर प्रणाली का सुझाव देता है, जो आज के समय में कर–आधार को व्यापक बनाने की दिशा में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है।[14]

आर्थिक सुशासन की राह में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार है। कौटिल्य मानव मनोविज्ञान के सूक्ष्म पारखी थे। वे जानते थे कि सत्ता और धन का संकेंद्रण भ्रष्टाचार को जन्म देता है। उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार जीभ पर रखा शहद या जहर चखे बिना नहीं रहा जा सकता, उसी प्रकार सरकारी धन का प्रबंधन करने वाला अधिकारी थोड़ा बहुत सरकारी धन खाए बिना नहीं रह सकता।[15] इसके साथ ही, जैसे पानी में तैरती मछली कब पानी पी लेती है, यह पता लगाना असंभव है, वैसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार को पकड़ना कठिन है।[16] इसके निवारण के लिए उन्होंने 40 प्रकार के गबन का उल्लेख किया और एक अत्यंत सुदृढ़ गुप्तचर प्रणाली तथा ऑडिटिंग सिस्टम की स्थापना की बात कही।[17] 21वीं सदी के भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर संस्थागत समस्या रही है, जिसने विदेशी निवेश और आर्थिक विकास की गति को धीमा किया है। यद्यपि भारत ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, और लोकपाल जैसी संस्थाओं का निर्माण किया है, फिर भी 'कौटिल्य–सुझाए' गए दंडात्मक और निवारक उपायों के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता आज भी महसूस की जाती है।[18] कौटिल्य ने 'व्हिसलब्लोअर्स' (सूचना देने वालों) को इनाम देने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान किया था, जो आधुनिक भारत के 'व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट' का पूर्वगामी रूप प्रतीत होता है।[19]

कौटिल्य का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त राजकोष की महत्ता से संबंधित है। उनका कथन 'कोष–मूलो

हि दण्डः' (राज्य की दंड शक्ति या सेना राजकोष पर निर्भर करती है) आज की भू–राजनीतिक वास्तविकताओं में अत्यंत सटीक बैठता है।[20] भारत को चीन और पाकिस्तान जैसी सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारी बजट आवंटित करना पड़ता है। कौटिल्य का स्पष्ट निर्देश था कि एक राजा को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजकोष में आय, व्यय से अधिक हो (अर्थात राजकोषीय घाटा कम हो)।[21]

विकासशील देश अक्सर लोकलुभावन नीतियों के कारण भारी राजकोषीय घाटे का शिकार हो जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है और आर्थिक अस्थिरता आती है।[2] भारत का 'एफ०आर०बी०एम० ऐक्ट' (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम) वस्तुतः कौटिल्य के इसी राजकोषीय अनुशासन के सिद्धान्त का आधुनिक वैधानिक स्वरूप है।[5]

इसके अतिरिक्त, कौटिल्य ने बुनियादी ढांचे के निर्माण को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना। उन्होंने व्यापारिक मार्गों (वणिक–पथ), बांधों (सेतुबंध), और बाजारों के निर्माण पर जोर दिया क्योंकि ये रोजगार सृजन और व्यापार वृद्धि के मुख्य चालक थे।[3] वर्तमान में भारत सरकार की 'गति शक्ति' योजना और बड़े पैमाने पर राजमार्गों तथा फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण सीधे तौर पर आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाने के उसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण का हिस्सा है।[8]

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः, यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' केवल प्राचीन भारत के इतिहास की एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह आर्थिक यथार्थवाद और राज्य–संचालन का एक व्यावहारिक नियमावली है। 21वीं सदी की एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, चाहे वह समावेशी विकास हो, पारदर्शी और कुशल कर प्रणाली हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना हो या फिर राजकोषीय संतुलन बनाए रखना हो, इन सभी के सैद्धांतिक समाधान कौटिल्य के विचारों में अंतर्निहित हैं।

कौटिल्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक थाय वे आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद में विश्वास करते थे। आधुनिक नीति–निर्माताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि संस्थाएं और प्रणालियां समय के साथ बदल सकती हैं – जैसे राजतंत्र का स्थान एक जीवंत लोकतंत्र ने ले लिया है, परन्तु सुशासन की मूल भावना, जो राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता और नागरिकों के कल्याण पर आधारित है, सदैव प्रासंगिक रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को यदि 21वीं सदी में एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना है, तो उसे पश्चिमी आर्थिक मॉडलों के साथ–साथ अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा और कौटिल्य के आर्थिक सुशासन के सिद्धान्तों को आधुनिक नीतियों के सांचे में ढालकर लागू करना होगा।

संदर्भ सूची :

1. कांगले, आर. पी. (1965). द कौटिलीय अर्थशास्त्र : एन इंग्लिश ट्रांसलेशन विद क्रिटिकल एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स. मोतीलाल बनारसीदास, 112–115.
2. रंगराजन, एल. एन. (1992). कौटिल्य : द अर्थशास्त्र. पेंगुइन बुक्स इंडिया, 245–249.
3. सिहाग, बी. एस. (2014). कौटिल्य : द ट्रू फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स. वितास्ता पब्लिशिंग, 58–62.
4. सेन, ए. (1999). डेवलपमेंट एज फ्रीडम. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 14–18.

5. बोएश, आर. (2002). द फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल रियलिस्ट : कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र. लेक्सिंगटन बुक्स, 89–93.
6. ट्रॉटमैन, टी. आर. (2012). अर्थशास्त्र : द साइंस ऑफ वेल्थ. एलन लेन, 45–50.
7. शामशास्त्री, आर. (1915). कौटिल्याज अर्थशास्त्र. गवर्नमेंट प्रेस, बैंगलोर, 312–316.
8. ड्रेज, जे., और सेन, ए. (2013). एन अनसर्टेन ग्लोरी : इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 182–187.
9. वाल्डॉयर, सी., जाहका, डब्ल्यू. जे., और पाल, एस. (1996). कौटिल्याज अर्थशास्त्र : ए नेग्लेक्टेड प्रिकर्सर टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स. इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू, 31(1), 101–108.
10. ड्रेकमीयर, सी. (1962). किंगशिप एंड कम्युनिटी इन अर्ली इंडिया. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 201–205.
11. कुमार, आर. (2018). एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट : रेलेवेंस टू मॉडर्न टाइम्स. रूटलेज, 134–139.
12. पनगढ़िया, ए. (2008). इंडिया : द इमर्जिंग जायंट. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 345–350.
13. मॉडल्स्की, जी. (1964). कौटिल्य : फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल सिस्टम इन द एंशिएंट हिंदू वर्ल्ड. अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, 58(3), 549–560.
14. राव, एम. जी., और कुमार, एस. (2017). एनविजनिंग टैक्स पॉलिसी फॉर एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट इन इंडिया. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 52(9), 45–52.
15. बर्धन, पी. (1997). करप्शन एंड डेवलपमेंट : ए रिव्यू ऑफ इश्यूज. जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, 35(3), 1320–1325.
16. मित्रा, एस. के. (1999). कल्चर एंड रैशनैलिटी : द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल चेंज इन पोस्ट–कोलोनियल इंडिया. सेज पब्लिकेशंस, 88–92.
17. टिसडेल, सी. (2003). ए वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र : डज इट प्रोवाइड ए बेसिस फॉर इकोनॉमिक साइंस?. इकोनॉमिक थ्योरी, एप्लिकेशंस एंड इश्यूज वर्किंग पेपर्स, 18(1), 11–15.
18. क्वाह, जे. एस. (2008). कर्बिंग करप्शन इन इंडिया : एन इम्पॉसिबल ड्रीम?. एशियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 16(3), 240–259.
19. मुनि, एस. डी. (2010). इंडियाज फॉरेन पॉलिसी : द डेमोक्रेसी डायमेंशन. फाउंडेशन बुक्स, 67–71.
20. गौतम, पी. के. (2013). वन हंड्रेड इयर्स ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र. इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (IDSA), 22–28.
21. कपूर, डी., और मेहता, पी. बी. (2005). पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया : परफॉरमेंस एंड डिजाइन. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 110–115.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 208-213

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

सुमित्रानंदन पंत के ग्रामीण चित्रण काव्य में मार्क्सवादी चेतना

राजकुमार, शोधार्थी–हिन्दी,
प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
प्रो. रेखा वर्मा, शोध–निर्देशिका,
हिन्दी, विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सैदाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

प्रस्तावना –

छायावाद युग के चार आधार स्तंभों में कविवर सुमित्रानंदन पंत एकमात्र कवि रहे जिन्होंने प्रकृति सौंदर्य के साथ ही गांव के वर्गहीन समाज और उनकी संस्कृतियों का जीवन्त चित्र अपनी महान काव्य कृति ग्राम्या में प्रस्तुत किया है उनके काव्य के चार सोपान हैं। छायावाद छायावादी काव्य प्रगतिवादी काव्य अंत चेतनावादी का तथा नव मानवतावादी काव्य जिसके माध्यम से पंत जी अपने अंतर विचारों का प्रस्फुटन करते हैं। गांधी दर्शन तथा अरविंद दर्शन का प्रभाव पंत जी पर गहरा पड़ा तत्पश्चात मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव उनकी प्रगतिवादी रचनाओं में युगांत युगवाणी तथा ग्राम्या में मुख्य रूप से देखने को मिला, जहां आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों का टकराहट दिखलाई पड़ा है। मार्क्स के विचारों से अविभूत हो पंत जी ग्रामीण जनजीवन मजदूर वर्ग किसान और शोषित वर्गों के प्रति अपनी लेखनी चलाई। काव्य के दूसरे पड़ाव से अंतिम पड़ाव तक मार्क्सवादी चेतना का विस्तार होता रहा। जिसके फलस्वरुप पंत जी अपने काव्य के माध्यम से समाजवाद और मानवतावाद को साम्यवादी दृष्टिकोण से समता मूलक बनाने का प्रयास किया।

बीज शब्द – गरीब मजदूर किसान तथा शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं पूंजीपतियों के विरुद्ध वर्ग संघर्ष की आवाज उठाना मार्क्सवादी चेतना का मूल रहा।

मार्क्सवादी चेतना और पंत –

छायावादी कवि स्वयं भी समय को पहचान कर कल्पना से बड़े होकर यथार्थ की ओर सोचने लगे थे मानो छायावाद से वे स्वयं उब चुके थे कवि पंत जी की अनेक रचनाओं का संकलन युगांत के रूप में आया जिसने स्पष्ट रूप से छायावाद के अंत की घोषणा कर दी।

प्रत्येक युग में यथार्थ की दो शक्तियों का द्वंद्व चलता रहा मरणोन्मुख पुरानी शक्तियों और नवीन शक्तियों में शोषित गरीब किसान मजदूर होते हैं। नवीन जीवन शक्तियां पुरानी शक्तियों को नष्ट कर नवीन जनमंगलकारी समाज की स्थापना की कोशिश करती है ऊपरी सतह पर तो पुरानी शक्तियों की विवृतियां उतरती रहती हैं लेकिन उनके नीचे नवीन शक्तियां धीरे–धीरे उन्हें काटती रहती हैं। उनके पीड़ा और अभाव के साथ ही जिंदगी का संघर्ष

हड्डी के विश्वास और भविष्य की सुंदर आकांशा होती है। में अनेक बुनियादी तत्वों को ग्रहण करने वाला ही सच्चा यथार्थवादी है। ऐसा ही साहित्य अपने युग की वास्तविकता का सच्चा प्रतिनिधि होता है और भावी युगों के साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, जिसका दर्शन मार्क्सवादी है।

जिसकी पुष्टि इस कथन से की जाती है– 'हिंदी साहित्य में सन 1939 के प्रारंभिक दिनों में ही जीवन में व्याप्त असंतोष संघर्ष के उन्मूलन को दृष्टि में रखते हुए एक नवीन युग की स्थापना हुई। छायावादी युग की समाप्ति के पश्चात एक नई सामाजिक चेतना को लिए हुए जिसका वियोग की प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य क्षेत्र में हुई उसके कृतित्व को समानता प्रतिवादी अथवा प्रगतिशील काव्य इन नामों से पुकारा जाता है।'[1]

काव्य और कला के क्षेत्र में मार्क्स के सिद्धांत विभिन्न युगों के आर्थिक और सामाजिक संगठनों के संबंध माने गए हैं। मार्क्सवाद की दृष्टि में धर्म दर्शन नैतिक आधार नैतिक आदर्श के जो तत्व काव्य में पाए जाते हैं वास्तव में युग के वर्ग चेतना पर ही होते हैं वर्गहीन समाज के साथ ही साथ वर्गहीन काव्य और कला का स्वरूप इस सिद्धांत की आस्था का मापदंड होता है। मार्क्स के अनुसार वैचारिक धरातल अपने आप में भौतिक धरातल से निरपेक्ष नहीं है।

'द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो व्यक्तियों के बीच का तर्कपूर्ण संवाद है। इस संवाद की विशेषता यह होती है कि उपायोपक्ष के दृष्टिकोण को भिन्नता दर्शाते हुए अंत में सत्य की मानवीय इतिहास को निम्न युगों में विभक्त किया है –

1. आदिम साम्यवादी युग
2. दास व्यवस्था युग
3. सामंती व्यवस्था युग
4. पूंजीवादी युग।'[2]

हमारे भारत में भी अंग्रेजों के आने से पहले यहां की सामाजिक व्यवस्था सामंती आधार पर प्रतिष्ठित थी। इसी व्यवस्था के अधीन सभी गांव भी थे जमीन पर राजा का व्यक्तिगत अधिकार होता था लगन के रूप में उपज का एक भाग जनता द्वारा राजा को देय होता था अंग्रेजों के आगमन से मशीन कारखाने खोले गए जिसमें मानव को एक कलपुर्जे की तरह काम करना पड़ा। मजदूरों का भयंकर शोषण होने लगा। तथा समाज में दो वर्गों का बंटवारा हो गया पहला अमीर वर्ग तथा दूसरा मजदूर वर्ग जिसके कारण समाज में मानवीय भेदभाव भी फैल चुका था। औद्योगिक विकास में मजदूरों की संख्या में वृद्धि की तथा देश में दो बड़ी शक्तियों का उदय हुआ जिसमें पहली पूंजीवादी वर्ग की शक्ति तथा दूसरी श्रमिक सर्वहारा वर्ग की महान शक्ति।

मजदूर वर्ग की फटेहाली ने वर्ग संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रचार सर्वत्र हो गया था। भारतीय श्रमिक नेताओं का प्रवेश राष्ट्रीय रंगमंच पर हो चुका था, मजदूरों की मानवीय चेतना बढ़ चुकी थी तालाबंदी भी हुई। सन 1932 से लेकर 1936 तक के बीच 725 बार तालाबंदी हो चुकी थी मजदूरों की चेतना के उपहार को देखकर क्या हमारे कभी कल्पना की उड़ान में बैठे रहते? नहीं उन्होंने भी युग चेतना को पहचान और मार्क्स को अंजलि देते हुए कहते हैं कि– 'तुम नवयुग को खोलने वाले हो तुम्हारी गाथा कोई झूठी दंत कथा नहीं है बल्कि सत्य और हकीकत का इतिहास है। तुम्हारी दुदुंभि से नवीन सभ्यता जागृत हुई।

'दंतकथा वीरों की गाथा,

सत्य नहीं इतिहास,
सम्राटों की विजय लालसा
ललना भृकुति विलास
दैव्य नियति का निर्मम क्रीड़ा
चक्र न वह उच्चश्रृंखल
धर्मांधता नीति संस्कृत का
ही मार्ग समर स्थल।'[3]

अर्थात् तुम्हारे विचारों से युग बदला शासन और सभ्यताएं बदल गई अर्थव्यवस्था के आधार पर नई नीति रीति रिवाज विचार तथा दर्शन फैल उठा श्रमिक वर्गों के शासन के कारण युगांतर हो गया।

पंत जी युगवाणी में लिखते हैं :–

'साक्षी है इतिहास आज होने को पुनः युगांतर
श्रमिकों का अब शासन होगा उत्पादन यंत्रों पर।'[4]

इस प्रकार समाज वर्ग विहीन होगा सब एक समान होंगे तथा यह सभ्यता समस्त विश्व में फैलेगी व समाज में मालिक मजदूर शोषक शोषित का भेदभाव समाप्त होगा। कार्ल मार्क्स ने पृथ्वी पर नए विचारों को फैला दिया मानो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुले और प्रलय मच जाए मार्क्स के विचार रूपी नेत्रों ने संपूर्ण विश्व को हिला दिया।

'धन्य मार्क्स! चिर तमच्छन
पृथ्वी के उदय शिर पर
तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से
प्रकट हुए प्रलयंकर।'[5]

पंत की इस कविता से लगता है कि वह अपने युग की इस वाणी को अपनी काव्य कृति युगवाणी में प्रकट करते हैं। आगे चलकर उनकी बहुत सारी कविताओं में हमें मार्क्सवादी दर्शन की छाप मिलती है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि पंत जी मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। समाज इतिहास और संसार की जो व्याख्या साम्यवाद करता है वैसे ही व्याख्या पंत जी ने की है। साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग का पदार्पण भी कवि ने माना है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की निंदा भी कवि ने साम्यवादी दृष्टिकोण से की है तो दूसरी ओर इसी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर किसानों और मजदूरों की प्रशंसा भी की गई है। कवि ने हथौड़े पर भी एक कविता प्रस्तुत की है। साम्यवादियों का निशान (प्रतीक) है हथोड़ा और हंसिया मजदूर किसान श्रमिक का प्रतीक है भूत दर्शन कविता में कवि लिखते हैं कि –

'कहता भौतिकवाद वस्तु जगत का कर तत्वान्वेषण
भौतिक भाव ही एकमात्र मानव का अंतर दर्पण।
राष्ट्र वर्ग आदर्श धर्मगत रीति नीति और दर्शन
स्वर्ण पास है मुक्ति योजना सामूहिक जनजीवन।'[6]

मार्क्स की प्रतिवादी विचारधारा ने पृथ्वी पर प्रलय क्रांति मचा दी है। जैसे भगवान शिव तांडव नृत्य के

बाद नसर्जन करना चाहते हैं वर्गहीन भेद–भाव हीन समाज की रचना से अब धरती पर नया प्रकाश फैला है यह मजदूर एवं गरीबों के उदय का प्रभात है। अब लहू चूसने वाली साम्राज्यवादी विचारधारा का अंत हो गया है। साम्राज्यवाद भूतकाल की बात बन गई है। इस संबंध में कवि पंत लिखते हैं –

'विश्व क्षितिज में घिरे पराभव के हैं मेघ भयंकर
नवयुग का सूचक है निश्चय यह तांडव प्रलयंकर
जन युग की स्वर्णिम किरणों से होगी भू आलोकित
नव संस्कृति के नव प्ररोह होंगे शोषण से सिंचित।'[7]

साम्यवाद ने जगत को सामूहिक जनतंत्र दिया मनुष्य के दुःख दैन्य पर अधिक विचार किया समानता का जो आदर्श वर्षों से निष्पादन होकर गिरा था उसे नया जीवन दे दिया साम्यवाद के संबंध में कवि ने कहा है –

'साम्यवाद ने दिया जगत को सामूहिक जनतंत्र महान।
भव जीवन के दैन्य दुःख से किया मनुजता का परित्राण।'[8]

पंत जी गांधीवाद का विरोध भी नहीं करते कहते हैं – सत्य अहिंसा के आदर्शों को हमें गांधी जी ने ही मानवता का सम्मान करना तो सिखाया ही है। गांधीवादी विचारधारा हमारे विश्वास को बढ़ाता है क्योंकि तत्व ज्ञान कोई भी हो जो विचार हमें मानवता का संदेश दे और जिससे मानवता का विकास हो उसे ग्रहण करना ही चाहिए, जिससे समस्त जन मानस का कल्याण जुड़ा हो वह उच्च विचार है। गांधी जी स्वयं दलित पीड़ित और शोषित वर्गों के उत्थान की बात कही है। गांधीवाद सत्य और अहिंसा पर खड़ा है जबकि साम्यवाद संघर्ष तथा हिंसा को भी अपनाता हैं, पर कवि जीवन विकास की समता रूपी भावना का स्वागत करता है। वे लिखते हैं कि–

'व्यक्ति पूर्ण बन जग जीवन में
भर सकता है नूतन प्राण,
विकसित मनुष्यत कर सकता
पशुता से जन का कल्याण,
मनुष्यत्व का तत्व सीखता
निश्चय हमको गांधीवाद
सामूहिक जीवन विकास की
साम्य योजना है अविवाद।'[9]

कवि पंत समानता को प्राधान्य देते हैं पर साथ साथ गांधी विचार धारा का आदर भी करते हैं। साम्यवाद के सामान्य के स्वर को कवि युगवाणी में कहते हैं। अब समय आ गया है कि विश्व के लिए कल्याण रूप है इस युग की वाणी जगत में नया स्नेह फैले नया ज्ञान फैले सबकी आशा आकांक्षा पूर्ण हो भूखों को अनाज पानी प्राप्त हो। लोगों ने जो सपने मन में सजाए हैं वह सपने सत्य हो जाए जो अंतर जगत में समाया है वही बाहर जगत में विकसित हो जाए वीणापाणि सरस्वती युग की इस वाणी को जागृत करें यह सब होगा तो फिर जगत में मुक्ति का तत्व पनपेगा। समूह में ही लोग निजत्व को प्राप्त कर सकेंगे हृदय हृदय की कहानी विश्व जीवन की स्वर लिपि बनकर कवि ऐसी युगवाणी सुनते हैं जिसमें विश्व कल्याण का स्वर है–

'सर्व मुक्ति हो मुक्ति तत्व अब

सामूहिकता ही निजत्व अब
बने विश्व जीवन की स्वरलिपि
जन मन मर्म कहानी कवि की वाणी।'[10]

इस प्रकार कवि ने साहित्य तथा कला के मापदंडों को भी वास्तविक धरातल पर लाकर रख दिए। नवीन दृष्टि या युगवाणी यही है तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी यही है।

मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित यथार्थवादी दर्शन की व्याख्या के संबंध में श्री अजीत सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है –'यथार्थवादी दर्शन ने जीवन के मूल्य की भी नई व्याख्या की सत्य शिव और सुंदर मानव जीवन के मूल्यों को पदार्थ और मानव मस्तिष्क के संबंध के आधार पर निश्चित करता है। सत्य के यथार्थ की व्याख्या है कि मानव मस्तिष्क के संबंध तथ्य ही सत्य है (मनस) द्वारा ग्रहित वास्तविकता ही सत्यहै और समन्वित संपूर्णता के रूप में ही देश काल वास्तविक होता है।'[11]

इस प्रकार सत्यम शिवम सुंदरम के संबंध में कवि पंत जी भी लिखते हैं –

'सुंदर शिव सत्य
  कल के कालीपत मापमान
बन गए स्थूल,
  जगजीवन से हो एक प्राण
मानव स्वभाव ही
  वन मानस आदर्श सुकर
करता अपूर्ण को पूर्ण
  असुंदर को सुंदर।'[12]

पंत जी इस युग के संगठित जीवन को अंधकार कहा है संगठित मां को प्रकाश विकसित व्यक्तित्ववाद के साथ ही विकसित समाजवाद को विशेष महत्व दिया है। जिससे डी बनने के एकांगी पर्यटन में हम मनुष्य से विरक्त होकर सामाजिक जीवन में पशुओं से भी नीचे गिर जाए देवत्व को आत्मसात कर हम मनुष्य बने रहे और मानव दुर्बलताओं के भीतर से अपना निर्माण एवं विकास कर सकें।

मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित होकर स्वयं पंत जी ने लिखा है कि –'संक्षेप में मैं मार्क्सवाद के लोग संगठन रूपी व्यापक आदर्शवाद और भारतीय दर्शन के चेतनात्मक उर्ध्व आदर्शवाद दोनों का संश्लेषण करने का प्रयत्न किया है।'

इस प्रकार कवि ने मार्क्सवादी चेतना गांधीवाद और समाजवाद काव्य में यही बातें प्रस्तुत की है।

निष्कर्ष –

इस प्रकार निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत के ग्रामीण काव्य दर्शन पर मार्क्सवादी चेतना का गहरा प्रभाव रहा रूप में प्रसिद्ध प्रेमी कवि रहे किंतु मानवता के सच्चे प्रेरक के रूप में समाजवाद और साम्यवाद को उन्होंने अपनाया गांधी टैगोर श्री अरविंद आदि महान विचारों के अलावा जो प्रभाव कार्ल मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद का पड़ा वह वर्गहीन समाज के पोषक के रूप में एक नई दिशा प्रदान किया।

अंततः पंत जी के ग्रामीण काव्य में नवमानवतावाद तथा समाजवाद एवं साम्यवाद का सामंजस्य स्पष्ट

रूप से दिखाई पड़ा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. प्रगतिवादी काव्य उद्भव और विकास–श्री अजीत सिंह, पृष्ठ 65
2. वही, पृष्ठ 67
3. युगवाणी सुमित्रानंदन पंत, पृष्ठ 44
4. वही, पृष्ठ 44
5. वही, पृष्ठ 44
6. वही, पृष्ठ 45
7. वही, पृष्ठ 46
8. वही, पृष्ठ 47
9. वही, पृष्ठ 47
10. वही, पृष्ठ 20
11. प्रगतिवादी काव्य उद्भव और विकास –श्री अजीत सिंह, पृष्ठ 76
12. युगवाणी – सुमित्रानंदन पंत, पृष्ठ 12

मेल : rekhavermabhu@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642
Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 214-218
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

संत परम्परा और भोजपुरी के अल्प परिचित संत कवि (संत धर्मदास, संत धरनीदास)

शिवांगी द्विवेदी
शोधार्थी (हिन्दी विभाग) दिल्ली विश्वविद्यालय।

शोधसार :

हिन्दी साहित्य का मध्यकाल अपने आप में विभिन्न प्रवृतियों को धारण किए हुए एक समृद्ध काल रहा है। श्याम सुंदर दास द्वारा इस काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की उपाधि देना अतिशयोक्ति नहीं है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, यही कारण है कि मध्यकाल में लगभग हर क्षेत्र के कवियों द्वारा उनकी भाषा में लिखी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। ये रचनाये राजश्रयी और लोकाश्रयी दोनों ही भाषाओं में मिलती हैं, परन्तु लोकाश्रयी भाषा में रचित काव्य ने लोक पर गहरा प्रभाव डाला, इसे समझने के लिए लोगों को किसी भी तरह के शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। लोक भाषा क्षेत्रीय होती है यही कारण है कि मध्यकाल के बहुत से लोकभाषा के कवियों के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी का अभाव है। प्रस्तुत शोध पत्र में ऐसी ही लोकाश्रयी भाषा 'भोजपुरी' के अल्प परिचित संत कवियों की बात करते हुए उनके साहित्यिक योगदान की चर्चा की गई है।

बीज शब्द : संत साहित्य, भोजपुरी, मध्यकाल, भोजपुरी क्षेत्र, आडंबर और पाखंड, रहस्यवाद, वसुधैव कुटुम्बकम्।

मूल आलेख :

'संत' हिन्दी आलोचना का पारिभाषिक शब्द है। हिन्दी–आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली में निर्गुण–भक्तो को संत कहा जाता है। सामान्य रूप से संत और भक्त ईकार्थक शब्द हैं किन्तु हिन्दी आलोचना में ये भिन्न अर्थो में प्रयुक्त होते है। साहित्य क्षेत्र में प्रयोग की दृष्टि से ही नहीं, अर्थ– मर्यादा के विचार से भी यह शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सगुण–निर्गुण भक्ति साहित्य के विशाल वाद्मय में संत शब्द विवेकशील, अराग, अलेप और मायातीत महापुरूष के अर्थ में निरूपवाद रूप से व्यक्त हुआ है सत विचारों और आचारों से बद्ध व्यक्ति को 'संत' की संज्ञा दी गई है।

"संत" शब्द संस्कृत "सत्" के प्रथमा का बहुवचनान्त रूप है, जिसका अर्थ होता है सज्जन और धार्मिक व्यक्ति। हिन्दी में साधुध्सुधारक के लिए यह शब्द व्यवहार में आया। कबीर, रविदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास आदि पुराने भक्तों ने इस शब्द का व्यवहार साधु और परोपकारी, पुरुष के अर्थ में बहुलांशः किया है और उसके लक्षण भी दिए हैं।

लोकोपकारी संत के लिए यह आवश्यक नहीं कि यह शास्त्रज्ञ तथा भाषाविद हो। उसका लोकहितकर

कार्य ही उसके संतत्व का मानदंड होता है। हिंदी साहित्यकारों में जो "निर्गुणिए संत" हुए उनमें अधिकांश अनपढ़ व अल्प शिक्षित ही थे। शास्त्रीय ज्ञान का आधार न होने के कारण ऐसे लोग अपने अनुभव की ही बातें कहने को बाध्य थे। अतः इनके सीमित अनुभव में बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं, जो शास्त्रों के प्रतिकूल ठहरें। अल्प शिक्षित होने के कारण इन संतों ने विषय को ही महत्व दिया है, भाषा को नहीं। इनकी भाषा प्रायः अनगढ़ और पंचरंगी हो गई है। इनके चिंतन का आकार सर्वमानववाद है। ये मानव मानव में किसी प्रकार का अंतर नहीं मानते। इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल विशेष के कारण किसी प्रकार वैशिष्ट्य लिए हुए उत्पन्न नहीं होता। इनकी दृष्टि में वैशिष्ट्य दो बातों को लेकर मानना चाहिए अभिमान त्याग पूर्वक परोपकार या लोकसेवा तथा ईश्वर भक्ति। इस प्रकार स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में इन संतों ने एक प्रकार की वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

संत काव्य परंपरा भक्तिकाल की आरम्भिक काव्यधारा है। इसका संबंध निर्गुण भक्ति से है। आचार्य शुक्ल ने इसे जानाश्रयी शाखा कहा है।[1] निर्गुण भक्त कवि अधिकांश निम्न जाति के थे। ईश्वर से वंचित किये गये इन जातियों ने तब ईश्वर को अपनी कल्पना में गढ़ा, जिसमें ईश्वर के विरोध की भी भावना थी। इसलिए इस धारा के संत कवियों ने अपनी उपासना का आधार गुणातीत ब्रह्म को बनाया है। संत काव्य तत्कालीन सामंतवादी और रुढ़िवादी परिवेश में मानवतावादी चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति है। यह उस सांस्कृतिक जागरण की सशक्त अभिव्यक्ति है, जो गहरे मानवीय सरोकारों से उपजी है और सार्वभौमिक मानव मूल्यों को प्रतिष्ठापित करता है। संत कवियों की परम्परा का आरम्भ बारहवीं शताब्दी में जयदेव से होता है। उनके निर्गुण भाव के पद आदिग्रन्थ में संकलित हैं। तेरहवीं–चौदहवीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम आदि संत इस परम्परा को आगे बढ़ाते है। इसके बाद कबीरदास के गुरु रामानंद आते है। लेकिन हिंदी में संत काव्य की परंपरा के सूत्रपात का श्रेय कबीरदास को है। रविदास, सेना, पौपा, पद्मावती, सुरसुरी और धन्ना कबीर के गुरु भाई थे। इस परंपरा में आगे चलकर अनेक पंथों की स्थापना हुई। कबीर के अनुयायियों द्वारा स्थापित कबीर पंथ के अतिरिक्त नानक के पंथ, दादू के दादू पंथ और मलूक दास के मलूक पंथ अस्तित्व में आते गए। कबीर ने संत मत के निश्चित सिद्धांतों का प्रचार–प्रसार किया। कबीर से शुरू हुई संत काव्य परंपरा में दादू, गुरु नानक, सुन्दर दास, गरीब दास, धर्मदास, जगजीवन साहब, जम्भ दास, मलूक दास, हरिदास, चरण दास, गुलाब साहब आदि कवि हुए है। डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं "संत–साहित्य भारतीय जनता के प्रेम, घृणा, आशाओं और वेदना का दर्पण है। वह उसके हृदय की सबसे कोमल, सबसे सबल भावनाओं का प्रतिबिम्ब है। उसकी मानवीय सहजता लौकिक जीवन में आस्था और उज्ज्वल भविष्य की कामना का प्रतीक है।"[2]

भोजपुरी भाषा और संत-परम्परा : भोजपुरी भाषा लगभग 50 हजार मील में फैली हुई है। इसकी सीमा किसी एक प्रांत की राजनैतिक सीमा से नहीं जुड़ी है। भोजपुरी भाषा के मुख्य क्षेत्र बिहार राज्य के पश्चिमी जिले और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में स्थित है। परंतु इन जिलों के अतिरिक्त भी भोजपुरी अन्यत्र बोली जाती है। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने भोजपुरी भाषा के क्षेत्र विस्तार का वर्णन करते हुए निम्नलिखित कविता द्वारा उसका वर्णन किया है–

"आरे आवऽ छपरा आवऽ बलिया मोतिहारी आवऽ
राँची अउर पालामू आवऽ गोरखपुर देवरिया आवऽ

गाजीपुर आजमगढ़ आवऽ बस्ती आ जवनपुर आवऽ
मिर्जापुर बनारस आवऽ सोने का कटोरिया में दूध–भात लेले आवऽ
बबुआ का मुँहवा में घुटुक।"[3]

भोजपुरी संत परम्परा का सूत्र पात्र पहले पहल इसी भोजपुरी प्रदेश में हुआ था और इसका पहला संदेश संत कबीर के माध्यम से इसी भाषा में गूंजा था। काशी के निवासी कबीर ने भारतीय जन जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में जिन क्रांतिकारी विचारों का जनन किया था वे इसी भोजपुरी भाषा में पल्लवित हुए थे। उन्होंने स्वयं यह बोला है कि मेरी बोली पूरबी है :–

बोली हमारी पूर्व की, हमें लखै नहिं कोय।
हमको तो सोई लखै, जो धुर पूरब का होय।।[4]

उनका मंतव्य अपनी भाषा का व्याकरणिक स्वरूप बताना नहीं था लेकिन उनकी भाषा के स्वरूप पर आरम्भिक विचार करने वालों ने इसका तात्पर्य शब्दशः लेते हुए सवाल को उलझा लिया।

विचारदास ने बीजक की भूमिका में लिखा है, इस ग्रंथ में संयुक्त प्रांतीय अवधी भाषा काय बनारस, मिर्जापुर और गोरखपुर आदि जिलों की भाषा का अधिक समावेश है। इनकी भाषा ठेठ प्राचीन पूर्वी है, जिसको सर्वसाधारण हिंदी जानने वाले भी समझ सकते हैं। रेवरेंड अहमदशाह ने भी कहा, 'बनारस, मिर्जापुर और गोरखपुर आदि जिलों के आसपास की बोली है।

उनका बनारस निवास 'पूरबी' से अवधी का अर्थ लेने के पक्ष में हैय किंतु उनकी रचना में बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं का भी पर्याप्त मेल है, यहाँ तक कि मृत्यु के समय मगहर में उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें मैथिली का भी कुछ संसर्ग दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास में कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा है साखी की "भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी–पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं–कहीं पूरबी बोली का भी व्यवहार है।"[5]

भोजपुरी के अल्प परिचित संत कवि रू "संत कबीर द्वारा अपनाए जाने के कारण भोजपुरी का महत्व उनके पीछे और भी बढ़ गया। उनके नाम पर चलाए गए कबीर पंथ का अनुसरण करने वाले लोगों ने उनकी वाणी को आदर की दृष्टि से देखा और उसका अनुसरण किया।"[6]

इस क्रम में धरमदास, धरनीदास, लक्ष्मीनारायण दास, पल्टू दास, दरियादास, बाबा किनाराम, आदि का सोदाहरण उल्लेख हमें डा. कृष्ण देव उपाध्याय द्वारा लिखी गयी पुस्तक भोजपुरी साहित्य के इतिहास में मिलता है।[7]

धर्मदास : संत कबीर के शिष्यों में महात्मा धर्मदास का स्थान सर्व प्रमुख है। कबीर के मुख से मूर्तिपूजा, तीर्थाटन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हो गया, अंत में ये कबीर से सतनाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वे कबीरदास जी के शिष्य थे और उनके पन्द्रह वर्ष बाद तक जीवित रहे। इस कथन से कबीर के साथ इनका सम्बन्ध प्रमाणित होता है। सन् १६२३ ई० मे बेलबेडियर प्रेस, प्रयाग से 'धरमदास जी की शब्दावली' प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक से धरमदास जी की कविता का एक उदाहरण दिया जाता है :

जोगिन होइ के से बन बन ढूढ़ो।

हमरा के विरह बैराग देइ गैलो।[8]

उपयुक्त पद मे क्रियाओ का जो रूप दिखाई पड़ता है वह स्पष्ट ही भोजपुरी का है। इसी प्रकार धरमदास जी की कविता के अन्य उदाहरण भी उपलब्ध होते है।

निःसंदेह धर्मदास एक बहुत योग्य व्यक्ती थे तथा उनके प्रभाव से कबीर पंत को बड़ी सहायता मिली। उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि धर्मदास ने भोजपुरी भाषा में समृद्ध रचना की है। इनके अधिकांश पदों में दार्शनिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ उस देश काल वातावरण के विशेष प्रवृति की बात हुई है।

घरनीदास : भोजपुरी के सन्त कवियों मे बाबा धरनीदास जी का नाम प्रसिद्ध है। ये बिहार–राज्य (प्रान्त) के सारन जिले के माँझी नामक गाँव के निवासी थे। धार्मिक प्रवृत्ति इनकी बचपन से ही थी। अतः ये अपना अधिकाश समय हरि–भजन में ही व्यतीत करते थे।

"राम नाम सुधि आई।

लिखनी अब ना करबि ए भाई।"[9]

अर्थात् मुझे अब राम–नाम का स्मरण हो गया है। अतः मै अब लिखने का काम (मुन्शी का पेशा) नहीं करूंगा।

ये पद उनके संसार से विरक्त होने का भाव दर्शाता है। विरक्त होकर भगवान् के भजन मे ही अपने समय को बिताने लगे थे। इन्होने अपने विरक्त होने का समय 'प्रेम–प्रगास' नामक ग्रन्थ मे सन् १६५६ ई० (१७१३ वि० स०) लिखा है, जिससे पता चलता है कि इनका आविर्भाव–काल सत्रहवी शताब्दी के पूर्वार्ध मे हुआ था। बाबा धरनीदास जी सन्त और कवि दोनो थे। परन्तु कचि की अपेक्षा ये सन्त ही अधिक थे। कविता तो इनके हृदय से निकले हुए भक्तिपूर्ण उद्‌गारों की वाहन–मात्र थी। इन्होने दो ग्रन्थों की रचना की है– (१) 'शब्द प्रकाश' और (२) 'प्रेम प्रगास'। ये दोनो पुस्तकें मॉझी गाँव के पुस्तकालय मे हस्तलिखित रूप में सुरक्षित हैं। 'प्रेम प्रगास' की एक हस्तलिखित प्रति के अनुसार इस ग्रन्थ को लिपिबद्ध करने की समाप्ति सन् १८७३ ई० मे हुई थी। इसे मॉझी के महन्त रामदास जी ने जानकी दासी उर्फ बरता कुँवर के लिए लिखा था। इस पुस्तक की भाषा भोजपुरी है, जो अवधी से मिली–जुली है।10 इसमे 'पयार' छन्द का प्रयोग हुआ है, जो बेंगला मे अधिकता से पाया जाता है। एक उदाहरण लीजिए :

देवता पिता बिनवलों कर जोरी।

सेवा लेब मानि अलप बुधि मोरी।।[11]

सन्त– काव्य साहित्यिक दृष्टि से मले ही कुछ कम मूल्य रखता हो परन्तु सामाजिक दृष्टि। यह साहित्य अत्याधिक मूल्यवान और समृद्ध है। उनकी बानियों ने समाज मे मानकता, सहिष्णुता, एवं बन्धुत्व की एक ऐसी धारा प्रवाहित की है जो भिर एव शाश्वत है तथा अविछिन्न, अविरल पीयूष–धारा के रूप में मानव को जीवन वायिनी शक्ति प्रदान कर रही है। पथ प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक तरफ तो जनता में प्रचलित धूर्तताओं, अध–विश्वासों और मूर्खताओं का मडाफोड़ करना पड़ता है और दूसरी तरफ समन्वय का मार्ग अपनाना पड़ता है। सन्त कवियों ने भी यही किया।

सन्दर्भ ग्रंथ :

1. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
2. njesrhttps://www.njesr.comPDF हिंदी संत कवियों की परंपरा एवं विकास।
3. रसिक बिहारी (सम्पादक), साक्षात्कार : भोजपुरी साहित्यकार, जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद, बिहार, 1973, पृष्ठ सं –15
4. हजारी प्रसाद द्विवेदी– कबीर, पृष्ठ सं 273
5. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, पृष्ठ सं 247
6. डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय, भोजपुरी साहित्य का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, 1953, पृष्ठ सं 45
7. वही।
8. धर्मदास जी की शब्दावली, पृष्ठ सं– 630
9. डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय, भोजपुरी और उसका साहित्यक, सरस्वती सलाहकार, 1953, पृष्ठ सं 46
10. वही, पृष्ठ सं–46
11. वही, पृष्ठ सं – 48

अन्य सहायक ग्रंथ :

1. भारतीय साहित्य की संस्कृतिक रेखाएं – परशुराम चतुर्वेदी।
2. भोजपुरी के कवि और काव्य – दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह।
3. उत्तरी भारत की संत परम्परा– परशुराम चतुर्वेदी।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 219-223

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण : स्मृति ग्रन्थों के परिप्रेक्ष्य में

श्री आशीष आर्य
सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,
माँ शाकम्भरी विश्वविद्यालय, पुंवारका, सहारनपुर।

सारांश :–

मानव जीवन को समग्र रुप से विकसित, सुव्यवस्थित एवं आचरणवान् और गतिमान करने की भावना से प्रेरित होकर तथा समाज में व्याप्त मात्स्यन्याय (छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों द्वारा निगल जाना), शोषण, प्रपीडन, अनाचार– दुराचार आदि अव्यवस्था से विरत करने के निमित्त प्राचीन भारतीय विचारकों ने मनुष्य के सर्वांगीण विकास तथा चतुर्दिक उत्थान के लिये चिरकाल तक ऊहापोह और विचार–मंथन के पश्चात् व्यवहार पद्धति (न्याय व्यवस्था) के सिद्धान्तों की एक सुव्यवस्था प्रस्तुत की थी। मानव मन के विकारों विशेषकर काम–क्रोध–लोभ–द्रोह–मोह–द्वेष आदि के परिणामस्वरुप समाज में व्याप्त शोषण, प्रपीडन आदि विभिन्न प्रकार के पापाचारों, अपराधों और कुंठाओं के निवारणार्थ स्मृतिकारों ने व्यवहार–पद्धति के अति निर्मल व्यवस्थित स्वरुप को स्थापित किया था। श्रेष्ठ जनों के हित साधन तथा दुर्जनों की दुर्जनता के निवारण के लिए स्मृतिकालीन व्यवहार–पद्धति का व्यापक रूप से विस्तार भी हुआ था। उस समय व्यवहार–पद्धति की उपेक्षा को अमंगल एवं आपदाओं का हेतु माना जाता था। यह विषय वैदिक–उत्तर वैदिक साहित्य, विशेषतः मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि में प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्थाओं, न्याय सिद्धांतों और स्त्री–शूद्र सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को आधुनिक सामाजिक न्याय की अवधारणा से जोड़ता है।

भारतीय संस्कृति के मूल में '**सर्वे भवन्तु सुखिनः**' की भावना निहित है। सामाजिक न्याय और समानता का विचार केवल आधुनिक संविधानिक मूल्य नहीं है, बल्कि इसका उद्‌गम वैदिक और स्मृतिग्रन्थों में विद्यमान है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा नारदस्मृति जैसे ग्रन्थों में समाज के प्रत्येक वर्ग के अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों का उल्लेख मिलता है। यह शोध पत्र स्मृतिग्रन्थों में वर्णित सामाजिक न्याय की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए समानता और सशक्तिकरण के सिद्धान्तों को आधुनिक दृष्टि से स्पष्ट करता है। भारत का सामाजिक ढाँचा प्राचीन काल से ही धर्माधारित रहा है। धर्म का अर्थ केवल पूजा या अनुष्ठान न होकर समाज में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार है। स्मृतिग्रन्थों 'विशेषकर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति' में समाज के सभी वर्गों के प्रति कर्तव्य, आचरण और व्यवहार की स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। इन ग्रन्थों में सामाजिक न्याय

की स्थापना हेतु 'स्वधर्मपालन' और 'समता' की भावना प्रमुख है। मनुस्मृति में कहा गया है – "**धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।**"[1] अर्थात् धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा संरक्षित होता है। यहाँ 'धर्म' का अर्थ न्याय से है। अतः सामाजिक न्याय धर्म की रक्षा का अनिवार्य अंग है। याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है – "**सर्वे वर्णाः समानार्थाः सर्वे वर्णा महायशाः।**"[2] अर्थात् सभी वर्ण समान उद्देश्य रखते हैं और सभी में महानता की संभावना है। यह श्लोक सामाजिक समानता की भावना को प्रकट करता है।

समानता का दृष्टिकोण :–

यद्यपि प्राचीन काल में वर्णाश्रम व्यवस्था थी, परंतु उसका मूल उद्देश्य 'कर्माधारित' था न कि 'जन्माधारित'। स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने कर्म से ऊँचा या नीचा बनता है – "**न जात्या ब्राह्मणो भवति कर्मणैव तु ब्राह्मणः।**"[3] यह कथन सामाजिक समानता और अवसर की समता का संकेत देता है।

सशक्तिकरण का भाव :–

स्मृति ग्रन्थों में स्त्री और दुर्बल वर्गों के संरक्षण और अधिकारों की भी चर्चा है। मनुस्मृति में कहा गया है– "**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।**"[4] अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यह श्लोक स्त्री सशक्तिकरण के आदर्श को दर्शाता है। याज्ञवल्क्यस्मृति में '**दीनहीनजनानां परिपालनम्**'[5] को राजा का कर्तव्य बताया गया है – जो सामाजिक सशक्तिकरण की सर्वोच्च भावना है।

स्मृतिग्रन्थ और आधुनिक सामाजिक न्याय :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 में समानता और न्याय के जो सिद्धान्त निहित हैं, उनका मूल स्रोत प्राचीन स्मृतिग्रन्थ ही हैं।[6] डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय मनुस्मृति की आलोचना करते हुए भी उसकी न्यायिक संरचना के अनेक तत्वों को समझा और आधुनिक न्याय व्यवस्था को आकार दिया।[7]

1. **सामाजिक न्याय –**

सामाजिक न्याय का अर्थ है– समाज में सभी व्यक्तियों को न्यायपूर्ण, भेदभाव–रहित तथा समान अवसरों वाला वातावरण प्रदान करना। इसमें जाति, लिंग, धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना शामिल है।

मुख्य बिंदु – संसाधनों का समान वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बराबरी का अवसर, कमजोर वर्गों की सुरक्षा, भेदभाव, अत्याचार और शोषण का उन्मूलन आदि शामिल है।

2. **समानता –**

समानता का अर्थ है– समाज में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना जाए और किसी के साथ किसी भी आधार पर असमान व्यवहार न किया जाए।

समानता के प्रकार – राजनीतिक समानता : मतदान – चुनाव लड़ने का समान अधिकार, सामाजिक समानता : जाति–लिंग आधारित भेदभाव रहित समाज, आर्थिक समानता : आय और अवसरों में असमानता कम करना कानूनी समानता : सभी पर समान कानून।

3. **सशक्तिकरण –**

सशक्तिकरण का अर्थ है– व्यक्ति या समुदाय को ऐसी शक्ति, संसाधन, ज्ञान और अवसर प्रदान करना

जिससे वे स्वयं निर्णय लेकर आत्मनिर्भर और सक्षम बन सकें।

सशक्तिकरण के रूप – शैक्षिक सशक्तिकरण : शिक्षा से जागरूकता, आर्थिक सशक्तिकरण : रोजगार/आय के साधन, राजनीतिक सशक्तिकरण : निर्णय–निर्माण में भागीदारी, सामाजिक सशक्तिकरण : सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्ति।

सामाजिक न्याय :

भारतीय धर्म साहित्य की परम्परा में स्मृति–ग्रंथों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। इन ग्रंथों में समाज, राज्य, न्याय, दण्ड, धर्म और सामाजिक आचार–व्यवहार के स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। यह शोध–पत्र सामाजिक न्याय की अवधारणा को विशेष रूप से मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति और नारदस्मृति के आधार पर स्पष्ट करता है। साथ ही यह भी परीक्षण किया गया है कि ये ग्रंथ आज के आधुनिक 'सामाजिक न्याय' 'समानता, मानवाधिकार और समता' के साथ कहाँ मेल खाते हैं और कहाँ आलोच्य हैं। सामाजिक न्याय आधुनिक समाज में समान अवसर, समता, गरिमा और अधिकारों की सुरक्षा का मूल सिद्धान्त है। भारतीय परम्परा में 'धर्म' के अंतर्गत शील, आचार, व्यवहार तथा न्याय का विस्तृत विधान मिलता है। विशेषतः स्मृति–ग्रंथ 'जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, पराशर–स्मृति' सामाजिक व्यवस्था के नियामक ग्रंथ रहे हैं। इन ग्रंथों का सामाजिक–न्याय के संदर्भ में अध्ययन आवश्यक है क्योंकि ये भारतीय समाज की प्राचीन संवैधानिक मानसिकता को प्रकट करते हैं।

2. सामाजिक न्याय की पारंपरिक अवधारणा –

भारतीय परम्परा में 'न्याय' का सम्बन्ध धर्म, दण्ड, दया और कर्तव्य से जोड़ा गया है। स्मृति–ग्रंथों में सामाजिक न्याय मुख्यतः निम्न आधारों पर टिका हुआ है –

1. धर्मानुसार आचार।
2. वर्ण व्यवस्था के अनुरूप कर्तव्य।
3. राजा द्वारा निष्पक्ष दण्ड–विधान।
4. स्त्री, वयस्क, बालक एवं निर्बल वर्गों की न्यूनतम सुरक्षा।

मनुस्मृति में राजा को यह निर्देश है कि वह "सब वर्णों और आश्रमों का समान रूप से संरक्षण करे।"[8] यह सामाजिक सुरक्षा का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है।

स्मृति ग्रन्थों में स्त्रियों के अधिकार, मनुस्मृति कहती है–

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।"[9] अर्थात जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यद्यपि मनुस्मृति के कुछ श्लोक स्त्रियों पर सीमाएँ भी लगाते हैं, परंतु सामाजिक गरिमा का विधान स्पष्ट है।

न्याय एवं दण्ड –

मनुस्मृति में समान अपराध के लिए समान दण्ड का सिद्धान्त मिलता है।[10] यह आधुनिक न्याय–संकल्पनाओं से मेल खाता है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में सामाजिक न्याय –

न्यायपालिका की संरचना – याज्ञवल्क्यस्मृति में न्यायाधीश, सभा, तथा न्याय के 18 विषय को स्पष्ट करती है।[11] यह भारतीय न्याय–विधान का सबसे व्यवस्थित रूप माना जाता है।

राज्य की उत्तरदायित्व-भावना– याज्ञवल्क्यस्मृति में राजा का प्रमुख धर्म है– **"प्रजासुखे सुखं राज्ञः"**[12] अर्थात प्रजाओं के सुख में ही राजा का सुख है। यह आधुनिक 'वेलफेयर स्टेट' (कल्याणकारी राज्य) की अवधारणा से समानता दर्शाता है।

स्त्रियों के संपत्ति-अधिकार –

याज्ञवल्क्यस्मृति में स्त्रीधन, विधवा–अधिकार, तथा वैध उत्तराधिकार की स्पष्ट व्यवस्था है। नारदस्मृति में न्याय–व्यवस्था और मानव–अधिकार नारदस्मृति प्राचीन भारत की सिविल लॉ का प्रमुख ग्रंथ है। यह साक्ष्य, लेन–देन, उपहार, चोरी, धोखा आदि पर विस्तृत न्यायिक दिशानिर्देश देता है। नारदस्मृति में निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धान्त – नारदस्मृति **"एकपक्षश्रुतिर्न्याय्यो न भवति"**[13] अर्थ : केवल एक पक्ष की सुनी गई बात न्याय नहीं होती। यह आधुनिक "Natural Justice – Audi Alteram Partem" का सटीक रूप है।

समानता के सिद्धान्त –

स्मृति–ग्रंथों में वर्ण–आधारित विभाजन होने से यह आधुनिक समानता–सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है। परंतु न्याय के मामले में 'दण्ड, शुचिता, साक्ष्य' ये ग्रंथ प्रगतिशील हैं।

सामाजिक सुरक्षा –

सभी स्मृतियों में गरीब, अनाथ, स्त्रियों, वृद्धों और निर्बलों की रक्षण–व्यवस्था बताई गई है।

यह आधुनिक सामाजिक–न्याय के ॅमसंतिम डमेंनतमे से मेल खाती है।

निष्कर्ष –

स्मृति–ग्रंथों की दृष्टि से सामाजिक न्याय का आधार धर्म, दण्ड, समान संरक्षण, स्त्री–गरिमा, और सामाजिक कर्तव्य है। यद्यपि वर्ण–आधारित व्यवस्था आधुनिक न्याय–मूल्यों से भिन्न है, फिर भी न्याय, साक्ष्य, निष्पक्षता और सामाजिक सुरक्षा के अनेक सिद्धान्त आधुनिक संविधान और न्याय–व्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इस प्रकार स्मृति–ग्रंथ भारतीय सामाजिक–न्याय की ऐतिहासिक चेतना को समझने का महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। स्मृतिग्रन्थों में सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण का विचार स्पष्ट रूप से विद्यमान है। यद्यपि समय के साथ सामाजिक ढाँचा परिवर्तित हुआ है, तथापि धर्म, न्याय और समानता की भावना आज भी प्रासंगिक है। यदि स्मृतिग्रन्थों की मूल भावना 'सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय' को समझा जाए, तो आधुनिक भारत में भी न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना संभव है।

सन्दर्भ –

1. मनुस्मृति, अध्याय 8, श्लोक 59 संपादक : गौरीनाथ शास्त्री, चौखंबा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।
2. याज्ञवल्क्यस्मृति 1/360 टीका : मिताक्षरा, पं. हरिहर शर्मा, चौखंबा ओरिएंटल, वाराणसी।
3. मनुस्मृति 12/94 संपादक : गौरीनाथ शास्त्री, चौखंबा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।
4. मनुस्मृति 3/56 संपादक : गौरीनाथ शास्त्री, चौखंबा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।
5. याज्ञवल्क्यस्मृति 1/85 टीका : मिताक्षरा, पं. हरिहर शर्मा, चौखंबा ओरिएंटल, वाराणसी।
6. अग्रवाल, एस. के. (2018). इण्डियन सोशल जस्टिस : एनिसेन्ट टू माडर्न. नई दिल्ली : एनसीईआरटी प्रकाशन।

7. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (1948). दा अनटचेबल्स एण्ड दा ला मुंबई : गवर्मेन्ट प्रेस।
8. मनुस्मृति 8.15 संपादक : गौरीनाथ शास्त्री, चौखंबा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।
9. मनुस्मृति 3.56 संपादक : जी. बुहलर, सक्रेड बूक्स आफ दा इस्ट सीरिज।
10. मनुस्मृति 8.304 संपादक : जी. बुहलर संपादक : जी. बुहलर, सक्रेड बूक्स आफ दा इस्ट सीरिज।
11. याज्ञवल्क्यस्मृति 2.1–2.4 कृष्णद्वैपायन संस्करण, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।
12. याज्ञवल्क्यस्मृति 1.342 कृष्णद्वैपायन संस्करण, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।
13. नारदस्मृति 1.5.36

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha **ISSN : 2395-7115**
June 2026 **Page No. : 224-237**

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

वैदिक साहित्य में रुद्र देवता : साहित्यिक पुनरावलोकन

डॉ. चन्द्रशेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी
डॉ. विजय कुमार पाण्डेय, पूर्व शोध छात्र,
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सारांश :–

वैदिक साहित्य में रुद्र एक अत्यंत प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण देवता हैं, जिनका स्वरूप बहुआयामी और विरोधाभासी विशेषताओं से युक्त है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र का वर्णन एक ओर संहारक, उग्र, भयानक और रोगों के प्रेरक देवता के रूप में मिलता है, तो दूसरी ओर वे रोगों का निवारण करने वाले, औषधियों के स्वामी, पशुओं के रक्षक, कल्याणकारी तथा जीवनदाता के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। वैदिक ऋषियों ने रुद्र के उग्र स्वरूप को शांत करने के लिए अनेक स्तुतियाँ की हैं, जिनमें उनसे मानव, पशु और समस्त प्राणियों की रक्षा तथा आरोग्य की कामना की गई है। विशेषतः ऋग्वेद के रुद्र सूक्त (2.33) और यजुर्वेद के शतरुद्रीय में रुद्र की व्यापक सत्ता, उनकी सर्वव्यापकता तथा विश्व के प्रत्येक रूप में उनकी उपस्थिति का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। रुद्र का संबंध प्राकृतिक शक्तियों, विशेषकर वायु, तूफान, वर्षा, पर्वतों और वनों से भी जोड़ा गया है। वे मरुतों के पिता अथवा अधिपति माने गए हैं और प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति के प्रतीक हैं। वैदिक साहित्य में उनके अनेक विशेषण जैसे– भव, शर्व, पशुपति, त्रयम्बकं, नीलग्रीव, शितिकण्ठ आदि उनके विकसित होते व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। अथर्ववेद और यजुर्वेद में रुद्र का स्वरूप और अधिक व्यापक तथा दार्शनिक बनता है, जहाँ वे समस्त सृष्टि में व्याप्त परमदैविक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों में रुद्र का स्वरूप क्रमशः शिव की अवधारणा में विकसित होता दिखाई देता है। विशेषतः श्वेताश्वतर उपनिषद् में रुद्र को परमब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वैदिक रुद्र ही आगे चलकर पुराणों के महादेव शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अतः वैदिक साहित्य का अध्ययन यह सिद्ध करता है कि रुद्र केवल भय और संहार के देवता नहीं थे, बल्कि वे संरक्षण, स्वास्थ्य, करुणा, प्रकृति और सार्वभौमिक सत्ता के भी प्रतीक थे। वैदिक ग्रंथों में निहित रुद्र की यह बहुआयामी अवधारणा भारतीय धार्मिक, दार्शनिक तथा सांस्कृतिक परंपरा में शिव–तत्त्व के विकास का आधार बनी और आगे चलकर शैव धर्म की वैचारिक नींव के रूप में स्थापित हुई।

कुंजी शब्द :– वैदिक साहित्य, रूद्र, पशुपति, शिव, वैदिक देवता।

प्रस्तावना :–

प्राचीन भारतीय परम्परा एवं लोक मान्यताओं में रूद्र देव को वैदिक देवता माना गया है। लेकिन शनैः शनैः उनके स्वरूप में परिवर्तन होता गया और वे पौराणिक शिव के रूप में सृष्टि के सृजनकर्ता के साथ–साथ पालनकर्ता भी मान लिए गये। जिसके फलस्वरूप वे समाज में सर्वोच्च देव के रूप में प्रतिष्ठापित हो गये। न केवल पुराण एवं आगम ग्रन्थों अपितु अभिलेखों से भी उनकी महत्ता का पता चलता है। हिन्दू देव परिवार में शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी पूजा प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतवर्ष के प्रत्येक नगर, ग्राम, पर्वत तथा अरण्य आदि स्थानों में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती रही है। दूसरे शब्दों में यदि हम यह कहें कि वे भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा हर वर्ग के लोगों द्वारा की जाती है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

भारतवर्ष में शिव पूजा हड़प्पा सभ्यता के समय से ही चली आ रही है। मोहनजोदड़ों से प्राप्त सेलखड़ी की मोहर पर एक पुरुष देवता की आकृति उत्कीर्ण है, जिसे वृषभ श्रृंग मुकुट पहने एक पीठिका पर योगासन में बैठे हुए दर्शाया गया है। द्विभुजी देवता के दोनों हाथ कलाई से कन्धे तक चूड़ियों से भरे हैं और सामने की ओर सीधे दोनों घुटनों पर रखे हैं। साथ ही त्रिमुखी देवता को अनेक हारों से सुशोभित दर्शाया गया है। देवता के दाहिनी ओर हाथी एवं बाघ, बायीं ओर गैंडा एवं भैंसा तथा पीठिका के नीचे दो मृगों को बैठे हुए प्रदर्शित किया गया है। देवता के ऊपर छः अक्षर अंकित हैं। जॉन मार्शल ने इस मोहर पर अंकित प्रतीकों का बड़ा ही सटीक विवेचन किया है। उनके अनुसार इस मोहर में देवता को त्रिमुख दिखाया जाना ऐतिहासिक काल की शिव मूर्तियों का स्मरण कराता है। जिसमें शिव को त्रिमुखी, चतुर्मुखी अथवा पंचमुखी दर्शाया गया है। एलिफेण्टा की महेश मूर्ति इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। साथ ही देवता को योगासन में दिखाया जाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक काल में देवताओं में मुख्यतया शिव ही योगी के रूप में विख्यात हैं। शिव योगीश्वर होने के साथ–साथ पशुपति भी कहे जाते हैं। वैदिक साहित्य में रुद्र को वन्य तथा पालतू पशुओं का संरक्षक कहा गया है। इसी कारण शिव के चारों तरफ पशुओं का अंकन मिलता है। श्रृंग का भी शिव के साथ सम्बन्ध है। महाभारत में शिव को त्रिशृंग शीर्ष कहा गया है। बंगाल से प्राप्त शिव की कुछ मूर्तियों में उनके एक हाथ में श्रृंग का एक वाद्ययंत्र दिखाया गया है। मार्शल के अनुसार सम्भवतः इसी श्रृंग के अभिप्राय को परवर्ती काल में शिव के त्रिशूल का रूप दे दिया गया। इसी मोहर पर पीठिका के नीचे मृग का अंकन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मध्यकालीन योग–दक्षिणा मूर्तियों में शिव के साथ मृग का अंकन देखनेसे बनी हुई धर्म और विज्ञान की खाई को पाटने का कार्य किया, जिसके कारण धर्म और विज्ञान एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे, महर्षि जी ने कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, अपितु पूरक हैं, धर्म के बिना विज्ञान अन्धा है, दृष्टिहीन है तथा विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है, पंगु है। यदि हमें मानवसमाज को सभी प्रकार से समृद्ध और हर्षित करना है तो उसमें धर्म और विज्ञान दोनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखना होगा और सनातन धर्म ही ऐसा वैज्ञानिक धर्म है जो प्रत्येक काल में व्यावहारिक और प्रासंगिक रहा है, सनातन धर्म की प्रासंगिकता उसकी वैज्ञानिक विचारधारा ही है। वेद में विज्ञान की अनेक धाराओं का वर्णन भी महर्षि को मिलता है। इन विशेषताओं के आधार पर 'जॉन मार्शल' ने इस देवता को ऐतिहासिक काल के शिव–पशुपति का प्राक् रूप माना है। इसके अतिरिक्त इस देवता से मिलती–जुलती इस स्वरूप की तीन अन्य मोहरें भी मोहनजोदड़ों से प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर एक

देवता को वृषभ के साथ खड़े हुए और सिर पर त्रिशूल जैसे मुकुट को धारण किये हुए प्रदर्शित किया गया है। इस देवता को भी शिव का आदि रूप माना जाता है।

वैदिक संहिताओं में रूद्र देवता :-

ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र का वर्णन एक ओर संहारक, उग्र, भयानक और रोगों के प्रेरक देवता के रूप में मिलता है, तो दूसरी ओर वे रोगों का निवारण करने वाले, औषधियों के स्वामी, पशुओं के रक्षक, कल्याणकारी तथा जीवनदाता के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। वैदिक ग्रन्थों में शिव के दो रूप बताये गए हैं, ये हैं– घोर (रुद्र) एवं अघोर (शिव)। इसमें शिव का घोर रूप उनकी उग्रता, तीक्ष्णता, भयंकरता, संहार और प्रलय का प्रतीक है। लेकिन उनका यह घोर रूप जब हानि पहुँचाने वाले व्याधिजनक जीव–जन्तुओं, कृमि–कीटों तथा अन्य जीवाणुओं के प्रति प्रकट होता है, तो वह उनका शिव अर्थात् कल्याणकारी रूप कहलाता है। वैदिक ग्रन्थों में इस शब्द की व्याख्या अनेक रूपों में की गयी है। 'ऋग्वेद' के अनुसार रुत् का अर्थ है दुःख अथवा पाप और जो उसका नाश करता है वह रुद्र कहलाता है। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि जो ज्वर आदि रोगों को भेजकर प्राणियों का संहार करता है वह रुद्र कहलाता है। 'अथर्ववेद' के अनुसार जो अन्त काल में सबको रुलाता है वह रुद्र कहलाता है। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि जो शत्रुओं को रुलाता है वह रुद्र कहलाता है। 'तैत्तिरीय संहिता' के अनुसार रुदन करने के कारण इनका नाम रुद्र पड़ा। अन्यत्र तैत्तिरीय संहिता के अनुसार दुःख के मूल कारण पाप का नाश करने के कारण इसे रुद्र कहा गया है। 'शतपथ ब्राह्मण' के अनुसार जब मृत्युकाल आने पर शरीर से प्राण निकलते हैं तो वे सम्बन्धी जनों को रुलाते हैं। अतः रोदन का हेतु होने के कारण इन्हें रुद्र कहा जाता है। यास्क इस शब्द की उत्पत्ति 'रु' अर्थात् रुद् धातु से मानते हैं जिसका अर्थ है भीषण गर्जना करने वाला, गर्जना करते हुए दौड़ने वाला या रुदन करने वाला। महाभारत के अनुसार 'रु' अर्थात् दुःख को दूर करने के कारण वे रुद्र कहलाते हैं। वायवीय संहिता के अनुसार रुत् अर्थात् रुलाने वाले दुःख का नाश करने के कारण इन्हें रुद्र कहा गया है।

वैदिक ग्रन्थों में हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद से रुद्र के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ऋग्वेद के केवल तीन सूक्त ही पूर्ण रूप से रुद्र से सम्बन्धित हैं। ये हैं प्रथम मण्डल का 114वाँ सूक्त, द्वितीय मण्डल का 33वाँ सूक्त और सातवें मण्डल का 46वाँ सूक्त। साथ ही ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 43वें सूक्त के प्रथम छह मन्त्र भी रुद्र की स्तुति से सम्बन्धित हैं। एक अन्य सूक्त में भी सोम के साथ रुद्र का स्तवन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य देवताओं की स्तुति में जो सूक्त मिलते हैं उनमें भी कहीं–कहीं पर रुद्र का उल्लेख मिलता है। इन सूक्तों में रुद्र की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे सुदृढ़ अंगों वाले हैं। इनका रंग बभ्रु (भूरा) है। इनके होंठ सुन्दर हैं। इनके बाल पूषा की भाँति घुंघराले हैं। इनका आकार आँखों को चौंधिया देने वाला है और इनके अनेक रूप हैं। वे सूर्य की भाँति दीप्तिमान एवं सुवर्ण की भाँति चमकते हैं। वे स्वर्णिम आभूषणों से सुशोभित हैं तथा भाँति–भाँति के रूपों वाला निष्क पहनते हैं। वे रथ पर बैठते हैं। वे युवा और भयंकर सिंह के समान घातक हैं। वे अपने हाथ में वज्ज धारण करते हैं, वे सम्पूर्ण भुवन के पिता हैं, इनसे बढ़कर तेजस्वी कोई दूसरा नहीं है। जैसे पुत्र पिता के सम्मुख विनम्र होकर उनकी वन्दना करते हैं, वैसे ही हम लोग रुद्र को नमस्कार करते हैं।'

शारीरिक विशेषताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद में इनके विनाशक एवं संहारक स्वरूप के साथ–साथ

कल्याणकारी स्वरूप का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार वे आकाश से चमकने वाली बिजली और वर्षा के देवता हैं। वे अपने हाथों में धनुष और बाण धारण करते हैं जो स्थिर एवं तीव्र गति वाले होते हैं। इन्हीं मंत्रों में उनसे प्रार्थना की गई है कि क्रोध आने पर भी वे अपनी विद्युत को लौटा लें और अपने उपासकों, उनकी सन्तति तथा गौओं को क्षति न पहुँचाएँ। 'एक मन्त्र' में ऋषि विद्युत से अपने पुत्रादिकों को बचाने के लिए रुद्र की प्रार्थना करता है। आर० जी० भण्डारकर के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश से गिरने वाली विद्युत की विनाशकारी शक्ति को ध्यान में रखकर यह कथन व्यक्त किया गया है। अन्यत्र ऋग्वेद' में रुद्र से अपने वृद्ध व्यक्तियों, छोटे बच्चों, युवा पुरूषों, गर्भस्थ सन्तति, माता–पिता, पुत्र–पौत्र तथा अश्व एवं गौ आदि पशुओं को नष्ट न करने की प्रार्थना की गई है। ऐसी स्थिति में रुद्र को पशुओं का रक्षक अथवा पशुपति कहकर भी सम्बोधित किया गया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में प्रार्थना की गयी है कि हे रुद्र! हमारा वध मत करो, हमारा परित्याग भी मत करो, क्रुद्ध होकर हमें बन्धन में भी मत बांधो। हमारे बर्हिष पर निवास करो और कल्याणपूर्वक हमारा पालन करो। ऋग्वेद में दूसरे स्थान पर ऋषि कहता है कि रुद्र की शक्ति हम लोगों को छोड़ दे और उसकी विनाश करने वाली दुर्बुद्धि हमारे अन्दर उत्पन्न न हो। इससे स्पष्ट होता है कि वे क्रुद्ध होने पर पशुओं के साथ–साथ मनुष्य को भी क्षति पहुँचाते थे, लेकिन स्तुति करने पर प्रसन्न होकर उनका कल्याण भी करते थे। यही कारण है कि ऋग्वेद में इनके दूसरे पक्ष का भी विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें इन्हें अत्यन्त कृपालु, मेधावी, बुद्धिमान, कल्याणमय तथा श्रेष्ठ वैद्य कहा गया है।

ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि वे अपनी जल धाराओं को पृथिवी पर प्रवाहित करते हैं और गर्जन करते हुए सभी वस्तुओं को आर्द्र करते हैं। दूसरे स्थान पर इन्हें देवों के क्रोध और उनके द्वारा उत्पन्न संकटों का निवारण करने वाला भी कहा गया है। केवल विपत्तियों से रक्षा के लिए ही नहीं, वरन् समृद्धि प्रदान करने के लिए तथा मनुष्यों और पशुओं के कल्याण के लिए भी इसका आह्वान करने का उल्लेख मिलता है।' एक मन्त्र में रुद्र को दुष्टों, हिंसकों तथा रोगाणुओं का विनाश कर समग्र प्राणियों का पालन करने वाला बताया गया है। वेदों में जहाँ रुद्र को ज्वरादि रोगों को उत्पन्न करने वाला माना गया है वहीं उनका शमन करने वाला भी कहा गया है, इसलिए वेदों में अनेक स्थलों पर रुद्र को भिषक भी कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर रुद्र को वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहा गया है। संसार की सभी औषधियों पर उनका अधिकार है। वे विविध प्रकार की औषधियों के प्रयोग द्वारा अपने उपासकों, उनके परिवारों तथा उनके पशुओं को व्याधियों से दूर रखते हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा प्रदत्त शान्तिप्रद एवं कल्याणकारी औषधियों के प्रयोग द्वारा मनुष्य सौ वर्षों तक जीवित रह सकता है। उनकी कृपा से न केवल विषूची (चेचक) आदि रोग और उसके कीटाणु ही मनुष्य से दूर रहते हैं अपितु पाप और शत्रु भी उसके पास नहीं फटकते। वे प्रचेतस (उत्कृष्ट ज्ञानी), तव्यश (अत्यन्त बलवान), शंतमं (शांति प्रदान करने वाले), बनवे (भरण–पोषण करने वाले), वृषभाय (सुख–शांति की वर्षा करने वाले), शुक्रेभिः (शुद्ध एवं तेजस्वी), अभ्वं (महान), उपहत्नु (शत्रु का संहार करने वाले), क्षयद्वीर (वीरों के वीर), कपर्दी (जटाजूटधारी), अषाढ़ (अजेय), महाभिषेक, मीढ़वस (सुखप्रदाता), हविरद् (यज्ञीय भेंट प्राप्त करने वाले), जग्मि (तीव्र), स्वयशस (गौरवशाली), अरंगम (कल्याणकारी), पुष्टि, दुःखापंनयन और स्वास्थ्य के प्रदाता हैं। वे प्रजाओं को आरोग्य प्रदान करते हैं और उनकी दैवी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। वे शर्म (क्षेम), वर्ग (सुरक्षा) और छर्दि (शरण) प्रदान करते हैं।'

ऋग्वेद में रुद्र के लिए 'वृषभ' शब्द का भी प्रयोग किया गया है।' इस शब्द का अर्थ साधारणतया बैल या सांड से लिया जाता है और संस्कृत साहित्य में भी इसका यही अर्थ है। परन्तु ऋग्वेद के जिन प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इसका शाब्दिक अर्थ ही प्रचलन में था। 'वृष' धातु से बने इस शब्द के दो अर्थ हैं, एक वर्षा करने वाला और दूसरा अत्यधिक प्रजनन शक्ति रखने वाला अर्थात् पुरुषत्त्वपूर्वा या बलिष्ठ। वास्तव में ये दोनों ही अर्थ रुद्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। पहले अर्थ में इसका संकेत उस वर्षा की ओर है जो रुद्र करते हैं और दूसरे अर्थ में उर्ध्वरता की ओर है जो रुद्र के द्वारा ही सम्भव होती है। इस दूसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बैल के लिए भी हुआ है जो अपने बल एवं प्रजनन शक्ति के लिए विख्यात है। लेकिन धीरे–धीरे यह शब्द उनका एक साधारण नाम ही बन गया।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि रुद्र के स्वरूप में अनेक ऐसी बातें हैं जो परस्पर विरोधी हैं। उदाहरण के लिए जब रुद्र का व्याधिजनक एवं संहारकारी रूप मनुष्यों एवं पशुओं के प्रति प्रकट होता है तो वह घोर है लेकिन जब वही रौद्र रूप मनुष्यों के प्रति प्रकट न होकर हिंसक प्राणियों, व्याधिजनक कृमि कीटों तथा चोर एवं डकेतों के प्रति प्रकट होता है तो वह शिव कहलाता है। इस प्रकार व्याधिजनक कृमि कीटों को नष्ट करने एवं उनका शमन करने के कारण वे भिषक भी कहलाते हैं। यही कारण है कि रुद्र के स्वरूप की कोई भी स्पष्ट व्याख्या नहीं हो सकती है। विभिन्न विद्वानों ने अपने–अपने ढंग से उनके स्वरूप की व्याख्या की है।

ए० ए० मैकडौनेल के अनुसार ऋग्वेद में उपलब्ध प्रमाण यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि वास्तव में किस भौतिक आधार से रुद्र का सम्बन्ध था। रुद्र को सामान्यतया एक झंझावात का देवता माना गया है, किन्तु इसका क्षेप्यास्त्र दुर्भावनापूर्ण रूप में प्रयुक्त होता है। जबकि इसके विपरीत इन्द्र का अस्त्र केवल उनके उपासकों के शत्रुओं पर ही लक्षित होता है। अतः यह प्रतीत होता है कि मूलतः रुद्र साधारण और विशुद्ध रूप से झंझावात के नहीं, वरन् विद्युत के माध्यम से उसके हानिकारक पक्ष का भी प्रतिनिधित्व करते थे। इसी तथ्य द्वारा इनके घातक बाणों और झंझावात के देवता उन मरुद्–गणों के प्रधान अथवा पिता होने का समाधान होता है जो विद्युत शस्त्रधारी हैं और जिन्हें विद्युत की हँसी से उत्पन्न कहा गया है। इनकी उपकारी एवं उपशामक शक्तियाँ झंझावात के उर्वरीकरण तथा शुद्धीकरण की क्रिया पर और अंशतः ऐसे लोगों के छोड़ देने के अप्रत्यक्ष व्यवहार पर आधारित है जिनका यह वध कर सकते हैं। इस प्रकार क्रोध निवारिणी स्तुतियों ने ही इनके लिए कल्याणकारी (शिव) उपाधि को जन्म दिया, जो कि वैदिकोत्तर साहित्य में रुद्र के ऐतिहासिक उत्तराधिकारी का नियमित नाम बन गया। साथ ही उनका कथन है कि ऋग्वेद में रुद्र की गणना एक सहायक देव के रूप में की गयी है। यही कारण है कि ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से केवल तीन सूक्त ही रुद्र से सम्बन्धित है। जे० गोण्डा के अनुसार सम्पूर्ण ऋग्वेद में केवल 75 बार ही रुद्र शब्द आया है जो इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद के समय तक रुद्र की गणना महत्वपूर्ण देवता के रूप में नहीं की जाती थी।

मैक्स वेबर' के अनुसार प्राचीन काल में यह देव विशेषतः झंझावात के भीषण रव का प्रतिरूप था, किन्तु अग्नि का रव भी इसी के समान था। फलतः झंझावात और अग्नि दोनों के संयोग से क्रोध और संहार के इस देवता का जन्म हुआ और इसकी उपाधि 'शतरुद्रिय' हो गयी। एच० एच० विल्सन ने रुद्र को अग्नि अथवा इन्द्र का ही एक रूप माना है। एल० वी० श्रेडर के अनुसार रुद्र मूलतः उन प्रेतात्माओं के प्रमुख थे जो वायु के साथ

मिलकर तूफान उत्पन्न करती है। प्रो० कीथ ने रुद्र को झंझावात के विनाशकारी रूप का ही प्रतीक माना है, उसके हितकारी रूप का नहीं। जबकि ओल्डेनबर्ग का विचार है कि रुद्र मूलतः पर्वत और अरण्य के देवता थे, जहाँ से आकर व्याधियों के बाण मानव समाज पर आक्रमण करते थे। विद्वान जे० म्यूरह ने रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों का ही प्रतीक मात्र माना है।

इस सन्दर्भ में आर० जी० भण्डारकर का कथन है कि प्रारम्भ में रुद्र को बीमारियों को फैलाने वाला देवता माना जाता था, किन्तु स्तुति के परिणामस्वरूप जब लोग इन बीमारियों से मुक्त होने लगे तो इसका कारण भी उन्होंने रुद्र को ही माना। यही कारण है कि ऋग्वेद में उन्हें औषधियाँ रखने वाला तथा भिषजों का भिषक कहा गया है। जो रुद्र के भीषण रूप के अतिरिक्त उसके सौम्य चरित्र को भी दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के समय तक रुद्र के स्वरूप में भीषण और सौम्य दोनों ही रूपों का समावेश हो चुका था। वास्तव में यदि देखा जाए तो वर्षा और तूफान आदि से सम्बन्धित किसी भी देवता के चरित्र में ऐसे विरोधाभाषी तत्त्वों का होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक ओर जहाँ उसमें झंझावात और तडित् ताप जैसे दुःखदायी तत्त्व होते हैं, वहीं औषधियों एवं धन–धान्यादि की उत्पत्ति में वृष्टि ही एक प्रमुख कारक होता है।

यजुर्वेद के समय तक आते–आते रुद्र के स्वरुप में पर्याप्त विकास हुआ। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता एवं काठक संहिता तथा शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में शतरुद्रिय के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन सभी संहिताओं में रुद्र के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इसमें उसे शम्भु, मयोभू, मयस्कर, शंकर, शिव, अघोर, नीलग्रीव (नीलकण्ठ), नीललोहित (नीले एवं लाल रंग वाला), शितिकण्ठ (श्वेत कण्ठ वाला), विलोहित (रक्ताभ), सहस्राक्ष (सहस्त्र नेत्रों वाला), शतेषुधे (सैकड़ों आयुध वाला), बिल्मिने (उत्तम शिरस्त्राण धारण करने वाला), कवचिने (कवचधारी), वर्मिणे (धातुनिर्मित वस्त्र धारण करने वाला), दिशांपतये (दिशाओं का स्वामी), हरिकेशेभ्यः वृक्षेभ्यः (हरित वर्ण के पत्तों की तरह केश वाला), आशुरथाय (शीघ्रगामी रथों वाला), शूराय (शूरवीर), अजिराय (निरन्तर भ्रमणशील रहने वाला), शीघ्रयाय (शीघ्रता से कार्य करने वाला), उपवीतिने (यज्ञोपवीतधारी) पशुनांपतये (पशुओं का स्वामी), पथीनांपतये (मार्गों का रक्षक), जगतांपतये (सभी लोगों का रक्षक), वनानांपतये (वनों का रक्षक), क्षेत्राणांपतये (भूमि का रक्षक), वृक्षाणांपतये (वृक्षों का रक्षक), औषधिनांपतये (औषधियों का स्वामी) भिषक (वैद्य), गिरिश एवं गिरित्र (पर्वत पर रहने वाला), भूतपति (प्राण अथवा आत्मा का स्वामी), कपर्दिन (जटाजूटधारी), कृत्तिवास (चर्म धारण करने वाला), गिरिसंत (पर्वत निवासी सभी लोगों को सुख प्रदान करने वाला). अश्वपति, रथेभ्य, रथपति, गणपति, रथकार, कुलाल, कर्मार, निषाद, तक्षक, व्रातपति, गणपति, सभापति, सेनानी, भीम, इषुकार (बाण बनाने वाला), धन्वाकार (धनुष बनाने वाला), श्वपति (श्वान रक्षक), मृगयुभ्य (शिकारियों का रक्षक), पशुपति (सभी जीवों का रक्षक), गोष्ठयाय (गोशाला का रक्षक), अन्नानांपतये (अन्नों का स्वामी), स्थपतये (ब्रह्माण्ड का निर्माता), कक्षाणांपतये (पेड़, पौधों और वनस्पतियों का रक्षक), स्तेनानांपतये, अरण्यानांपतये (वनों का रक्षक), गिरिचराय (पर्वतों पर विचरण करने वाला) आदि नामों से सम्बोधित किया गया है।

आर० जी० भण्डारकर के अनुसार उसको कपर्दिन विशेषण सम्भवतः अग्नि से अभिन्न पाये जाने के कारण दिया गया होगा, जिसकी लपटें जटाजूट जैसी दिखाई देती होंगी। उसको कृतिवास विशेषण वन में संचरणशील होने के कारण तथा वन में निवास करने वाली जंगली जातियों द्वारा चर्म परिधान धारण करने के

कारण दिया गया होगा। इसी प्रकार रुद्र को गणपति, व्रातपत्ति, कर्मकार, कुलाल, कुम्भकार, कर्मार, रथकार, तक्षक तथा निषाद आदि का पति (रक्षक) कहा गया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस समय तक इन वर्गों के लोग रुद्र को पूजने वाले माने जाते थे और रुद्र ने एक ऐसे देवता को अपने में आत्मसात कर लिया था जो इन जातियों द्वारा पूजा जाता था। इस प्रकार यजुर्वेद में आर्यों के आर्येत्तर जातियों के साथ सम्मिश्रण और उनको अपने में आत्मसात करने का पहला उदाहरण मिलता है। यह भी सम्भव है कि इन जातियों में प्रचलित देवाराधना के कुछ विशिष्ट तत्त्व भी रुद्र की आराधना के अंग बन गए हो। लेकिन पर्याप्त सामग्री उपलब्ध न होने के कारण इस सन्दर्भ में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है। परन्तु परवर्ती साहित्य में रुद्र की पूजा में पाए जाने वाले कतिपय गर्हित रूप का सूत्रपात सम्भवतः यहीं से प्रतीत होता है।'

वाजसनेयी संहिता में एक स्थान पर रुद्र के लिए 'त्रयम्बकं' शब्द का प्रयोग हुआ है, जो पौराणिक साहित्य में शिव का एक प्रमुख विशेषण बन गया और इसी आधार पर शिव की कल्पना त्रिनेत्रधारी के रूप में की जाने लगी। लेकिन इस नाम की व्याख्या न तो यजुर्वेद में मिलती है और न ही ब्राह्मण ग्रन्थों में। परन्तु इतना निश्चित है कि परवर्ती काल में जहाँ इसका अर्थ तीन नेत्रों वाला किया जाता था वहाँ प्रारम्भ में इस शब्द का यह अर्थ नहीं था। वैदिक और परवर्ती साहित्य में 'अम्ब' का अर्थ है 'पिता' अर्थात् जिसके तीन पिता हैं। वैदिक देवताओं में केवल अग्नि के ही तीन जन्मों (पृथिवी, आकाश और अन्तरिक्ष) का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। चूंकि रुद्र और अग्नि का तादात्म्य है। अतः स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि यह उपाधि अग्नि से चलकर रुद्र के पास आयी होगी। लेकिन कालान्तर में लोग इनके मूल अर्थ को भूल गये और अम्ब के दूसरे अर्थ 'नेत्र' को लेकर इसकी व्याख्या करने लगे। इसी के साथ कृष्ण तथा शुक्ल यजुर्वेद' की अनेक संहिताओं में राजसूय यज्ञ से सम्बन्धित 'त्रयम्बक होम' का उल्लेख मिलता है। इस क्रिया में घर के सभी लोगों की रक्षा के लिए पुरोडास रुद्र को अर्पित किए जाते थे। इन पुरोडाशों को एक डलिया में बंद करके उत्तर दिशा की ओर जाकर किसी वृक्ष से बाँध दिया जाता था। फिर उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर जाकर किसी चतुष्पथ पर अग्नि में रुद्र और अम्बिका को उनका अंश प्रदान किया जाता था। साथ ही उनसे यह प्रार्थना की जाती थी कि वे पशुओं तथा मनुष्यों को भी अपनी औषधियों से निरोग करने के अतिरिक्त कल्याण करने, धन प्रदान करने, पशु युक्त बनाने तथा बलशाली बनाने में सहयोग प्रदान करें।

तैत्तिरीय संहिता' में त्रिपुर संहार से सम्बन्धित एक आख्यान मिलता है। जिसके अनुसार असुरों के तीन पुर थे, जिनमें पृथिवी पर लौहमय, अन्तरिक्ष में रजतमय और द्युलोक में सुवर्णमय पुर स्थित था। देवतागण असुरों के इन तीनों पुरो को जीतने में असमर्थ थे। तब उन्होंने इन तीनों पुरों को जीतने के उद्देश्य से एक बाण का निर्माण किया। जिसमें अग्नि को अनीक, सोम को शल्य और रुद्र को तेजन बनाया गया। बाण का निर्माण हो जाने पर उन्होंने परस्पर विचार–विमर्श किया कि इस बाण को कौन चलाएगा? इस पर देवताओं ने सर्वसम्मति से रुद्र का चयन किया और उनसे बाण चलाने की प्रार्थना की। इस पर रुद्र ने देवताओं से पशुओं का अधिपति बनने का वर माँगा। देवताओं ने रुद्र की इस माँग को स्वीकार कर लिया। तदन्तर रुद्र ने बाण मारकर असुरों के पुरों का भेदन कर दिया। यह कथानक कुछ परिवर्तनों के साथ मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता', कपिष्ठल–कठ संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मणष में भी मिलता है।

अथर्ववेद में भी रुद्र के संहारक और कल्याणकारी दोनों स्वरूपों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में तक्मा

(ज्वर), कासिका (खाँसी), विष तथा विद्युत, ये चार रुद्र के प्रमुख अस्त्र बताये गये हैं। रुद्र से इन सबको अपने से दूर रखने तथा अपने विद्युत रूपी वज्र को कहीं अन्यत्र गिराने की प्रार्थना की गई है। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि वे धनुष पर चढ़ाए गये अपने बाणों को हम पर नहीं छोड़े और मनुष्यों तथा पशुओं की हिंसा न करें। साथ ही उनसे प्रार्थना की गई है कि वह हमारे शरीर, परिवार के बड़े–बूढ़े, बच्चों, भार ढोने वाले पशुओं तथा हमारे माता–पिता को हानि न पहुँचाएँ। तीसरे स्थान पर कहा गया है कि उनका शर विषधर होता है, जिससे व्याधियाँ फैलती हैं और प्राणीमात्र को डर लगता है। रुद्र के विध्वंसक और हिंसक रूप में ही सम्भवतः उसके साथ रहने वाले श्वानों की भी कल्पना कर ली गयी है और इसी कारण अथर्ववेद के एक मन्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। परन्तु ऋग्वेद के उत्तर भागों में श्वानों का साहचर्य यम के साथ है, जिसको मृत्यु का अधिष्ठातृ देव माना गया है। लेकिन अथर्ववेद का उपर्युक्त मन्त्र चूँकि ऋग्वेद के उत्तर भागों से भी प्राचीन जान पड़ता है, अतः यह सम्भव है कि आदिकाल में रुद्र को ही मृत्यु का देवता माना जाता था और इसी रूप में श्वानों का साहचर्य था, क्योंकि मृत मांसभक्षी होने के कारण और श्मशान आदि के निकट बहुधा पाये जाने के कारण श्वान मृत्यु के भी प्रतीक हो गये। बाद में जब यम को मृत्यु का अधिष्ठातृ देवता मान लिया गया तो श्वानों का यह साहचर्य रुद्र से लेकर यम के साथ जोड़ दिया गया।'

संहारक देवता के अतिरिक्त अथर्ववेद में रुद्र के कल्याणकारी स्वरूप का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है।' एक स्थान पर कहा गया है कि समुत्पन्न प्रजाओं की अभिलाषा करने वाला रुद्र अन्य अनुचर रुद्रों के साथ हमारा कल्याण करें। दूसरे स्थान पर रुद्र से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हमें शान्ति की प्राप्ति हो, हमें सुख की प्राप्ति हो, हमारा शरीर व्याधियों से पीड़ित न हो, हमारे सभी पाप क्षमा हो, समस्त औषधियाँ हमारी व्याधियाँ दूर करने में समर्थ हो तथा हमें सरलता से प्राप्त हो सकें। उनके विषय में कहा गया है कि वे समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं।' समीप और दूर के सभी पदार्थ उन्हीं के हैं। वे सहस्त्र नेत्रों वाले, वाजी (वेगवान) और अमर हैं। उनका क्षेत्र दूर–दूर तक फैला हुआ है। कोई भी देव या नर उनके प्रहार से बच नहीं सकता। वे लाल अश्वों द्वारा चालित काले और भयंकर रथ पर सवारी करते हैं। वे चारों दिशाओं तथा पृथिवी, आकाश और अन्तरिक्ष को भी अपने अधिपत्य में रखते हैं।' वे दुष्टों को अपनी विद्युत से नष्ट करते हैं। वे भूतपति तथा पशुपति हैं। साथ ही उनको नीलशिखण्डिन, भीमम् राजन तथा उपहत्लु' कहा गया है। वे अन्तरिक्ष में बिना किसी सहारे के स्थित हैं और यज्ञ न करने वाले देव शत्रुओं को नष्ट करते हैं। उन्हें उनके उपासक दोनों हाथों से प्रणाम करते हैं। अरण्य में निवास करने वाले सभी पशु–पक्षी एवं सारे जलचर रुद्र के आयुध की मार के भीतर हैं। वे अग्नि, जल, औषधि और वनस्पति के स्वामी हैं तथा समस्त भुवन उनके द्वारा ही रचे गये हैं।' वे अपनी औषधियों से बीमारियों का अन्त करते हैं। उनके लिए कुछ भी दूर या पास नहीं है। वे सब कुछ देखते हैं और क्षणमात्र में पूर्ववर्ती समुद्र से उत्तर समुद्र में पहुँच जाते हैं। वे न चबायी जाने वाली वस्तुओं को निगल जाते हैं। उनके बड़े–बड़े मुख हैं। वे प्रसिद्ध, भयंकर, शत्रुनाशक तथा रथ की सवारी करने वाले हैं। वे स्तुति करने पर प्रसन्न होकर उपासक को सुख प्रदान करते हैं और अपनी शक्ति से हमारी रक्षा कर शत्रुओं का नाश करते हैं।' इसके साथ ही अथर्ववेद में भूत–पिशाचादि से रक्षणार्थ भी रुद्र के स्तवन का उल्लेख मिलता है।" इसके अतिरिक्त अथर्ववेद से हमें रुद्र की उस विशिष्टता के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जिससे पौराणिक काल में शिव के स्वरूप का पूर्ण विकास हुआ। यह विशिष्टता थी अन्य देवताओं को अपने में आत्मसात कर लेना अथवा उनके व्यक्तित्व को अपने

व्यक्तित्व में विलीन कर लेना। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि अथर्ववेद में भव और शर्व नामक दो देवताओं का उल्लेख मिलता है। सायण के अनुसार 'भवति उत्पद्यते अस्मात् सर्व जगत् इति भवः' अर्थात् जो समस्त जगत का उत्पादक है, वह भव है और 'शृणाति हिनस्ति सर्वम् अन्तकाले इति शर्वः' अर्थात् जो प्रलयकर्ता है, वह शर्व है। अथर्ववेद' के अनुसार इसके विनाशात्मक बाणों अर्थात् विद्युत के द्वारा पाप कर्म करने वालों, दुष्कर्मियों तथा शत्रु सेना पर प्रहार करने का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार इन मंत्रों में दोनों को पृथक–पृथक और रुद्र से भी स्वतन्त्र देवता माना गया है। इसी प्रकार अथर्ववेद के एक अन्य सूक्त में भव, शर्व और रुद्र तीनों का साथ साथ उल्लेख मिलता है और तीनों की ही एक समान विशेषताएँ वर्णित की गई हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इन तीनों देवों का पृथक–पृथक स्वतन्त्र अस्तित्व था, लेकिन तीनों की विशेषताएँ लगभग एक समान थी। परन्तु जैसे–जैसे रुद्र का महत्व बढ़ता गया वैसे–वैसे भव और शर्व नामक देवता अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खोते गये और वे रुद्र का ही एक विशेषण मात्र बनकर रह गये। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जैसे–जैसे रुद्र का महत्व बढ़ता जा रहा था वैसे–वैसे वे अन्य छोटे देवताओं को अपने में आत्मसात् करते जा रहे थे। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में रुद्र के लिए प्रयुक्त विभिन्न नाम यथा पशुपति, उग्र, ईशान, भूतपति और महादेव उनके बढ़ते हुए महत्व के परिचायक हैं।

आर० जी० भण्डारकर के अनुसार इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के समय तक आते–आते एक उग्र तथा विध्वंसक देव विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा पूजित अथवा आराधित होने पर कल्याणकारी देव बन गया था। सी० शिवराममूर्ति के अनुसार शतरुद्रिय में शिव के लिए स्वन्याय, प्रतिस्रवाय, दुन्दुभ्याय और अहानन्याय आदि अनेक ऐसे शब्द मिलते हैं जो उनके संगीताचार्ग होने के प्रमाण हैं। गरवर्ती ग्रन्थों में भी शिव के लिए अनेक ऐसे विरुदों का प्रयोग किया गया है जो उनके संगीत के प्रति आकर्षण और उसके प्रणेता होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि आगे चलकर कला में शिव के इस स्वरूप से सम्बन्धित अनेक मूर्तियों यथा वीणाधर–दक्षिणामूर्ति और मृदंग–दक्षिणामूर्ति आदि का निर्माण हुआ। गोपीनाथ राव' के अनुसार यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के शतरुद्रिय सूक्त में रुद्र के लिए जिन नामों का प्रयोग हुआ है वे सभी परवर्ती काल में शिव के प्रमुख विशेषण बन गये। इस सन्दर्भ में सी० शिवराममूर्ति का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि परवर्ती काल में भारतीय मूर्ति शिल्प में शिव के जितने भी स्वरूपों का निर्माण हुआ, उन सभी का मूल यजुर्वेद के शतरुद्रिय में ही निहित है।

वैदिक ग्रन्थों में शिव पत्नी के लिए प्रयुक्त अम्बिका नाम का सर्वप्रथम उल्लेख वाजसनेयी संहिता में मिलता है, लेकिन यहाँ पर उनका उल्लेख रुद्र पत्नी के रूप में न होकर उनकी बहिन के रूप में हुआ है। तैत्तिरीय संहिता में भी अम्बिका का उल्लेख रुद्र की बहिन के रूप में हुआ है और मूषक को उनका वाहन बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी इस देवी का उल्लेख मिलता है। जहाँ इसे लोक विश्वास की जनकल्याणकारिणी तथा कन्याओं को पति और सौभाग्य प्रदान करने वाली मंगलमयी देवी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर भी इस देवी का शिव पत्नी के रूप में कोई उल्लेख नहीं मिलता। परवर्ती ग्रन्थों में प्रचलित शिव पत्नी के नियमित नाम उमा, कात्यायनी, कन्याकुमारी, दुर्गा, गिरिसुता तथा गौरी आदि हमें सर्वप्रथम मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय आरण्यक तथा केनोपनिषद में मिलते हैं। केनोपनिषद में सर्वप्रथम उमा को हेमवती या हिमवान की पुत्री कहा गया है। लेकिन यहाँ पर इनका रुद्र के साथ कोई सहचर्य नहीं मिलता। परन्तु सूत्रों के समय तक आते–आते वाजसनेयी

संहिता और शतपथ ब्राह्मण की अम्बिका रुद्र पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी। इसके अतिरिक्त शांखायन श्रौतसूत्र में रुद्र पत्नी के लिए भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, ईशानी और आर्गेयी आदि नाम प्रयुक्त हुए हैं। वास्तव में ये सब नाम रुद्र के ही विभिन्न नामों के स्त्रीलिंग रूप मात्र हैं। यज्ञ में इस स्त्री देवता को हवियाँ देने का विधान किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि इस समय तक इस स्त्री देवता की भी आर्यों के देवगण में विधिवत् गणना होने लगी थी और रुद्र के साथ इनकी भी उपासना की जाने लगी थी।

ब्राह्मण ग्रंथों में रूद्र देवता :–

ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक आकर रुद्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया और उनकी उत्पत्ति से सम्बन्धित अनेक कथानक भी प्रचलित हो गए थे। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित एक कथानक के अनुसार प्रजापति के अपनी पुत्री उषा के प्रति काम भाव से आसक्त होने के कारण देवता उन पर अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने आपस में विचार करके कहा कि प्रजापति एक जघन्य अपराध करने जा रहे हैं, अतः उन्हें दण्ड देना चाहिए। किन्तु उनमें से कोई भी ऐसा देवता (कठोर स्वभाव) नहीं था, जो यह काम कर सकता। अतः उन्होंने अपने–अपने सर्वाधिक भयानक अंशों को एक जगह एकत्र किया और फिर वे सभी अंश एकत्रित होकर रुद्र के रूप में उत्पन्न हुए। इस उदाहरण से ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य वैदिक देवों के साथ रुद्र का अस्तित्व नहीं था, उसकी उत्पत्ति बाद में देवों के भयानक अंशों से हुई थी। जैमिनीय ब्राह्मण में भी रुद्र की उत्पत्ति क्रूर अंशों से बतायी गयी है। एक स्थान पर कहा गया है कि यज्ञ में जाते समय देवताओं ने अपने क्रूर अंशों को अलग कर दिया और इन क्रूर अंशों से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई। अन्यत्र जैमिनीय ब्राह्मण में कहा गया है कि देवताओं ने प्राणिमात्र के कर्मों का अवलोकन करने और धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों का विनाश करने के उद्देश्य से रुद्र की सृष्टि की। इसी प्रकार कौषितकी ब्राह्मण में रुद्र का जन्म अग्नि, वायु, आदित्य और चन्द्रमस के बीज से बताया गया है जो स्वयं प्रजापति द्वारा उत्पन्न किये गए थे।

ऐतरेय ब्राह्मण में अन्यत्र रुद्र से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ मिलता है, जहाँ प्रजापति की सरस्वती के प्रति अगम्यगमन की कथा कही गयी है। प्रजापति के इस अपराध से देवता अत्यन्त क्रुद्ध हो जाते हैं और उनको दण्ड देने के लिए रुद्र को नियुक्त करते हैं। इस कथानक में अन्य देवताओं की अपेक्षा रुद्र का नैतिक उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य देवता प्रजापति के स्तर पर ही हैं, क्योंकि वे सब यज्ञकर्म के प्रबल नियमों के अधीन हैं। अतः वे स्वयं प्रजापति को दण्ड देने में असमर्थ हैं। परन्तु रुद्र के साथ ऐसा कोई बन्धन नहीं है और इसी कारण वही प्रजापति के दण्ड का विधान करते हैं।' रुद्र का यह नैतिक उत्कर्ष ही था जिसके कारण उनका पद ऊँचा हुआ और रुद्र को परम परमेश्वर माना जाने लगा।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जब प्रजापति का विसंजन, पृथक्करण एवं विभेदन होने लगा तो सब देवता उनके अन्दर से निकलकर बाहर आ गये। लेकिन उन देवों में एकमात्र रुद्रदेव ही ऐसे थे जिन्होंने प्रजापति का त्याग नहीं किया। वे प्रजापति के अन्दर श्मन्युश रूप में स्थिर होकर रोने लगे। इससे जो अश्रु धाराएँ निकली, वे इस मन्यु में ही प्रतिष्ठित रही। इन सहस्त्रों अश्रु धाराओं के कारण ही इस रुद्र को शतशीर्ष (सौ सिरों वाला), सहस्राक्ष (सौ नेत्रों वाला) तथा शतेषुधि (सौ तरकश वाला) आदि नामों से व्यवहृत किया गया। इन अश्रु धाराओं के अतिरिक्त और जो बूंदे पतित हुई, वे सहस्त्रों रुद्रों के रूप में लोक में प्रतिष्ठित हो गयी, क्योंकि रुदन करने के कारण इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इन्हें रुद्र कहा गया। अन्यत्र शतपथ ब्राह्मण' में रुद्र को प्रजापति और उषा

का पुत्र कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि जन्म लेते ही बालक ने रुदन करना शुरू कर दिया। इस पर प्रजापति ने बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बालक ने उत्तर दिया कि मेरा कोई नाम नहीं है। इस पर प्रजापति ने रुदन के कारण उसका नाम रुद्र–अग्नि रखा। लेकिन बालक ने कहा कि मैं इससे (अग्नि) शक्तिशाली हूँ, इसलिए अन्य नाम दीजिए। तब प्रजापति ने उसे रुद्र के अतिरिक्त शर्व (बाण फेंकने वाला) पशुपति, उग्र, अशनि (आकाशीय विद्युत), भव, महादेव और ईशान (शासक) आदि सात अन्य नाम प्रदान किए। इस प्रकार रुद्र के ये आठ नाम रखे गये। कौषितकी ब्राह्मण में प्रजापति द्वारा बालक रुद्र को दिये गये नामों का क्रम इस प्रकार मिलता है भव, शर्व, पशुपति, उग्र, महादेव, रुद्र, ईशान और अशनि। शांखायन ब्राह्मण में भी शतपथ ब्राह्मण से मिलता–जुलता प्रसंग मिलता है, किन्तु अन्तर केवल इतना है कि यहाँ रुद्र की उत्पति प्रजापति के स्थान पर अग्नि, आदित्य, वायु और चन्द्रमा इन चार ज्योतियों से बताई गयी है।

आर० जी० भण्डारकर के अनुसार इनमें सात नाम तो वही हैं जिनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, परन्तु आठवाँ नाम अशनि नवीन है। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अथर्ववेद में इन सात नामों को परस्पर सम्बद्ध, लेकिन एक–दूसरे से भिन्न माना गया है जबकि शतपथ तथा शांखायन ब्राह्मण में उन्हें एक ही देवता के नाम माना गया और आठवें नाम को भी परिवर्तित कर दिया गया। इन आठ नामों में भव, पशुपति, महादेव एवं ईशान ये चार नाम रक्षक और शर्व, रुद्र, उग्र एवं अशनि ये चार नाम शिव की विनाशकारी शक्ति के द्योतक हैं। इस प्रकार ये नाम रुद्र के सौम्य और अघोर दोनों रूपों के परिचायक हैं।

इसी के साथ ब्राह्मण ग्रन्थों में रुद्र से सम्बन्धित अनेक उपाधियाँ मिलती हैं जो उसके महत्व की परिचायक हैं। शतपथ ब्राह्मण' के अनुसार एक बार भयभीत देवता प्रजापति के पास गये और उनसे कहा कि यह रुद्र बड़ा भयंकर है। हमें इससे भय लगता है। कहीं यह हमारी हिंसा न कर दे। इस पर प्रजापति ने देवों से कहा कि इसे अन्न प्रदान करो, इसी से यह शान्त होगा। इस प्रकार देवों ने रुद्र को अन्न देकर शान्त किया। रुद्र के शमन करने की इस प्रक्रिया को 'शान्त देवत्य' कहते हैं। यही शान्त देवत्य परोक्ष रूप में शतरुद्रिय कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण में स्विष्टकृत के सन्दर्भ में कहा गया है कि सब देवता यज्ञ के द्वारा द्युलोक में पहुँच गये परन्तु पशुओं का अधिपति रुद्र यज्ञ भूमि में ही रह गया। जब उन्होंने देखा कि ये देवता मेरी अवहेलना करके द्युलोक में जा पहुँचे हैं तो इससे क्रुद्ध होकर उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर स्विष्टकृत के समय यज्ञ का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। इस पर देवताओं ने भयभीत होकर रुद्र से प्रार्थना की कि आप यज्ञ का विध्वंस न करें। इस पर रुद्र ने कहा कि याज्ञिक आहुति में मेरा भाग होना चाहिए। तब देवताओं ने रुद्र की इस माँग को स्वीकार कर लिया और कहा कि देवों के लिए जितनी भी हवियाँ होंगी, उन सबमें तुम्हारा भी भाग होगा। यही कारण है कि रुद्र को जो आहुतियाँ दी जाती हैं उसे स्विष्टकृत कहा जाता है। वास्तव में इन स्विष्टकृत आहुतियों के द्वारा उसके रौद्रभाव का शमन किया जाता है। बस्ती (यज्ञ भूमि) में रहने के कारण रुद्र को वास्तव्य नाम के भी सम्बोधित किया गया है। तैत्तिरीय' तथा ताण्ड्य ब्राह्मण' में कहा गया है कि जब देवताओं ने पशुओं को आपस में बाँटा, तब रुद्र का ध्यान नहीं रखा, किन्तु यह सोचकर कि कहीं रुद्र के प्रकोप से सृष्टि का ही विनाश न हो जाए तो उन्हें मूषक समर्पित किया। त्र्यम्बक होम में रुद्र का विशेष वाहन मूषक बतलाया गया है, जिसका ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार समाधान किया गया है। वह सभी पशुओं का संहारक होने के साथ–साथ उनका रक्षक (पशुपति) भी है। कौषितकी ब्राह्मण में एक स्थान पर रुद्र को देवाधिपति कहा गया है। तैत्तिरीय

ब्राह्मण' में कहा गया है कि उत्तर दिशा में जाकर आग्रीध्र में आहुति दें, क्योंकि उत्तर दिशा के स्वामी रुद्र है। अतः इस दिशा में आहुति प्रदान करने से रुद्र के प्रकोप का शमन होता है। आगे कहा गया है कि क्रयी नाम से आहुति इसलिए दी जाती है कि राजा के शत्रु का विनाश हो जाए तथा हमारे प्रत्ति रुद्र का जो प्रकोप है वह शान्त हो जाए। गोपथ ब्राह्मण' में ओंकार को रुद्र देवता बताया गया है 'रुद्रो देवता ओंकारे वेदानाम' अर्थात् ओम् नाम रुद्र देवता का है जिससे सब वेद प्रकट हुए हैं। वेदों के जिन सूक्तों के देवता अग्नि, इन्द्र, सोम तथा मित्रावरुण हैं, उन सभी देवताओं के भी देवता रुद्र हैं।

उपनिषदों में रूद्र देवता :–

उपनिषदों के समय तक आकर रुद्र को समस्त वैदिक देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो चुका था। लेकिन इन उपनिषदों में श्वेताश्वेतर ही एकमात्र ऐसा उपनिषद् है जिसमें रुद्र के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है जबकि अन्य उपनिषदों से हमें रुद्र के सन्दर्भ में किंचित मात्र ही जानकारी मिलती है। श्वेताश्वेतर उपनिषद् में रुद्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि रुद्र एक ही हैं। उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है जो अपनी भव एवं ईशान आदि शक्तियों के द्वारा सम्पूर्ण लोकों पर शासन करते हैं। सभी प्राणी उन्हीं का आश्रय लेते हैं, अन्य किसी का नहीं। वे ही समस्त प्राणियों के अन्दर स्थित हैं। वे ही अनादि सत्ता वाले और सर्वत्र विद्यमान हैं। वे ही समस्त लोकों की उत्पत्ति के कारण हैं। वे सृजन काल में संसार के सभी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, ऐश्वर्यादि से उनका पालन–पोषण करते हैं और अन्त में संहार भी करते हैं अर्थात् प्रलयकाल में सम्पूर्ण जगत उन्हीं में विलीन हो जाता है। वे ही समस्त देवों की उत्पत्ति एवं विकास के कारण हैं। वे ही सबके अधिपति और सर्वज्ञाता हैं। वे ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। उन्होंने ही हिरण्यगर्भ रूपी प्रजापति को उत्पन्न किया है। वे सर्वव्यापी हैं। वे रुद्र एक ही हैं। उनके समान दूसरा कोई नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं। न कोई उनसे सूक्ष्म है और न ही उनसे कोई बड़ा। वे परमब्रह्म और समस्त दुःखों से परे हैं। जो व्यक्ति इन्हें जान लेता है वह अमर हो जाता है। वे सर्वशक्तिमान, सबके नियन्ता, प्रकाश स्वरूप और अविनाशी हैं। वे सहस्त्र सिर, नेत्र और पाद वाले हैं। अतः जो व्यक्ति सब प्राणियों में सूक्ष्म रूप में स्थित और संसार को परिव्याप्त कर लेने वाले शिव को जान लेता है वह मनुष्य समस्त सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है, इसलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि इस समय तक रुद्र सर्वोच्च देवता के रूप में अपना स्थान बना चुके थे।

अथर्वाशिर उपनिषद् में भी रुद्र के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि रुद्र एक ही है, दूसरा कोई नहीं। केवल वही इस लोक को नियंत्रित करते हैं। वे ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो समस्त दिशाओं में निवास करते हैं। आदि, मध्य और अन्त सभी में वे ही स्थित हैं। समस्त प्राणी उसी के अन्दर निवास करते हैं और अंततः सभी का उनमें ही विलय होता है। वे ही विश्व और समस्त भुवनों के सृजनकर्ता और पालनकर्ता हैं। वे ही शाश्वत एवं पुराण (प्राचीन) हैं। वे ही अपनी शक्ति और तप से सबको नियन्त्रण में रखते हैं। वे अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश, औषधि और वनस्पति सभी में व्याप्त हैं। वे ही समस्त प्राणियों के बन्धनों को काटने वाले हैं। उनकी उपासना करने वाले उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं और उपासना न करने वाले निम्न स्थिति में ही रहते हैं। सभी कुछ उन्हीं में समाहित है, उनसे परे कुछ भी नहीं है। न उनसे पहले कुछ था और न ही आगे भी कुछ होगा। सहस्त्र पाद और सहस्त्र सिर वाले रुद्र समस्त भूतों में व्याप्त हैं। इसके

साथ ही इस उपनिषद् में पाशुपत व्रत का भी उल्लेख मिलता है। जो व्यक्ति की उस पाश से रक्षा करता है, जिससे मनुष्य की आत्मा बँधी रहती है, इसलिए रुद्र–शिव को 'पशुपाश विमोक्षम' नाम से सम्बोधित किया गया है। जाबालोपनिषद् में न केवल शतरुद्रिय के महत्व का वर्णन मिलता है अपितु उनको असंख्य नामों से भी सम्बोधित किया गया है। अन्यत्र 10 कहा गया है कि जब जगत में जीव के प्राण का उत्क्रमण होता है, उस समय रुद्र तारक ब्रह्म के सम्बन्ध में उपदेश करते हैं, जिससे वह जीव अमृतत्व को प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करता है।

प्रश्नोपनिषद् में रुद्र के लिए परिरक्षित शब्द का प्रयोग किया गया है और प्रजापति के साथ उसका तादात्म्य स्थापित किया गया है। मैत्रायणी उपनिषद् में एक स्थल पर रुद्र का सम्बन्ध तमोगुण और विष्णु का सत्वगुण से बताया गया है जो सम्भवतः रुद्र के प्रति प्राचीन विरोध भावना की अवशिष्ट स्मृति का फल है। दूसरे स्थल पर रुद्र और आत्मा को एक ही माना गया है और उसके लिए 'शम्भु' अर्थात् शान्तिदाता उपाधि का प्रयोग किया गया है जो परवर्ती कालों में शिव का एक अत्यन्त प्रचलित नाम हो गया। इसी उपनिषद् में एक अन्य स्थल पर 12 विख्यात गायत्री मन्त्र में उल्लिखित 'भग' शब्द को रुद्र से सम्बन्धित माना गया है।

निष्कर्ष :–

वैदिक साहित्य के समग्र अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रुद्र वैदिक देवमंडल के अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट देवता हैं, जिनका स्वरूप समय के साथ निरंतर विकसित और विस्तृत होता गया। ऋग्वेद में रुद्र का चित्रण मुख्यतः एक उग्र, तेजस्वी, संहारक तथा प्राकृतिक शक्तियों के अधिपति देवता के रूप में मिलता है, किन्तु साथ ही वे रोगों का नाश करने वाले, औषधियों के स्वामी, पशुओं के रक्षक तथा कल्याणकारी देवता भी हैं। यही द्वैत स्वरूप रुद्र को वैदिक देवताओं में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र की अवधारणा और अधिक व्यापक एवं दार्शनिक बनती है। इन ग्रंथों में वे केवल प्रकृति की उग्र शक्तियों के प्रतीक नहीं रहते, बल्कि समस्त चराचर जगत में व्याप्त सार्वभौमिक सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। विशेषतः शतरुद्रीय में रुद्र की सर्वव्यापकता का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जो उनके विश्वरूप का उद्घाटन करता है। उपनिषदों, विशेषकर श्वेताश्वतर उपनिषद्, में रुद्र को परमब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक रुद्र ही आगे चलकर पुराणों के शिव अथवा महादेव के रूप में पूर्णतः विकसित हुए। साहित्यिक दृष्टि से वैदिक मंत्रों में रुद्र के प्रति भय, श्रद्धा, करुणा, प्रार्थना और समर्पण जैसे विविध भावों का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। इन मंत्रों में प्रयुक्त विशेषण, उपमाएँ तथा प्रतीक रुद्र के बहुआयामी व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं। रुद्र का स्वरूप केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि वैदिक समाज की प्रकृति–दृष्टि, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक विश्वास तथा दार्शनिक चिंतन का भी प्रतिबिंब है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैदिक साहित्य में रुद्र एक ऐसे देवता हैं, जिनमें संहार और सृजन, भय और अभय, उग्रता और करुणा, विनाश और कल्याण सभी परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले गुणों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। यही समन्वित स्वरूप भारतीय धार्मिक परंपरा में शिव–तत्त्व की आधारशिला बना। वैदिक रुद्र की अवधारणा ने न केवल शैव धर्म के विकास को दिशा प्रदान की, बल्कि भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। इसलिए वैदिक साहित्य में रुद्र का अध्ययन भारतीय धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक विकास और शैव परंपरा की उत्पत्ति को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं अपरिहार्य सिद्ध होता है।

सन्दर्भ सूची :–

1. ऋग्वेद, 1/158/1, रुत् दुःखं तद्धेतुभूतं पापं वा। तस्य द्रावयितारौ रुद्रौ।
2. ऋग्वेद, 10/169/1, ज्वरादिरोगस्य प्रक्षेपेण संहर्तृदेव।
3. अथर्ववेद, 1/19/3, रोदयति सर्वम् अन्तकाले इति रुद्रः। सर्हन्ता देवः।
4. अथर्ववेद, 7/92/1, रोदयति शत्रूनिति रुद्रः।
5. तैत्तिरीय संहिता, 1/5/1/1, यद् अरोदीत् तद् रुद्रस्य रुद्रत्वम्।
6. तैत्तिरीय संहिता, 1/5/4/3, रुद् दुःखं दुःखहेतुर्वा पापादिः। तस्य द्रावयिता एतन्नामको देवोऽसि रुद्रः।
7. शतपथ ब्राह्मण, 11/6/3/7.
8. निरुक्त (यास्क कृत), 10/6, "रुद्रौ रौतीति सतो रोरूयमाणो द्रवतीति वा, रोदयतेर्वा।"
9. वायवीय संहिता, (वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत संस्थान, 1998), 6/9/14, रुद् दुःखं दुःखहेतुर्वा यद् द्रावयति न प्रभुः। रुद्र इत्युच्यते तस्मात्।
10. ऋग्वेद, 6/74.
11. ऋग्वेद, 1/43/5, 1/114/5, 2/33/3, 5, 8–12.
12. ऋग्वेद, 2/33/10–11, 7/46/1, 3, 5/42/11, 6/49/10, 10/125/6.
13. रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर, वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत, (अनु०) महेश्वरी प्रसाद, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, 1967, पृ. 156.
14. ऋग्वेद, 7/46/4, मा नो वधी रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसितौ हीडितस्य। आ नो भज बर्हिषि जीवशंसे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।
15. ऋग्वेद, 2/33/4, भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि।
16. ऋग्वेद, 1/114/5, 5/42/11, 7/46/3, 2/33/2, 4, 7, 11.
17. ऋग्वेद, 1/92/9, 1/114/1, 3, 5, 10, 1/129/3, 2/33/2, 6, 9, 6/40/10.
18. ए. ए. मैकडॉनल और ए. बी. कीथ, वैदिक इण्डेक्स, (अनु०) रामकुमार राय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2009, पृ. 145.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2026 Page No. : 238-246

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

SETTLEMENT HIERARCHY IN THE UPPER GHAGGAR BASIN DURING THE EARLY HARAPPAN PHASES: ASSESSING ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS vs. CULTURAL PLANNING

DEVRUT

University of Delhi, Delhi, India.

ABSTRACT :

The Upper Ghaggar Basin in north-west India is an important region for understanding settlement development during the Early Harappan period (c. 3300–2600 BCE). Scholars have debated whether settlement hierarchy in this area developed mainly because of environmental factors, such as changing river channels, fertile floodplains, and climate conditions, or because of deliberate human planning and social organization. This study examines settlement hierarchy in the Upper Ghaggar Basin to evaluate the relative role of environmental constraints and cultural decision making.

The research Is based on published archaeological surveys, excavation reports, and studies of ancient river systems and landscape changes. It compares settlement size, location, and distribution, especially their relationship to old river channels and resource rich areas. The study also considers evidence of craft production, settlement planning, and connections between larger and smaller sites to identify patterns of hierarchy and regional organization.

The findings suggest that access to water and fertile land strongly influenced where settlements were established. However, differences in settlement size, structure, and inter-site connections indicate that environmental factors alone do not explain the hierarchy. Instead, the evidence shows that Early Harappan communities made careful decisions about settlement placement and regional organization. The study highlights that environmental conditions and human planning worked together in shaping settlement patterns and contributes to a better understanding of human environment interaction in South Asian protohistoric archaeology.

Keywords : Settlement Hierarchy, Upper Ghaggar Basin, Protohistoric Settlement Archaeology.

INTRODUCTION :

Understanding the development of settlement system is central to the study of early complex societies. In south Asian archaeology, the Early Harappan phase (c. 3300-2600 BCE) represents a crucial period during which small agrarian communities gradually evolved into more organized and interconnected settlement networks that later culminated in the urbanization of the Indus Civilization. One of the key regions associated with this transformation is the Ghaggar river basin, particularly the Upper Ghaggar basin in present day north west India. Archaeology surveys conducted over the past several decades have revealed a significant concentration of Early Harappan sites distributed along ancient river channel and floodplains, suggesting that the region played an important role in the cultural and economic processes leading to the emergence of urban centers in the Mature river Harappan period.

Scholarly interpretation of settlement patterns in the Ghaggar basin have often focused on the role of environmental conditions. Many researchers argue that the distribution and hierarchy of settlements were largely influenced by ecological factors such as the availability of water resources, fertile alluvial soils and the dynamics of river system. sustainable settlements. Consequently, environmental determinism has frequently been used to explain both the clustering of settlements along paleo-channels and the relative size differences among sites. sustainable settlements. Consequently, environmental determinism has frequently been used to explain both the clustering of settlements along paleo-channels and the relative size differences among sites. According to this perspective, changes in river courses, climatic fluctuations, and shift in hydrological regimes strongly shaped where communities could establish sustainable settlements. Consequently, environmental determinism has frequently been used to explain both the clustering of settlements along paleo channels and the relative size differences among sites.

However, more recent archaeological approaches have begun to challenge purely environmental explanations by emphasizing the role of human agency, social organization and economic strategies. Evidence from several Early Harappan sites indicates patterns of craft production, regional exchange networks, and settlement planning that may reflect deliberate socio economic decision making rather than passive environmental adaptation. These perspectives suggest that communities actively engaged with their surrounding landscapes, selecting settlement locations strategically to support agricultural productivity, trade route and emerging regional integration.

Despite these important debates, the relationship between environmental constraints and cultural planning in shaping settlement hierarchy within the Upper Ghaggar Basin remains insufficiently examined. While previous studies have documented site distributions and environmental contexts,

fewer attempts have been made to systematically evaluate how variations in settlement size, spatial clustering and functional differentiation related to both ecological conditions and human socio economic strategies. As a result the extent to which settlement hierarchy in the region reflects environmental necessity, cultural planning, or an interaction between the two remains an open question. This study therefore seeks to reassess settlement hierarchy in the Upper Ghaggar Basin during the Early Harappan phase by examining the relative influence of environmental and cultural factors. Using published archaeological survey data, excavation reports and paleo hydrological research, the paper analyses spatial patterns of settlement distribution, proximity to ancient river channels and differences in site scale and organization. By combining environmental and archaeological evidence, the research aims to identify whether settlement patterns primarily reflect ecological constraints or deliberate socio economic planning.

The significance of this study lies in its contribution to broader discussions on human environment interaction and the emergence of complex settlement system in protohistoric South Asia. By re-evaluating the factors that shaped Early Harappan settlement hierarchy, the research offers new insights into how early communities adapted to and managed riverine landscapes. Such analysis not only enhances our understanding of regional settlement organization but also provides a framework for interpreting the processes that eventually led to the urban development of the Indus Civilization.

STUDY AREA AND GEOGRAPHIC CONTEXT :

The Upper Ghaggar Basin, located in the north western part of the Indian subcontinent, forms an important geographical zone for understanding Early Harappan settlement development. The basin primarily extends across present day northern Rajasthan and part of Harayana and Punjab, where the seasonal Ghaggar river and its associated paleo channels have shaped the regional landscape. In antiquity, the Ghaggar hakra river system is believed to have been a more active fluvial network, providing water resources, fertile alluvial soils, and favorable ecological conditions that supported early agricultural communities. The river flowed through a broad floodplain that facilitated cultivation and pastoral activities, making it an attractive region for early settlement.

Geomorphologically, the Upper Ghaggar Basin consists of alluvial plains, stabilized sand dunes, and relict river channels that indicate past hydrological shifts. These paleo channels have been identified through archaeological surveys, satellite imagery, and geomorphological studies, which suggests that ancient settlement were often located near former river courses. The climatic conditions of the region are semi arid today, however, paleo environmental evidence indicates that the Early Harappan period experienced relatively favorable climatic conditions that supported agriculture and sustained human habitation.

The strategic location of the Upper Ghaggar Basin also connected It with other regions of the Indus cultural sphere, including the Sutlej-Yamuna interfluve and the Indus plains. As a result, the area served not only as an agricultural zone but also as a corridor for cultural interaction and exchange. Understanding the geographic and environmental setting of this basin is therefore crucial for interpreting settlement distribution and hierarchy during the Early Harappan phase.

ARCHAEOLOGICAL BACKGROUND OF THE REGION :

The Ghaggar Hakra basin has long been recognized as one of the most important regions for understanding the development of the Indus or Harappan Civilization. Archaeological exploration in this area began during the early twentieth century, but systematic survey were significantly expanded in the latter half of the century by institutions such as the Archaeological survey of India. These surveys identified a large number of prehistoric and protohistoric sites distributed along the Ghaggar river and it's paleo channels, indicating sustained human occupation over several cultural phases. Among the prominent Early Harappan sites in the Upper Ghaggar Basin are settlements such as kunal, Bhirrana and the wider Rakhigathi region, which have yielded evidence of early agricultural practices, pottery traditions, and emerging craft activities. Excavation at these sites have revealed material remains including ceramics, beads, terracotta objects, and structural features that reflect increasing socio economic complexity. The concentration of sites in this region suggests that the Upper Ghaggar Basin played a significant role in the early developmental stages of Harappan cultural traditions and regional settlement systems.

SETTLEMENT DISTRIBUTION AND HIERARCHY :

The distribution of settlement in the Upper Ghaggar Basin during the Early Harappan phase (3300-2600 BCE) provides important insights into the emerging organization of protohistoric communities in north west India. Archaeological surveys have revealed a considerable number of settlements distributed along the ancient courses of the Ghaggar River and it's associated paleo channels. These settlements are not randomly scattered across the landscape but tend to cluster in areas that offered access to water resources, fertile floodplains and viable agricultural land. Such spatial concentration suggests that environmental conditions played a role in determining suitable location for habitation.

At the same time, variations in settlement size and function indicate the presence of a hierarchical pattern within the regional settlement system. Larger settlement appear to have served as central nodes within the network, possibly functioning as administrative, economic, or craft production centers. Smaller settlement, often located in surrounding areas, may have been dependent on these larger sites for exchange, resource distribution, and social interaction. This pattern reflects

a multi tiered settlement structure in which villages, intermediate settlement, and larger centers were interconnected within a broader regional framework.

Spatial analysis of settlement distribution also shows that many sites were strategically located near ancient river channels, suggesting that water accessibility and agricultural productivity were key factors in settlement placement. However, the relative spacing between sites and the clustering of smaller settlement around larger ones indicate a degree of planning and regional integration rather than purely random ecological adaptation.

EVIDENCE OF CULTURAL PLANNING :

Evidence from several Early Harappan sites in the Upper Ghaggar Basin suggests that settlement development was not solely determined by environmental factors but also involved deliberate cultural planning and human agency. Archaeological findings indicate that many settlements were strategically located near fertile agricultural land and accessible water sources, reflecting careful decision about resource management and long term habitation. The spatial organization of some settlement reveal planned layouts, including structured habitation areas and designated activity zones, which suggest a degree of social coordination within these communities.

Material remains from sites such as Kunal and Bhirrana demonstrate the presence of craft production activities, including pottery making, bead production, and other artisanal practices. The concentration of such activities at particular sites indicates functional differentiation within the settlement system, where certain locations may have served as specialized production or exchange centers. This pattern suggests that communities were not only adapting to their environment but were also organizing economic activities in a structured manner.

Furthermore, the distribution of settlements along possible communication routes and resource-rich zones implies that Early Harappan communities considered connectivity and interaction with neighboring settlements. Such regional integration points to emerging socio-economic networks that linked smaller villages with larger centers. Together, these indicators highlight the role of human planning, social organization, and economic strategy in shaping settlement patterns in the Upper Ghaggar Basin during the Early Harappan period.

SOCIO ECONOMIC ORGANIZATION :

The socio-economic organization of Early Harappan communities in the Upper Ghaggar Basin reflects a developing system of agricultural production, craft specialization, and regional exchange. Agriculture formed the economic foundation of these settlements, supported by the fertile alluvial soils of the river basin. Archaeobotanical evidence from Early Harappan sites suggests the cultivation of crops such as wheat, barley, and possibly millets, which were suited to the semi-arid environment

of the region. Access to seasonal river water and floodplain resources likely enabled communities to maintain stable agricultural practices and sustain growing populations.

In addition to agriculture, craft production played an important role in the local economy. Archaeological discoveries indicate the presence of specialized activities such as pottery production, bead making, and the manufacture of terracotta objects. Pottery styles and manufacturing techniques from several sites show a degree of standardization, suggesting organized production and the transfer of technological knowledge within and between settlements. Beads made from materials such as semi-precious stones also indicate skilled craftsmanship and the existence of artisanal groups.

Trade and exchange networks further contributed to the economic structure of the region. Settlements located along river courses and possible land routes likely facilitated the movement of goods, raw materials, and cultural ideas. These interactions promoted regional economic integration, linking smaller villages with larger settlements and contributing to the broader socio-economic framework that supported the development of Early Harappan society.

HUMAN ENVIRONMENT INTERACTION :

Human–environment interaction played a crucial role in shaping settlement patterns in the Upper Ghaggar Basin during the Early Harappan phase. Communities living in this region had to respond to changing environmental conditions, particularly fluctuations in river flow and shifts in river channels. Archaeological and geomorphological evidence suggests that Early Harappan populations adapted to these changes by establishing settlements near reliable water sources and fertile floodplains. The proximity of many sites to paleo-channels indicates that communities carefully selected locations that provided both agricultural potential and access to water for daily use.

Resource management practices were also essential for sustaining long-term habitation. Agricultural activities were likely organized in a way that maximized the use of seasonal water availability and fertile soils. The use of local raw materials for pottery, tools, and construction further reflects an efficient utilization of available natural resources. Such practices demonstrate that Early Harappan communities were actively managing their surrounding environment to support economic and domestic activities.

Environmental risk management may also have influenced settlement planning. Settlements appear to have been positioned on slightly elevated ground near floodplains, which would have reduced the risks associated with flooding while maintaining access to productive land. These strategies suggest a balanced approach to settlement planning that combined environmental awareness with practical adaptation. Overall, the interaction between human communities and their environment was dynamic, contributing to the sustainability and organization of Early Harappan settlements in the Upper Ghaggar

Basin

DISCUSSION : ENVIRONMENT, PLANNING, AND SETTLEMENT HIERARCHY :

The study of settlement distribution, socio-economic organization, and human–environment interaction in the Upper Ghaggar Basin provides important insights into the development of Early Harappan communities. One key question is whether environmental conditions or cultural planning played the dominant role in shaping settlement hierarchy. The findings indicate that environmental factors such as access to water, fertile alluvial soils, and proximity to river channels strongly influenced the initial placement of settlements. The concentration of many Early Harappan sites along paleo-channels of the Ghaggar River suggests that communities depended on riverine resources for agriculture and daily activities.

However, environmental factors alone cannot fully explain the observed settlement patterns. Differences in settlement size, spatial organization, and the presence of craft production activities indicate that Early Harappan communities made deliberate decisions about settlement location and economic organization. Evidence of craft specialization, including pottery production and bead making, points to emerging economic roles within settlements. Larger settlements may have functioned as centers of production and exchange, while smaller settlements likely focused on agriculture and local resource use.

The emergence of settlement hierarchy In the Upper Ghaggar Basin therefore appears to result from a combination of environmental opportunities and human planning. These patterns also reveal increasing social complexity within Early Harappan society. The presence of interconnected settlements, specialized economic activities, and regional exchange networks suggests the gradual development of organized socio-economic systems that later contributed to the urbanization of the Indus Civilization.

CONCLUSION :

This study has examined settlement patterns in the Upper Ghaggar Basin during the Early Harappan phase in order to understand the relative influence of environmental factors and human agency in shaping settlement hierarchy. The analysis indicates that environmental conditions played an important role in determining the general distribution of settlements. Access to water sources, fertile alluvial soils, and proximity to river channels created favorable conditions for agriculture and sustained habitation. These ecological advantages encouraged communities to establish settlement along paleo channels and floodplains areas of the Ghaggar River.

However, environmental factors alone cannot fully explain the hierarchical organization of settlements observed in the region. Differences in settlement size, spatial arrangement, and the

Presence of specialized economic activities suggest that Early Harappan communities made deliberate decision regarding settlement location and organization. Evidence of craft production exchange networks, and inter settlement connection indicates the presence of emerging socio economic structure within the region.

The development of settlement hierarchy in the Upper Ghaggar Basin therefore reflects a combination of environmental opportunities and human planning. These patterns demonstrate the Early Harappan communities were gradually developing organized regional system characterized by economic interaction and social differentiation. Such developments likely contributed to the processes that eventually led to the emergence of large urban centers during the Mature Harappan phase, highlighting the importance of early settlement organization in the broader trajectory of Indus Civilization urbanizatio.

REFERENCE :

1. Gregory L. Possehl. The Indus Civilization: A Contemporary Perspective. AltaMira Press, 2002.
2. Gregory L. Possehl. The Indus Age: The Beginnings. University of Pennsylvania Press, 1999.
3. Jonathan Mark Kenoyer. Ancient Cities of the Indus Valley Civilization. Oxford University Press, 1998.
4. Jonathan Mark Kenoyer. "Cultures and Societies of the Indus Tradition." Historical Roots in the Making of the Aryan, edited by George Erdosy, Oxford University Press, 1995, pp. 49–60.
5. Rita P. Wright. The Ancient Indus: Urbanism, Economy, and Society. Cambridge University Press, 2010.
6. R. S. Bisht. "Harappan Settlements in the Ghaggar–Hakra Basin." Man and Environment, vol. 20, no. 1, 1995, pp. 79–96.
7. Jane R. McIntosh. The Ancient Indus Valley: New Perspectives. ABC-CLIO, 2008.
8. Dorian Q. Fuller. "Agricultural Origins and Frontiers in South Asia: A Working Synthesis." Journal of World Prehistory, vol. 20, no. 1, 2006, pp. 1–86.
9. Vasant Shinde, et al. "Cultural Development in the Rakhigarhi Region of the Indus Valley Civilization." Puratattva, vol. 42, 2012, pp. 55–69.
10. R. S. Sharma. Material Culture and Social Formations in Ancient India. Macmillan, 1983.
11. R. S. Bisht. "Dholavira: New Horizons of the Indus Civilization." Puratattva, vol. 20, 1990, pp. 71–82.
12. B. B. Lal. The Sarasvati Flows On: The Continuity of Indian Culture. Aryan Books International,

2002.

13. Shereen Ratnagar. Understanding Harappa: Civilization in the Greater Indus Valley. Tulika Books, 2016.
14. Shereen Ratnagar. Trading Encounters: From the Euphrates to the Indus in the Bronze Age. Oxford University Press, 2004.
15. Jim G. Shaffer, and Diane A. Lichtenstein. "Migration, Philology and South Asian Archaeology." The Indo-Aryans of Ancient South Asia, edited by George Erdosy, Walter de Gruyter, 1995, pp. 126–154.
16. Jim G. Shaffer. "The Indo-Aryan Invasions: Cultural Myth and Archaeological Reality." The People of South Asia, edited by George Erdosy, Plenum Press, 1995.
17. D. P. Agrawal. The Archaeology of India. Curzon Press, 2002.
18. D. P. Agrawal, and S. K. Sood, editors. Harappan Civilization: A Contemporary Perspective. Aryan Books International, 1982.
19. Ravi Korisettar, et al. The Archaeology of South Asia: From the Indus to Asoka, c. 6500 BCE–200 CE. Cambridge University Press, 2013.
20. Raymond Allchin, and Bridget Allchin. The Rise of Civilization in India and Pakistan. Cambridge University Press, 1982.
21. Ravi Korisettar. "The Indus Civilization: Emerging Perspectives." Indian Archaeology in Retrospect, edited by S. Settar and Ravi Korisettar, Manohar, 2002.
22. Nayanjot Lahiri. Finding Forgotten Cities: How the Indus Civilization Was Discovered. Permanent Black, 2005.
23. 23. B. B. Lal. The Earliest Civilization of South Asia: Rise, Maturity and Decline. Aryan Books International, 1997
24. V. N. Misra. "Indus Civilization and the Rigvedic Saraswati." Man and Environment, vol. 21, no. 1, 1996, pp. 1–11.

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

ISSN : 2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc,.)

S.N.	Academic/Research Activity	Faculty of Sciences /Engineering / Agriculture / Medical /Veterinary Sciences	Faculty of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library /Education / Physical Education / Commerce / Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publications (other than Research papers)**		
	(a) Books authored which are published by ;		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08
	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new curricula and courses	02 per curricula/course	02 per curricula/course

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)
द्वारा भिवानी (हरियाणा), काठमाण्डू (नेपाल) से प्रकाशित

ISSN : 2395-7115
Impact Factor : 8.642

बोहल शोध मंजूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY, MULTIPLE LANGUAGES
PEER REVIEWED, REFREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Website :
www.bohalshodhmanjusha.com
Email : grsbohal@gmail.com

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Adv.
M. : 8708822674, 9466532152

गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा श्रीगंगानगर, (राजस्थान), पटियाला (पंजाब) व नेपाल से प्रकाशित

ISSN : 2321-8037
Impact Factor : 7.834

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : www.ginajournal.com
Email : grngobwn@gmail.com
Office : 8708822674

Editor :
Dr. Rekha Soni, Vice Principal
Education, Tantia University
M. 9828531975

गिरधारीलाल घासीराम शोधपीठ
द्वारा नई दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2348-5639
Impact Factor : 6.521

SHODH SAMALOCHAN

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : https://ginajournal.com/shodh-samalochan/
Executive Editor : Dr. Varsha Rani M. 9671904323
Managing Editor : Dr. Mukesh Verma M. 9627912535

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
M. 8708822674

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गुगनराम सोसायटी रजि. के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज, भिवानी से छपवाकर गीना प्रकाशन, 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड भिवानी-127021 (हरि.) से वितरित की।

ISSN 2395:7115

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा
Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com   Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ० मौ० मुजफ्फर अंसारी
राजनीति विज्ञान,
घिस्सुपुरा–हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

for the paper titled

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 10-17

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

कुमारी रीमा,

शोध छात्रा, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)–273009,
भारत।

for the paper titled

जगन्नाथ संस्कृति : मन्दिर वास्तु एवं धार्मिक परम्पराओं में भारतीय कला का स्वरूप

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 18-29

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

जितेंद्र गवरिया

शोधार्थी, प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय, मंदसौर।
सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश।

for the paper titled

भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में मंदिरों की बहुआयामी उपयोगिता : विश्लेषणात्मक अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 30-34

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Vishram

Researchers, Guest Faculty Assistant Professor Department of Accounting, Jai Narayan Vyas University, Jodhpur.

for the paper titled

अलवर नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं उद्योगों का हरित लेखांकन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 35-39

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Ekta Pramod Singh, Research Scholar,
Dr. Arun Mathur, Research Supervior,
Dean and Director of Sports,
Suresh Gyan Vihar University, Jaipur (Rajasthan)

for the paper titled

INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL VARIABLES ON PLAYING PERFORMANCE AMONG DIFFERENT CATEGORIES OF CRICKET PLAYERS

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 40-47

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate
M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा
Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Rinkle Middha, Ph. D. Scholar,
Dr. Hemlata, Assistant Professor,
Tantia University, Sri Ganganagar.

for the paper titled

Analyzing Transportation Challenges Through Mathematical Modeling and Phenomena

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 48-53

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Dr. Vaseem Khan, *Department of Philosophy,*
Pranjal Garg, *Department of Psychology*
Ankita Kumari Poonia, *Department of Geography*
Dr. Nisha Agrawal, *Hod in Department of Psychology*
Ravindra Nath Tagore PG College, Kapasan.

for the paper titled

Effect of Classroom Seating Arrangement on Students' Learning Outcomes : An Experimental Study of U-Shaped and Row-Wise Seating

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 54-68

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा
Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

रामचन्द्र, शोधार्थी
डॉ. अमिता, शोध पर्यवेक्षक
भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर।

for the paper titled

महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति सीकर जिले की स्नातक स्तर की छात्राओं में जागरूकता का अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 69-74

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate
M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

9 772395 711007

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Samaresh Chattaraj, Research Scholar,
Dr. Swati Kumar, Assistant Professor,
Dept. of Political Science, YBN University, Ranchi.

for the paper titled

Ideological Debates and Policy Orientations in the Pre-Second World War Period

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 75-79

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा
Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

संदीप सैनी

सीनियर रिसर्च फेलो, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

प्रो. ध्रुव कुमार त्रिपाठी

विद्यांत हिंदू पी. जी. कॉलेज, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

for the paper titled

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बचपन : व्यवहार, शिक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 80-93

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Sk Latifuddin, Research Scholar,
Dr. Swati Kumar, Assistant Professor,
Dept. of Political Science, YBN University, Ranchi.

for the paper titled

India-USSR Relations – Political and Strategic Cooperation

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 94-99

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate
M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

रतन लाल जाट

शोधार्थी, हिंदी विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।

डॉ. सी. एल. महावर

आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

for the paper titled

रत्नकुमार सांभरिया की कहानियों में झाँकता वृद्धों का उज्ज्वल पक्ष

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 100-105

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

9 772395 711007

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. तरूण कुमार साहू

अतिथि प्राध्यापक,

शा. रा.लो. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम (छ.ग)

for the paper titled

समकालीन हिन्दी लघुकथाओं में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 106-109

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. निशांत शेखर

श्रीराम प्रॉपर्टी लिबर्टी स्क्वायर, गोल्ड कॉइन क्लब के पास,
अनंत नगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज–2, बेंगलुरु पिन–560100

for the paper titled

संपूर्ण मानव निर्माण : शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 110-112

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Kuldeep Patyal
Student,
Himachal Pradesh University, Shimla (HPU)

for the paper titled

Religious Tourism and the Shakti Peeth Circuit in Himachal Pradesh : Mapping the Potential for Sustainable Pilgrimage Tourism

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 113-120

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

अम्बरीश वाजपेयी, शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र,
डॉ. राजेश पालीवाल, सह आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग,
दयानन्द वैदिक कॉलेज, उरई, जनपद – जालौन, उ. प्र.।

for the paper titled

अनाथालयों के अन्तेवासी बच्चों के विभिन्न वर्गों की शैक्षिक आकांक्षा एवं संवेगात्मक वंचन का अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115
June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 121-127

9 772395 711007

Editor
Dr. Naresh Sihag Advocate
M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Dr. Gunjan Kumari

for the paper titled

The Spectacle of Suffering : Politics of Pain and Media Representation of Disability in Raghuvir Sahay's "The Handicapped Caught in a Camera"

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 128-134

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

ओमकार वर्मा, शोधार्थी–अर्थशास्त्र,

डॉ. आर. एन. सिंह, शोध निर्देशक–सेवानिवृत्त प्राचार्य,

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय,
दुर्ग (छ.ग.)

for the paper titled

प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन : एक अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 135-142

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

9 772395 711007

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Dr. Gajendra Singh
Assistant Professor,
Govet. P.G. Law College, Sikar (Rajasthan)

for the paper titled

A Comparative Analysis of Global and Regional Human Trafficking Paradigms : Enforcement Gaps, Perpetrator Demographics and Victim Exploitation Vectors

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 143-156

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate
M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा
Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. नुपूर अग्रवाल

सहायक आचार्य, जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकतपुरा, कोटा।

for the paper titled

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में योग विषय के प्रति अभिरूचि का अध्ययन

Student of interest to wards yoga subject among higher secondary level students

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 157-164

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Dr. Giriraj Bhojak

Assistant Professor, Department of Education,
Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun.

for the paper titled

Mental Health and School Education

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 165-172

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा
Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. ममता यादव
सहायक आचार्य (भूगोल)
स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी, झुंझुनू।

for the paper titled

झुंझुनू जिले के नगरीय केंद्रों का जनसंख्या प्रक्षेपण

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115
June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 173-177

Editor
Dr. Naresh Sihag Advocate
M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

9 772395 711007

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. प्रणव शर्मा

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय,
दुर्ग, छत्तीसगढ़।

for the paper titled

आधुनिक हिंदी कविता और भारतीय जीवन मूल्य

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 178-182

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. दीपिका शर्मा

VPO Jhaloor, Distt/Teh - Barnala (Punjab)
Pincode-148025

for the paper titled

संजना कौल द्वारा लिखित उपन्यास 'पाषाण युग' में अस्तित्व हेतु संघर्ष करती हुई नारी का यथार्थ चित्रण

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 183-185

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

9 772395 711007

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

दीपिका शर्मा (एम. ए.), राजनीति विज्ञान

प्रो. (डॉ.) शकील अहमद

जवाहर लाल नेहरू पी.जी. कालेज, एटा।

for the paper titled

भारत के पश्चिमी तटीय सुरक्षा के संदर्भ में सुरक्षा चुनौतियाँ : एक अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 186-190

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ० मौ० मुजफ्फर अंसारी

राजनीति विज्ञान,

घिस्सुपुरा, हरिद्वार उत्तराखण्ड।

for the paper titled

भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा समाज : राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी का अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 191-202

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

संतोष कुमार गौतम

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग,
जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल पी०जी० कॉलेज, बाराबंकी।

for the paper titled

कौटिल्य के आर्थिक सुशासन के सिद्धान्त और 21वीं सदी की विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ : भारत के परिप्रेक्ष्य में

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 203-207

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

राजकुमार, शोधार्थी–हिन्दी,
प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
प्रो. रेखा वर्मा, शोध–निर्देशिका,
हिन्दी, विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सैदाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

for the paper titled

सुमित्रानंदन पंत के ग्रामीण चित्रण काव्य में मार्क्सवादी चेतना

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 208-213

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate
M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

शिवांगी द्विवेदी

शोधार्थी (हिन्दी विभाग)

दिल्ली विश्वविद्यालय।

for the paper titled

संत परम्परा और भोजपुरी के अल्प परिचित संत कवि (संत धर्मदास, संत धरनीदास)

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 214-218

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

श्री आशीष आर्य

सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,

माँ शाकम्भरी विश्वविद्यालय, पुंवारका, सहारनपुर।

for the paper titled

**सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण :
स्मृति ग्रन्थों के परिप्रेक्ष्य में**

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 219-223

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा
Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. चन्द्रशेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी
डॉ. विजय कुमार पाण्डेय, पूर्व शोध छात्र,
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

for the paper titled

वैदिक साहित्य में रुद्र देवता : साहित्यिक पुनरावलोकन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 224-237

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate
M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D.,
D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

DEVRUT
University of Delhi,
Delhi, India.

for the paper titled

SETTLEMENT HIERARCHY IN THE UPPER GHAGGAR BASIN DURING THE EARLY HARAPPAN PHASES : ASSESSING ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS vs. CULTURAL PLANNING

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

June 2026, Vol. 23, Issue -6, Part-3, Page No. 238-246

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152